पंचम माला, खंड 23, अंक 10 शुक्रवार, 2 मार्च, 1973/11 फाल्गुन, 1894 (शक)
Fifth Series, Vol. XXIII, No. 10 Friday, March 2, 1973/Phalguna 11, 1894 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र
Seventh Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 23 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol.XXIII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 10, शुक्रवार, 2 मार्च, 1973/11 फाल्गुन, 1894 (शक)
No. 10, Friday, March 2, 1973/Phalguna 11, 1894 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
161. उड़ीसा के राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारी	Staff in Nationalised Banks of Orissa	1—4
163. सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थानों द्वारा 'अधिक बड़े' तथा 'बड़े औद्योगिक गृहों' को दिये गये ऋण	Loans given by Public Sector Financial Institutions to Larger and Large Industrial Houses	4—7
164. सीधे आयात के लिये उपभोक्ताओं को लाइसेंस देना	Licences for Direct Import by Consumers ..	7—10
165 इंजीनियरिंग और रसायन सामग्रियों के अनिवार्य निर्यात के लिए योजना	Scheme for Compulsory Export of Engineering and Chemical Items ..	10—12
166. मध्य प्रदेश के उज्जैन, ग्वालियर, मांडू (धर) और शिवपुरी जिलों को पर्यटन केन्द्र घोषित करने का प्रस्ताव	Proposal to Declare Ujjain, Gwalior, Mandu (Dhar) and Shivpuri Districts of Madhya Pradesh as Tourist Centres ..	12—14
168. इंडियन टुबैको कम्पनी को होटल श्रृखला स्थापित करने की अनुमति	Permission to Indian Tobacco Company to Construct a Chain of Hotels	14—16
170. कोका कोला निर्यात निगम, नई दिल्ली द्वारा लाभ की राशि को स्वदेश भेजना	Remittances by Coca Cola Export Corporation, New Delhi	16—19

नोट : किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

NOTE : The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
162. कपड़ा मिलों द्वारा नियंत्रित किस्मों का तथा निर्यात का कपड़ा उत्पादन करने संबंधी शर्तों का उल्लंघन	Circumvention by Textile Mills of Stipulation to produce controlled varities of cloth and cloth for Export	23—24
167. अमरीकी सरकार द्वारा आयात पर अधिभार लगाना	Imposition of Surcharge on Imports by U.S. Government ..	24
169. बांदापुर (मैसूर) को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने की योजना	Scheme to Develop Badipur (Mysore) as a Tourist Centre	24
171. एयर इंडिया के अटलांटिक पार के रूप पर किरायों में कमी करने की योजना	Plan to Reduce Fares on Trans-Atlantic Routes by Air India ..	25
172. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा घोषित लाभांश	Dividend Declared by Industrial Finance Corporation of India ..	25
173. विमान चालकों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम	Programme for Training pilots ..	25—26
174. हाल ही में भारत की यात्रा करने वाले इण्टरनेशलन एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंण्डल द्वारा दिये गये सुझाव	Suggestion made by Delegation of IATA which Recently Visited India	26
175. भारत में काम कर रही विदेशी कम्पनियों में भारतीय व्यापारियों की भागी दारी	Participation of Indian Businessmen in Foreign Companies Functioning in India	26—27
176. विदेशों को निर्यात की गई वस्तुओं को रद्द किया जाना	Rejection of Goods Exported to Foreign Countries	27
177. दक्षिण और उत्तर भारत की चाय का निर्यात	Export of South and North Indian Tea	27—28
178. भारत द्वारा नारियल जटा और नारियल जटा पर आधारित उत्पादकों के निर्यात की संभावनाएं	India's Export Potential of Coir and Coir Based Products	28—29
179. सरकारी क्षेत्र में रुग्ण कारखाने	Sick Units in Public Sector	29—32
180. राजस्थान में पर्यटक निगम की स्थापना के लिए योजना	Plan for Setting up of a Tourist Corporation in Rajasthan	32

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1601. खादी तथा ग्रामोद्योग के बारे में अशोक मेहता समिति की सिफारिश	Recommendation of Ashoka Mehta Committee on Khadi and Village Industries	32—33
1602. खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा भेजी गई विशेष रोजगार योजना	Special Employment Scheme sent by Khadi and Village Industries Commission ..	33
1603. मलेशिया के साथ संयुक्त उपक्रम	Joint Ventures with Malaysia	33
1604. पोलैंड को मशीन टूल्स का निर्यात	Export of Machine Tools to Poland	34
1605. जीवन बीमा निगम द्वारा अर्जित शुद्ध आय की राशि	Amount of Net Income earned by LIC	34
1606. मधुशालाएं चलाने के लिए उत्तर प्रदेश को वित्तीय सहायता	Financial Aid to U. P. for Running Bars	34
1607. देश में नवयुवक होस्टलों का निर्माण	Construction of Youth Hostels in the country	35
1609. जीवन बीमा निगम तथा औद्योगिक वित्त निगम द्वारा बड़े औद्योगिक गृहों को दिया गया ऋण	Loan given to Large Industrial Houses by LIC and IFC	35—36
1610. गत दो वर्षों में सरकारी होटलों में फर्निशिंग का काम पाने वाली दिल्ली की फर्में	Firms in Delhi given furnishing jobs by Government Hotels during the last two years	36—37
1611. अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लोगों की बैंकों में परिवीक्षाधीन अधिकारियों के रूप में नियुक्ति	Appointment of Members of Scheduled Castes/Scheduled Tribes as Probationary Officers in Banks	37
1612. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय भत्तों और सरकारी उपक्रमों में उन्हीं की श्रेणी के कर्मचारियों को देय भत्तों में विषमता	Disparity in Allowances admissible to Central Government Employees as compared to those admissible to their counterparts in Public Undertakings	37—38
1613. भारत में उर्वरक उत्पादन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से ऋण	Credit from International Development Association for Fertiliser Production in India ..	38
1614. कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा किया गया व्यापार	Business done by Agricultural Refinance Corporation	39

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1615 इंडियन एयरलाइन्स द्वारा एवरो विमान में सुझाये गये परिवर्तन	Alterations and Modifications proposed in Avro Aircraft by Indian Airlines	39
1616 निम्न आय वर्ग के पर्यटकों के लिए नई दिल्ली में सस्ते होटल चलाने का प्रस्ताव	Proposal to Start Cheap Hotels in New Delhi for Tourists of Lower Income Group	39—40
1617. पश्चिम बंगाल में काले धन का बरामद किया जाना	Black Money Unearthed in West Bengal ..	40
1618. उत्तर प्रदेश में तस्करी के माल का पकड़ा जाना	Seizure of Smuggled Goods in U. P. ..	40
1619. बम्बई में तस्करी के वस्तुओं का पकड़ा जाना	Seizure of Smuggled Goods in Bombay	40—41
1621. मौसम नियंत्रण सम्बन्धी खोज	Weather Control Exploration ..	41
1622. चमड़ा और खाल उद्योग के विकास के लिये प्राधिकरण	Authority for Development of Leather and Skin Industry ..	41
1623 चर्म उद्योग का विकास	Development of Leathet Industry	41
1624. चाय बागान में ग्रामोक्सोन घासपातवाशी दवाई (वीडीसाइट) का प्रयोग	Use of Gramoxone weedicide in Tea Gardens .	42—43
1625. इस्पात उद्योग के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से सहायता	IDA Aid for Steel Industry	43
1626. मैंगनीज अयस्क का निर्माण	Export of Manganese Ore	43—44
1627. रेयन मिलों में श्रमिकों की कोटि	Category of Labour in Rayon Factories	44
1628. चमड़े के तैयार माल के लिए परिष्करण केन्द्रों की स्थापना	Setting up of Finishing Centres for Finished Leather Items	45
1629. भारत में तस्करों की संख्या	Smugglers in India	45—46
1630. तस्करों के इतिहास और आचरण का रिकार्ड	History and Antecendents of Smugglers ..	46
1631. मैसूर में बादामी गुफाओं हालीविड तथा बेल्लूर मंदिरों में तेज रोशनी की व्यवस्था	Flood Lighting of Badami Caves Helebid and Belur Temples in Mysore	46—47
1632. भारतीय खाद्य निगम द्वारा वायदा व्यापार	Forward Trading by FCI ..	47

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
1633. कृत्रिम वर्षा के लिये किये गये तजुर्बे	Experiments conducted for producing artificial rains	47
1634. ग्लाइडिंग क्लब सफदरजंग हवाई अड्डे नई दिल्ली के बीच आपरेटरों द्वारा दिये गये त्यागपत्र	Resignations tendered by Winch Operators in Gliding Club, Safdarjang Aerodrome, New Delhi ..	47—48
1635. सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा लघु और बड़े उद्योगों को सहायता	Assistance to Small and Large Scale Industries by Public Financial Institutions	48
1636. दिसम्बर, 1972 में नई दिल्ली में हुई कपड़े के संबंध में गोष्ठी	Seminar on Textile	49
1637. सूखाग्रस्त क्षेत्रों में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा चरखों का वितरण	Distribution of Charkhas by KVIC in Drought-affected Areas	50—51
1638. रुई की विभिन्न किस्मों के समर्थन मूल्य	Support prices of different Varieties of Cotton	51
1639. सरकारी उपक्रमों में उच्च पदों पर अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति	Recruitment of persons belonging to Scheduled Castes for Top posts in Public Undertakings ..	51—52
1640. त्रिपुरा में एक पटसन मिल स्थापित करने के लिये लाइसेंस दिया जाना	Issuse of Licence to a Jute Mill in Tripura	52
1641. कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता देना	Financial Assistance to Textile Mills for Modernisation	52
1642. सरकारी उपक्रमों में पूर्ण क्षमता का उपयोग न किया जाना	Non utilisation of Capacity in Public Sector Undertakings	52
1643. औद्योगिक ऋण प्राप्त करने में बाधाएं	Hurdles in regard to industrial Credit	53
1644. मंत्रालयों द्वारा खादी के कपड़े की खरीद	Purchase of Khadi Cloth by Ministries	53
1645. मद्रास में आयोजित पेंसन-भोगियों के सम्मेलन में दिये गये सुझाव	Suggestions made at Pensioners Conference held in Madras ..	53
1646 सरकारी उपक्रमों के अध्यक्ष के रूप में तकनीकी व्यक्तियों की नियुक्ति	Technical Personnel heading Public Sector Undertakings	54

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1647. खान तथा खनिज व्यापार निगम द्वारा बल्गारिया से यूरिया का आयात	Import of Urea by M.M.T.C. from Bulgaria	54
1648. कोलम्बो योजना में भारत का योगदान	India's Contribution to Colombo Plan	55
1649. कर्मचारियों के मजूरी पुनरीक्षण और सेवा शर्तों के बारे में सरकारी उपक्रमों को निदेश	Directive to Public Undertakings regarding Wage Revision and Service conditions of Employees ..	55—56
1650. खनिज तथा धातु व्यापार निगम के कार्यालय का उड़ीसा से बिहार ले जाया जाना	Shifting of M.M.T.C. Office from Orissa to Bihar ..	56
1651. उड़ीसा में अलग केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलक्टोरेट	Separate Collectorate of Central Excise in Orissa	56
1652 राष्ट्रीयकृत बैंकों, स्टेट बैंक तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक मंडलों के सदस्य	Members of Boards of Directors of Nationalised Banks, State Bank and Reserve Bank of India	57
1653. राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा अपने हाथ में लिये गये कपड़ा उद्योग से संबंधित विभिन्न कारखानों की वित्तीय स्थिति	Financial position of different Units of Textile Industry taken over by National Textile Corporation	57—58
1654. गत तीन वर्षों में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि	Increase in Prices of Essential Commodities during the last three years	58—59
1655. निर्यात उद्योगों की अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर कच्चा माल सप्लाई करने के लिए पृथक संगठन की स्थापना	Separate Organisation to provide Raw Materials to Exyort Industries at International Prices	59
1656. दिल्ली में एक शुष्क बंदरगाह की स्थापना	Setting up of a Dry port in Delhi	59
1657. भारतीय रुई निगम द्वारा प्रभावकारी भूमिका निभाना	Playing of an effective role by CCI	60
1658. अफ्रीकी देशों को ट्रांसफार्मर और पावर केबल्स के निर्यात के लिए सर्वेक्षण	Survey for Export of Transformers and power Cables to African Countries	60
1659. भारत में वर्ष 1971 की तुलना में वर्ष 1972 में आये पर्यटकों की कुल संख्या	Total Number of Tourists who visited India during 1972 as compared to 1971	61

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
1660 मैसूर में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए वित्तीय सहायता की मांग	Demand for Financial Assistance to deal with drought conditions in Mysore ..	61
1661. विदेशों को निर्यात किये गये भारतीय हथकरघा वस्त्रों की लोकप्रिय किस्में	Popular Varieties of Indian Handloom exported to foreign countries	61—63
1662. विदेशी कम्पनियों द्वारा अपने अपने देशों को भेजी गई राशि	Remittances by Foreign Companies	63
1663. आयातित अपरिष्कृत काजू के वितरण सम्बन्धी नीति	Distribution policy of Imported Raw Cashew Nuts	63
1664. बंगला देश से आये शरणार्थियों की राहत के लिये कर से आय	Revenue from Levies for Relief to Refugees frem Bangladesh ..	63
1665. तमिलनाडु के कलात्मक और सांस्कृतिक मूल्यों को विदेशों में लोकप्रिय बनाने के लिए कार्यवाही	Steps to popularise the Artistic and Cultural values of Tamil Nadu in Foreign Countries	64
1666. पायलटों के लिए नादिरगुल (हैदराबाद) स्थित सेन्ट्रल फ्लाइंग ट्रैनिंग स्कूल द्वारा लाइसेंस जारी करने का मापदंड	Criteria for issue of Licences by the Central Flying Training School for Pilots at Nadirgul (Hyderabad) ..	64
1667. अखिल भारतीय आर्थिक सम्मेलन में वित्त आयोग के क्षेत्र में विस्तार करने का प्रस्ताव	Proposal at All India Economic Conference for enlarging the Scope of Finance Commission	65
1668. सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों के साथ हुई वित्त मंत्री की वार्ता	Discussion held by Minister of Finance with Chairman and Managing Directors of Public Sector Banks	65—66
1669. आय कर दाताओं को देर से लौटाई गई धन राशि पर ब्याज का भुगतान	Payment of Interest to Income Tax payers on delayed Refunds ..	66
1670. चिथड़ों के आयात का कपड़ा तथा होजरी उद्योग पर प्रभाव	Effect of Import of Rags on Textile and Hosiery Industry ..	66
1671. विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर टर्मिनल भवन बनाने की योजना	Scheme to construct Terminal Buildings at various International Airports ..	67

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1672. विदेशी सहयोग से होटलों के निर्माण के सम्बन्ध में 1972 के दौरान स्वीकृत किये गये प्रस्ताव	Proposals for construction of Hotels with Foreign Collaboration finalised during 1972 ..	67
1673. 1972 में भारत का व्यापार संतुलन	Balance of Trade by India in 1972 ..	68
1674. धन कर के लिए सम्पत्ति का मूल्यांकन	Valuation of property for Wealth Tax ..	68
1675. आर्थिक अपराधों से निपटने के लिये कार्यवाही	Steps to Deal with Economic Offences ..	68--69
1676. निर्यात किये जाने वाले भारतीय सामान की विमान द्वारा ढुलाई	Air movement of Indian Exports ..	69
1677. कच्चे रेशम की अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त किस्मों का विकास	Development of Internationally acceptable qualities of Raw Silk ..	69
1678. रबड़ बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस	Bonus to Employees of Rubber Board	70
1679. डेबोलिम में नए अन्तर्राष्ट्रीय एयर टर्मिनल पर व्यय	Expenditure on New International Air Terminal at Dabolim	70
1681. केन्द्रीय सरकार के विभागों में समयोपरि भत्ते के रूप में दी गई धन राशि	Amount spent as Overtime in Central Government Departments	70—71
1682. उद्योग विकास और निर्यात प्राधिकरण के बजाय निर्यात विकास निगम की स्थापना	Establishment of an Export Development Corporation instead of Industries Development and Export Authority	71
1683. भारतीय रुई निगम द्वारा रुई की खरीद	Purchase of Cotton by Cotton Corporation of India ..	71
1684. बंगलौर नगर में आवास की कमी दूर करने के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा दी गयी सहायता	Assistance given by LIC to relieve Housing shortage in Bangalore City	72
1685. तूफान की चेतावनी देने वाले रेडार केन्द्रों वाले पत्तनों के नाम	Names of ports having Cyclone warning Radar Stations ..	72—73
1686. ठक्कर समिति द्वारा की गई सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Recommendations made by Thakkar Committee	73
1687. चिथड़ा कांड के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	C.B.I. Inquiry in Rags Scandal	73

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1688. विदेशी बाजार में भारतीय चाय की स्थिति	Position of Indian Tea in Foreign Market ..	73—74
1689. एशिया 1972 व्यापार मेले से भारत को लाभ	Benefits Derived by India form Asia 1972 Trade Fair ..	74
1690. विदेशों में चमड़े से बने वस्त्रों की लोकप्रियता	Popularity of Leather Clothes in Foreign Countries	75
1691. निर्यात व्यापार में विदेशी सहयोग लेने का निर्णय	Decision for Foreign Collaboration in Export Trade	75
1692. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा छोटे और मध्यम दर्जों के किसानों को दिया गया ऋण	Loan given by Nationalised Banks for Small and Medium Farmers	75—76
1693. भारत में बंगला देश के करेंसी नोटों का मुद्रण	Printing of Bangladesh Currency Notes in India ..	76
1694. जूट विषयक गोष्ठी	Seminar on Jute	76
1695. मध्य प्रदेश के उन नगरों के नाम जिनके लिए विमान सेवा की मांग की गई है।	Names of Cities in Madhya Pradesh for which Air Service have been Demanded..	77
1696. मिर्च, प्याज,लहसुन और केले का निर्यात	Export of Chillies, Onions, Garlic and Bananas	77—78
1697. ऊन उद्योग में कच्चे माल की कमी	Shortage of Raw Materials in Woollen Industry	78
1698. दिल्ली में प्रति वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित करने का निर्णय	Decision on holding International Trade Fair in Delhi every year	78—79
1700. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लोगों को रियायती ब्याज पर ऋण देने की प्रक्रिया	Procedure for advancing Loans by Nationalised Banks on Concessional Rate of Interest to Poor and Weaker Sections of Society	79
1701. अण्डमान और निकोबार का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने का प्रस्ताव	Proposal to Develop Andaman and Nicobar Islands as Tourist Centres	79
1702. गत तीन वर्षों में राज्यों को पर्यटन के विकास केलिए दिया गया धन	Amount given to States for Development of Tourism during the Last Three Years ..	79—80

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1703. इंटरनेशनल एयरलाइन्स द्वारा कलकत्ता हवाई अड्डे से आरंभ की गई विमान सेवाएं	Flights introduced by International Airlines from Calcutta Airport ..	81
1704. 25 लाख रुपये से अधिक धन-राशि के लेखों का हस्तान्तरण करने के बारे में भारत के रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये निदेश	Direction given by RBI regarding transfer of Accounts exceeding Rs. 25 Lakhs ..	81
1705. खर्च की अधिकतम सीमा निर्धारित करना	Ceiling on Expenditure	82
1706. एशिया, 72 में कला प्रदर्शनी में आई प्रविष्टियों की संख्या	Number of entries received for Art Exhibition at Asia '72	82
1707. एयर इण्डिया की विदेशों में अपनी इमारतें बनानेके बारे में प्रस्ताव	Proposal to have its own Buildings Abroad by Air India	82—83
1708. चमड़ा निर्यात के लिए पृथक निगम	Separate Corporation for Leather Export	83—84
1709. औद्योगिक वित्त निगम द्वारा परियोजनाओं को ऋण देना	Loan granted to Projects by Industrial Finance Corporation	84—85
1710. उड़ीसा लौह अयस्क व्यापार में संकट	Crisis in Orissa of Iron Ore ..	86
1711. चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के विकास तथा आधुनिकीकरण के लिए योजनाएं	Plans for Development and Modernisation of Four International Airports ..	86
1712. भारत का अनुकूल व्यापार संतुलन	India's Favourable Balance of Trade ..	86—87
1713. पांचवीं योजना के दौरान आंध्र प्रदेश में पर्यटन केन्द्रों के विकास की योजनाएं	Schemes for Development of Tourist resorts in Andhra Pradesh during Fifth Plan ..	87
1714. बंगला देश की रुई के निर्यात के बारे में भारतीय रुई निगम की असफलता	Failure of CCI to Export Cotton to Bangladesh ..	87
1715. भारतीय रुई निगम द्वारा पंजाब की मंडियों से रुई की खरीद	Purchase of Cotton by CCI from Punjab Mandis	87—88
1716. कपड़ा मिलों द्वारा रुई का स्टाक किया जाना	Stockpiling of Cotton by Big Textile Mills ..	88

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1717. गैर सरकारी क्षेत्र में काजू के कारखाने	Cashew Nut Factories in Private Sector ..	88—89
1718. भारतीय खाद्य निगम को बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	Amount of Bank Credit given to Food Corporation of India ..	89
1719. सरकार के लिए आवश्यक लांचों के बारे में अध्ययन दल का प्रतिवेदन	Report of Study Group on Launches required by Government ..	89
1720. दक्षिण कोरिया के साथ प्रतियोगिता में भारतीय रेशम को विश्व मंडी में धक्का पहुंचना	Set back to Indian Silk in the world Market in Competiton with South Korea ..	90
1721. पी० एल० 480 निधियों का उपयोग	Utilisation of PL 480 funds	91
1722. भारत स्थित अमरीकी दूतावास द्वारा पी० एल० 480 निधि का उपयोग	Use of PL 480 funds by US Embassy in India	91—92
1723. विदेशों में औद्योगिक उद्यमों में पूँजी निवेश	Investment in Industrial ventures abroad ..	92—93
1724. विदेश व्यापार का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of foreign trade ..	93
1725. बैंकिंग आयोग की सिफारिशों की जांच	Examination of recommendations of Banking Commission	93
1726. रुपये में भुगतान करने के आधार पर अन्य देशों से व्यापार	Trade with other countries on rupees payment basis	94
1727. जमा राशि तथा ऋण में अन्तर का पता लगाने के लिए की गई कार्यवाही	Steps taken to assess gap between mobilisation of deposits and disbursement of Credit	94
1728. राज्यों पर केन्द्रीय ऋण की बकाया राशि	Outstanding amount of Central Loans against States	94—95
1729. राज्यों द्वारा दिये गये ओवर-ड्राफट	Overdrafts by States	96
1730. घाटे की अर्थ व्यवस्था	Deficit financing	96—97
1731. पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दार्जिलिंग में एक पर्यटक होटल और एक युवक होस्टल की स्थापना के लिए धन का उपयोग	Utilisation of amount by West Bengal Government for setting up a tourist hotel and a Youth Hostel at Darjeeling	97

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1732. एक्सपोर्ट क्रेडिट एण्ड गारंटी कारपोरेशन लि० द्वारा प्रस्तावित योजनाएं	Proposed schemes by Export Credit and Guarantee Corporation Ltd. ..	97—98
1733. खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा अलौह धातुओं के लिए बनाई गई मूल्य निर्धारण नीति	Pricing policy for Non-ferrous metals formulated by M.M.T.C. ..	98
1734. लौह अयस्क की मंडियों का अध्ययन करने के लिये खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा भेजे गये प्रतिनिधि मंडल का अभ्यावेदन	Report of delegation sent by MMTC to study market of Iron Ore	98—99
1735. पश्चिम बंगाल में छोटे चाय बागानों की सुरक्षा प्रदान करना	Protection to Small Tea Plantations in West Bengal	99
1736. कलकत्ता में इंडियन एयरलाइन्स के व्यापार (ट्रैफिक) विभाग में श्रेणी तीन के कर्मचारियों की भर्ती और पदोन्नति	Recruitment and promotion to Class III Posts in the Commercial (Traffic) Department of Indian Airlines in Calcutta	99
1737. प्रत्यक्ष कर की बकाया राशि	Arrears of Direct Taxes	100
1738. हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, कानपुर द्वारा निर्मित एवरो 748 विमानों का कार्यकरण	Performance of Avro 748 Aircraf manufactured by HAL Kanpur	101
1739. उत्पादकों को अल्पावधि ऋण देने की योजना	Scheme for providing Short Term Credit Facilities to Cultivators ..	101
1740. भारत को प्राप्त हुई विदेशी सहायता	Foreign Aid received by India ..	101—102
1741. तमिलनाडु के हवाई अड्डों पर की जाने वाली घोषणाओं के लिये प्रयुक्त भाषाएं	Languages used for making Airpnrt Annouucement in Tamil Nado	102
1742. राज्यों द्वारा ओवरड्राफ्ट लेना	Overdrafts by States	102—103
1743. ऊन के मूल्य में वृद्धि	Rise in the Price of Wool	103
1744. बल्गारिया से व्यापार करार	Trade Pact with Bulgaria	103
1745. ग्वालियर सिटी का दर्जा बढ़ाना	Upgraation of Gwalior City	104
1746. कपास ढुलाई मूल्यों को समान बनाना	Equalisation of Cotton Freight prices	104
1747. रुई का आयात	Import of Cotton	105

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
1748. अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह जाने वाले भारतीयों को प्रवेशपत्र (वीजा) लेने के लिए बाध्य करना	Visas for Indians bound for Andaman and Nicobar Islands	105
1749. देश की सबसे बड़ी पटसन मिलों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने का पश्चिम बंगाल का केन्द्र से अनुरोध	West Bengal's Request to Centre to Take over Jute Mill in the Country ..	105
1750. चाय बोर्ड द्वारा भारतीय चाय की नीलामी	Auction of Indian Tea by Tea Board ..	106
1751. बंगला देश को हथकरघा वस्त्रों का निर्यात	Export of Handloom to Bangladesh ..	106
1752. 25-1-1973 को इंडियन एयर लाइन्स के विमान का क्षतिग्रस्त होना	Crash of a plane of Indian Airline on 25-1-1973	106
1753. कृत्रिम धागे से बने कपड़े की तस्करी	Smuggling of Synthetic Fabrics ..	107—108
1754. दिल्ली तथा दमदम हवाई अड्डों पर इन्स्ट्रयूमेंटल लैंडिंग सिस्टम	Instrumental Landing System at Delhi and Dum Dum Airports	108
1755. यूरोपीय आर्थिक समुदाय में ब्रिटेन के शामिल हो जाने से भारत के चाय निर्यात पर प्रभाव	Impact of Britain's Entry into EEC on Export of Indian Tea ..	108—109
1756. असम में पटसन का उत्पादन	Production of Jute in Assam	109
1757. बैंक नोट प्रेस के लिये छपाई मशीनें खरीदने के लिये मैसर्स प्रिंटर हाउस (इण्डिया) लिमिटेड को अदा की गई राशि	Amount paid to M/s Printer House (India) Limited for Purchase of Printing Machines for Bank Note Press ..	109—110
1758. गत तीन वर्षों में नयी दिल्ली में सरकार द्वारा चलाये जा रहे होटलों में साज-सज्जा पर हुआ व्यय	Expenditure on Furnishings incurred by Government run Hotels in New Delhi during the last Three years ..	110
1759. विश्व बैंक द्वारा राजकोट के विकास की योजना का अनुमोदन	Approval of Development Plan for Rajkot by World Bank ..	110
1760. केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों की परिसम्पत्तियों के बारे में जांच	Enquiries into Assets of Officers of Excise and Customs Department ..	111

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1761. सरकारी कर्मचारियों और व्यापारियों की विदेशों में जमा धन राशियां	Deposits of Public Servants and Business menoutside India ..	111
1762. काले धन का पता लगाने के लिए छापे	Raids to Unearth Black Money ..	111—112
1763. आय को स्वेच्छा से प्रकट करने के लिए रियायतें	Concessions for voluntary disclosure of Income	112
1764. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा छोटे उद्योगों की सहायता के विस्तार की गति धीमी करना	Slow down in the pace of expansion of Scheduled Commercial Banks' assistance to Small Scale Industry ..	112—113
1765. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण	Lending by nationalised banks to priority sector ..	113
1766. बिहार में कम्पनियों और उद्योगों पर करों की बकाया राशि	Arrears of taxes against companies and industries in Bihar ..	113—114
1767. पांचवीं योजना में बिहार में पर्यटन का विकास	Development of Tourism in Bihar during Fifth plan	114
1768. मेवों का व्यापार	Dry Fruit Trade	114
1769. केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच पूरी होने के पहले ही चिथड़ों को छोड़ दिया जाना	Release of Rags before CBI inquiry ..	114—115
1770. आय कर की बकाया राशि का भुगतान किये बिना विदेशी कम्पनियों को बन्द करना	Winding up of Foreign Companies before payment of income tax ..	115
1771. अटब-ए-मलक-बदर ट्रस्ट, नागपुर की ओर बकाया आयकर	Arrears of Income Tax against Atab -a-Malak Badar Trust Nagpur ..	115
1772. हिन्दालको द्वारा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और बिक्री कर का अपवंचन	Evasion of Central Excise and Sales Tax by HINDALCO ..	116
1773. राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल के नाम निर्देशन की कसौटी	Criteria for nomination of Board of Directors of Nationalised Banks	116
1774. कपास के समान मूल्य निश्चित करना	Fixing of uniform prices of cotton ..	117
1775. भारत और पोलैण्ड के बीच व्यापार करार	Trade Agreeement between India and Poland	117
1776. विदेशों के साथ व्यापार समझौता	Trade Agreement with Foreign Countries ..	118

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अ ता० प्र० संख्या U S. Q. Nos.		
1777. मन्दिरों और धार्मिक स्थानों को तीर्थ यात्रियों को दिखाने के लिए पण्डों को परिचयपत्र देने का प्रस्ताव	Proposal to introduce Identity Card system for Pandas guiding Pilgrims around Temples and Religious Places ..	118
1778. पर्यटकों के भारत में प्रवास के पश्चात् उनके विचार और सुझाव प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्था	Arrangement made to get the views and suggestions of Tourists after their sojourn in India ..	118—119
1780. धन की अधिकतम सीमा निश्चित करने सम्बन्धी प्रस्ताव	Proposal for Ceiling on Wealth ..	119
1781. श्रमिक सहकारी समितियों को चाय बागान (एस्टेट्स) सौंपना	Handing over of Tea Estate to Workers Co-coperative Societies	119
1782. गुलबर्गा (मैसूर) में हवाई अड्डे के निर्माण का प्रस्ताव	Proposal to construct an Aerodrome at Gulbarga (Mysore)	119
1783. विदेशी बाजारों में भारतीय रेशम के निर्यात में कमी	Decline of Export of Indian Silk in Foreign Markets ..	120
1784. पुरी सागर तट पर मेरिन ड्राइव का निर्माण करने का प्रस्ताव	Proposal to construct a Marine Drive on Puri Sea Beach ..	120
1785. विदेशों में रहने वाले भारतीय व्यापारियों द्वारा धन का स्वदेश भेजा जाना	Remittances from Indian Businessmen living abroad ..	121
1786. राज्यों की ओर केन्द्रीय ऋणों की बकाया राशि की अधिकतम सीमा	Ceiling on Central Debts against States ..	121
1787. मूल्य वृद्धि	Rise in prices ..	121
1788. विदेशों द्वारा भारत में विकास कार्यों पर लगाई गई पूंजी	Investment of Capital by Foreign Countries for development works in Indla ..	122
1789. सरकारी उपक्रमों में उच्च पदों पर कार्य कर रहे विदेशी	Foreignere working on top posts in Public Undertakings	122
1790. रूस को अभ्रक का निर्यात	Export of Mica to Russia ..	122—123
1791. जनता वायुयान सेवा चालू करने का प्रस्ताव	Proposal to Introduce Janta Air Service ..	123
1792. विदेशी तकनीशियनों को आय-कर की अदायगी से छूट देना	Exemptions to Foreign Technicians from Payment of Income-tax ..	123

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1793. नेपाल को नशीली चीजों की तस्करी	Smuggling of Narcotics to Nepal	123
1794. विश्व की मंडियों में भारतीय रेशम का स्थान	Place of Indian Silk in World Market	124
1795. पर्ल होजरी मिल्स लुधियाना	Pearl Hosiery Mill, Ludhiana	124
1796. स्टेपल फाइबर यार्न का मूल्य	Prices of Staple Fibre Yarn	124
1797. ऊनी रेशा वितरण जांच समिति	Woollen Yarn Distribution Enquiry Committee ..	125
1798. दिल्ली में छोटे सिक्कों की दैनिक आवश्यकता	Daily requirement of Small Coins in Delhi ..	125—126
1799. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कुप्रन्बध	Poor Management in Public Sector Undertakings ..	126—127
1800. सरकारी उपक्रमों में श्रमिक-प्रन्बध विवाद	Labour Management duels in Public Sector Undertakings	127
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to a Matter of Urgent Public Importance	128—134
संघ लोक सेवा आयोग की अंग्रेजी टंकण परीक्षा के बहिष्कार का समाचार	Reported Boycott of UPSC Test in English Typewriting ..	128—134
श्री शंकर दयाल सिंह	Shri Dayal Singh	128—129
श्री राम निवास मिर्धा	Shri Ram Niwas Mirdha ..	128—132
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	134—135
राष्ट्रपति से संदेश	Message from the President ..	135
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha ..	135—136
संविधान (तीसवां संशोधन) विधेयक	Constitution (Thirtieth Ame ndment Bill ..	126
पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया	Laid on the Table, as passed	136
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	136
सत्ताइसवां प्रतिवेदन	Twenty-seventh Report	136
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	136
तिहत्तरवां प्रतिवेदन	Seventy-third Report	136
सभा का कार्य	Business of the House	136
श्री के० रघु रामैय्या	Shri K. Raghu Ramaiah ..	137

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध विधेयक	Untouchability (Offences) Amendment and Miscellaneous Provisions Bill ..	139
संयुक्त समिति के लिए सदस्य का नाम निर्देशित करने की राज्य सभा को सिफारिश	Recommendation to Rajya Sabha to nominate Member to Joint Committee ..	139
कोयला खान (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक-पुरःस्थापित	Coal Mines (Taking Over of Management) Bill—Introduced ..	139—141
कोयला खान (प्रबन्ध ग्रहण) अध्यादेश, 1973 के बारे में विवरण—सभापटल पर रखा गया	Statement Re. Coal Mines (Taking over of Management) Ordinance, 1973—Laid on the Table	141
श्री एस० मोहन कुमारमंगलम	Shri S. Mohan Kumaramangalam	141
रेलवे बजट, 1973-74 सामान्य चर्चा	Railway Budget, 1973-74 General Discussion	142
श्री मोहम्मद इस्माइल	Shri Mohammad Ismail	142
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 23 वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Twenty-third Report of the Committee on Private Members Bills and Resolutions ..	142—143
देश में भूमि सुधारों के बारे में संकल्प	Resolution Re. Land Reforms in the Country	143
श्री ई० आर० कृष्णन	Shri E. R. Krishnan ..	143—145
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh	145
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	Dr. Laxminarain Pandeya	146
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha	146
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik ..	146—147
श्री अनादी चरण दास	Shri Anadi Charan Das	147
श्री मूल चंद डागा	Shri M. C. Daga	147—148
श्री रणबहादुर सिंह	Shri Ranabahadur Singh	148
श्रीमती सहोदराबाई राय	Shrimati Sahodrabai Rai	148
प्रो० नारायण चन्द् पाराशर	Prof. Narain Chand Parashar	148—149
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi	149
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra ..	149—150
श्री राम सहाय पाण्डे	Shri R. S. Pandey ..	150
श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे	Shri Annasaheb P. Shinde ..	150—154

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री ए० के० गोपालन	Shri A. K. Gopalan	.. 153—154
विदेशी तेल कम्पनियों और अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प	Resolution Re. Nationalisation of Foreign Oil Companies and other Vital Industries	.. 156
श्री एच० एन० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	.. 156—157
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion	.. 158
प्रधान मंत्री द्वारा पश्चिम बंगाल के हुगली और सुन्दरबन क्षेत्रों का सर्वेक्षण	Prime Minister's Survey of Hooghly and Sunderban Areas in West Bengal	.. 158 -160
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	.. 158
श्री शक्ति कुमार सरकार	Shri Shakti Kumar Sarkar	.. 159
श्री मोहन धारिया	Shri Mohan Dharia	.. 160—161

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 2 मार्च, 1973/11 फाल्गुन, 1894 (शक)
Friday, March 2, 1973/Phalgunaa 11, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

उड़ीसा के राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारी

*161. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद उड़ीसा में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखाएं खोली गई ;

(ख) नई खोली गयी ऐसी शाखाओं की संख्या क्या है जिनमें पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग) उड़ीसा में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के अवसर पर बैंक कार्यालयों की संख्या जो 100 थी बढ़कर दिसम्बर 1972 के अन्त में 217 हो गयी है। 117 नये कार्यालयों में से 61 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा और 47 स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा खोले गये थे। नयी शाखाओं में उतने कर्मचारी रखे जाते हैं जो व्यवसाय की अनुमानित मात्रा के लिये पर्याप्त समझे जाएं। बैंक के प्रबन्धक समय समय पर स्थिति की समीक्षा करते हैं और व्यवसाय की मात्रा में वृद्धि होने के कारण जब कभी आवश्यक समझा जाता है, अतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध कर दिये जाते हैं।

श्री अर्जुन सेठी : प्रश्न के भाग (ख) के सम्बन्ध में सम्भवतः मन्त्री महोदय को यह ज्ञात नहीं है कि उड़ीसा में बैंकों की कई शाखाओं में कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है। मैं अपने निर्वाचन

क्षेत्र से इस बात का उदाहरण दे सकता हूं। इन क्षेत्रों में विशेषकर यूनाइटेड कामर्शियल बैंक आफ इण्डिया की ऐसी कई शाखाएं हैं जिनमें कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र अर्थात बालासौर जिले, भद्रक सबडिवीजन का एक उदाहरण दे सकता हूं। इस जिले में यूनाईटेड कामर्शियल बैंक एक प्रमुख बैंक है तथा इसमें केवल तीन कर्मचारी कार्य करते हैं अर्थात दो क्लार्क हैं तथा एक चपरासी है। हमने इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय प्रबन्धक से अनेक बार अनुरोध किया है किन्तु उन्होंने पर्याप्त संख्या में कर्मचारी नियुक्त करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की। क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारी बैंककारी प्रणाली के लाभों का प्रचार करने में कोई रुचि नहीं लेते जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की जनता तथ्यों से अवगत हो सके? इसके परिणाम-स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में बैंककारी प्रणाली जनप्रिय नहीं हो पा रही है।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जहां तक प्रश्न के बाद के भाग का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता से सहमत हूं क्योंकि ऋण लेने की प्रक्रिया तथा उससे सम्बन्धित कार्यवाही ग्रामीण क्षेत्रों की जनता के लिये कुछ कठिनाईपूर्ण हो रही है तथा यह आवश्यक है कि जनता को तत्सम्बन्धी जानकारी दिलाने के लिये कुछ अधिक प्रयत्न किये जाने चाहिये। मेरे विचार से इन मामलों के सम्बन्ध में हमें भी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है क्योंकि यह प्रक्रिया बहुत जटिल है। अतः विशेषकर इस बात से मैं सहमत हूं। हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि बैंकों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिये अधिक से अधिक कार्यवाही की जाए जिससे वे जनता को जानकारी दे सकें क्योंकि उन लोगों को भी प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है जिनका कार्य जनता को शिक्षित करना है।

जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है बैंकों की शाखाओं में कर्मचारियों की संख्या के बारे में माननीय सदस्य को कुछ धैर्य रखना चाहिये क्योंकि किसी बैंक की एक नये स्थान पर शाखा खोलते समय यह आवश्यक नहीं है कि बैंक तुरन्त वहां समस्त आवश्यक सामान भेज दे। पहले उसे वहां जाकर अपनी स्थापना करनी होती है। यदि बैंक अपने पांच या दस कर्मचारियों को वहां भेज दे तो इतना ही पर्याप्त नहीं है। यदि उस बैंक का वहां विकास होता है तो उसे कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी ही पड़ेगी।

बैंकों को एक दूसरी कठिनाई का भी सामना करना पड़ रहा था क्योंकि बैंक का कार्य चलाने के लिये कर्मचारियों का होना अत्यन्त आवश्यक है। हमें ऐसे बहुत से व्यक्तियों की आवश्यकता है जिन्हें कृषि सम्बन्धी ऋण प्रणाली के अन्तर्गत कार्य करने का प्रशिक्षण प्राप्त है। जो कर्मचारी अधिकतर नगरीय क्षेत्रों में कार्य कर रहे थे तथा जिन्हें व्यापार, वाणिज्य और उद्योग तथा बड़े व्यापारों से सम्बन्धित कार्य करने के लिये प्रशिक्षित किया गया था उन्हें अब छोटे किसानों से सम्बन्धित कार्य करना पड़ता है तथा वे वास्तव में कृषकों की अर्थव्यवस्था से परिचित नहीं हैं। अतः वे या तो प्रतिकूल रवैया अपनाते हैं या गलती करते हैं।

अतः हमने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के किये एक व्यापक कार्यक्रम आरम्भ किया है। जब हमें प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध हो जाएगें तो हम अवश्य उनकी संख्या में वृद्धि कर देंगे।

माननीय सदस्य ने जिस शाखा का उल्लेख किया है मैं उसके बारे में जांच करूंगा।

श्री अर्जुन सेठी : क्या यह सच है कि इन राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा इनकी विभिन्न शाखाओं में प्रतियोगिता की भावना के कारण जमा राशि की दर संतोषजनक नहीं है तथा दूसरी ओर खर्च में तेजी से वृद्धि होती जा रही है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : वास्तव में मुझे इस प्रश्न में कोई विशेषता दिखाई नहीं दी। इसका महत्व मेरी समझ में नहीं आया।

एक माननीय सदस्य : खर्च ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जहां तक खर्च और जमा राशि आदि का प्रश्न है इन बातों को समग्ररूप से देखना पड़ेगा तथा बैंक के कार्यकरण को भी समग्ररूप से देखना होगा। मेरे विचार से वहां ऐसी कोई बात नहीं है।सम्भवत: माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या उनके राज्य में जमाराशि का अनुपात पर्याप्त है जिसके बारे में श्री चिन्तामणि पाणिग्रही द्वारा प्राय: मामला उठाया जाता है।

इस बारे में मैं माननीय सदस्यों के समक्ष यह तर्क देना चाहूंगा कि जमा राशि तथा ऋण की राशि में अनुपात का हिसाब लगाते समय अधिक उपयुक्त यह है कि बैंकों द्वारा राज्य में लगाई गई पूंजी को भी ध्यान में रखा जाए क्योंकि यदि वृद्धि कार्यों तथा व्यापार आदि के लिये ऋण की राशि कम है तो वह अनुपात भी कम होगा। इस समय बैंकों को यह आदेश दिया जा रहा है कि वे ऋण और ऋणपत्रों के रूप में राज्यों, बिजली बोर्डों, नगर निगमों तथा अन्य विकास ऐजेंसियों में पूंजी लगाएं। इन बातों को ध्यान में रखकर मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि उड़ीसा में ऋण तथा पूंजीनिवेश को मिलाकर जमा राशि की तुलना में ऋण का अनुपात 125 प्रतिशत है।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : मन्त्री महोदय ने अभी बताया है कि कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि का सम्बन्ध कार्यभार में वृद्धि से है। किन्तु स्टेट बैंक आफ इण्डिया की बहुत सी शाखाओं में कार्यभार लगभग उतना ही है जितना लगभग 10 वर्ष पहले था फिर भी उनमें कर्मचारियों की संख्या में काफी वृद्धि की गई है। क्या ऐसा बेरोजगारी की समस्या के कारण किया गया है ? क्या कुछ वर्ष पूर्व स्टेट बैंक में आरम्भ की गई एक-व्यक्ति बैंककारी प्रणाली अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों में भी लागू की जाएगी ?

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न का सम्बन्ध केवल उड़ीसा से है और आप का यह प्रश्न बहुत व्यापक है।

श्री मोहनराज कलिंगारायर : मन्त्री महोदय उत्तर देने के लिये तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं वह उदार हैं। श्री पाणिग्रही।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : मैं उड़ीसा स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं के कर्मचारियों द्वारा अनुभव की जानी वाली कुछ कठिनाइयों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। इन बैंकों के मुख्य कार्यालय बहुत ही दूर स्थित है, वे उड़ीसा में नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : सुझाव नहीं प्रश्न करिये।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : मैं स्वीकार करता हूं कि यह सुझाव है ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उड़ीसा में स्थापित किये गये बैंकों के क्षेत्रीय कार्यालयों को कर्मचारियों की भर्ती तथा उनकी सुविधाओं के बारे में कुछ स्वायत्तता नहीं दी जा सकती ? क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा मुख्य कार्यालयों को स्वीकृति के लिए भेजे गए आवेदन पत्रों और साक्षात्कार के परिणामों पर गत 6 महीनों से 12 महीनों तक कोई निर्णय नहीं किया गया तथा उन पर विचार नहीं किया गया क्या मन्त्री महोदय इस मामले की जांच करेंगे तथा कर्मचारियों को, उन स्थानों से जहां बैंक कार्य कर रहे हैं, शीघ्र नियुक्त करने के लिये कार्यवाही करेंगे ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालना चाहूंगा क्योंकि मेरे विचार से प्रत्येक क्षेत्र के सदस्य का ऐसा विचार है । मैं इस मामले में यथासम्भव रुचि लेने का प्रयास कर रहा हूं तथा पिछड़े हुये राज्यों में बैंककारी सेवा के विकास के बारे में मैं यथासम्भव रुचि लेने का प्रयत्न कर रहा हूं । जहां तक अधिकारियों का सम्बन्ध है, उनकी नियुक्ति अखिल भारतीय स्तर पर होनी स्वाभाविक है किन्तु अन्य कर्मचारियों की भर्ती के बारे में हमारा विचार है तथा हम बैंकों को भी यही सलाह देते हैं कि बैंक वहीं के स्थानीय व्यक्तियों को भर्ती करने का प्रयत्न करें, जहां वे स्थित हैं । कम से कम इतना प्रयत्न आवश्य किया जाए कि उनकी भर्ती उसी राज्य से की जाए । निस्संदेह हमारा इसी दिशा में कदम बढ़ाने का विचार है ।

उड़ीसा के सम्बन्ध में जहां तक इस विशिष्ट मामले का प्रश्न है उस राज्य ने इस मामले में अत्यधिक रुचि ली है तथा सरकार चाहेगी कि इसके वहाँ अपेक्षित परिणाम निकलें । हाल ही में वहां बैंक के एक अत्यन्त वरिष्ठ अधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया है । हमने उपयोगी विषयों पर वित्तृत विचार-विमर्श किया है तथा इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्णय किये गये हैं । यह भी एक महत्वपूर्ण बात हैं । मैं मामले पर आगे भी कार्यवाही करूंगा और यदि माननीय सदस्य को इस बारे में कोई संदेह है तो वह मुझे पत्र लिख सकते हैं ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मन्त्री महोदय ने बताया है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की उड़ीसा में 117 नई शाखाएं खोली गई हैं । इनमें से ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी शाखाएं खोली गई हैं ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : लगभग 80

सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थानों द्वारा 'अधिक बड़े' तथा 'बड़े' औद्योगिक गृहों को दिये गये ऋण

\+

*163. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :
श्री त्रिदिव चोधरी :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971-72 और 1972-73 में 20 करोड़ रुपये से अधिक रुपयों की आस्तियों वाले निजी क्षेत्र के 'अधिक बड़े' तथा 'बड़े' औद्योगिक गृहों को अलग-अलग सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों, अग्रिम धन तथा अनबिके शेयरों को खरीदने के

दायित्व को निभाने अथवा इक्विटी शेयरों, प्रिफरेस शेयरों तथा ऋण पत्रों की खरीद के माध्यम से दी गई वित्तीय सहायता का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन संस्थाओं तथा बैंकों द्वारा दिये गये कुल ऋणों, अग्रिम धन तथा वित्तीय सहायता की तुलना में निजी क्षेत्र के 'अधिक बड़े' तथा 'बड़े' गृहों को दिये गये इन, ऋणों अग्रिम धन तथा वित्तीय सहायता की राशि कितनी है ; और

(ग) सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं द्वारा सरकारी क्षेत्र के व्यापार तथा उद्योग को इस अवधि में ऋणों, अग्रिम धन तथा वित्तीय सहायता के रूप में कितनी धन राशि दी गई है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4350/73]**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सबसे पहले मैं विरोध प्रकट करता हूं तथा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाता हूं कि यह कोइ विवरण नही है । विवरण में कहा गया हैं कि जानकारी एकत्र की जायेगी तथा बाद में सभा-पटल पर रख दी जाएगी। यह सब क्या है ? तीन सप्ताह पूर्व सूचना दी गई थी तथा मुझे विश्वास है कि सरकार को जानकारी उपलब्ध है ये सभी संस्थान सुव्यवस्थित हैं तथा उनमें कर्मचारियों की संख्या भी पर्याप्त है। इसके बाद भी वे आंकड़े तैयार नहीं कर सकते। जब औद्योगिक वित्त निगम आंकड़े प्रस्तुत कर सकता है तो जीवन बीमा निगम और औद्योगिक विकास बैंक क्यों आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर सकते। जानकारी एकत्र करने के लिए तीन सप्ताह पूर्व सूचना दी गई थी फिर भी कोई आंकड़े नहीं दिये गए।

श्री यशवंत राव चह्वाण : इसके लिए मुझे खेद है। किन्तु मैं तथ्य मालूम करके उनकी जानकारी अवश्य दूंगा। में क्या करूं ? जानकारी मिलनी चाहिये थी किन्तु वह मुझे प्राप्त नहीं हो सकी। औद्योगिक वित्त निगम के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती थी, क्योंकि उसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में है। मैं मानता हूं माननीय सदस्य का विरोध सही है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसका परिणाम यह हुआ कि अब प्रश्न पूछने का दायरा बहुत सीमित हो गया है। केवल औद्योगिक वित्त निगम के बारे में कुछ आंकड़े दिये गये हैं। इन आंकड़ों के सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इस बात के कारण बता सकते हैं कि 1971 में इन बड़े औद्योगिक गृहों को दिये गये ऋण की कुल राशि, विवरण के अनुसार, 110 लाख रुपया थी जबकि अगले वर्ष, 1972-73 में अपितु वर्ष के केवल 9 महीनों में यह राशि लगभग पांच गुनी अर्थात् 530.95 लाख रुपया कैसे हो गई ? मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि ऐसी कौनसी परिस्थितियां थीं जिनके कारण एक वर्ष की अवधि में औद्योगिक वित्त निगम द्वारा इन बड़े औद्योगिक ग्रहों को पांच गुना ऋण देना पड़ा ? क्या इस अवधि में इसके कोई विशेष कारण हैं ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मेरा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण यह है कि इसके बारे में अधिक गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा। यह सच है कि इन ऋणों की स्वीकृति एक विशेष अवधि में दी गई है। ऋण की मंजूरी देने का समय एक हो सकता है किन्तु ऋण की अदायगी कुछ बाद में भी हो सकती हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि इस सम्बन्ध में नीति में कोई परिवर्तन किया गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जहां तक राष्ट्रीयकृत बैंकों की ओर ऋण की बकाया राशि का सम्बन्ध है, उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये हैं। मैं मंत्री महोदय से पांचवीं योजना के सन्दर्भ में यह जानना चाहता हूं कि क्या नीति सम्बन्धी कोई निर्णय कर लिया गया है तथा क्या बैंकों और इन वित्तीय संस्थानों को यह निदेश दिये गये हैं कि बड़े औद्योगिक गृहों को दिये जाने वाले बकाया ऋणोंको साम्य पुंजी में परिवर्तित कर दिया जाए तथा उन उपक्रमों के प्रबन्ध और नियंत्रण में भाग लिया जाए ? क्या पांचवीं योजना अवधि के लिये यह सामान्य नीति निर्धारिव की जाएगी ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : माननीय सदस्यों को पता है कि मैंने गत वर्ष ऋण परिवर्तन सम्बन्धी धाराओं के बारे में नीति विवरण सभा-पटल पर रखा था। इस समय उसका ब्यौरा मुझे याद नहीं है परन्तु क्योंकि यह सभा-पठल पर रखा जा चुका है, सदस्य इसका संदर्भ दे सकते हैं। कुछ सीमाओं से परे कुछ मामलों में यह राशि 50 लाख रुपये है तथा कुछ मामलों में ऋण परिवर्तन नियमों को लागू किया जा सकता है। यही नीति सम्बन्धी निर्दिशन है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने यह बात नहीं पूछी है। मुझे पता है कि कुछ शर्तें निर्धारित हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आगामी पांच वर्षों में, जहां तक सम्भव हो सकेगा, सरकार की यही व्यापक नीति होगी कि इन ऋणों को साम्य पूंजी निवेश में परिवर्तित किया जाय जिससे घोषित सामाजिक उद्देश्यों के अनुसरण में ये संस्थान तथा राष्ट्रीयकृत बैंक इन उपक्रमों के प्रबन्ध तथा नियंत्रण में अपना नियंत्रण रख सकें अथवा अपने शेयर रख सके।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैंने बताया है कि हमने नीति निधांरित की है तथा मार्गदर्शी सिद्धांत बनाये हैं। ये कार्यक्रम देने के लिये ही हैं। जब इन्हें कार्यक्रम दिया जाता है तब ऐसा निर्धारित नीति के आधार पर ही किया जायेगा।

श्री भागवत झा आजाद : सार्वजनिक हित के लिए सरकारी तथा वित्तीय संस्थानों के संबंध में क्या यह सच नहीं है कि उनमें से अधिकांश ने ऋण तथा अन्य सुविधाये बड़े एकाधिकार गृहों को ही दी हैं ? यदि सरकार की वर्तमान नीति के संदर्भ में ऐसा है, तो क्या मोटे रूप में यह बताया जा सकता है, यदि उन आंकड़ों के आधार पर नहीं जिनकी कमी की श्री इन्द्रजीत गुप्त ने शिकायत की है और इसमें मैं भी उनका समर्थन करता हूं, कि हाल के वर्षों में, कुछ वर्षों में अथवा गत तीन वर्षों में छोटे उद्योग गृहों, व्यक्तिगत उद्यमियों तथा अन्य उद्योगपतियों के स्थान पर गैर-सरकारी तथा एकाधिकार गृहों को अधिक ऋण क्यों दिये गये हैं ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मेरे विचार से इस वर्ग को ऋण देने की प्रवृत्ति चल रही है परन्तु हमें एक औपचारिक निर्णय करना होगा। जब आंकड़े उपलब्ध हो जायेंगे, तब आप यह सब कुछ पूछ सकते हैं।

श्री के० नारायण राव : विवरण में बताया गया है कि

"जहां तक राष्ट्रीयकृत बैंकों का सम्बन्ध है बैंकों में प्रचलित कानून और प्रथा और रिवाज के अनुसार बैंकों के लिये अपने संघटकों के सम्बन्ध में सूचना प्रकट करना सम्भव नहीं है।"

मेरे विचार से कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम गुण-प्रकार में जो परिर्वतन चाहते हैं

उसमें यह कठिनाई पैदा करने वाली बात है। यदि राष्ट्रीयकृत बैंक पुरानी पद्धति का अनुसरण करेंगे तो संसद व्यक्तियों को ऋण देने की पद्धति का मूल्यांकन किस प्रकार कर सकती है ?

श्री यशदन्तराव चह्वाण : आपने प्रश्न पुछा है अथवा कठिनाई सामने रखी है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने गुण प्रकार के परिवर्तन के सम्बन्ध में पूछा हैं।

श्री के० नारायण राव : यदि बैंक पुरानी पद्धति का अनुसरण करते हैं तो संसद को इस बात का पता कैसे चल सकता है कि बैंक देश के सम्मुख जो राष्ट्रीय उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति के ढंग से कार्य कर रहे हैं ?

श्री यशटन्तराव चह्वाण : मैं उन निर्देशों के बारे में बता सकता हूं जिनके अन्तर्गत हम बैंकों का कार्य चाहते हैं और ये निर्देश परीक्षण स्वरूप है। प्रथम परीक्षण यह है कि क्या बैंक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अपनी गतिविधियां बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं ? यह बहुत महत्वपूर्ण मापदंड है। दूसरे, क्पा बैंक उन क्षेत्रों में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहे हैं, जहां बैंक नही हैं। तीसरे, क्या बैंकों में जमा खाते बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है और इस प्रयास के पश्चात क्या अतिरिक्त जमा राशि को विशिष्ट क्षेत्रों के विकासार्थ उपयोग में लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तीन-चार परीक्षण हैं जिनके आधार पर हम बैंकों के कार्यकरण के बारे में निर्णय कर सकते हैं। इन बातों के आधार पर ही आप और हम उनका परीक्षण कर सकते हैं।

श्री सी० टी० दंडपाणि : बड़े औद्योगिक गृहों को केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों से ही नहीं अपितु अन्य वित्तीय संस्थानों से भी ऋण दिये जा रहें हैं। साथ ही छोटे उद्यमियों को ऋण नहीं मिल पाते हैं। 18-7-69 तक 75 बड़े व्यापार गृहों को 440.28 करोड़ रुपये के ऋण दिए गये थे। राष्ट्रीयकरण के पश्चात 26-3-71 तक यह राशि बढ़कर 491.73 करोड़ रुपये हो गई। राष्ट्रीय कारण से पहले यह हाशि 71 प्रतिशत थी, राष्ट्रीयकरण के पश्चात यह बढ़कर 75 प्रतिशत हो गई। राष्ट्रीयकरण के पश्चात भी बड़े व्यापार गृहों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अधिक ऋण दिये जा रहे हैं। क्या सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों से कहेगी कि वे इन 75 बड़े व्यायार गृहों को ऋण देना कम कर जिससे कि दूसरे उद्यमियों को भी धनराशि प्राप्त हो सके।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यदि अर्थव्यवस्था का विस्तार किया जाता है, यदि संसाधनों में भी वृद्धि होती है, तो वड़े औद्योद्यिक गृहों के शेयर में भी वृद्धि होगी। हमें इस बात पर ध्यान देना है कि क्या प्राथमिकता वाले क्षेत्र की उपेक्षित क्षेत्र की आगे भी उपेक्षा की जा रही है। यही इसका अन्तिम परीक्षण होगा। मेरा व्यक्तिगत रूप में यह विचार है कि हमारी नीति इस परीक्षण में सफल सिद्ध होगी।

†Licences for Direct import by Consumers

*164. **Shri G. P. Yadav :**
Shri Hari Singh :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) Whether complaints have been received from the consumers of imported raw material against the authorised import agencies;

(b) Whether the consumers are allowed to go in for direct imports on the strength of licence in the event of these agencies failing to meet their immediate demands for imported raw material ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां। वास्तविक प्रयोजनाओं के पक्ष में जारी किए गए रिलीज आदेशों के आधार पर माल की सप्लाई में विलम्ब के सम्बन्ध में मार्गीकरण अधिकरणों के विरुद्ध कभी कभी शिकायतें मिलती रहती हैं। इन शिकायतों के बारे में तत्काल जांच की जाती है ।

(ख) मार्गीकृत मदों के सम्बन्ध में लाइसेंस केवल मार्गीकरण अभिकरणों को दिए जाते हैं। कुछ मामलों में, विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मार्गीकरण अभिकरणों को जारी किए गए लाइसेंसों के आधार पर वास्तविक प्रयोक्ताओं के पक्ष में प्राधिकार पत्र भी जारी किए जाते है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Shri G. P. Yadav : The Canalising Agencies like MMTC and STC are acting as middlemen and are supplying raw materials to the manufactures having a margin of large profits. May I know the names of manufacturers who have been accorded direct import permision during the last three years ? May I also know whether small manufactures will also be given permission of direct import so that they may be saved from large profits earned by middlemen ?

श्री ए० सी० जार्ज : यह मार्गीकरण निर्यात अथवा आयात का दायित्व सरकारी क्षेत्र को देता है। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत नहीं हू कि ऐसे सरकारी उपक्रम जो पूर्णतया सरकार के नियंत्रण में है, चाहे ये राज्य व्यापार निगम हों, चाहे खनिज तथा धातु व्यापार निगम, काजू निगम हो चाहे रुई निगम अथवा हिन्दुस्तान स्टील, बिचौलिये कहे जा सकते हैं क्योंकि ये सरकारी एजेन्सियां हैं और इनके लाभ अन्ततः देश को ही आते हैं। मार्गीकरण का उद्देश्य यह है कि इकट्ठी खरीद तथा बिक्री से मूल्यों में कमी लायी जाए तथा सट्टे की मदों तथा उन मदों से जिन पर अधिक लाभ कमाया जाता है, लाभों को एकत्र किया जाये। मार्गीकरण के मुख्य उद्देश्य की दूसरी बात यह है कि विदेशी मुद्रा का प्रभावी उपयोग किया जाये क्योंकि कुछ मामलों में आयात करने वाले निजी उद्यमी अधिक राशि के बीजक बनाते हैं और सरकार को विदेशी मुद्रा की हानि होती है। राज्य क्षेत्र के कार्यकरण के विस्तार से, जहां वे विशेष ज्ञान उपलब्ध करते हैं, अन्ततः देश को लाभ होगा। जहां तक मूल्य नीति का सम्बन्ध है, मूल्य मनमाने ढंग से निर्धारित नही किये जाते हैं। एक नियमितसमिति जो वाणिज्य मंत्रालय के नियंत्रण में है इसके मूल्य निर्धारण की जांच करती है। वसूली, मूल्यनिर्धारण, वितरण तथा कच्चे माल का आयात और अन्य प्रक्रियाओं के संबंध में सरकारी एजेन्सियों के कार्यकरण की समीक्षा हर तीसरे माह आयात, निर्यात नियंत्रण की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा जिसमें औद्योगिक विकास मंत्रालय में आर्थिक परामर्शदाता लघु उद्योगों के विकास आयुक्त, तकनीकी विकास के महानिदेशक तथा आर्थिक कार्य विभाग और वाणिज्य मंत्रालय के प्रतिनिधि होते हैं। इस प्रकार की उच्चशक्ति प्राप्त समिति में मूल्य निर्धारण नीति निश्चित की जाती है ।

Shri G. P. Yadav : It has been stated in reply to part (b) of the question that "in some cases letters of authority are issued in favour of actual users." I want to know the names of those manufacturers who have been given licenses for direct import. May I know whether the Government propose to give this facility to small manufacturers ?

श्री ए० सी० जार्ज : हमारा विचार है कि छोटे उद्यमियों को अधिकाधिक सुविधायें दी जायें। माननीय सदस्य ने जिन प्राधिकार पत्रों के विषय में पूछा है, वे मार्गीकृत एजेन्सियों द्वारा एक प्राधिकरण के अन्तर्गत नयी मार्गीकृत मद के लिए अथवा जहां सरकारी क्षेत्र ने विशेयज्ञान अर्जित नहीं किया है अथवा जहां थोक खरीद एक नियमवद्ध प्रक्रिया के अन्तर्गत नहीं आती है, दिए जाते हैं। ऐसे मामलों में भी जहां विशेषतया लघु उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त करने में कठिनाई है, हम प्राधिकार पत्र जारी करते हैं।

Shri G. P. Yadav : What are the names of the manufacturers who have been given licenses direct import ?

श्री ए० सी० जार्ज : ऐसे छोटे उद्यमियों के नामों की बहुत बड़ी सूची है।

Shri Hukamchand Kachwai : May I know the margin, the importing institutions have between the purchase price and the sale price ? What is the margin between these two prices ? Is it a fact that the private parties who have been given import licenses, are not utilising the imported material themselves but they are selling it into black market ? The Hon. Ministert has agreed that he has received such complaints. May I know the number of such complaints and details therein ?

श्री ए० सी० जार्ज : मैं शिकायतों की सही संख्या तो नहीं बता सकता। फिर भी यह संख्या बहुत बड़ी नहीं है, थोड़ी सी शिकायतें हैं और हम उन पर ध्यान दे रहे हैं। जहां कहीं कोई मामला बनता है वहां दंडात्मक कार्यवाही की गई है। जहां तक मूल्य निर्धारण नीति का सम्बन्ध है, यह कई स्तरों पर निश्चित होती है। माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं मूल्य निर्धारण नीति निर्देशित करने वाले पहलुओं की ओर उनका ध्यान दिलाता हूं क्योंकि यह एक ऐसी स्थिति है, जिसके बारे में बहुत गलतफहमी है और देश में ऐसी धारणा है कि मार्गीकृत एजेन्सियां लाभ कमा रही हैं।

मूल्य निर्धारण नीति में हम निर्यात क्षेत्र को प्राथमिकता दे रहे हैं। जो एकक अपनी उत्पादन सामग्री का 10 से 25 प्रतिशत तक निर्यात करते हैं उन्हें मार्गीकृत एजेन्सियों द्वारा सप्लाई किये जाने वाले कच्चे माल के आयात के मूल्यों के सम्बन्ध में प्राथमिकता दी जाती है। इसके पश्चात मूल्य निर्धारण पद्धति तथा मार्गीकृत एजेन्सियों के लाभ के बारे में कुछ मदों पर मार्गीकृत एजेन्सियां लाभ जमा करती हैं। कुछ मदों पर लाभों का जमा किया जाना सरकारी क्षेत्र के लिये छोड़ा गया है। वे मदें जिनके मूल्य उपभोक्ताओं के हितों को देखते हुए स्थिर करने का विचार होता है तथा वे मदें जिनके मूल्य नियन्त्रित रखे जा सकते हैं, वे सस्ती दर पर उपलब्ध होनी चाहियें। अन्त में वे मदें हैं जिनमें दोनों प्रकार की मदों के सम्बन्ध पर विचार किया जाता है। अलौह धातुओं तथा इस्पात और अन्य प्रकीर्ण मदों जिनमें राज्य व्यापार एजेन्सियां ?

सरकारी क्षेत्र में लाभ कमाने का प्रश्न ही नहीं उठता। राज्य व्यापार एजेन्सियों द्वारा जो लाभ कमाया जाता है वह अतंतः सार्वजनिक कोष में आता है।

Shri Hukamchand Kachwai : Sir, I have asked about the margin which the importing agencies have between purchase and sale prices.

Mr. Speaker : You are doing this every day. I will not allow it.

Shri Hukamchand Kachwai : I want a reply to my question. Let the House know the profit earned by them.

Mr. Speakcr : Yon are wasting the time of other members. This is your everyday bussiness. I cannot allow it.

Shri Hukamchand Kachwai : I want to know the margin whether it is 10, 20, 30 or 40 percent ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा । आप इसके लिये अलग से नोटिस दे सकते हैं ।

श्री रणबहादुर सिंह : क्या मन्त्री महोदय के ध्यान में ऐसे मामले आये हैं जहां व्यापार करने के दौरान खनिज तथा धातु व्यापार निगम और राज्य व्यापार निगम के द्वारा देश की निर्माता फर्मों की कच्चे माल की मांगों को इतने अधिक समय तक रोके रखा है कि उस समय उन कच्चे मालों के मूल्यों में वृद्धि हो गई हो और इसके परिणामस्वरूप कम्पनियों को अच्छी खासी हानि हुई हो ?

श्री ए० सी० जार्ज : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत नहीं हूं कि स्थिति चिन्ताजनक है । परन्तु नई मार्गीकृत मदों के सम्बन्ध में कुछ दोष हैं । इस समय वर्ष 1971-72 के 1853 करोड़ रुपये की राशि के कुल आयात का सरकारी क्षेत्र की मार्गीकृत एजेन्सियां 64 प्रतिशत अर्थात 1181 करोड़ रुपये की राशि के मूल्य की सामग्री का आयात कर रही हैं । नई मदों के सम्बन्ध में आरम्भ में कुछ कठिनाईयां हैं, हम जिनके समाधान का प्रयास कर रहे हैं ।

श्री धामनकर : क्या सरकार को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि आयात सामग्री वितरण करते समय बड़े एककों को प्राथमिकता दी जाती है तथा लघु उद्योंगों की उपेक्षा कर दी जाती है ।

श्री ए० सी० जार्ज : कच्चे माल की उपलब्धि के सम्बन्ध में लघु उद्योगों से थोड़ी सी शिकायतें आयी हैं । हम इस बात की ओर विशेषतया राज्य व्यापार निगम से सम्बद्ध अन्तर्राज्यीय कज्चा माल सहायता केन्द्र (आई० आर० एम० ए० सी०) के माध्यम से ध्यान दे रहे हैं और लघु उद्योगों को सुविधायें प्रदान कर रहे हैं ।

इंजीनियरिंग और रसायन सामग्रियों के अनिवार्य निर्यात के लिए योजना

*165. **श्री गिरिधर गोमांगो :**
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार अनिवार्य निर्यात करने की योजना को इंजीनियरी और रसायन एककों पर भी लागू करने का है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक किया जायेगा ; और

(ग) इंजीनियरी के सामान के निर्यात में यह योजना कहां तक सहायक होगी ?

वाणिज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) पहले ही लागू वास्तविक प्रयोक्ता नीति के अन्तर्गत अनिवार्य निर्यात दायित्व की एक योजना के अन्तर्गत कुछ इंजीनियरी तथा रासायनिक उद्योग शामिल हैं। अनिवार्य निर्यातों के क्षेत्रों को बढ़ाये जाने का प्रश्न विचाराधीन है।

(ग) हालांकि वर्तमान योजना में जो भी विस्तार किया जाएगा वह निर्यातों को बढ़ाने की दिशा में होगा, पर इस अवस्था में उसकी सीमा का मूल्यांकन करना संभव नहीं होगा।

श्री गिरिधर गोमांगो : क्या सरकार ने कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण करने हेतु कोई उपाय किए हैं और यदि हां, तो निर्यात करने वाली मिलों की पूंजीगत उपकरणों का आयात करने के लिए कितनी विदेशी मुद्रा दी गई हैं? इन मिलो के नाम क्या है और क्या उड़ीसा के निर्यात करने वाले कुछ मिलों को इस प्रयोजन के लिए कोई विदेशी मुद्रा नहीं दी गई है ? और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : श्रीमान जी इस प्रश्न का संबन्ध इंजीनियरी और रसायन उद्योगों से है। ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य की कपड़ा उद्योग में अधिक रुचि है। मैं नहीं जानता कि यह मामला इस प्रश्न से सम्बन्धित है।

श्री गिरिधर गोमांगो : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वास्तविक प्रयोक्ता नीति के अन्तर्गत देश में कितने इंजोनियरिंग तथा रसायन उद्योग चल रहे हैं और ये किन किन राज्यों में हैं ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : ऐसे अनेक उद्योग हैं किन्तु जहाँ तक वर्ग-वार उद्योगों का सम्बन्ध हैं, ये आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं। 59 उद्योग हैं जिन में से 12 उद्योगों को वास्तविक प्रयोक्ता नीति के अन्तर्गत चुना गया है और इनके उत्पादन का कम से कम 5 प्रतिशत उत्पादन निर्यात किया जाता है।

श्री बी० के० दासचौधरी : गत कुछ दिनों पूर्व समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुए मन्त्री महोदय के इस वक्तव्य को, कि देश में बम्बई, डमडम और मद्रास में तीन निर्युक्त व्यापार जोन स्थापित किए गए हैं और इन निर्युक्त व्यापार जोनों के क्षेत्रों में इंजीनियरिंग तथा रसायन उद्योग स्थापित किए जायेंगे, दृष्टि में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन निर्युक्त व्यापार जोन के क्षेत्रों के सारे उत्पादों को अनिवार्य रूप से निर्यात किया जायगा और यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार की क्या नीति है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : जहां तक निर्युक्त व्यापार जोन क्षेत्रों और उनमें उद्योगों को स्थापित करने का सम्बन्ध है, उनका शत प्रतिशत उत्पादन निर्यात किया जायेगा।

श्री आर० पी० उलगनम्बी : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इंजीनियरिंग उपकरणों का निर्माण करने वाले हमारे सरकारी क्षेत्र के एकक हमारे औद्योगिक एककों की आवश्यकताओं को पूरी कर सकते हैं ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यह संबंधित प्रश्न है। हमारी आत्म-निर्भर अर्थव्ययस्था में यहां तक कि ऐसे कुछ मामलों में भी जहां हमारी आन्तरिक मांग पूरी नहीं होतीं हमें उत्पादन का कुछ

भाग निर्यात करना पड़ता है। इस उत्पादन का केवल 5 प्रतिशत निर्यात करने का आग्रह कर रहे हैं। किन्तु मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है। अनेक एककों द्वारा इस 5 प्रतिशत की आवश्यकता भी पूरी नहीं की गई है।

श्री ए० के० एम० इसहाक : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनके मंत्रालय को ऐसी कोई शिकायत मिली है कि विदेशों को नियति किया गया इंजीनियरिंग का सामान 3 या 4 वर्ष पुराना होता है। यदि उनके मन्त्रालय में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई है तो उनके मन्त्रालय ने यह सूनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए हैं जिससे कि इंजीनियरिंग का नवीनतम सामान निर्यात किया जा सके ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मुझे ऐसी किसी विशिष्ट शिकायत का पता नहीं है। किन्तु आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब हजारों प्रकार की वस्तुएं प्रतिवर्ष निर्यात की जाती हैं तो पूर्ण रूप से शिकायत से मुक्त निर्यात-कार्य निष्पादन नहीं हो सकता।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार इंजीनियरिंग तथा रसायन के सामान के निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु राज सहायता देने का है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : जी, हां श्रीमान जी, हम पहले ही बहुत राज सहायता दे रहे हैं। यदि माननीय सदस्य इसका ब्यौरा चाहते हैं तो मैं उन्हें भेज सकता हूं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : जी हां, मैं ब्यौरा चाहता हूं।

मध्य प्रदेश के उज्जैन, ग्वालियर, मांडू (धर) और शिवपुरी जिलों को पर्यटन केन्द्र घोषित करने का प्रस्ताव

*166. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री फूल चन्द वर्मा :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश के उज्जैन, ग्वालियर, मांडू (धर), और शिवपुरी जिलों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थानों को केन्द्रीय क्षेत्र में पर्यटक केन्द्र घोषित करने का है, और यदि हां, तो कब ; और

(ख) उसके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) पर्यटन अभिरुचि के स्थानों का विकास उन स्थानों के पर्यटन की दृष्टि से आकर्षण पर आधारित एक निरन्तर जारी रहने वाली प्रक्रिया है, अतः पर्यटन केन्द्रों की कोई विशिष्ट सूची नहीं रखी जाती। चौथी योजना के दौरान मध्य प्रदेश में केन्द्रीय क्षेत्र में खजुराहो, भोपाल, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, सांची तथा देवास में पर्यटन सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है।

(ख) पर्यटन से विदेशी-मुद्रा के अर्जन के अनुमान अखिल भारतीय आधार पर तैयार किये जाते हैं न कि राज्यवार अथवा स्थानवार आधार पर ।

Shri Hukamchand Kachwai : Mr. Speaker. Sir, it is asked in the question as to whether Government propose to declare Ujjain, Gwalior, Mandu (Dhar), and Shivpuri as tourist centres, but the Government has not given any reply in this regard. I want to know as to how much money will be spent on the centres mentioned by him and when the places mentioned by me will be declared tourist centres ?

Dr. Sarojini Mahishi : Mandu has a tourist lounge and it is not proposed to cover rest of the places under this scheme. Department of Tourism has planned to spend thirtyfive lakhs of rupees during Fourth Five Year Plan and so far considerable amount has been spent.

Shri Hukamchand Kachwai : Sir, Ujjain, Gwalior and Mandu are places of historic fame. What difficulty is being faced by Government to include these places in the list of tourist centres ? If Government do not want to include them at present, is it proposed to include them in the next Five Year Plan ?

Apart from this, I also want to know whether it is not possible to make propaganda of our culture in foreign countries after declaring these places as tourist centres ?

Dr. Sarojini Mahishi : There is no doubt, a scheme to extend adequate facilities to the tourists for the purpose of dissemination and popularisation of our culture and it is also proposed to develop Khajuraho and Sanchi during the Fourth Five Year Plan. If the hon. Member has any suggestion about the Five Year Plan they will definitely be considered.

Shri Hukamchand Kachwai : I have given a suggestion and I had also asked about that previously. What difficulty is being faced by Government in declaring these places as tourist centres ? These are the places of pilgrimage and of historic fame....(**interruptions**).

Mr. Speaker : I am afraids you have asked two questions.

Dr. Sarojini Mahishi : Tourism is a State subject. State Governments are doing this and moreover Central Government is giving them help in this matter..(**interruptions**).

Mr. Speaker : Why do you stand in your seats every time. Chance should be given to the other members also.

Shri Hukamchand Kachwai : Many members do not ask questions. Opportunity should be given to those who put questions.

श्री समर गुह : मध्य प्रदेश जैसे अन्य विभिन्न राज्यों की नये पर्यटक केन्द्र खोलने की बढ़ती हुई मांग को दृष्टि में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस सारे मामले की पुनः जांच करेगी ताकि रुचि के विभिन्न स्थानों में पर्यटक केन्द्रों के प्रसार करने की सम्भावना पर विचार किया जा सके ।

डा० सरोजनी महिषी : इस मामले की निरन्तर जाँच की जा रही है और इस पर कार्यवाही भी की जा रही है पर्यटक अभिरुचि के विभिन्न स्थानों का राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार द्वारा भी विकास किया जा रहा है (**अन्तबार्धाएं**) । आंकड़ों के सम्बन्ध में यदि माननीय सदस्य ने मध्य प्रदेश के बारे में विशिष्ट प्रश्न किया होता, तो मैं उसका उत्तर अवश्य देती ।

Shri R. S. Pandey : The hon. Member, Shri Kachwai made a mention about Culture. I want to know from Dr. Mahishi whether our culture will be popularised in foreign countries through the Department of Tourism ? In view of the fact that quite a large number of tourists from all over the world come here to see the culture of Khajuraho. What Government is going to do to popularise the Khajuraho Culture ?

Dr. Sarojini Mahishi : Khajuraho is a worthseeing place. Many people from foreign countries come here. 1.3 percent of the tourists visiting India go to see Khajuraho. All out efforts are being made to develop that place. Accommodation has been increased. 40 more rooms have been constructed. Aerodrome has been developed. Airservices of 737 Boeing plane have been extended to that place for the tourists.

इण्डियन टोबैको कम्पनी को होटल-श्रृंखला स्थापित करने की अनुमति

*168. **श्री हरिकिशोर सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन टोबैको कम्पनी को देश में होटल श्रृंखला स्थापित करने की अनुमति दी गई है ओर, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) इसके लिए कौन से स्थान चुने गये हैं और परियोजनाओं की अन्य मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) भारतीय तम्बाकू कम्पनी द्वारा तीन होटल प्रयोजनाएं स्थापित करने के प्रस्ताव का सिद्धांत रूप में इस शर्त पर अनुमोदन कर दिया गया है कि कम्पनी को 'मोनोपलीज ऐण्ड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज एक्ट' के अन्तर्गत 'क्लीयरेंस' (अनापत्ति प्रमाण पत्र) प्राप्त करनी होगी ।

(ख) कम्पनी द्वारा होटलों के लिए चुने गऐ स्थान दिल्ली, आगरा तथा मद्रास हैं ।

श्री हरि किशोर सिंह : बड़े आश्चर्य की बात है कि विदेशी एकाधिकार वादी फर्मों की उद्योगों के अनावश्यक क्षेत्र में आने की अनुमति न देने सम्बन्धी सरकार की घोषित नीति से पर्यटन विभाग अनभिज्ञ है । एकाधिकार आयोग को यह क्यों भेजा जाए ? मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि पर्यटन विभाग ने यह निर्णय सरकार की आर्थिक नीति के घोषित लक्ष्यों के अनुरूप लिया है अथवा नहीं । दूसरे, यदि ऐसा नहीं है, तों यह अनुमति क्यों दी गई ? मैं आगे यह भी जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने मामलों में अन्य विदेशी एकाधिकार फर्मों को यह अनुमति दी गई है ?

डा० कर्ण सिंह : यह केवल पर्यटन विभाग का ही निर्णय नहीं है अपितु, यह तो समूची सरकार का निर्णय है । हमनें प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है । वास्तव में इस विशेष मामले में विदेशी शेयरधारिता का इस कम्पनी में विलय करने का विचार था प्रस्ताव यह था कि 10 करोड़ रुपये के निवेश से वे "पब्लिक ईश्यू" (सार्वजनिक निर्गम) के रूप में भारतीयों को 6 करोड़ रुपये की ईक्विटी शेयरों का आवंटन करेंगे ओर ऐसा करने से विदेशी शेयर धारिता का विलय हो जायेगा । अतः यह सरकार की नीति के अनुरूप है । किन्तु एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें अनुमति तो लेनी होगी ही । यदि वे अनुमति लेंगे, तो आगे और कार्य-

वाही की जायेगी । जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, देश में होटलों के सम्बन्ध में हम विदेशी सहयोग की अनुमति दे रहे हैं किन्तु यह प्रबन्ध व्यवस्था के आधार पर नहीं है वरन हम इसकी अनुमति अनुदत्ताधिकार के आधार पर दे रहे हैं । इसका लाभ तो सर्वविदित हैं, अब वस्तुतः सारे संसार में इस प्रणाली का पालन किया जा रहा है । आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने की अपनी इच्छा को दृष्टि में रखते हुए हमने कुछ स्पष्ट शर्तें रखी हैं और यदि वे इन शर्तों के अन्तर्गत आते हैं तो कुछ विशिष्ट मामलों में इनकी अनुमति दी जा रही है ।

श्री हरि किशोर सिंह : मैं इस अनुदत्ताधिकार सम्बन्धी आधार को नहीं समझता हूं क्योंकि यह बहुत तकनीकी शब्द है और मेरी समझ में नहीं आ रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि होटल उद्योंग में विदेशी जानकारी और बिदेशी सहयोग की क्या आवश्यकता है ? क्या हम अपने होटलों का स्वयं निर्माण करने में सक्षम नहीं हैं ?

डा० कर्ण सिंह : मैं माननीय सदस्य के समक्ष स्थिति स्पष्ट करता हूं । यह वस्तुतः विश्व भर में विदित ही है । विदेशी अनुदत्ताधिकार का एक मुख्य लाभ बुकिंग और आरक्षणों में है । आज पर्यटन समस्त संसार में अन्तर्राष्ट्रीय मामला बन गया हैं । आज यह विश्व में सबसे बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय उद्योग है और बुकिंग (टिकटें देना) आज श्रृंखला के आधार पर की जाती हैं : अतः केवल इसी देश में नहीं अपितु समस्त विश्व में, यहां तक कि पूर्वी योरोपीय देशों और रूस में भी सरकारों द्वारा श्रृंखला बद्ध होटलों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है जिससे यात्रा करने वाले देश छोडने से पहले कमरे (स्थान) आदि का आरक्षण करा सकें । यह एक अत्यन्त प्रसिद्ध समवर्ती मामला है । फिर भी हम इस देश में-अन्य अधिकांश देशों से कुछ पीछे हैं । अतः इस बात कों ध्यान में रखते हुए हमने निश्चय किया है कि किसी भी परिस्थिति में साम्य भागीदारी 20 प्रतिशत से अधिक नही होगी । इसलिये किसी विदेशी कम्पनो द्वारा किसी होटल पर नियंत्रण करने का प्रश्न ही नहीं उठता । किन्तु नि.सन्देह जहां तक होटल प्रबन्ध के विभिन्न पहलुओं में बुकिगों और विशिष्ट प्रशिक्षण, इन दोनों का सम्बन्ध है, विदेशी अनुदत्ताधिकार का सम्पर्क दोनों प्रकार से लाभदायक है ।

श्री के० आर० गोपाल : मंत्री महोदय का उत्तर कुछ भ्रांति पूर्ण है । पहले तो उन्होंने कहा है कि विदेशी पूंजी का विलय करने के लिए 10 करोड़ रुपये में में से 6 करोड़ रुपये देंगे । उन्होंने यह भी कहा है कि जहां तक होटल उद्योग का सम्बन्ध है, विदेशी सहयोग में कोई बुराई नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि इण्डियन टुबैको कम्पनी, जो सिगरेट उद्योग में एक विदेशी एकाधिकारी कम्पनी है, ने होटल उद्योग में क्या विशेषता प्राप्त की है ? और उन्हें हीटल स्थापित करने की क्यों अनुमति दी जाये ?

डा० कर्ण सिंह : माननीय सदस्य मेरी बात पूरी तरह से नहीं समझे हैं, दो भिग्न बातें हैं । एक तो इण्डियन टुबैको कम्पनी का मामला है जो बिल्कुल अलग है और दूसरा साधारण प्रश्न विदेशी सहयोग का है ।

जहां तक इण्डियन टुबैको कम्पनी का सम्बन्ध है, जैसा मैं समझता हूं यह उनकी पूंजी का विलय करने का एक भाग है । मुझे विश्वास है कि इसका वित्त मंत्री द्वारा सिगरेटों पर लगाये गए नये करों से कोई सम्बन्ध नहीं है । मेरे विचार में यह एक ऐसा मामला है जहां कि इस देश में

उन्होंने कुछ धन प्राप्त किया है। और विदेशी शेयर धारिता का विलयन करने सम्बन्धी सामान्य नीति के एक अंग के रूप में यह प्रस्ताव आया है और इसलिए वे इसका विस्तार कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय द्वारा अभी दिए गए उत्तर से एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। उनकी पूंजी का विलय करने सम्बन्धी यह एक नई कूटनीतिक अभिव्यक्ति है। वस्तुत मैं यह नहीं जानता कि क्या मंत्री महोदय को यह पता है कि इस देश में ऐसी प्रथा प्रतिदिन बढ़ती जा रही है कि इस प्रकार की बड़ी बड़ी विदेशी फर्में जो एक विशेष प्रकार के उद्योग में मूल रूप से स्थापित की गई थी, किन्तु विविधीकरण के नाम पर मूल क्षेत्र से नितान्त असम्बन्धित क्षेत्रों में प्रवेश कर रही है जिससे वे अपना लाभ वापस अपने देश भेज सकें। इण्डियन टुबैको कम्पनी केवल होटल उद्योग में नहीं आ रही है अपितु गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य में भी शामिल हो रही है और वह गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए मत्स्य नौका भी खरीद रही हैं। इसी प्रकार विदेशी तेल कम्पनियां सेफ्टी रेजर ब्लेडों और अन्य प्रकार की वस्तुओं का विपणन कर रही हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इस प्रस्ताव की ओर अधिक ध्यानपूर्वक जांच करेंगे क्योंकि इससे तो यहां के लाभ को विदेशों में भेजने का माध्यम बन गया है और विदेशी मुद्रा नियमन (संशोधन) विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति इस खतरे से विशेषतया चिंतित है।

डा० कर्ण सिंह : माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये अन्य प्रकार के बड़े बड़े मामलों पर विस्तार से टिप्पणी करने में मैं समर्थ नहीं हूं। मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूं कि इस विशेष मामले में "विदेशी शेयरों का विलय" शब्द प्रयुक्त करने का यही कारण है। इस मामले के पश्चात् इस कम्पनी के विदेशी शेयरों का 75 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक विलय होने की सम्भावना है।

दूसरे शब्दों में, भारत के शेयर बढ़ते हैं। स्पष्टत:, भारत को प्राप्त होने वाले लाभ भी बढ़ेंगे। किन्तु जैसा मैंने कहा है मैं मुख्य प्रश्न पर टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। विशेषरूप से होटल के क्षेत्र में हमारे पास प्रस्ताव आया है, और जैसा कि हम इस देश में नये होटलों के निर्माण का स्वागत करते हैं, हमने इसका समर्थन किया है।

कोका-कोला निर्यात निगम, नई दिल्ली द्वारा लाभ की राशि को स्वदेश भेजना

*170. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 और 1971-72 में कोका-कोला निर्यात निगम, नई दिल्ली, द्वारा भारत से स्वदेश को विदेशी मुद्रा की कुल कितनी राशि भेजी गयी ; और

(ख) इन धनराशियों में से इसके लाभ का अंश कितना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

1970 और 1971 के कैलेण्डर वर्ष में, कोका-कोला निर्यात निगम की भारतीय शाखा द्वारा निम्नलिखित राशियां प्रेषित की गई :—

(क) **लाभ**

(i) 1969 के वर्ष के लिए	44.01 लाख रुपये
(ii) 1970 के वर्ष के लिए	60.58 लाख रुपये
	104.59 लाख रुपये
(ख) 1969 की पहली तिमाही के निर्यात पर सेवा प्रभार	2,45 लाख रुपये
	2.45 लाख रुपये

(ग) **मुख्य कार्यालय का व्यय**

(i) 1967 के वर्ष के लिए	17.47 लाख रुपये
(ii) 1968 के वर्ष के लिए	25.70 लाख रुपये
	43.17 लाख रुपये
कुल-प्रेषण	150.21 लाख रुपये

(क) 1972 में कोई प्रेषण नहीं किया गया था।

(ख) उपर्युक्त आँकड़ों में, कच्चे माल व संघटकों के आयात के सम्बन्ध में प्रेषित रकमें शामिल नहीं हैं।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : वक्तव्य में दो बातों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। एक कोका-कोला कम्पनी द्वारा लाभों के बाहर भेजे जाने में भारी वृद्धि हुई है। वर्ष 1968-69 में, जैसा कि उल्लेख किया गया है, यह 1.50 करोड़ रुपये हो गया। आत्म-निर्भरता के बारे में इतनी बातें कही जाती हैं। तब इस मनाबहयव पेप पदाथे पर 1½ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा व्यय कर इस देश का शोषण करने की क्या आवश्यकता है ? क्या सरकार कोका-कोला का उत्पादन बन्द करके देशी पेय पदार्थों को तढ़ावा देने पर विचार करेगी ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : इस प्रश्न के दो पहलू हैं। जहां तक पहले भाग का प्रश्न है, उनके द्वारा भेजी जाने वाली रकमें उनके द्वारा लगाई गई पूंजी के अनुपात में अधिक हैं। इसलिये स्वाभाविक रूप से इस पर इस सभा का तथा पूरे देश का ध्यान गया है। इसलिए इस मामले पर ध्यान देने की आवश्यकता हैं। स्थानीय उत्पादनों को स्बाभाविक रूप से प्रोत्साहन देना पड़ेगा। किन्तु एकमात्र प्रश्न जिस पर हमारा इस समय सम्बन्ध है, वह यह है कि उनके द्वारा अर्जित लाभों में से धन के बाहर भेजे जाने पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। हमने इस बारे में नया कदम उठाया है, जिसका ब्यौरा विचाराधीन है, कि बाहर भेजी जाने बाली रकमें उनके निर्यात व्यापार

पर निर्भर रहेंगी । सामान्य भाषा में मैं कह सकता हूं कि जो कुछ भी वह वाहर भेजें, वह उनके निर्यात से अर्जित राशि से कम हो जिससे कि सामान्य तौर पर देश की विदेशी मुद्रा में कुछ वृद्धि हो ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : प्रश्न का उत्तर देते समय मंत्री महोदय भी आश्वस्त नहीं थे । इस प्रकार वह उत्तर देने से बच रहे थे । मुख्य बात यह है कि जबकि यह बहुत आवश्यक वस्तु नहीं है, उनकी पूंजी कुछ भी हो, हम कोका-कोला द्वारा इस देश का शोषण क्यों होने दें, चाहे वह शोषण कितना ही मधुर क्यों न हो ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आत्म निर्भरता की क्या स्थिति है जिसकी इतनी चर्चा की जाती है ।

श्री यशवन्तराय चह्वाण : निश्चय ही अपने पदार्थों को वढ़ावा देकर आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन दिया जा सकता है । मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं । मैं देखुंगा कि इसे प्रोत्साहित करने के लिये हम क्या कर सकते हैं । यदि इस बारे में कोई रचनात्मक सुझाब आएं तो हम ऐसा कर सकते हैं ।

श्री वसन्त साठे : आयात शुल्क बढ़ा दें ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : वास्तव में बढ़े हुए आयात शुल्क का भार यहां के उपभोक्ताओं पर पड़ेगा । इससे वाहर भेजे जाने वाले धन पर प्रभाव नहीं पड़ता ।

श्री वसन्त साठे : धनी उपभोक्ता इसका उपयोग कर सकते हैं ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह वस्तुएं मध्यम श्रेणी के लोगों के उपयोग की हैं ।

श्री बी० वी० नायक : कोका-कोला संगठन बिश्व के सभी देशों से निर्यात करता है और धन बाहर भेजता है । क्या हम अपनी आत्म निर्भरता की धारणा के कारण आर्थिक दृष्टि से पृथक नहीं हो जाएंगे? सभी आयात-निर्यात बन्द कर दें । क्या जाने आने महीने अथवा महीनों में हमारी आत्म निर्भरता की परिभाषा आर्थिक पृथकवाद से की जायेगी ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह एक दूसरा चरम पहलू है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वक्तव्य में केवल वर्ष 1970 और 1971 के आंकड़े दिए गए हैं और एक टिप्पणी दी गई है कि वर्ष 1972 में कोई धन नहीं भेजा गया । में जानना चाहता हूं कि टिप्पणी का वास्तव में क्या यह अर्थ है कि इस वर्ष कोई धन नहीं भेजा गया परन्तु इस बर्ष में अर्जित लाभों के बारे में बाद के वर्षो में क्या धन भेजे जाने की अनुमति दी लाएगी । क्या सरकार यह बताने की स्थिति में हैं । 1972 के आकड़े क्या होंगे जिनके भेजे जाने की बाद में अनुमति दी जाती है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मुझे खेद है कि इन आंकड़ों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वक्तव्य में कहा गया है कि 1972 में कोई धन नहीं भेजा गया था । कृपया सदन को जानकारी देते रहें कि बाद में कितना धन भेजा जाता है ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं आपको कुछ जानकारी दे सकता हूं । आपने कुछ रोचक प्रश्न उठाए हैं— मैं आपको 1970 के निर्यात से अर्जित आंकड़े बता सकता हूं । वह लगभग 437 लाख

है । वर्ष 1971 के अनुमोदनार्थ आंकड़े 76 लाख रुपये हैं । वर्ष 1969 के मुख्य कार्यालय के बकाया आंकड़े 31.2 लाख रुपये हैं । निर्यात पर वर्ष 1971 के प्रथम तिमाही के खर्चे अभी बकाया हैं । जहां तक 1972 का प्रश्न है, उसके लाभांश 81 लाख रुपये है जिनके बारे में आवेदन दिया गया है ।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

तमिलनाडु मे हथकरघा उद्योग को सूत की सप्लाई में कमी

अ० सू० प्र० 2. **श्री ई० आर० कृष्णन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में हथकरघा उद्योग को सूत की सप्लाई में भारी कमी के बारे में सरकार को पता है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने सूत की कमी के कारण हथकरघा बुनकरों में गम्भीर बेरोजगारी और इस कारण फैले असंतोष की ओर केन्द्र का ध्यान दिलाया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले से क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) धागे की कमी केवल तमिलनाडु में हीं नहीं हुई है, परन्तु अन्य राज्यों में भी हुई है ।

(ख) जी हां ।

(ग) इस स्थिति पर 26-2-73 को राज्य सरकारों, उद्योग तथा व्यापार के प्रतिनिधियों के साथ गम्भीरता पूर्वक विचार-विमर्श किया गया था । सम्बन्धित राज्यों के बीच सूती धागे के वितरण तथा मूल्यों के बारे में विनिश्चय शीघ्र ही घोषित कर दिये जाएंगे ।

श्री ई० आर० कृष्णन : वाणिज्य मंत्री ने 27 फरवरी को बताया था कि दिसम्बर, 1972 से फरवरी, 1973 तक धागे के मूल्यों में भारी वृद्धि का कारण यह है कि धागे का 33 प्रतिशत उत्पादन तमिलनाडू में ही होता है और इस उद्योग में 75 प्रतिशत बिजली की कटौती कर दी गई है । इसके अतिरिक्त मन्त्री महोदय ने आगे यह भी बताया है कि सरकार के पास ऐसे कई मामले हैं जिनमें राज्य ने उन्हें आवंटित धागे को नहीं उठाया है । मन्त्री महोदय ने आगे बताया कि वितरण के उत्तरदायित्व को संबद्ध राज्य द्वारा पूरे तौर से संभाला जाएगा । उन्होंने यह भी बताया कि धागे का निर्यात जारी रहेगा । 20 लाख हथकरघा बुनकरों को धागे के न मिलने के कारण बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है जिनमें से $5\frac{1}{2}$ लाख बुनकर तमिलनाडु में है ।

मैं यह बताना चाहता हूं कि तमिलनाढु की राज्य सरकार उसे आबंटित किये गये धागे को उठाने में विफल रही है । दूसरे आयात का मामला—

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछें । यह प्रथा न चलाएं । ऐसे वक्तव्य नहीं दिये जा सकते ।

श्री ई० आर० कृष्णन : तमिलनाडु की राज्य सरकार उसे आवंटित धागे को उठाने में विफल नहीं रही है जनरेटरों के आयात के मामले में तमिलनाडु ने 500 सेंटों के आयात की अनुमति मांगी थी जोकि भारत सरकार के पास अभी भी बकाया पड़ी है। जब तक यह नहीं दी जाती बिजली की कटौती के बहाल किए जाने की कोई संभावना नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछें। आप सदन में पढ़ नहीं सकते।

श्री ई० आर० कृष्णन : मेरे यह कहने का अभिप्राय यह है कि राज्य सरकार को दोनों ओर से कठिनाई है। मन्त्री महोदय भी विरोधी वक्तव्य दे रहें हैं। मैं जानना जाहता हु, कि मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखने के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार तमिलनाडु को धागा सप्लाई करने के लिये कौन से ठोस कदम उठा रही है जिससे इस संकट का सामना किया जा सके।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : सदस्यों द्वारा तमिलनाडु में सूती धागे की कमी पर व्यक्त की गई चिन्ता की मैं प्रशंसा करता हूं। जैसा कि मैंने अपने मूल उत्तर में बताया है यह कि अखिल भारतीय समस्या है जिसका एक प्रमुख कारण देश व्यापक बिजली की कमी है। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि यह सत्य है कि तमिलनाडु सरकार ने सूती धागा नहीं उठाया है। इस लिये बुनकरों को भी यह नहीं पहुंचा है। मैं हथकरघा बुनकरों की दयनीय दशा को समझता हूं। इसलिए हमने अपनी 26-2-73 की बैठक में कुछ नीति निर्णय लिये है जिन्हें बाद में नीति निर्णयों का रूप दिया जा सके। यदि आप अनुमति दे तो मैं उन प्रारम्भिक पांच नीति निर्णयों को आपकों बता सकता हूं।

(1) 100 प्रतिशत उत्पादन स्वैच्छिक वितरण नियंत्रण के अन्तर्गत आना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि 'फुरे' धागा उत्पादन करने वाला प्रत्येक एकक वस्त्र आयुक्त द्वारा नामित राज्य सरकार को स्वैच्छिक रूप से अपना उत्पादन प्रदान करेगा।

(2) धागे के प्रत्येक कांऊट का मूल्य वर्तमान स्तर से हटकर अतिशीघ्र निर्धारित किए जाने वाले उचित स्तरों पर आ जाएगा।

(3) धागा उत्पादन करने वाली मिलों को यह निदेश दिया जाएगा कि वे वस्त्र आयुक्त द्वारा सुनिश्चित उत्पादन ढांचे के अनुरूप अपने उत्पादन ढांचे को बनाएं।

इसका अर्थ यह हुआ कि जब मिलें बिजली की कमी के कारण अपनी पूरी क्षमता से कम काम कर रही हो तब भी वे वस्त्रायुक्त द्वारा सुनिश्चित अनुपात में धागों की लच्छियों, कोन, बीम तूर और प्रिन आदि ही बनाएगी संभवतः इसका निर्णय किया जाएगा कि धागे की लच्छियों का उत्पादन बढ़ाया जाए क्योंकि बिजली की कमी के कारण विद्युत चालित करघे अपनी पूरी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर सकेंगे और उनकी उचित मांग गिर जाएगी। बिजली की कमी से अप्रभावित हथकरघा क्षेत्र की आवश्यकताओं की अधिक से अधिक पूर्ति की जाए ताकि इस क्षेत्र में नियोजन स्तर पर कोई बोझा न पड़े।

(4) वस्त्र आयुक्त हौजरी धागे का निर्माण करने वाली विशिष्ट मिलों को उसके द्वारा सुनिश्चित स्तर तक उत्पादन करने का निदेश देगा। हौजरी फैडरेशन के मतानुसार इस क्षेत्र में 46,000 श्रमिक हैं और इस क्षेत्र को केवल 330 लाख किलो० होजरी धागे की आवश्यकता है।

यह मात्रा बहुत अधिक नहीं है और इस बात का प्रयत्न किया जाएगा कि इस क्षेत्र में पुनः पूर्ण रोजगार दिया जाए।

(5) व्यापार पर ऋण अंकुश लगाया जाना चाहिए ताकि धागे की जमाखोरी और काले बाजार में बिक्री को समाप्त किया जा सके।

कुछ अन्य बात भी विचारणीय हैं। मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता लेकिन संक्षिप्त रूप में कहना चाहता हूं कि जब इस योजना को ठोस रूप प्रदान किया जाएगा उस समय यह योजना स्वैच्छिक तथा अनिवार्य रूप में होगी।

श्री ई० आर० कृष्णन् : 11 अगस्त 1972, को तमिलनाडु के मुख्य मंत्री को लिखकर यह अनुरोध किया गया था कि धागा वितरण का अधिकार राज्य सरकार को होना चाहिए। उनके इस अनुरोध पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि मुख्यमंत्री का अनुरोध केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो यह शोचनीय स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होती। केन्द्र सरकार को अपना दोष स्वीकार करना चाहिए।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मुझे खेद है कि मैं माननीय सदस्य द्वारा सुझाए गए निदान से सहमत नहीं हो सकता क्योंकि जैसाकि मैंने पहले कहा है कि यह अखिल भारतीय समस्या है। यदि तमिलनाडु सरकार को भी धागा वितरण की शक्ति प्रदान की जाती तो भी समस्या का हल नहीं हो सकता था। चूंकि 75 लाख हथकरघा बुनकर भारत के सारे राज्यों में फैले हुए हैं, इसलिए इस राज्य द्वारा अन्य किसी विशिष्ट राज्य को धागे के वितरण की शक्ति नहीं दी जा सकती। इसका कारण यह भी है कि धागे की कमी सारे भारतवर्ष में है।

श्री वसंत साठे : इस बात को ध्यान रखते हुए कि पिछले वर्ष देश में कपास का उत्पादन अधिकतम हुआ है और हथकरघा बुनकरों को मिल के कपड़ों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है तथा इसके लिए उन्हें उत्कृष्ट और सर्वोत्कृष्ट धागे की आवश्यकता पड़ती है और उनकी सप्लाई केवल वही मिलें करती हैं जिनके पास आयातित कपास होता है। सरकार का विचार हथकरघा उद्योग को अपेक्षित धागा सप्लाई पर किस प्रकार नियंत्रण करने का है ताकि हथकरघा बुनकर मिल के कपड़ों की प्रतिस्पर्धा में खड़े रह सकें ?

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : 26 फरवरी की हुई बैठक में इस समस्या पर भी ध्यान दिया गया था।

श्री वसंत साठे : इसका उल्लेख नहीं है किया गया है। ऐसा कहां पर कहा गया है।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : हथकरघा बुनकरो को आवश्यक धागा देने के सम्बन्ध में विशेष ध्यान रखा जाएगा। उनकी आवश्यकताओं को पहले पूरा किया जाएगा और बाद में किसी और की आवश्यकताओं को पूरा किया जावेगा। मैंने माननीय सदस्य को पूरा विवरण इसलिए नहीं दिया क्योंकि वह बहुत लम्बा था। अगर माननीय सदस्य इसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं उन्हें दे दूंगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : कब से ऐसी स्थिति बनी हुई है ? उत्पादन में कितने प्रतिशत कमी हुई हैं तथा कितने व्यक्तियों के बेरोजगार होने का अनुमान है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : स्वैच्छिक योजना पिछले वर्ष से ही शुरू हुई है जैसे ही हमने यह महसूस किया कि किसी किस्म की अनिवार्यता जरूर होनी चाहिए हमने इसे लागू कर दिया। अनिवार्यता 50 प्रतिशत तक है। हम जानते हैं कि योजना से इच्छित परिणाम नहीं निकले और इसीलिए हम एक अन्य योजना बनाने के बारे में विचार कर रहे हैं जिसके द्वारा इन मिलों को अपना सारा उत्पादन स्वेच्छा से सौंपना पड़े। वस्त्रायुक्त वितरण प्रणाली की जांच करेगा और मेरे विचार से यह बेहतर रहेगा।

श्री पी० आर० शिनाय : देश के लाखों हथकरघा बुनकरों के हित को ध्यान में रखते हुए तथा धागे की कमी को सदा के लिए दूर करने हेतु क्या सरकार का विचार नए धागा मिलों की स्थापना को प्रोत्साहन देने का है और यदि नहीं, तो क्या सरकार कोई ऐसी योजना तैयार करेगी ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्यय: इस समस्या के समाधान हेतु पिछड़े क्षेत्रों को 25 तकुवे देने का हमारा प्रस्ताव है।

श्री जी० विश्वनाथन् : व्यापारियों द्वारा बड़े पैमाने पर जमाखोरी करने और धागे को काले बाजार में बेचने को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार व्यापारियों के पास पेड स्टाक पर सील लगाएगी और शीघ्र ही स्टेपल रेशे वाले धागे का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगी और सभी कांऊटों के मूल्य नियत करेगी ताकि यह धागा सभी फैक्टरियों को समान रूप से वितरित किया जा सके।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए मैं स्टाक को शील करने या अन्य उपाय करने के प्रश्न पर इस सदन में विस्तार से चर्चा करना बेहतर वहीं समझता माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए दूसरे विषय के बारे में पहले ही बता चुका हूं कि गत तीन महीनों में मूल्यों में हुई वृद्धि को रोककर उसे उचित स्तर पर लाया जाएगा। उचित स्तर क्या होगा उस बारे में विचार किया जाएगा। मैंने पहले ही कहा है कि शीघ्र निर्णय लिया जाएगा।

श्री अजीत कुमार साहा : क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी हैं कि धागे के कमी के कारण पश्चिम बंगाल के बुनकरों को बड़ी कठिनाई हो रही है। और यदि हां, तो इसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मुझे पश्चिम बंगाल के बुनकरों की कठिनाइयां मालूम है। उनकी कठिनाइयां दूर की जा रही हैं।

श्री धामनकर : क्या तमिलनाडु सरकार ने इस प्रकार का कोई सुझाव दिया है कि जो धागा तमिलनाडु में बनाया जाएगा वह केवल तमिलनाडु क्षेत्र के लिए ही सुरक्षित रखा जाएगा। क्या सरकार ने उक्त प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। क्या धागे के वितरण में सहायता हेतु संसद सदस्यों की एक समिति बनाई जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न धागे की कमी के बारे में है।

Shri Hukamchand Kachwai : In answer to a question the hon. Minister has stated that the number of handloom weavers in the country is about 35 lakhs and they are facing two types of problems. (i) there is shortage of yarn and because of it they are not getting required yarn (ii) the cloth which was to be woven byLandloom weavers is now being manufactured by mills. Is the hon. Minister awareof the fact that yarr is being hoarded by Millowners to get exhorbitant price

for it. Has hon Minister tried to find out the quantity of hoarded stock and whether the Government propose to take some action in regard to its distribution.

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : हथकरघा बुनकरों की संख्या के सम्बन्ध में माननीय सदस्य द्वारा बताए गये आंकड़े सही नहीं है यह 35 लाख नही है अपितु 75 लाख है। कीमत में वृद्धि के लिए अनेक बातें जिम्मेदार हैं जिसमें से बड़े व्यापारियों द्वारा धागे का स्टाक जमा किया जाना, बिजली की कमी इत्यादि। अन्य कारण भी हैं। जमाखोरों के सम्बन्ध में सही आंकडे उपलब्ध नहीं है। जहां तक कीमत स्तर का सम्बन्ध है मैंने पहले ही बताया कि जो कीमत स्तर पिछले तीन महीनों से बुरी तरह बढ़ रहा है अब कम किया जाएगा तथा इसके लिए शीघ्र ही प्रभावशाली उपाय किए जायेंगे।

(Interruptions)

Mr. Speaker : If this will go on daily how we will work. You have made this House a mockery.

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कछवाय मैं अगले विषय पर आ गया हूं। कृपा करके बैठ जाइये।

— ——

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWER TO QUESTIONS

कपड़ा मिलों द्वारा नियंत्रित किस्मों का तथा निर्यात का कपड़ा उत्पादन करने सम्बन्धी शर्तों का उल्लंघन

162. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई कपड़ा मिलें अपने उत्पादन का 12 प्रतिशत कपड़ा नियंत्रित कपड़े के लिए और 16 प्रतिशत निर्यात के लिए निर्धारित करने सम्बन्धी शर्त का उल्लंघन करती पायी गयी हैं ;

(ख) क्या ये मिलें बिद्युत चालित करघों से बड़ी मात्रा में ग्रेशीटिंग तथा अन्य प्रकार के मोटी किस्मों के कपड़े खरीद रही हैं तथा अपना उत्पादन बता कर बेच रही हैं ; और

(ग) इस प्रथा को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मन्त्री (प्रो डी० पो० चट्टोपाध्याय) : (क) यह पता चला है कि इंडियन काटन मिल फैडीशन ने सभी मिली-जुली मिलों को कतिपय दायित्व डालते हुए ये अनुदेश जारी किया है कि वे कैलेंडर वर्ष 1973 के दौरान 1971 के पैकड उत्पादन का 12 प्रतिशत के बराबर नियंत्रित कपड़े का उत्पादन को और 197[के पैकड उत्पादन के 16 प्रतिशत के बराबर कपड़े का निर्यात करें मिलों को इन दायित्वों को पूरा करने के लिए यह सुविधा दी गई है कि या तो वे इसे स्वयं पूरा करें या अपनी ओर से इन दायित्वों को अन्य मिलों से पूरा करायें जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, उद्योग द्वारा दिया गया संकेत यह है कि वे प्रति तिमाही कुल 10·0 करोड़ मीटर नियंत्रित कपड़े का उत्पादन करेंगे और 1972 के लिए अपने निर्यात निष्पादन में सुधार करने का प्रयास करेंगे। तथापि नियंत्रित कपड़े के उत्पादन और निर्यातों दोनों के सम्बन्ध में उद्योग के निष्पादन पर सम्पूर्ण निगरानी रखी जा रही है।

(ख) तथा (ग): सरकार के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है लेकिन सरकार विचार कर रही है कि क्या मिलों को शक्ति चालित करघे से निर्धारित बनावट के कपड़े की खरीदारी करके अपने दायित्वों को पूरा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।

अमरीकी सरकार द्वारा आयात पर अधिभार लगाना

†167. **श्री एम० वी० कृष्णप्पा :**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 फरवरी, 1973 के "हिन्दूस्तान टाइम्स" में यू० एस० गवर्नमेंट में रीइम्पोज सरचार्ज आन इम्पोर्टस (अमरीका सरकार का आयात पर पुनः अधिभार लगाने का इरादा) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि अमरीका सरकार ने अपने देश के प्रतिकूल व्यापार संतुलन की समस्या को हल करने के अपने प्रयास के रूप में आयात पर अधिभार लगाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) तथा (ख) : सरकार को उल्लिखित समाचार की जानकारी हैं । तथापि जहां तक सरकार को पता है, सं० रा० अमरीका को सरकार ने आयातों पर अधिभार पुनः लागू करने का कोई निश्चय नहीं किया है ।

बांदीपुर (मैसूर) को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने की योजना

*169: **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने बांदीपुर (मैसूर) को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने की योजना बनाई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए कितने धन की मंजुरी दी गई थी ; और

(ग) इस मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) वन्य जीव पर्यटन विकास कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, सरकार ने बांदीपुर वन्य-जीव-शरण-स्थल पर 7.22 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक विश्राम गृह के निर्माण की स्वीकृति दे दी है । प्रायोजना का क्रियान्वयन राज्य लोक निर्माण विभाग के माध्यम से किया जाता है । निर्माण कार्य के शीघ्र ही प्रारम्भ हो जाने की आशा है ।

इस शरण-स्थान के अंदर द्रष्टव्य स्थलों की सैर के लिये अच्छी परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए, 41,000/- रुपये की लागत से एक विशेष रूप से सुसज्जित मिनी-बस प्राप्त कर ली गई है तथा बांदीपुर में इसका परिचालन किया जा रहा है ।

एयर इण्डिया के अटलांटिक-पार के रूटों पर किरायों में कमी करने की योजना

*171. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया की अटलांटिक-पार के रूटों पर किरायों में कमी करने की योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो अन्य रूटों पर भी किराये में कमी न करने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) पहली अप्रैल 1973 से लागू होने वाले उत्तर अटलांटिक किरायों के सम्बन्ध में आई० ए० टी० ए० विमान कम्पनियों के मध्य अभी कोई करार नहीं हो सका है । कुछ अन्य मार्गों पर एयर इण्डिया ने पहले ही प्रोत्साही किराये लागू कर दिये हैं ।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा घोषित लाभांश

*172. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने दूसरे वर्ष भी 5 प्रतिशत लाभांश की घोषणा की है, जोकि अधिनियम के अन्तर्गत अधिकतम है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निगम ने चालू वर्ष में अधिक औद्योगिक परियोजनाओं, अर्थात् 68 के लिये वित्तीय सहायता देना भी स्वीकार किया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, हां । औद्योगिक वित्त निगम ने 30 जून, 1972 को समाप्त हुए लगातार दूसरे लेखा वर्ष के लिए भी दिसम्बर, 1972 में इसके संशोधन से पूर्व औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 अन्तर्गत 5 प्रतिशत का अधिकतम अनुमत्त लाभांश घोषित किया है ।

(ख) जी, हां । 30 जून, 1972 को समाप्त हुए अपने लेखा वर्ष के दौरान निगम ने 68 औद्योगिक परियोजनाओं के लिये 39.16 करोड़ रुपये की शुद्ध वित्तीय सहायता मंजूर की है जबकि पिछले वर्ष 61 परियोजनाओं के लिए 35.03 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की थी ।

विमान चालकों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम

*173. **श्री के० लकप्पा :**
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विमान चालकों को प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम पर नये सिरे से विचार कर रही है और, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) देश में अनेक उपदान-प्राप्त फ्लाइंग क्लबों पर विमानचालकों को प्रशिक्षण देने की सुविधाएं उपलब्ध हैं। फ्लाइंग क्लबों से चुने हुए प्रशिक्षणार्थियों को वाणिज्यिक विमानचालक लाइसेंस स्तर तक के प्रशिक्षण के लिये समुन्नत सुविधाएं प्रदान करने के लिए पिछले वर्ष नादिरगुल (हैदराबाद) में एक 'सैंट्रल फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल' की स्थापना की गयी। इस स्कूल का गठन फ्लाइंग क्लबों के अनुपूरक संस्थान के रूप में कार्य करने के लिए किया गया है।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद, में भू-विषयों में प्रशिक्षण तथा 'लिंक इंस्ट्रक्शन्स' प्रदान करना है, जबकि समुन्नत उड़ान विषयक तथा विमान-ढाचों और इंजनों के बारे के प्रशिक्षण नादिरगुल में दिया जायेगा।

हाल ही में भारत की यात्रा करने वाले इण्टरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एशोसिएशन के प्रतिनिधिमण्डल द्वारा दिये गये सुझाव

*174. **श्री राम सहाय पांडे :**
श्री ईश्वर चौधरी :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्टरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमण्डल ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी ;

(ख) क्या उपभोक्ता प्रतिनिधिमण्डल ने भारत के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेशी यात्रियों के सासान की निकासी सम्बन्धी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए कोई सुझाव दिये हैं; और

(ग) प्रतिनिधिमण्डल द्वारा दिए गए अन्य सुझावों की मुख्य बातें क्या हैं और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। प्रतिनिधि-मण्डल ने भारत के अन्तर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्रों से सम्बन्धित सरलीकरण के मामलों पर विचार-विमर्श किया जिनमें यात्री, सामान और माल के शीघ्र निपटान के उपाय भी सम्मिलित थे। सुझावों पर विचार किया जा रहा है।

भारत में काम कर रही विदेशी कम्पनियों में भारतीय व्यापारियों की भागीदारी

*175. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत में काम कर रही विदेशी कम्पनियों में भारतीय व्यापारियों की किस सीमा तक भागीदारी है जिनकी ओर आय-कर की राशि बकाया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप और ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या ये भारतीय व्यापारी उन एकाधिकार गृहों से सम्बन्धित हैं जिनके बारे में एका-धिकार आयोग द्वारा जांच की गई थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80ख (4) में यथा परिभाषित ऐसी 20 विदेशी कम्पनियां हैं, जिनकी ओर 31 मार्च, 1972 को 50,000 रु० या इससे अधिक का आयकर बकाया था। इन कम्पनियों के नाम और 31 मार्च, 1972 को बकाया आयकर की कुल रकम सदन की मेज पर रखे गये विवरण-पत्र में दी गयी है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4352/73]** इन कम्पनियों में भारतीय व्यापारियों का कितना और किस प्रकार का हिस्सा है, अगर कोई हो तो, और क्या वे व्यापारी एकाधिकार-गृहों से सम्बन्धित हैं, इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

विदेशों को निर्यात की गई वस्तुओं को रद्द किया जाना

*176. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ ऐसे मामले हुए हैं जिनमें विदेशों ने, निर्यातित वस्तुओं की घटिया किस्म होने के कारण, ये वस्तुएं रद्द कर दी थी जिनके निर्यात के लिए हमें उनके आर्डर प्राप्त हुए थे ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और वस्तुओं को रद्द किए जाने के कारण कितनी हानि हुई ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वाणिज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां। पूर्व अफ्रीका, कनाडा, संयुक्त राज्य अमरीका आदि से कुछ मामलों का समाचार मिला है।

(ख) इन हानियों का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है क्योंकि इनमें से अधिकांश मामले दोनों पक्षों के बीच वार्ता के द्वारा तय हो जाते हैं।

(ग) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 तथा वस्त्र समिति अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत अधिकांश निर्यात वस्तुओं के लिए अनिवार्य क्वालिटी नियंत्रण तथा ठोस लदान पूर्व निरीक्षण की व्यवस्था है।

दक्षिण और उत्तर भारत की चाय का निर्यात

*177. **श्री के० मालन्ता** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971-72 और 1972-73 (दिसम्बर 1972 तक) के दौरान दक्षिण भारत की चाय के निर्यात में कमी हुई है ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उत्तर भारत की चाय का कितना निर्यात हुआ ; और

(ग) क्या दक्षिण भारत की चाय के निर्यात को बढ़ाने के किए कोई कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) तथा (ख) 1970-71, 1971-72 तथा 1972-73 की अप्रैल, दिसम्बर की अवधि के दौरान उत्तर तथा दक्षिण भारत की चाय के निर्यात निम्नोक्त प्रकार है :—

(आंकड़े लाख कि० ग्रा० में)

	उत्तर भारत	दक्षिण भारत	योग
अप्रैल-दिसम्बर, 1970	1305.7	310.2	1615.9
अप्रैल-दिसम्बर, 1971	1332.7	380.1	1712.8
अप्रैल-दिसम्बर, 1972	1277.5	326.9	1604.4

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि जबकि दक्षिण भारत की चाय के निर्यातों में अप्रैल-दिसम्बर, 1970 की अवधि की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर, 1971 की अवधि में 69.9 लाख कि० ग्रा० की वृद्धि हुई, दक्षिण भारत की चाय के निर्यातों में अप्रैल-दिसम्बर 1971 की अवधि की तुलना में 1972 की उसी अवधि में 53.2 लाख कि० ग्रा० की कमी हुई।

(ग) विदेशों में चाय संवर्धन सम्बन्धी कार्य चाय बोर्ड द्वारा विभिन्न बाजारों में अवशेष तथा एक राष्ट्राय दोनों कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाना है और बाद वाले कार्यक्रम में भारत के विभिन्न क्षेत्रों की उदाहरणत: नीलगिरि की चाय का संवर्धन शामिल हैं।

भारत द्वारा नारियल जटा और नारियल जटा पर आधारित उत्पादों के निर्यात की सम्भावनाएं

*178. **श्री ई० आर० कृष्णन्** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा नारियल जटा ओर नारियल जटा पर आधारित उत्पादों के निर्यात की सम्भावनाओं के बारे में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) अमेरिका, ब्रिटेन और जापान में ताड़ के रेशे, डंठल तथा ताड़ के उत्पादों के बाजार के लिए किए गए सर्वेक्षण की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने इन सर्वेक्षण प्रतिवेदनों पर क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने कयर तथा कयर पर आधारित उत्पादों के सम्बन्ध में भारत की निर्यात सम्भाव्यता पर किए गए सर्वेक्षण पर अपना प्रतिवेदन जनवरी, 1971 में सरकार को दिया था। प्रतिवेदन की मुख्य सिफारिशें निम्नोक्त से सम्बन्धित थी :

(1) उत्पाद विकास आदि सहित गवेषणा कार्यकलापों को बढ़ाना ;

(2) सहकारी क्षेत्र में उत्पादन आधार को सुप्रवाही बनाना ;

(3) प्रचार तथा संवर्धन कार्यक्रम अनवरत रूप से चलाना ;

(4) आंतरिक खपत बढ़ाना ।

(ख) ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमरीका और जापान में तनई रेशे तथा सम्बद्ध उत्पादों के सम्बन्ध में भारत की निर्यात सम्भाव्यता का सर्वेक्षण जुलाई, 1972 में पूरा किया गया था । प्रतिवेदन में निम्नोक्त के सम्बन्ध में मुख्य सिफारिशें की गईं ।

(1) सहकारी क्षेत्र के माध्यम से उत्पादन तथा विपणन प्रक्रिया के सुव्यवस्थीकरण द्वारा निर्यातों को बढ़ाना ;

(2) गवेषणा तथा उत्पाद विकास ;

(3) आंतरिक बाजारों का विस्तार ;

(4) कीमत स्थिरीकरण

(5) भाड़ा दरों में कमी ;

(6) पत्तनों पर भंडारण सुविधाएं ।

(ग) जहां तक कयर का सम्बन्ध है, कयर बोर्ड ने गवेषणा तथा विकास का व्यापक कार्यक्रम 1973-74 से शुरू होने वाली 3 वर्षों की अवधि के लिए तैयार किया है । सरकार ने इस परियोजना के लिए 53.93 लाख रु० की राशि मंजूर की है । सरकारी क्षेत्र में उत्पादन को सुप्रवाही बनाने के लिए क्रमिक कार्यक्रम के अनुसार कयर सहकारिता को पुनः जीवित करने के लिये संस्थागत वित्त तथा अन्य सहायता देने हेतु, योजना आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, तथा केरल राज्य सरकार के साथ विचार विमर्श करके एक योजना को हाल में अंतिम रूप दिया गया है । विदेश में कयर तथा कयर उत्पादों का प्रभावी प्रचार करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था भी की जा रही है । घरेलू खपत को बढ़ाने के लिये प्रमुख शहरों में नए प्रदर्शन कक्ष खोले जा रहे हैं । 1973-74 के लिए कयर बोर्ड के बजट में आंतरिक प्रचार के लिए 4.14 लाख रुपये की भी व्यवस्था की गई है ।

तनई रेशे की निर्यात सम्भाव्यता के सर्वेक्षण के सम्बन्ध में, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के अनुरोध पर अध्ययन किया था और संस्थान ने प्रतिवेदन आयोग को भेजा था जो अब इस पर विचार कर रहा है ।

सरकारी क्षेत्र में 'रुग्ण' कारखाने

*179. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के 'रुग्ण' कारखानों के नाम क्या हैं ;

(ख) प्रत्येक कारखाने की 'रुग्णता' का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकारी क्षेत्र को कुल कितनी हानि हुई है और वर्ष 1971-72 के लिये उसका अलग-अलग ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) सम्भवतः माननीय सदस्य सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों का उल्लेख कर रहे हैं जिनका कार्यनिष्पादन लगातार असंतोषजनक रहा है। निर्माणाधीन उपक्रमों को छोड़कर, 1971-72 को समाप्त हुए प्रत्येक पांच वर्षों के दौरान निम्नलिखित 14 उपक्रमों में घाटा रहा :—

(1) हिन्दुस्तान स्टील लि०

(2) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन

(3) माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन

(4) हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लि०

(5) नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन

(6) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०

(7) हिन्तुस्तान फोटो फिल्मस् मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लि०

(8) नेशनल इन्स्ट्रूमेंटस् लि०

(9) प्रागा टूल्स लि०

(10) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम

(11) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम

(12) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम

(13) केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम

(14) केन्द्रीय मीनक्षेत्र निगम

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित उद्यमों के सम्बन्ध में घाटे के निम्न कारण हैं :—

1 **हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड** :—

(i) कोक भट्टी बैटरीज की खराब स्थिति के परिणाम स्वरूप कोक और कोक भट्टी गैस में कमी

(ii) उष्ममह भट्टी की असंतोषजनक किस्म

(iii) दुर्गापुर और मिश्रित इस्पात संयंत्र में असन्तोषजनक औद्योगिक सम्बन्ध

2 **हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन** :—

(i) श्रमिकों की उत्पादिकता में धीमी वृद्धि, और

(ii) पिछले नकद घाटों के परिणामस्वरूप ब्याज का अधिक भार, जो ब्याजू ऋणों से पूरा किया गया है।

3 **नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन** :—

सख्त रेतीले पत्थर के परिष्करण के कारण अधिक अनुपात हो जाने से लिगनाइट का कम उत्पादन।

4 **इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०:—**

(i) प्रतिजैविक संयंत्र के सोडियम और प्रोटीन पेन्सीलिन अनुभाग में अनवरत उर्वरता और

(ii) मानकित किस्म के हाई जैस्ट्रीन कैप्सूलों की अनुपलब्धता

5 **माईनिंग एण्ड अलायड मशीनरी कारपोरेशन** :—

(i) उप-ठेकेदारों और सहायक उद्योगों द्वारा समान वस्तुओं की पूर्ति में देरी और

(ii) श्रमिक असंतोष से यदाकदा आने वाली रुकावट ।

6 **हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लि० :—**

(i) उत्पादकता में धीमी गति से विकास और

(ii) ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त उत्पादों में एकरूपता का न होना ।

7 **हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स् मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लि०** :—

आधारभूत कच्चे माल-सैल्यूलोज ट्राइसेटट-का देशीकरण किए जाने के कारण विलम्ब सम्बन्वी समस्याएं उत्पन्न हुई और

(ii) क्रमबद्ध रूप में अनुरक्षण और किस्म नियंत्रण प्रणाली का न होना ।

8 **नेशनल इन्स्ट्रूमेंन्ट्स लि० :—**

(i) दुर्गापुर के चश्मे के शीशे की परियोजना में विभिन्न कठिन समस्याएं और

(ii) जादवपुर के औजार संयंत्र में पुरानी मशीनों का होना ।

9 **प्राग टूल्स लि०:—**

(i) निम्न उत्पादकता और

(ii) वर्तमान क्षमता का पूर्ण प्रयोग न किया जाना ।

10 **राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि०** :—

(i) जापान को निर्यात किए जाने वाले खनिज लोहे की अलाभकारी कीमतों के कारण ।

11 **राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि० :—**

(i) मशीनों का पूर्ण प्रयोग न किया जाना और

(ii) परियोजना प्राधिकारियों के पास निगम के दावों का रुक जाना ।

12 **केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम** :—

(i) सितम्बर, 1965 से लेकर भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से होकर नदी मार्ग द्वारा यातायात के बन्द कर दिये जाने के परिणामस्वरूप असम और कलकत्ता में निगम की गाड़ियों का पूरी तरह इस्तेमाल न किया जाना ।

13 **केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम** :—

(i) गैर-सरकारी क्षेत्र की कड़ी प्रतियोगिता और

(ii) गोदी में हड़ताल और परिवहन सामग्री आदि की कमी के कारण निगम की गाड़ियों का पूरी तरह उपयोग न किया जाना ।

14 **केन्द्रीय मीन क्षेत्र निगम** :—

कम बिक्री ।

(ग) 93 चालू और प्रोत्साहक उद्यमों को 1971-72 में कुल मिलाकर 19 करोड़ रुपये की हानि हुई । इसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

	(करोड़ रुपये में)
सकल लाभ (कार्यचालन व्यय और मूल्यह्रास के लिए व्यवस्था करने और आस्थगित संचालन व्यय को बट्टेखाते डालने से बाद, परन्तु ब्याज और कर के लिए व्यवस्था करने से पूर्व)	169
ब्याज	147
आयकर	41
युद्धहानि	19

राजस्थान में पर्यटक निगम की स्थापना के लिए योजना

*180. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान में एक पर्यटक निगम की स्थापना के लिए राजस्थान सरकार की योजना को स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा०, कर्ण सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । इस मामले का संबंध केवल राज्य सरकार से है ।

खादी तथा ग्रामोद्योग के बारे में अशोक मेहता समिति की सिफारिश

1601. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री 6 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3383 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी तथा ग्रामोद्योग सम्बन्धी अशोक मेहता समिति की किन सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है ; और

(ख) उस पर अनुवर्ती कार्यवाही क्या की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) (क) और (ख) : अशोक मेहता समिति की सिफारिशों पर सरकारी विनिश्चयों की घोषणा कर दी गई है । देखिए औद्योगिक विकास मंत्रालय का संकल्प सं० 5 (18) 172-के० वी० आई० (1) दिनांक 12 दिसम्बर, 1972 तथा उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है ।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा भेजी गई विशेष रोजगार योजना

1602. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री 6 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3385 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा भेजी गई मोटे सूत तथा कपड़े के उत्पादन के लिये 18 करोड़ रु० की विशेष रोजगार योजना पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मोटे कपड़े (लोक वस्त्र) के उत्पादन के लिये खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की विशिष्ट योजना में 10 करोड़ रु० का परिव्यय अन्तर्ग्रस्त है तथा वह विचाराधीन है ।

मलयेशिया के साथ संयुक्त उपक्रम

1603. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने हाल ही में मलयेशिया के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित किये हैं ; और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) भारत द्वारा मलयेशिया के सहयोग से अब तक स्थापित संयुक्त उपक्रमों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इसके अतिरिक्त अन्य किन क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग सम्भव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) मलयेशिया में औद्योगिक संयुक्त उपक्रमों की स्थिति दर्शाने वाला एक तालिकाबद्ध विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4353/73]**

(ख) हमारे विदेशों में स्थित सभी औद्योगिक संयुक्त उपक्रम, जिनमें मलयेशिया में स्थित उपक्रम भी शामिल है, पर नियंत्रण सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों (प्रतिलिपि संलग्न है) के अनुसार रखा जाता है । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4353/73]**

(ग) जिन क्षेत्रों में भारत तथा मलयेशिया के बीच और अधिक सहयोग सम्भव है वे हैं, चीनी, डिस्टिलरी तथा गन्ने की खोई, कागज, रेडियेटर्स, इंक तथा स्टेशनरी, रबड़ का माल, प्लास्टिक, सैरमिक, स्टील की मदें, साबुन, बिस्कुट, फल डिब्बाबन्दी, होटल प्रबन्ध, कृषि आधारित उद्योग, सिले-सिलाए परिधान आदि ।

पोलैण्ड को मशीन टूल्स का निर्यात

1604. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलैंड ने हिन्दुस्तान मशीन टूल्स को पहले दिये गये क्रयादेशों के अतिरिक्त मशीन टूल्स के लिये और क्रयादेश भेजे हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये क्रयादेश कितने मूल्य के हैं ;

(ग) क्या पोलैंड ने इस सम्बन्ध में तकनीकी व्यक्तियों की सहायता भी मांगी है ; और

(घ) यदि हां, तो मांगी गई सहायता की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसा नहीं लगता कि पोलैंड ने मशीनी औजारों के लिये हिन्दुस्तान मशीन टूल्स को पहले जो क्रयादेश दिये हैं, उनके अलावा कोई नये क्रयादेश दिये हों ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) तथा (घ) : चूंकि ये वाणिज्यिक ब्यौरे हैं, जो दोनों निगमों के बीच तय हुए हैं, अतः ऐसी जानकारी प्रकट करना वांछनीय नहीं होगा ।

जीवन बीमा निगम द्वारा अर्जित शुद्ध आय की राशि

1605. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1970-71 में भारतीय जीवन बीमा निगम को कुल कितनी शुद्ध आय हुई ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : वर्ष 1970-71 के लिए जीवन बीमा निगम के कारोबार के संबंध में भारत के जीवन बीमा निगम की, स्रोत पर कर की कटौती के बाद, शुद्ध आय 394.23 करोड़ रुपये थी ।

मधुशालाएं चलाने के लिए उत्तर प्रदेश को वित्तीय सहायता

1606. **धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये अपनी मधुशालाएं चलाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में केन्द्रीय सरकार का विचार उत्तर प्रदेश को कोई वित्तीय सहायता देने का है ; और यदि हां, तो कितनी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : यह मामला राज्य सरकार के अधिकार-क्षेत्र का विषय है । इस शीर्ष के अंतर्गत कोई वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव नहीं है ।

Construction of Youth Hostels in the Country

1607 **Shri Dharamrao Shara**
Nappa Afzalpurkar

Will the Minister of **Tourism** and **Civil Aviation** be pleased to state :

(a) Whether Government have sanctioned some funds for the construction of youth Hostels in the country ; and

(b) if so, the amount likely to be spent on each Hostel together with the location and likely date of completion thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) (a) Yes, sir.

(b) A statement is attached.

Statement

Sl. No.	Location of Youth Hostel	Amount sanctioned for construction	Likely date of completion
		(Rs. in lakhs)	
1.	Bhopal (M. P.)	2·50	April 1973
2.	Trivandrum (Kerala)	2.85	December 1973
3.	Jaipur (Rajasthan)	3.59 (Revised)	Completed
4.	Madras (Tamil Nadu)	3.50	April 1973
5.	Patni Top (J. & K.)	3·16	September 1973
6.	Nainital (U. P.)	3·47	December 1973
7.	Darjeeling (W. Bengal)	3·45	March 1974
8.	Aurangabad (Maharashtra)	2·96	December 1973
9.	Dalhousie (H. P.)	3.57	July 1973
10.	Hyderabad (A. P.)	3.12	April 1973
11.	Kamlapur (near Hampi, Mysore)	2·73	March 1974
12.	Panaji (Goa)	3.33	December 1973
13.	Puri (Orissa)	3·08	March 1974
14.	Gandhinagar (Ahmedabad)	3.30	April 1973
15.	Amritsar (Punjab)	3.45	March 1974
16.	Panch Kula (Haryana)	3·60	December 1973

जीवन बीमा निगम तथा औद्योगिक वित्त निगम द्वारा बड़े औद्योगिक गृहों को दिया गया ऋण

1609. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971-72 में जीवन बीमा निगम और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा बड़े औद्योगिक गृहों को कुल कितने ऋण दिये गये ;

(ख) क्या उनका विचार बड़े औद्योगिक गृहों को ऋण दिये जाने को रोकने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति जांच समिति की रिपोर्ट के अनुबन्ध II में सूचीबद्ध अधिक बड़े और बड़े औद्योगिक घरानों से सम्बन्धित औद्योगिक कम्पनियों को जीवन बीमा निगम और ओद्योगिक वित्त निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 1971-72 के दौरान मंजूर किये गये ऋणों की कुल रकम इस प्रकार है :—

	लाख रुपयों में मंजूर किये गये ऋण
भारतीय जीवन बीमा निगम	30.00
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	181.00
जोड़	211.00

(ख) और (ग) : जीवन बीमा निगम या औद्योगिक वित्त निगम के पास वित्तीय सहायता के लिए आने वाली किसी परियोजना को अपनी तकनीकी व्यवहार्यता और आर्थिक सक्षमता के बारे में इन संस्थाओं को सन्तुष्ट करना पड़ता है । बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा शुरु की गयी परियोजनाओं को भी अन्य सरकारी अनापत्तियों के अतिरिक्त एकाधिकार और प्रतिबन्धात्मक व्यापार अधिनियम, 1969 के उपबन्धों के अन्तर्गत स्वीकृति लेनी पड़ती है । बड़े औद्योगिक समूह द्वारा शुरू की गयी परियोजनाओं को सहायता मंजूर करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए दोनों संस्थाएं विशेष ध्यान देती हैं कि उद्यमकर्ताओं ने वित्त जुटाने के लिए सभी सम्भव प्रयत्न कर लिए हैं अर्थात जनता के शेयर पूंजी । ऋणपत्र जारी कर लिए हैं और इन संस्थाओं द्वारा दी गयी रकम समूह की किसी अन्य सम्बन्धित कम्पनी में नहीं लगायी जायगी या अन्तर्निगामित क्षेत्र में निवेश के माध्यम से अन्य कम्पनियों पर नियंत्रण नहीं किया जायगा । इन शर्तों पर ये वित्तीय संस्थाएं किसी भी कम्पनी की ऋण की उचित और वास्तविक आवश्यकताएं पूरी करती है ताकि उत्पादन और वितरण के वांछित स्तर को प्रोत्साहन मिले और उसे बनाए रखा जा सके उत्पादक प्रयोजनों के लिए किसी कम्पनी की आवश्यकताओं के लिए सहायता न देने का कोई इरादा नहीं होता चाहे इसका सम्बन्ध किसी वड़े औद्योगिक घराने से हो या न हों ।

गत दो वर्षों में सरकारी होटलों में फर्निशिंग का काम पाने वाली दिल्ली की फर्में

1610. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उन फर्मों के नाम क्या हैं जिनको दिसम्बर 1972 को समाप्त होने वाले दो गत वर्षों में सरकारी होटलों के फर्निशिंग का काम दिया गया था ;

(ख) उन फर्मों का चयन किस ढंग से किया गया था और उनमें से प्रत्येक फर्म द्वारा कितना माल सप्लाई किया गया ;

(ग) क्या इस अवधि में खादी आयोग से भी फर्निशिंग का कोई सामान खरीदा गया था और यदि हां, तो उसकी लागत क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

पर्यटन और सागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी 4354/73]**

(ख) अच्छे (क्वालिटी) कपड़ों का व्यापार करने वाली ख्याति-प्राप्त फर्मों से टेंडर आमंत्रित किए गए थे, तथा सप्लाई किए गए सामान का मूल्य संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) खादी आयोग से कोई सामान नहीं खरीदा गया था क्योंकि आंतरिक सजावट-कर्ताओं द्वारा इसकी सिफारिश नहीं की गयी थी। भारत पर्यटन विकास निगम से सरकारी होटलों की फर्निशिंग तथा सजावट में हाथ-करघा, हस्त-शिल्प तथा कुटीर उद्योग के माल का अधिकतम प्रयोग करने के उपायों तथा साधनों पर विचार करने को कहा गया है।

Appointment of Members of Scheduled Castes/Scheduled Tribes as Probationary Officers in Banks

1611. **Shri M. S. Purti** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to relax the conditions regarding Division in the examinations passed by the members of Scheduled Castes/Scheduled Tribes for appearing in examination for appointment as Probationary Officers in Banks ; and

(b) if so, the broad outlines of the decision ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) and (b) Yes, Sir. In order to improve the representation of Scheduled Castes/Scheduled Tribes in the direct recruitment of probationary officers, Government have advised the public sector banks to relax the qualifications as well as qualifying standards for the candidates from these communities.

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय भत्तों और सरकारी उपक्रमों विषमता

1612. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय भत्तों और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों तथा उनके नियंत्रण में अन्य स्वायत्तशासी निकायों में इन्हीं की श्रेणी के कर्मचारियों को देय भत्तों एवं अन्य परिलब्धियों में विषमता है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) (1) सरकारी तथा अन्य कर्मचारियों को देय मकान किराया भत्ता तथा नगर निवास

प्रतिपूर्ति भत्ता तथा अन्य अनुलाभ उनकी समग्र परिलब्धियों (Wage Structure) का अंग होते हैं और उनके सम्बन्ध में अलग-अलग करके अर्थात् मूल वेतन, महंगाई भत्ता आदि के रूप में विचार नहीं किया जा सकता। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाली परिलब्धियां सामान्यतः, समय-समय पर नियुक्त किये जाने वाले वेतन आयोगों की सिफारिशों पर आधारित होती हैं। सरकारी उपक्रमों तथा अन्य स्वायत्त निकायों के कर्मचारी, वेतन आयोगों की समीक्षा-क्षेत्र में नहीं आते। सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के मामले में परिलब्धियों का नियमन कभी-कभी वेतन बोर्डों के निर्णयों पर आधारित रहता है और ये निर्णय बहुधा ऐसे आधारों पर करने होते हैं जो सरकारी कर्मचारियों के मामले में लागू होने वाले आधारों से भिन्न होते हैं, और उद्योग एवं वाणिज्य में सामान्यतः प्रचलित वाणिज्यिक प्रथाएं भी इनमे शामिल रहती है।

(2) केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में स्थित स्वायत्त निकाय भिन्न-भिन्न वर्ग के हैं, कुछ तो पर्याप्त रूप में सरकारी अनुदानों पर निर्भर करते हैं, परन्तु कुछ अन्य इतने निर्भर नहीं रहते। उनके कर्मचारियों की परिलब्धियां सम्बन्धितप्रबन्ध समितियों द्वारा निश्चित की जाती हैं, जो कई तथ्यों का ध्यान रखती हैं ; जैसे निकाय के साधन, विशिष्ट आवश्यकताएं, सरकार पर निर्भरता, संस्था को प्रकाशित करने वाले नियम-उपनियम के उपबन्ध आदि।

(3) उपर्युक्त स्थिति के कारण एक तरफ केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलने बाले भत्तों और अनुलाभों में और दूसरी तरफ सरकारी उपक्रमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों और अनुलाभों में अंतर है। सच तो यह है कि प्रत्येक की अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है।

भारत में उर्वरक उत्पादन के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से ऋण

1613. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में विश्व बैंक से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था ने भारत में उर्वरक उत्पादन के लिये कोई ऋण मंजूर किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) नंगल उर्वरक विस्तार परियोजना के लिये, 580 लाख डालर के ऋण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के साथ जोकि विश्व बैंक से सम्बद्ध, नरम शर्तों पर उधार देने वाली संस्था है, हाल ही में एक करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं। उक्त परियोजना से यूरिया के रूप में 15,200 टन नाइट्रोजन के उत्पादन की अतिरिक्त वार्षिक क्षमता की व्यवस्था हो जायेगी। इस ऋण से परियोजना की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। यह ऋण 50 वर्षों में चुकाया जाना है, जिसमें 10 वर्ष की रियायती अवधि भी शामिल है ; इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा लेकिन बकाया रकम पर एक प्रतिशत के 3/4 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से सेवा-प्रभार लगेगा।

कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा किया गया व्यापार

1614. **श्री वयालार रवि** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि पुनर्वित निगम ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक कुल कितना व्यापार किया है और गत तीन वर्षों में इसका वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) कृषि पुनर्वित निगम द्वारा राज्यों को पृथक-पृथक कुल कितनी सहायता दी गई ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4355/73]**

(ख) कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा पुनर्वित्त व्यवस्था के रूप में रकमों का भुगतान विभिन्न राज्यों के लिए तैयार की गयी और स्वीकृत बहुत सी योजनाओं पर निर्भर करता है। 31 दिसम्बर 1972 को भुगतानों की स्थिति के सम्बन्ध में राज्यवार विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-4355/73]**

इण्डिया एयरलाइन्स द्वारा 'एवरो' विमान में सुझाये गये परिवर्तन

1615 **श्री वयालार रवि** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने 'एवरो' विमान में कुछ परिवर्तनों का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो उनका सारांश क्या है ; और

(ग) क्या परीक्षण के लिए इस विमान को लन्दन ले जाया गया था और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) मैसर्स एच० ए० एल० कानपुर ने इण्डियन एयरलाइंस को सूचित किया था कि कुछ उत्पादन समस्याओं के कारण उनका आदेशित शेष 7 विमानों के इन्जनों में कतिपय परिवर्तन करने का प्रस्ताव है। चूंकि इससे विमानों की परिचालन अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता था, अत: इण्डियन एयरलाइंस ने कुछ परिमापी परिवर्तनों को एच० ए० एल० की अपनी लागत पर समाविष्ट करने का सुझाव दिया।

(ग) मैसर्स एच० ए० एल० ने अपने निर्माण सहयोगियों के परामर्श से कुछ उत्पादन समस्याओं को हल करने के लिए एक विमान यू० के० भेजा है।

निम्न आय वर्ग के पर्यटकों के लिए नई दिल्ली में सस्ते होटल चलाने का प्रस्ताव

1616. **श्री वयालार रवि** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के अन्य भागों से आने वाले निम्न आय वर्ग के पर्यटकों को नई

दिल्ली में रहने की सुविधाएं प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयों का पता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए नई दिल्ली में कुछ सस्ते होटल चलाने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। नई दिल्ली में होटलों के निर्माण के लिये शीघ्र ही अनेक स्थान आवंटित करने का प्रस्ताव है। इनमें ऐसे होटल भी सम्मिलित होंगे जो कि मध्य और निम्न आय वर्ग पर्यटकों की आवश्यकता-पूर्ति करेंगे।

Black Money Unearthed in West Bengal

1617. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state ;

(a) the amount of black money unearthed in West Bengal during the last two years ; and

(b) The Government's plans to unearth black money ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) As a result of searches conducted by Income-tax Department during the period of two years ending 31st January, 1973, assets of the value of Rs. 100. 72 lakhs were seized.

(b) Besides the various legislative and administrative measures already taken, the powers of search and seizure are increasingly being used ; powers of surprise survey of business premises are being used more frequently and survey of professional assessees intensified. A Special Cell has been set up in the Directorate of Inspection (Investigation) to watch the activities of big business houses. A Bill incorporating some legislative measures on the recommendations of the Wanchoo Committee is also to be introduced shortly.

Seizure of Smuggled Goods in U. P.

1618. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the value in Indian currency of smuggled goods seized in Uttar Pradesh during the last five months ;

(b) the number of persons arrested in this connection ; and

(c) the quantity and value of gold out of the goods seized,

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) The total value of smuggled goods seized in Uttar Pradesh during the last five months (September, 1972 to January, 1973) is Rs. 62 lakhs approximately.

(b) 39 persons were arrested in this connenction.

(c) The goods seized include 2375 grams of Gold valued about Rs. 64,550 at Indian market rate.

Seizure of Smuggled Goods in Bombay

1619. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the value in Indian currency of smuggled goods seized in Bombay during the last five months :

(b) the number of persons arrested in this connection : and

(c) the quantity and the value of gold out of the goods seized there?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K.R. Ganesh) : (a) The value in Indian currency of smuggled goods seized in Bombay during the last five months ending January 73, was Rs. 693 lakhs.

(b) 209 persons were arrested in this connection.

(c) During the period in question 306 Kgs. of gold valued at Rs. 74 lakhs at the Indian market rate was seized.

मौसम नियंत्रण सम्बन्धी खोज

1621. **श्री वी० वी० नायक** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रायः सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों की समस्या हल करने के लिए मौसम नियन्त्रण की सम्भावनाओं का पता लगाया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य में यह खोज सम्भव होगी और यदि हां, तो कब ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) बादलों के कृत्रिम बीजारोपण द्वारा वर्षा में वृद्धि करने की संभावनाओं का अन्वेषण किया जा रहा है ।

चमड़ा और खाल उद्योग के विकास के लिये प्राधिकरण

1622. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चमड़ा और खाल उद्योग का विकास करने के लिये प्राधिकरण की स्थापना करने के लिये पश्चिम बंगाल टैनर्स एण्ड शिपर्स एसोसिएशन ने सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री ((श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार एक चमड़ा निर्यात विकास निगम स्थापित कर रही है जो चमड़े तथा जूतों का निर्यात करने के लिये मार्गीकरण अभिकरण के रूप में कार्य करेगा तथा साथ ही तैयार चमड़ा और चमड़े की वस्तुओं के विनिर्माण हेतु अवस्थापना का सृजन करने के लिये विकासात्मक कार्य भी करेगा ।

चर्म उद्योग का विकास

1623. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य व्यापार निगम को अलग करके न केवल निर्यात व्यापार को सरणीबद्ध करने अपितु सम्पूर्ण चर्म उद्योग को विकास के लिये एक नये प्राधिकरण की स्थापना करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे निर्णय के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में इस मामले पर "टैनर्स" के प्रतिनिधियों से बातचीत की है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बातचीत का क्या परिणाम निकला है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) चमड़ा निर्यात विकास निगम स्थापित करने के लिये एक प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन है। इसके संगठन के ब्यौरों के बारे में अन्तिम निर्णय अभी लिये जाने हैं। प्रस्तावित निगम, अर्ध-साधित खालों तथा चमड़ियों और जूतों के निर्यात करने के लिये मार्गीकरण अभिकरण के रूप में कार्य करेगा और ऐसे विकासात्मक तथा अन्य कार्य करेगा जो कि इस उद्योग का निर्यात निष्पादन बढ़ाने के लिये आवश्यक हो।

(ग) जी हां।

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की नीतियां उन्हें बता दी गई थी और उनके सुझावों पर, मार्गीकृत निर्यातों की व्यवस्था करने के लिये कार्यविधि को अन्तिम रूप देते समय राज्य व्यापार निगम द्वारा ध्यान रखा गया था।

चाय बागान में ग्रामोव्सोन घासपातनाशी दवाई (बीड़ीसाइट) का प्रयोग

1624. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बागानों में मजदूरों के स्थान पर ग्रामोव्सोन घासपातनाशी दवाई के प्रयोग से रोजगार क्षमता में कमी हुई है ;

(ख) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, भारत में चाय बागानों में कुल कितनी मात्रा में ग्रामोव्सोन का प्रयोग किया गया और इस घासपात नाशी दवाई के प्रयोग से कितने व्यक्ति बेरोजगार हुए हैं ; और

(ग) क्या बागान सम्बन्धी अध्ययन दल ने इस समस्या पर विचार किया है और स्थिति में सुधार करने के लिए कोई सुझाव दिये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) तथा (ख) ग्रामोव्सोन या किसी अन्य घासपातनाशी दवाई के प्रयोग से होने वाली बेरोजगारी या रोजगार की सम्भाव्यता में कमी के सम्बन्ध में सरकार को कोई जानकारी नहीं है। पुराना तरीका दरांती के प्रयोग से हाथों से घासपात निकालने का था लेकिन इससे उपलब्ध जनशक्ति का उपयोग पूरी तरह से नहीं हो पाता था। वास्तव में रासायनिक घासपातनाशी दवाइयों के प्रयोग से बागान प्रबन्धकों को अपने श्रमिकों को और अधिक उत्पादक कार्यों में लगाकर लाभ उठाने में सहायता मिलती है।

सरकार द्वारा निर्धारित, नीति के अनुसार 1971-72 से वास्तविक प्रयोक्ता लाइसेंसों के आधार पर ग्रामोव्सोन का आयात बन्द कर दिया गया है। उस वर्ष से पुर्व तीन लाइसेंसिंग अवधियों

के दौरान चाय बोर्ड ने चाय बागानों से प्राप्त निम्नलिखित प्रार्थना-पत्र प्रायोजित किये :

वर्ष	प्रार्थना-पत्र	मात्रा (लीटरों में)
1968-69	353	2,36,729
1969-70	306	1,74,890
1970-71	422	3,17,454

वर्ष 1972 के लिये उद्योग की आवश्यकता 4,12,304 लीटर होने का अनुमान लगाया गया था ।

(ग) जी, नहीं । तथापि 1967 में सरकार द्वारा स्थापित बरुआ समिति ने 1968 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि घासपातनाशी दवाइयां, जो चाय क्षेत्र में घासपात की उत्पत्ति को प्रभावपूर्ण रूप से रोकती हैं, उद्योग को मुक्त रूप से उपलब्ध करायी जानी चाहिए ।

इस्पात उद्योग के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से सहायता

1625. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम्** :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने इस्पात उद्योग के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई० डी० ए०) से सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी और क्या यह संघ इस संबंध में सहायता देने पर राजी हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग) इस्पात सहित विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित, पांचवी आयोजना की परियोजनाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, विदेशी मुद्रा के साधनों को जुटाने के प्रश्न पर भारत सरकार और मित्र देशों तथा विश्व बैंक (जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ भी शामिल हैं) जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बीच विचार-विमर्श हुआ है । यह कहना समय पूर्व होगा कि किन स्रोतों से ये साधन उपलब्ध होंगे और वे किस सीमा तक उपलब्ध किये जायेंगे ।

मैंगनीज अयस्क का निर्यात

1626. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हम प्रति वर्ष कितनी मात्रा में मैंगनीज अयस्क का निर्यात करते हैं ?

(ख) क्या सरकार का ध्यान भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग के भूतपूर्व महानिदेशक द्वारा चण्डीगढ़ में इंडियन साइंस कांग्रेस में दी गई चेतावनी की ओर दिलाया गया है कि यदि भारत ने मैंगनीज अयस्क के निर्यात को निर्बाध रूप से जारी रखा तो इसके घातक परिणाम निकलेंगे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1969-70, 1970-71 तथा 1971-72 के दौरान मैंगनीज अयस्क के निर्यात क्रमशः 11.59 लाख टन, 16.36 लाख टन तथा 10.46 लाख टन थे ।

(ख) तथा (ग) सरकार को स्थिति की जानकारी है तथा उसका अयस्क के मैंगनीज अंश के सन्दर्भ में मैंगनीज अयस्क के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार है ; उच्चतर ग्रेडों पर निम्नतर ग्रेडों के मुकाबले में अधिक प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं ।

Category of Labour in Rayon Factories

1627. **Dr. Laxmi Narayan Pandeya** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state: (a) whether rayon mills come under the category of chemical factories ;

(b) if so, whether the labourers of such mills have been provided with same facilities as are available to the labourers working in the Chemical factories ; and

(c) the locations of such rayon mills in the country?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) Yes, Sir

(b) Yes, Sir.

(c) A statement is attached.

Statement

Lacation of Rayan Mills in the Country

S. No.	Name of the firm	Location
1.	M/s. Juggilal Kamlapati Cotton Spg. & Wvg. Mills, Co. Ltd.	Jaykay Puri, Jajmau, Kanpur
2.	M/s. Kesoram Industries & Cotton Mills Ltd.	Tribeni, Hooghly, West Bengal.
3.	M/s. Delhi Cloth & General Mills Co. Ltd.	Kota, Rajasthan.
4.	M/s. Gwalior Rayan Silk Mfg. (Wvg.) Co. Ltd.	Birlagram, Nagda, M. P.
5.	M/s. Indian Rayon Corporation Ltd.	Verawal, Gujarat State
6.	M/s. Baroda Rayon Corporation Ltd.	Udhna, Surat, Gujarat State.
7.	M/s. Century Spg. & Mfg. Co. Ltd.	Murbad, Kalyan, Maharashtra State.
8.	M/s. National Rayan Corporation Ltd.	Mohone, Kalyan, Maharashtra State.
9.	M/s. South India Viscose Ltd.	Muttupalayam., Coimbatore, Tamil Nadu.
10.	M/s. Travancore Rayons Ltd.	Rayonpuram, Kerala State.

चमड़े के तैयार माल के लिये परिष्करण केन्द्रों की स्थापना

1628. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी विकास के महानिदेशक, डा० सीतारम्मैया की अध्यक्षता में बनी विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की है कि आगामी सात वर्षों में चमड़े की अर्द्ध-परिस्कृत वस्तुओं को क्रमबद्ध आधार पर परिष्कृत वस्तुओं में बदलने के लिये 60 परिष्करण केन्द्र स्थापित किये जायें ;

(ख) क्या इस समिति ने व्याख्या की है कि इस योजना के फलस्वरूप चमड़े के अन्तर्गत होने वाले निर्यात से आय दो गुनी से भी अधिक हो जायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) समिति ने, 1971-72 में हुए निर्यात के आधार पर ई० आई० कमाये हुए तथा क्रोम कमाये हुए चमड़े (अपरिष्कृत) के 25 प्रतिशत मात्रा के रूपान्तरण के लिये 26 एकक स्थापित करने की सिफारिश की है ।

(ख) जी हां । समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया है कि अगर 1971-72 के दौरान निर्यातित अपरिष्कृत चमड़े का 75 प्रतिशत लाभ परिष्कृत चमड़े में बदल दिया जाये तो 1971-72 में चमड़े तथा चमड़े से बनी वस्तुओं के 100 करोड़ रु० के निर्यात के मुकाबले में 90 से 95 करोड़ रु० तक की अतिरिक्त विदेशो मुद्रा की आय होगी ।

(ग) इस समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन किया जा रहा है । इन परिष्करण केन्द्रों की स्थापना के सम्बन्ध में निर्णय, उन उपायों के सन्दर्भ में जो कि तैयार चमड़ा तथा चमड़े की वस्तुओं को बनाने के लिए औद्योगिक अवस्थापना विकसित करने हेतु किये जाते हैं, शीघ्र ही लिया जाएगा ।

भारत में तस्करों की संख्या

1629. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 'स्टार्ड' तस्करों की कोई सूची रखती है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने व्यक्ति उस सूची में हैं ;

(ग) उनके नाम तथा पते क्या हैं ;

(घ) क्या 'स्टार्ड' तस्करों के स्थानों की कोई तलाशियां ली गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो कब और उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सीमाशुल्क प्राधिकारी ऐसे व्यक्तियों की एक सूची रखते है जिन पर ऐसा सन्देह होता है कि वे तस्कर-व्यापार में लगे हैं :

(ख) संख्या एकत्रित की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सदन को सूचित कर दी जायगी ।

(ग) यह विवरण देना लोक हित में नहीं होगा क्योंकि ऐसा करने से संदिग्ध व्यक्ति पहले से सावधान हो जायंगे ।

(घ) जिन व्यक्तियों पर तस्कर-व्यापार करने का सन्देह होता है उनके स्थानों की उस हालत में ही तलाशी ली जाती है जब ऐसी विश्वसनीय सूचना मिलती है कि उन स्थानों में तस्कर-आयात की गई वस्तुएं छिपाई गयी हैं ।

(ङ) पिछले वर्ष की गयी तलाशियों की कुल संख्या तथा जब्त किये गये माल के कुल मूल्य के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

तस्करों के इतिहास और आचरण का रिकार्ड

1630. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमाशुल्क तथा उत्पादन शुल्क अथवा कोई अन्य विभाग तस्करों के इतिहास तथा आचरण का रिकार्ड रखता है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त सूची में ऐसे कितने व्यक्ति हैं और उनके नाम तथा पते क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ऐसे तस्करों की एक सूची, उनके आचरण के रिकार्ड सहित, सभापटल पर रखेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सीमाशुल्क विभाग ऐसे व्यक्तियों की सूची रखता है जिन पर ऐसा सन्देह होता है कि वे तस्कर व्यापार में लगे हैं ।

(ख) तथा (ग) सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या एकत्रित की जा रही है और यथासंभव शीघ्र ही सदन को सूचित की जायगी । किंतु नाम तथा पते देना लोकहित में नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करने से संदिग्ध व्यक्ति पहले से ही सावधान हो जायेंगे ।

मैसूर में बादामी गुफाओं, हालीविड तथा बेल्लूर मंदिरों में तेज रोशनी की व्यवस्था

1631. **श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में सुप्रसिद्ध बादामी गुफाओं, हालीविड तथा बेल्लूर मन्दिरों, श्रवणबेलगोला, कृष्णराजसर में गौमत्तेश्वर की सुप्रसिद्ध मूर्ति, महाराज पैलेस अथवा मैसूर विधान सौध को पर्यटकों के आकर्षण के लिये सुन्दर बनाने और रात्रि के समय उनमें तेज रोशनी की व्यवस्था करने की कोई योजना विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा और केन्द्रीय सरकार ने इस प्रयोजन के लिये कितनी सहायता दी है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : यथासमय बादामी के किले और गुफाओं के, तथा बीजापुर में गोल गुम्बज के चारों ओर के क्षेत्र का सुधार करने और वहां प्राकृतिक दृश्य व्यवस्था के साथ साथ इन स्मारकों के पुंज-प्रकाशन का भी विचार है । प्रारंभ में

1973-74 के दौरान गोल गुंम्बज के पुंज-प्रकाशन का प्रस्ताव है जिसकी लागत का व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाया जायेगा ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा वायदा व्यापार

1632. **श्री डी० पी० जबेजा** . क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम बायदा ब्यापार कर रहा है और वास्तव में उसके पास अनाज न रहते हुए भी वह अनाज बेच रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कृत्रिम वर्षा के लिए किये गये तजुर्बे

1633. **श्री ई० वी० विखे पाटिल** :

श्री बनमाली पटनायक :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृत्रिम वर्षा के लिए अब तक किये गये तजुर्बे का कोई ठोस एवं वैज्ञानिक अनुमान लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा कृत्रिम वर्षण के लिए प्रयोग किये गये हैं जिनसे कुछ ऐसा संकेत हुआ है कि जिन क्षेत्रों में बादलों का कृत्रिम बीजारोपण किया गया वहां उन क्षेत्रों की अपेक्षा थोड़ी अधिक वर्षा हुई जहां कि कृत्रिम बीजारोपण नहीं किया गया था । ऐसे और प्रयोग करने का प्रस्ताव है ।

Resignations Tendered by Winch Operators in Gliding Club, Safdarjang Aerodrome, New Delhi

1634. **Shri M. S. Purty** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether officers of the Gliding Club, Safdarjang Aerodrome, New Delhi had compelled some Winch Operators on 27th August, 1972 to tear old registers pertaining to 1970 and 1971 and to prepare new registers and in protest they tendered their resignations ;

(b) whether no action has been taken on the applications given by Winch Operators along with their resignations to the Director General, Civil Aviation, New Delhi in regard to irregularities allegedly being committed by the officers there ; and

(c) if so, the reasons therefor and the action Government propose to take in the matter ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) & (b). Enquiries have been made in the matter and it appears that one winch operator had resigned of his own free will and had sent his resignation to the club authorities by registered post which was accepted by the Managing Committee of the club in accordance with its normal rules and procedures. The Club is a registered body under the Societies Registration Act (1860).

(c) Does not arise.

Assistance to Small and Large Scale Induotries by Public Financial Institutions

1635. **Shri Onkar Lal Berwa** :
Shri Hari Singh :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the extent of assistance provided to small scale industry by public financial institutions during the last three years, year-wise ; and

(b) the extent of assistance given to large scale industries during the said period ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) and (b). Amongst the all India term-lending financial institutions, the Life Insurance Corporation of India can give assistance only to public limited companies, while the Industrial Finance Corporation of India can give only to limited companies and most of the small-scale units operate in the form of partnership concerns. Unit Trust of India does not give any loans. As the Industrial Development Bank of India refinances loan by other institutions, it does not normally lend direct assistance to such units and the Industrial Develepment Bank of India's assistance to small-scale units is indirect by way of refinance to the lending institutions. The Industrial Credit and Investment Corporation of India, however, gives foreign currency loans to small scale industries. The required information relating to assistance to small scale industries and industries other than small scale by these institutions is given in the attached statement.

Statement Showing Assistance to Small Scale Industries and Other Industries by Public Financial Institutions

(Rs. in crores)

Financial institutions	Year	Small scale	Other than smale scale
1. I. D. B. I.	1969-70	*2.74	†13.87
	1970-71	* 9.06	†24.62
	1971-72	*17.04	†75.77
2. I. C. I. C. I.	1970	0.52	33.49
	1971	0.41	40.09
	1972	0.87	51.49
3. I. F. C.	1969-70	—	22.33
	1970-71	—	37.19
	1971-72	—	32.43
4. L. I. C.	1969-70	—	13.17
	1970-71	—	9.17
	1971-72	—	6.64
5. U. T. I.	1969-70	—	10.12
	1970-71	—	8.97
	1971-72	—	21.01

*By way of refinance only.
†By way of direct assistance.

दिसम्बर, 1972 में नई दिल्ली में हुई कपड़े के सम्बन्ध में गोष्ठी

1636. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 दिसम्बर, 1972 को नई दिल्ली में एक दो दिवसीय गोष्ठी हुई थी जिसमें कपड़ा उद्योग के प्रतिनिधियों और इस व्यापार से सम्बद्ध सरकारी संगठनों ने भाग लिया था ; और

(ख) यदि हां, तो गोष्ठी में किन किन विषयों पर चर्चा की गई थी और क्या क्या निर्णय लिये गये ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (**श्री ए० सी० जार्ज**) : (क) जी हां ।

(ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने 15 व 16 दिसम्बर, 1972 को "टैक्सटाइल्स" पर दो दिवसीय गोष्ठी आयोजित की थी । उद्योग के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित आठ पत्र इस गोष्ठी में पेश किये गये । इनमें निम्नांकित शामिल हैं :

(1) श्री आर० विश्वनाथन द्वारा "रा काटन---प्रोब्लेम्स एण्ड प्रास्पेक्ट्स"

(2) श्री ई० एच० दारूवाला द्वारा "रीसेंट डेवलपमेंट्स इन दी केमिकल फिनिशिंग्स आफ नेचुरल फाइबर्स"

(3) श्री टी० वी० अनंथन द्वारा "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट फार दी टैक्नसाइल मिल इंडस्ट्री"

(4) श्री के० एम० डी० ठकर से द्वारा "काटन टैक्सटाइल्स एक्सपोर्ट्स—पास्ट ट्रेन्डस एण्ड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स"

(5) श्रीमती पुपुल जयकर द्वारा "ए हिस्टोरीकल सर्वे आफ इंडियन टैक्सटाइल्स"

(6) श्री डी० एस० वी० आयर द्वारा "डेव्लैपमेंट आफ हैंडलूम टैक्नालाजी"

(7) श्री ओ० पी० धवन द्वारा "न्यू ट्रैन्डस इन टैक्सटाइल फिनिशेज फार मैन--मेड फाइबर्स"

(8) श्री प्रभु मेहता द्वारा "ग्रोथ आफ इंडियन टैक्सटाइल मशीनरी मैन्यूफैक्चरिंग इंडस्ट्री"

गोष्ठी के प्रमुख सिफारिशें नीचे पुनः उद्धृत की जाती हैं :

(1) गोष्ठी ने निश्चय किया कि एक विशेष वित्तीय निगम के माध्यम से वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए धन की व्यवस्था के निमित्त विधियों, मानदण्डों तथा कार्य के ब्यौरों के सम्बन्ध में सरकार को सिफारिश करने के लिए भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के संयोजन में एक उच्च स्तरीय ग्रुप बनाया जाये जिसमें रुई, क्रत्रिम रेशम तथा ऊनी वस्त्र और टैक्सटाइल मशीनरी विनिर्माताओं के सम्बद्ध क्षेत्रों से सदस्य लिये जाएं ।

(2) गोष्ठी ने विशेषतः टैक्सटाइल मशीनरी, आद्योपान्त परियोजनाओं तथा आस्थगित भुगतान संविदाओं से सम्बन्धित वित्तीय आवश्यकताओं की व्यवस्था करने के लिये भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा हाल में तैयार की गई रिपोर्ट में सुझाए गए सिद्धान्तों पर भारतीय निर्यात बैंक की स्थापना के लिये पुरजोर आग्रह किया ।

(3) गोष्ठी ने अगले 5-10 वर्षों के दौरान उद्योग की कपास सम्बन्धी गुणात्मक तथा परिमाणात्मक आवश्यकताओं का निर्धारण करने के लिये एक अध्ययन करने की आवश्यकता का सुझाव दिया ताकि रुई उत्पादन के सुनियोजित विकास के लिये मजबूत आधार की व्यवस्था की जा सके । गोष्ठी ने आशा प्रकट की कि पांचवी पंचयर्षीय योजना के लिए योजनाएं बनाने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त कृतिक दल उद्योग की समस्याओं पर काफी ध्यान केन्द्रित करायेंगे और उनके क्रियान्वयन के लिए समय बंधित प्राथमिकताएं तैयार करेंगे ।

(4) गोष्ठी ने, क्षेत्र में लगे हुए विभिन्न गवेषणा संस्थाओं के गवेषणा तथा विकास कार्य-कलापों को क्रियाशील बनाने के लिए सरकार तथा उद्योग से आग्रह किया । यह बताया गया कि उद्योग के विकास के लिये निर्णायक रूप में अभिज्ञात की गई परियोजनाओं के लिये सरकार द्वारा सारे धन की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि सरकारी गवेषणा संस्थाओं की वित्तीत स्थिति को सुधारा जा सके । उद्योग तथा व्यापार से सम्बद्ध गवेषणा संस्थाओं का सदस्य बनाने के लिए अपील की गई ।

(5) मिल क्षेत्र के लिये अपेक्षित विभिन्न प्रकार की मशीनरी का निर्धारण करने के लिये परिपेक्ष्य अध्ययन करने का सुझाव दिया गया ।

(6) गोष्ठी ने फर्निशिंग, कुशन कवर तथा परिधानों जैसी उपयोगी मदों के निर्माण पर विशेष जोर देते हुए हथकरघा क्षेत्र में उत्पाद सुधार के सम्बन्ध में सुझाव दिया । इस बात की तत्काल आवश्यकता है कि हथकरघा उद्योग पुराने किस्म के करघों की जगह जैकर्ड करघे, फलाई शटल करघे, बनारस अर्ध.संचालित करघे और चिरंअन करघों जैसे बढ़िया करघे लगाये । यह सुझाव दिया गया कि हथकरघा उत्पादों के बिपणन को सुकर बनाने के लिये, राज्य सरकारों को छूट, जहां भी वह समाप्त कर दी गई है, पुनः चालू कर देनी चाहिये और स्थायी सहायता के रूप में छूट देने पर विचार करना चाहिए ।

सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा चरखों का वितरण

1637. **श्री सी० के० जाफरशरीफ :**

श्री डी० पी० चन्द्रगौडा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने सुखाग्रस्त क्षेत्रों के जरूरतमन्द लोगों को चर्खे (दो तकुए और 6 तकुए वाले) वितरित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हा, तो इस प्रकार अपनी जीविका कमाने में राज्यवार कितने लोगों को सहायता दी गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

रुई की विभिन्न किस्मों के समर्थन मूल्य

1638. **श्री सी० के० जाफरशरीफ** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने 1972-73 के मौसम के लिये रुई की विभिन्न किस्मों के बारे में समर्थन मूल्य नियत करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) तथा (ख) रुई वर्ष 1972-73 के लिये कपास के सम्बन्ध में 320 एफ नामक स्टैंडर्ड किस्म के आधार पर, जिसके लिये कृषि कीमत आयोग ने 142 रुपये प्रति क्विंटल की न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश की थी, न्यूनतम समर्थन कीमतों का हिसाब पहले ही लगा लिया गया है और उनकी घोषणा कर दी गई है । पास की विभिन्न किस्मों के लिये न्यूनतम समर्थन कीमत संलग्न विवरण में दी गई है । **[ग्रन्थालय मे रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-4356/73]**

सरकारी उपक्रमों में उच्च पदों पर अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों की नियुक्ति

1639. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उद्योगों में उच्च पदों पर अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इन उच्च पदों पर अनुसूचित जातियों और पिछड़े जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों की उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) सम्भवत: माननीय सदस्य का इशारा सरकारी उद्यमों के उच्चतम पदों की ओर है जो संघटक एककों के पूर्णकालिक अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक, निदेशक बोर्ड के सदस्यों और महाप्रबन्धकों के पद हैं । इन पदों पर नियुक्तियां किसी व्यक्ति की अर्हताओं, अनुभव और पृष्ठभूमि पर विचार करते हुए पूर्णत : उसकी उपयुक्तता के आधार पर की जाती हैं । इन वर्गों में किसी समुदाय के लिए कोई पद सुरक्षित नहीं रखा जाता है । अंशकालिक अध्यक्षों और निदेशकों के बोर्डों के सदस्यों के मामले में सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग की उन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है जो उन्होंने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर अपनी रिपोर्ट (1968) में की थी कि केवल उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिये जो औद्योगिक वाणिज्यिक या वित्तीय उद्यमों के क्षेत्र में या प्रशासन में या मजदूर संगठनों के क्षेत्र में प्रमाणित योग्यता रखते हों । इस नीति के अनुसार जहां कहीं ऐसे उपयुक्त प्रत्याशी मिले हैं सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों को नियुक्त किया है ।

सरकारी उद्यमों के अन्य पदों के सम्बन्ध में सरकार ने श्रेणी I, II, III और IV से सम्बन्ध रखने वाले पदों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के लिए कोटा सुरक्षित करने के सम्बन्ध में उद्यमों को निदेश जारी कर दिये हैं। सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों से सम्बन्ध रखने वाले अधिकारियों को उपयुक्त प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है ताकि बड़ी जिम्मेदारियां सम्भालने के लिए उन्हें तैयार किया जा सके।

त्रिपुरा में एक पटसन मिल स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिया जाना

1640. **श्री वीरेन दत्त** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में पटसन मिल स्थापित करने के लिए कोई लाइसेंस जारी किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Financial Assistance to Textile Mills for Modernisation

1641. **Shri Hari Singh** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether the modernisation of textile mills is likely to cause retrenchment of the workers ; and

(b) if so, the broad outlines of the scheme for providing alternative jobs to these workers likely to be retrenched ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) By and large, the modernisation programmes of the textile mills, the management of which has been taken over by Government, involve renovation of the existing machinery of the mills. Implementation of the modernisation programme is not expected to lead to ary retrenchments.

(b) Does not arise.

Non-utilision of Capacity in Public Sector Undertakings

1642 **Shri Hari Singh** : Will the Minister **Finance** be pleased to state :

(a) the names of the undertakings in the Public Sector which are not working to their full capacity and the period for which they have been working below their full capacity; and

(b) the percentage of the rated capacity to which each one of them is working ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh : (a)&(b) : A tatement is attached, india indicating the important manufacturing Public Enterprises which operated below their full capacity during 1971-72 and the first three quarters of 1972-73. **[Placed in Library. See No. L. T. 4357/73]** The percentage of capacity utilisation by these enterprises is also indicated in the statement. In a matter like capacity utilisation, it will not be feasible to Indicate the exact point of time from which there was an operational short-fall in the working of the enterprises.

औद्योगिक ऋण प्राप्त करने में बाधाएं

1643 **श्री पीलू मोदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक ऋण के बारे में नौकरशाही की ओर से बाधाएं उपस्थित किये जाने के बारे में विभिन्न स्रोतों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए कोई पहल की है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) से (घ) कुछ पूंजीगत मामलों में, सामान के आयात के हेतु विदेशी मुद्रा के ऋणसहित औद्योगिक ऋण के लिए वित्तीय संस्थाओं को आवेदन पत्र दिये जाते हैं। परियोजना की अर्थक्षमता और उनके क्रियान्वयन से सम्बन्धित सभी तथ्यों की पूरी जांच करने के बाद इन संस्थाओं द्वारा ये ऋण दे दिये जाते हैं। कभी कभी इक्के दुक्के मामलों में देर होने की शिकायतें की गयी हैं। औद्योगिक ऋण सम्बन्धी प्रक्रिया की लगातार समीक्षा की गयी है और औद्योगिक ऋण के लिए आवेदनपत्रों के शीघ्र भुगतान के लिए बहुत से उपाय किये गये हैं जिसमें प्रक्रियाओं को सरल बनाना, अधिकार समर्पण और तकनीकी कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना शामिल है।

मन्त्रालयों द्वारा खादी के कपड़े की खरीद

1644. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ मंत्रालयों और उसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों ने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की वर्दियों के लिए खादी के कपड़े की खरीद बन्द कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इन मंत्रालयों को पुनः खादी के कपड़े प्रयोग करने के लिए मनाने हेंतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मद्रास में आयोजित पेंशनभोगियों के सम्मेलन में दिये गये सुझाव

1645. **डा० कर्ण सिंह** :

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में मद्रास में आयोजित पेंशनभोगियों के सम्मेलन में दिये गए सुझावों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में किस प्रकार के सुझाव दिए है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) एक विवरण-पत्र सदन-पटल पर रखा गया है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4358/73]**

सरकारी उपक्रमों के अध्यक्ष के रूप में तकनीकी व्यक्तियों की नियुक्ति

1646. **श्री शशि भूषण :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे सरकारी उपक्रमों की संख्या और नाम क्या है जिनमें मुख्य पदों के लिए और उपक्रमों का प्रबंध सम्भालने के लिये तकनीकी व्यक्ति नही मिल पाये और इस कारण उनका प्रबन्ध सम्भालने के लिए सरकारी कर्मचारियों को नियुक्त करना पड़ा था ; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या उपक्रमों के कार्य कों सुचारु रूप से चलाने के लिए सरकारी उपक्रमों में अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारियों के स्थान पर तकनीकी व्यक्ति नियुक्त करने के लिए प्रयास करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) शायद माननीय सदस्य का संकेत सरकारी उद्यमों के मुख्य प्रबन्धकों की ओर है । यह कहना उचित नहीं होगा कि सरकारी उद्यमों के मुख्य प्रबन्धकों के पदों पर केवल तकनीकी व्यक्ति ही नियुक्त करने की बात सरकार ने मान ली है । किसी मुख्य प्रबन्धक की अपेक्षित सामान्य प्रबन्धकीय योग्यता बाकी ज्ञान की शाखाओं से अधिक होती है । मुख्य प्रबन्धक पद पर नियुक्तियां सामान्यत: शैक्षक योग्यताओं की उपयुक्त जांच, सेवाअवधि के रिकार्ड और सरकारी क्षेत्र में जीविका के लिए आवेदन करने वालों के निजी साक्षात्कार के बाद इस प्रयोजन के लिए तैयार की गयी नामिका से की जाती हैं । नामिका के लिए चुने गये आवेदकों में, सरकारी (सरकारी उद्यमों सहित) और निजी क्षेत्र के तकनीकी तथा गैर-तकनीकी क्षत्रों से प्राप्त सम्बन्धित योग्यता वाले व्यक्ति शामिल होते हैं । सरकार ने यह फैसला भी किया है कि सरकारी उद्यमों में सरकारी सेवा से प्रतिनियुक्ति पर लिये गये व्यक्तियों पर निर्भरता कम करनी चाहिए और इसी सन्दर्भ में यह फैसला भी लिया गया है कि सरकारी सेवाओं से सरकारी उद्यमो में प्रतिनियुक्ति पर लिए गए व्यक्तियों को या तो उद्यमों में स्थायी रूप से रखे जाने या एक निश्चित अवधि में अपने सरकारी संवर्ग में वापस भेजे जाने का विकल्प देना होगा ।

खान तथा खनिज व्यापार निगम द्वारा बल्गारिया से यूरिया का आयात

1647. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 लाख टन यूरिया के आयात के लिए खान तथा खनिज व्यापार निगम ने

बल्गारिया के साथ हाल ही में समझौता किया है और अदि हां, तो आयात की जाने वाली यूरिया की अनुमानित लागत कितनी है ;

(ख) भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जाएगा अथवा रुपये में ; और

(ग) क्या यूरिया के आयात के लिए विदेशों से निविदाएं आमंत्रित की गई थीं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां। प्राक्कलित लागत 7.5 करोड़ रु० है।

(ख) रुपयों में ।

(ग) व्यापार योजना में निहित उपबन्धों के अन्तर्गत खनिज तथा धातु व्यापार निगम केवल रुपया भुगतान क्षेत्र के देशों से उर्वरक खरीदता है। इसे प्रत्येक देश में केवल एक ही राज्य अभिकरण से सम्पर्क स्थापित करना पड़ता है । खरीदारियों के बारे में अन्तिम निर्णय अतः मन्त्रालय उर्वरक खरीद समिति द्वारा बताये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के भीतर बातचीत करके किया जाता है ।

कोलम्बो योजना में भारत का योगदान

1648. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में भारत ने कोलम्बो योजना के लिए क्या योगदान दिया ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : भारत द्वारा पिछले तीन वर्षों में कोलम्बो आयोजना के सदस्य देशों को आयोजना के अन्तर्गत जो तकनीकी और आर्थिक सहायता दी गयी, वह इस प्रकार है ।

(लाख रुपयों में)

	1969	1970	1971
(I) तकनीकी सहायता	41	38	44
(II) नैपाल को दी गयी आर्थिक और वित्तीय सहायता	1027·5 1969-70	762.2 1970-71	1290·4 अप्रैल 1971-दिसम्बर 1971
(III) भूटान को दी गयी आर्थिक और वित्तीय सहायता	502·8	626·2	490.5

1972 के पूरे आंकड़े अभी इकट्ठे नहीं हुए हैं ।

कर्मचारियों के मजूरी पुनरीक्षण और सेवा शर्तों के बारे में सरकारी उपक्रमों को निदेश

1649. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों के प्रबन्धक वर्ग को निदेश जारी किया गया है जिसमें उन्हें

मजूरी पुनरीक्षण अथवा सेवा शर्तों में सुधार करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय मंत्री मंडल के पूर्वानुमोदन के बिना निर्णय लेने के लिए मना किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे निदेश जारी करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) मुद्रावाहुल्य का दबाव जो 1971 में बढ़ा था, 1972 के दौरान देश के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ आदि के कारण और बढ़ गया। इस संदर्भ में सरकार का ऐसा विचार है कि केन्द्रीय सरकारी औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्यमों में सामान्य मजदूरी के पुनरीक्षण के प्रस्तावों की सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था के संदर्भ में उनकी विस्तृत प्रतिक्रिया को ध्यान के रखकर ही समीक्षा करनी चाहिए। अतः सरकार ने यह निर्णय किया है कि मजदूरी का पुनरीक्षण या इन उद्यमों में सीमान्तिक लाभ में वृद्धि केन्द्रीय सरकार की सलाह से की जानी चाहिए। तथापि सरकार के इस निर्णय से आपस में बातचीत करने पर अथवा आपसी बातचीत के बाद मजदूरी में वृद्धि पर विचार करने पर और जहां उचित समझा जाए वहां उसकी मंजूरी देने पर कोई पाबन्दी नहीं होगी।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम के कार्यालय का उड़ीसा से बिहार ले जाया जाना

1650. **श्री सुरेन्द्र मडन्ती** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने खनिज तथा धातु व्यापार निगम के नालदा स्थित उप-क्षेत्रीय कार्यालय को बिहार में चैबासा में ले जाने संबंधी प्रस्ताव के संबंध में अपना रोष और चिन्ता व्यक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) खनिज तथा धातु व्यापार निगम का नालदा में स्थित अपने कार्यालय को स्थानांतरित करने का कोई विचार नहीं है।

उड़ीसा में अलग केन्द्रीय उत्पादनशुल्क क्लेक्टोरेट

1651. **श्री अर्जुन सेठी** :
श्री सुरेन्द्र महन्ती :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा में अलग केन्द्रीय उत्पदानशुल्क क्लेक्टोरेट स्थापित करने के लिए सरकार ने क्या अन्तिम निर्णय किया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के०आर० गणेश) : मामला अभी भी बिचाराधीन है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों, स्टेट बैंक तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक मंडलों के सदस्य

1652. **श्री त्रिदिव चौधरी :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सरकार द्वारा 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए नामनिर्देशित निदेशक मंडल के उन सदस्यों के नामों की सूची और स्टेट बैंक आफ इण्डिया तथा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के निदेशक मंडलों के सदस्यों और गवर्नरों के नामों की सूची सभा-पटल पर रक्खेंगे जो 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबन्ध से निदेशकों अथवा मुख्य अधिकारी के रूप में सम्बद्ध थे ;

(ख) इन निदेशकों अथवा गर्वनरों में से कितने व्यक्ति इन 14 कम्पनियों के शेष गैर-बैंकिंग कार्य व्यापार के प्रबंध से अब भी सम्बद्ध हैं तथा उनके नाम क्या हैं ; और

(ग) इनमें से कितने निदेशक और गवर्नर गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों अथवा जांयट स्टाक कम्पनियों के साथ सम्बद्ध हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सम्भवत : माननीय सदस्यों के ध्यान में 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड या भारतीय स्टेट बैंक के बोर्ड के उन वर्तमान निदेशकों के नाम हैं जो बैंकों के कारोबार का सरकार द्वारा ले लिये जाने के पूर्व या तो उन 14 बैंकिंग कम्पनियों के निदेशक थे या मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। इस प्रकार के निदेशकों की सूची अनुबंध में दी गयी है। **[ग्रन्थालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी०।-4359/73]**

(ख) जी, नहीं।

(ग) श्री जी० वी० नेवालकर के सिवाय और कोई नहीं।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा अपने हाथ में लिए गए कपड़ा उद्योग से संबंधित विभिन्न कारखानों की वित्तीय स्थिति

1653. **की त्रिदिव चौधरी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा उद्योग से संबंधित विभिन्न कारखानों जिनका प्रबन्ध राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने अब तक अपने हाथ में ले लिया है, के कार्यकरण के वित्तीय परिणामों की तुलना की है ;

(ख) क्या सरकार यह बताने की स्थिति में है कि जिन कारखानों ने लाभ अर्जित करना आरम्भ कर दिया है और उनमें से कितने प्रतिशत नियंत्रित मूल्य वाला कपड़ा बनाते हैं ; और

(ग) क्या इन कारखानों को अपनी पूरी क्षमता के अनुसार नियंत्रित मूल्य वाले कपड़े का उत्पादन करने के लिये लगा देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) उपलब्ध मासिक प्रगति प्रतिवेदनों के अनुसार, जिन 57 मिलों का प्रबन्ध उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम, 1951 के अधीन ग्रहण किया जा चुका है, उनमें से 47 मिलें लाभ देने लगी हैं। एक विवरण संलग्न है जिसमें इन मिलों के नाम दिए गए हैं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०- 4360/73]** दिसम्बर 1972 के अन्त तक सरकारी प्रबन्ध वाली अधिकांश मिश्रित मिलें नियन्त्रित कपड़ा तैयार कर रही थीं।

(ग) जी नहीं।

Increase in Prices of Essential Com mcdities during the last three years

1654. **Shri Hari Singh :**
Dr. Laxminarayan Pandeya :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the month-wise details of the increase in prices of essential commodities of daily use during the last three years ;

(b) the total increase registered in the prices thereof during the said period and the reasons therefor ; and

(c) the action taken in this regard and the results achieved so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) and (b) A statement showing the monthly-wholesale Price Indices of certain essential commodities during the years 1970, 1971 and 1972, as also the percentage increase over this period is attached. **[Placed in Library. See No. LT 4361/73].**

(c) The Government is taking all possible steps towards the maintenance of price stability and policies and measures effecting prices are kept under continuous review. Some of the important steps taken by Government recently in this direction are :

(*i*) putting into operation a crash programme for minimising the damage suffered by Kharif Crops and maximising the output of Rabi Crops ;

(*ii*) import of foodgrains to make up the shortfall in indigenous output following drought conditions in several parts of the country ;

(*iii*) expansion and stepping up of releases of major foodgrains from Government stocks through the public distribution system ;

(*iv*) replacement of wholesalers in most of the States by the Food Corporation of India for supplying levy sugar from the factories to the Fair Price Shops ;

(*v*) import of 1 lakh tonnes of palm/soyabean/rape seed oil and 83,000 tonnes of rape seed ;

(*vi*) withdrawal of distribution of controlled varieties of cotton cloth from normal trade channels and selling the same only through cooperative stores and Fair Price Shops with the exception of a small quantity to be handled by the mills' own shops ;

(*vii*) supply of specified yarn counts at reasonable prices to the decentralzed sector and imposition of statutory control on distribution of indigenously produced viscose staple fire ;

(*viii*) import of substantial quantity of iron and steel to meet the requirements of the actual users ;

(*ix*) further tightening and curbing of speculative activities in items like mahua seed and its oil, gram chilka, cottonseed, copra, coconut oil, sesamum seed and its oil, kardiseed and its oil ;

(*x*) raise in minimum margin from 60% to 75% in respect of bank advances against groundnut to all parties and against stocks of vanaspati to vanaspati manufacturers in the States of Gujarat and Maharashtra ;

(*xi*) change in the fixation of credit ceilings from bank-wise to party-wise for bank advances against foodgrains, oil seeds and vegetable oils including vanaspati :

(*xii*) limitation of availability of bank advances to jute mills to 8 week's requirements of raw jute.

निर्यात उद्योगों को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर कच्चा माल सप्लाई करने के लिए पृथक संगठन की स्थापना

1655. **श्री एम० बी० कृष्णप्पा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात उद्योगों को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर कच्चा माल सप्लाई करने के लिये एक पृथक संगठन स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न किस्मों के कच्चे माल का ब्यौरा क्या है जो उनको सप्लाई करने का विचार है ; और

(ग) प्रस्तावित संगठन की संरचना और उसके कृत्य क्या होंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

दिल्ली में एक शुष्क बन्दरगाह की स्थापना

1656. **श्री एम० बी० कृष्णप्पा** :
श्री कमल मिश्र मधुकर :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच दिल्ली में एक शुष्क बंदरगाह की स्थापना के प्रस्ताव पर कोई निर्णय ले लिया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में कुछ और शुष्क बंदरगाह स्थापित करने का है ; यदि हां, तो यह कहां स्थापित किए जायेंगे और ऐसे बंदरगाहों की स्थापना कब तक की जाएगी ; और

(ग) इन शुष्क बंदरगाहों से क्या लाभ प्राप्त होंगे ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) प्रस्थापना पर शीघ्र ही विनिश्चय किए जाने की आशा है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय रुई निगम द्वारा प्रभावकारी भूमिका निभाना

1657. **श्री एम० बी० कृष्णप्पा** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रुई निगम देश में मूल्यों के घटने-बढ़ते के प्रभाव से किसानों को संरक्षण देने में असफल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) भारतीय रुई निगम को प्रभावकारी और लाभदायक भूमिका निभाने के लिए तैयार करने हेतु, क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

अफ्रीकी देशों को ट्रांस्फार्मर और पावर केबल्स के निर्यात के लिए सर्वेक्षण

1658. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अफ्रीकी देशों को ट्रांस्फार्मर, पावर केबल्स तथा अन्य उपकरणों के निर्यात के बारे के कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला ; और

(ग) वर्ष 1972 में इन सामग्रियों के निर्यात से कितनी आय हुई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) अफ्रीकी देशों को ट्रांस्फार्मरों, बिजली के केबलों आदि के निर्यात के लिए सरकार द्वारा अभी हाल में कोई व्यापक बाजार अध्ययन नहीं किया गया । हां, भारतीय विद्युत विनिर्माताओं के संघ के एक प्रतिनिधिमण्डल ने, जो अभी हाल में कुछ अफ्रीकी देशों में गया था, वहाँ इन मदों की अच्छी सम्भाव्यताओं का संकेत दिया है ।

(ग) वर्ष 1972 के दौरान अफ्रीकी देशों सहित अभी गन्तव्यों को इन मदों के निर्यात मूल्यों का अनुमान इस प्रकार है :—

	(करोड़ रु०)
1. विद्युत ट्रांसफार्मर्स, मोटर्स, स्विचगियर्स, कन्ट्रोल-गियर्स आदि ।	4 57
2. बिजली के तार तथा केबल जिसमें पावर के केबल भी शामिल हैं ।	11.32

भारत में वर्ष 1971 की तुलना में वर्ष 1972 में आये पर्यटकों की कुल संख्या

1659. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने कीकृपा करेंगे कि :

(क) भारत में वर्ष 1971 की तुलना में वर्ष 1972 में आये पर्यटकों की कुल संख्या कितनी है ; और

(ख) क्या भारत-पाकिस्तान युद्ध के उपरान्त इनकी संख्या में वृद्धि हुई है; और यदि हां, तो कितनी वृद्धि हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) वर्ष 1971 में 3,00,995 विदेशी पर्यटकों की तुलना में वर्ष 1972 के दौरान 3,42,950 विदेशी पर्यटक भारत आये ।

(ख) जी, हां । गत वर्ष की अपेक्षा 1972 में पर्यटकों की संख्या में 41,955 अथवा 13.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

मैसूर मे सूखे की स्थिति से निपटने के लिए वित्तीय सहायता की मांग

1660. **श्री डी० पी० चन्द्र गौडा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने केन्द्रीय सरकार से स्पष्ट कह दिया है कि सूखे की स्थिति उनके नियन्त्रण से बाहर है और वह केन्द्रीय सहायता की प्रतीक्षा कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) शायद यह संकेत मैसूर सरकार द्वारा सुखा राहत कार्यों पर व्यय के कारण उत्पन्न विषम अर्थोपाय स्थिति का सामना करने के लिए अग्रिम राशि प्रदान करने की ओर है ।

स्थिति के मूल्यांकन के लिए अधिकारियों के एक अन्य केन्द्रीय दल ने अभी हाल में राज्य का दौरा किया है और अधिक केन्द्रीय सहायता व्यय की स्थिति और केन्द्रीय दल की सिफारिशों के अनुसार ही दी जाएगी ।

विदेशों को निर्यात किए गये भारतीय हथकरघा वस्त्रों की लोकप्रिय किस्में

1661. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय हथकरघा वस्त्र विदेशों में बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे देशों के नाम क्या हैं तथा वहां भारतीय हथकरघा वस्त्रों की कौनसी किस्में लोकप्रिय हैं ; और

(घ) भारत ने गत दो वर्षों में कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की है और चालू वर्ष के दौरान किन देशों से आर्डर प्राप्त हुए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) कुछ देशों में हथकरथा वस्तुओं की स्वीकार्यता बढ़ रही है।

(ख) तथा (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1. प्रमुख देशों के नाम ये हैं :—

(1) यूरोपीय साझा बाजार समूह

(2) नार्डिक देश

(3) पूर्व यूरोपीय देश

(4) सं० रा० अमरीका

(5) कनाडा

(6) पश्चिम अफ्रीकी देश

(7) जापान तथा

(8) आस्ट्रेलिया

2. खास लोकप्रिय किस्में ये हैं :—

(क) कमीजों का सूती हथकरघा कपड़ा

(ख) वर्दी सम्बन्धी माल

(ग) असली मद्रासी रूमाल

(घ) पलंग की चादरें

(ङ) साज सज्जा का सामान

(च) तौलिया तथा तौलिए का कपड़ा

(छ) क्रैप

(ज) सियर सकर तथा

(झ) सिले सिलाए परिधान

3. अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि यह थी :—

1970-71	26.13 करोड़ रु०
1971-72	30.08 करोड़ रु०

4. उन देशों के नाम, जिनसे चालू वित्तीय वर्ष के दौरान क्रयादेश प्राप्त हुये हैं :—

(1) यूरोपीय साझा बाजार समूह

(2) नार्डिक देश

(3) पूर्व यूरोपीय देश

(4) सं० रा० अमरीका

(5) कनाडा

(6) पश्चिम अमरीकी देश

(7) जापान

(8) आस्ट्रेलिया

(9) न्युजीलैंड

(10) फिजी तथा

(11) मारिशस ।

विदेशी कम्पनियों द्वारा अपने-अपने देशों को भेजी गई राशि

1662. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन किन विदेशी कम्पनियों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष 50 लाख रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा अपने अपने देशों को भेजी और इस अवधि के दौरान प्रत्येक फर्म द्वारा कितनी राशि विदेश भेजी गई ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

आयातित अपरिष्कृत काजू के वितरण सम्बन्धी नीति

1663 **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने केरल सरकार के अनुरोध पर आयातित कच्चे काजू की वितरण नीति को पुनरीक्षित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पुनरीक्षित नीति की मुख्य बात क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) मामला विचाराधीन है ।

बंगलादेश से आये शरणार्थियों की राहत के लिए कर से आय

1664. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या डाक तथा राजस्व विभागों के द्वारा बेची गई बंगला देश शरणार्थी सहायता टिकटों से सरकार को अब तक कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : डाक-वस्तुओं पर कर अधिनियम 1971 के अन्तर्गत संग्रह हुए कर का विवरण नीचे दिया गया है —

वर्ष 1971-72 में संग्रह	161.93 लाख रुपये
वर्ष 1972-73 में सितम्बर 1972 तक संग्रह हुआ कर	183.71 लाख रुपये

तमिलनाडु के कलात्मक और सांस्कृतिक मूल्यों को विदेशों में लोकप्रिय बनाने के लिए कार्यवाही

1665. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :**
श्री राम प्रकाश :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 जनवरी, 1967 के समाचार पत्र 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'सेन्टर इग्नोरिंग टी० एन० कल्चर (तमिलनाडु संस्कृति की केन्द्र द्वारा उपेक्षा)' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। पर्यटन विभाग के प्रचार अभियान का उद्देश्य सारे देश के एक संपूर्ण चित्र का प्रभाव उत्पन्न कर भारत को लक्ष्य बना कर आने वाले पर्यटक को प्रोत्साहन प्रदान करना है, एवं हमारा पर्यटन प्रचार साहित्य हमारे वृत्तचित्र प्रदर्शन, विज्ञापन और विदेशों में किया जाने वाला सामान्य प्रचार सभी देश के समस्त क्षेत्रों के, जिनमें तमिल नाडु भी सम्मिलित है, कलात्मक और सांस्कृतिक मूल्यों को पर्याप्त प्रचुरता से प्रदर्शित करते हैं। वस्तुतः गत कुछ वर्षों में संपूर्ण दक्षिण भारत पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

पायलटों के लिए गुलनादिर (हैदराबाद) स्थित सेन्ट्रल फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल द्वारा लाइसेंस जारी करने का मापदंड

1666. **श्री के० लक्कप्पा :**
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पायलटों के लिए नादिरगुल, हैदराबाद स्थित सेन्ट्रल फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल को पायलटों को उड़ान के लिए लाइसेंस जारी करने के कार्य को नियंत्रित करने का अधिकार देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो लाइसेंस जारी करने का मापदंड क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) फ्लाइंग क्लबों से चुने हुये प्रशिक्षणार्थियों के लिये वाणिज्यिक विमानचालक लाइसेंस तक के उच्च प्रशिक्षण की सुविधाओं के लिये नादिरगुल (हैदराबाद) में एक केन्द्रीय उड़ान प्रशिक्षण-शाला स्थापित कर दी गई है।

(ख) विमान कार्मिकों को लाइसेंस, जिनमें वाणिज्यिक विमानचालक लाइसेंस भी शामिल है, जारी करने की अपेक्षायें वायुयान नियम, 1937, की अनुसूची II में दी गई हैं।

अखिल भारतीय आर्थिक सम्मेलन में वित्त आयोग के क्षेत्र में विस्तार करने का प्रस्ताव

1667. **श्री के० लकप्पा :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन दिवसीय अखिल भारतीय आर्थिक सम्मेलन 31 दिसम्बर, 1972 को बौद्ध गया में हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सम्मेलन में वित्त आयोग के क्षेत्र में विस्तार करने की आवश्यकता पर बल दिया गया था ताकि राज्यों को राजस्व के कुल हस्तान्तरण के मुख्य भाग को इसकी सिफारिशों के अन्तर्गत लाया जा सके ; और

(ग) सम्मेलन में अर्थशास्त्रियों द्वारा अन्य किन विषयों पर चर्चा की गई ; और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) माननीय सदस्यों ने जिस सम्मेलन का उल्लेख किया है, वह सम्मेलन सरकार के तत्त्वाधान में नहीं हुआ था। जो कुछ समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है, सरकार के पास उसके अलावा और कोई सूचना नहीं है और न ही उसे कोई सिफारिशें ही प्राप्त हुई हैं।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों के साथ हुई वित्त मंत्री की वार्ता

1668. **श्री के० लकप्पा :**
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों के साथ देश में बैंकिंग की समूची कार्यप्रणाली का निकट से अध्ययन करने के बारे में वार्ता की थी ;

(ख) क्या उन्होंने ग्राहकों को सेवा देने के प्रश्न पर बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ भी वार्ता की थी ; और

(ग) यदि हां, तो इस वार्ता का क्या परिणाम निकला है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों और प्रबन्ध निदेशकों की बैठक में जिन विषयों पर विचार किया गया था और जो निर्णय लिये गये उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-4362/73]**

न्यायाधिकरण और अधिकारी कर्मचारियों की बैठकों का मुख्य उद्देश्य, ग्रामीण क्षेत्रों के बैंकों में कर्मचारियों की सेवाओं में सुधार करने, ग्राहक सेवा में सुधार करने, बैंकों के शोधन गृहों (क्लियरिंग हाउसेस) को निरन्तर बन्द होने से बचाने और ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे किसानों तथा समाज के अन्य उपेक्षित वर्गों के लाभ के लिए शुरू की गयी विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को अच्छा प्रशिक्षण देने के संबंध में उनके सुझाव प्राप्त करना था।

आयकर दाताओं को देर से लौटाई गई धन राशि पर ब्याज का भुगतान

1669. **श्री के० लकप्पा :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय-कर विभाग द्वारा देर से लौटाई गई धनराशि पर आय-कर दाताओं को ब्याज मिलता है ; और

(ख) यदि हां, तो ब्याज की दर क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 243 और 244 में बिलम्बित वापसियों पर ब्याज अदा किये जाने की व्यवस्था है।

(ख) बिलम्बित अदायगियों पर 1 अप्रैल 1972 से 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज देय है। इससे पहले यह दर 9 प्रतिशत थी।

चिथड़ों के आयात का कपड़ा तथा होजरी उद्योग पर प्रभाव

1670. **श्री रामसहाय पांडे :**

श्री ई० वी० बिखे पाटिल :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी मात्रा में चिथड़ों के आयात का देश के कपड़ा तथा होजरी उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का मूल्यांकन क्या है और उसकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी हां। होजरी उद्योग कुछ हद तक प्रभावित हुआ है और आवश्यक उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर टर्मिनल भवन बनाने की योजना

1671. **श्री राम सहाय पांड़े :**
श्री एस० एम० जोज़फ :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर टर्मिनल भवन बनाने की योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) भारत के अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की दिल्ली तथा मद्रास में अन्तर्राष्ट्रीय एवं अन्तर्देशीय दोनों प्रकार के यातायात और बम्बई में अन्तर्राष्ट्रीय यातायात की सेवा करने के लिये नये टर्मिनल भवनों के निर्माण की योजनाएं हैं। इन भवनों के 'मास्टर प्लानों' तथा प्रोग्राम ड्राइंग्स को अन्तिम रूप दिया जा चुका है। दिल्ली तथा बम्बई के लिए 'स्कीमोटिक डिजाइन' तैयार हो चुके हैं और मद्रास के लिये ये तैयार किये जा रहे हैं। कलकत्ता में एक नया अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन 1970 में चालू किया गया था।

विदेशी सहयोग से होटलों के निर्माण के सम्बन्ध में 1972 के दौरान स्वीकृत किए गए प्रस्ताव

1672. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सहयोग से होटलों के निर्माण सम्बन्धी कई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक प्रस्ताव का सार क्या है और भारत तथा विदेशी पार्टियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) कितने प्रस्तावों को 1972 के दौरान अन्तिम रूप दिया गया ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) (क) इस समय विदेशी सहयोग से होटल निर्माण और परिचालन का केवल एक प्रस्ताव पर्यटन विभाग के विचाराधीन है।

(ख) प्रस्तावित सहयोग नार्दर्न इण्डिया होटल्स लि०, नई दिल्ली और हालिडे-इन इन्कार्पोरेटेटड, यू० एस० ए० के बीच आगरा में एक 84 कमरे के होटल परियोजना के बारे में है।

(ग) दो।

1972 में भारत का व्यापार संतुलन

1673. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने वर्ष 1972 में अनुकूल व्यापार संतुलन प्राप्त कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संतुलन की मुख्य बातें क्या हैं तथा वर्ष 1971-72 में कितना निर्यात तथा आयात हुआ है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) आंकड़े निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(करोड़ रु० में)

	आयात	निर्यात	व्यापार संतुलन
1971	1815	1526	—289
1972 (अनन्तिम)	1679	1862	+183

धन-कर के लिए सम्पत्ति का मूल्यांकन

1674. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धन-कर के उद्देश्य से कब्जाधारी मालिकों की सम्मति के मूल्यांकन के लिए सही आधार बनाने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हे ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) ऐसा कोई विशिष्ट प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, इस प्रश्न पर सामान्य रूप से विचार किया जा रहा है।

(ख) यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए कार्यवाही

1675. **श्री के० मालन्ना** :

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक अपराधों से अधिक सख्ती से निपटने के लिए सम्बद्ध अधिनियमों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो संशोधित किए जाने वाले ऐसे अधिनियमों के नाम क्या हैं ; और

(ग) इन अधिनियमों में कब संशोधन किया जाएगा ?

वित्त यन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सीमा शुल्क अधिनियम, स्वर्ण (नियन्त्रण) अधिनियम तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम का संशोधन करने के लिए एक विधेयक लोक सभा में 18 दिसम्बर, 1972 को पेश किया गया है। विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम को बदलने के लिए एक अन्य विधेयक पहले से ही दोनों सदनों की संयुक्त समिति के विचाराधीन है। आयकर अधिनियम, धन कर अधिनियम तथा दानकर अधिनियम का संशोधन करने के लिए एक विधेयक संसद के चालू सत्र में पेश करने का विचार है।

निर्यात किये जाने वाले भारतीय सामान की विमान द्वारा ढुलाई

1676 **श्री ई० आर० कृष्णन् :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान द्वारा ढोये जाने वाले सामान के बारे में कार्यकारी दल ने निर्यात किये जाने वाले भारतीय सामान की विमानों द्वारा अधिक ढुलाई करने के उपायों के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इसके कब तक प्रस्तुत होने की सम्भावना है ;

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) विमान से जाने वाले माल संबंधी कार्यकारी दल की रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया चुका है और उसे प्रस्तुत किया जा रहा है।

कच्चे रेशम की अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त किस्मों का विकास

1677. **श्री ई० आर० कृष्णन्** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त किस्म के कच्चे रेशम के उत्पादन में वृद्धि करने की दृष्टि से खाद्य और कृषि संगठन द्वारा प्रस्तावित परियोजना की मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उक्त परियोजना के क्रियान्वयन को शुरू कर दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) खाद्य तथा कृषि संगठन परियोजना की मुख्य बातें निम्नोक्त हैं :

1. परियोजना चालू होने के पश्चात् पांच वर्ष के अन्त तक उच्च क्वालिटी का प्रति वर्ष 800 मे० टन बाईबोलाइन रेशम का अतिरिक्त उत्पादन करना।

2 विश्व बाजार को कच्चे रेशम के मुख्य पूर्तिकर्त्ता के रूप में जापान के हट जाने पर विश्व के रेशम बाजारों में कमी को पूरा करने हेतु 600 मे० टन बाईकोल्टाइन रेशम का निर्यात करना।

3. निर्यात उत्पादन के लिए उच्च क्वालिटी का कच्चा रेशम उपलब्ध करना ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा अपेक्षित रूप में एक विस्तृत परियोजना तैयार करने के लिए खाद्य तथा कृषि संगठन के विशेषज्ञों के शीघ्र भारत में आने की आशा है ।

रबड़ बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस

1678. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री 22 दिसम्बर, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 580 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस देने के प्रश्न पर इस बीच अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं, और यदि नहीं, तो अन्तिम निर्णय कब तक किया जायेगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) रबड़ बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस देने का प्रश्न अभी भी विचाराधीन है ।

डेबोलिम में नये अन्तर्राष्ट्रीय एयर टर्मिनल पर व्यय

1679. **श्री श्रीकिशन मोदी :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ को जाने वाले पर्यटकों की सहायता के लिए डेबोलिम पर नया अन्तर्राष्ट्रीय एयर टर्मिनल बनाने की योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना व्यय होगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) डेबोलिम हवाई अड्डे पर एक नया टर्मिनल भवन बनाने का प्रस्ताव है जिसमें सीमान्त शुल्क, स्वास्थ्य और आप्रवास के लिये भी व्यवस्था होगी ।

(ख) नई इमारत पर 41 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है ।

केन्द्रीय सरकार के विभागों में समयोपरि भत्तों के रूप में दी गई धन राशि

1681. **श्री भोला मांझी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के विभागों में 1970-71, 1971-72 और 1972-73 में समयोपरि भत्ते के रूप में कितनी धनराशि दी गई ;

(ख) क्या समयोपरि भत्ते के रूप में दी जाने वाली राशि की कोई अधिकतम सीमा नियत की गई है ; और

(ग) क्या इस बात का पता लगाने की कोई प्रणाली है कि प्रत्येक विभाग सख्ती से इस बारे में बनाए गए नियमों का पालन कर रहा है अथवा नहीं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सचिवालय खास के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के कर्मचारियों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

(ख) समयोपरि भत्ता की अधिकतम सीमा, कार्यालयी कर्मचारियों तथा समतुल्य अन्य कर्मचारियों के मामले में मासिक परिलब्धियों के एक तिहाई तक है और वैयक्तिक कर्मचारियों के मामलों में मासिक परिलब्धियों के आधे तक है ।

(ग) नियमों के अनुपालन की जांच, आन्तरिक प्रशासनिक नियन्त्रणों तथा लेखा परीक्षा निरीक्षण द्वारा की जाती है ।

उद्योग विकास और निर्यात प्राधिकरण के बजाय निर्यात विकास निगम की स्थापना

1682. **श्री भोला मांझी** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित चमड़ा उद्योग विकास और निर्यात प्राधिकरण के स्थान पर निर्यात विकास निगम स्थापित करने के सरकारी निर्णय के बारे में चमड़ा व्यापार और उद्योग ने असन्तोष व्यक्त किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) चमड़ा उद्योग विकास तथा निर्यात प्राधिकरण बनाने के लिए इस व्यापार तथा उद्योग में लगे कतिपय वर्ग सरकार को अभ्यावेदन करते रहे हैं । किन्तु सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात्, सरकार का एक चमड़ा विकास निर्यात निगम स्थापित करने का विचार है ।

भारतीय रुई निगम द्वारा रुई की खरीद

1683. **श्री भोला मांझी** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूई उत्पादकों को रुई की मन्दी का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या 1971-72 में उत्पादित फालतू रुई को खरीदने में भारतीय रुई निगम की हिच-किचाहट के कारण स्थिति और बिगड़ गई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सारी फालतू रुई को खरीदने के लिए भारतीय रुई निगम को निदेश देने का है ताकि उत्पादकों के लिये उचित मूल्य सुनिश्चित किया जा सके ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) बिजली की कटौतियों के कारण वस्त्र मिलों द्वारा रुई की मांग में कमी के कारण रुई बाजार में थोड़ी बहुत मन्दी चल रही है। तथापि, बाजार कीमतें, न्यूनतम संवर्धन स्तर से कहीं अधिक उच्च स्तर पर हैं । अपने वाणिज्यिक

अनुमान के अनुसार भारतीय रुई निगम चालू रूई वर्ष में रुई की खरीदारी करता रहा है और उसने अब तक लगभग 3.2 लाख गांठों के बराबर सिट रुई खरीदी हैं। पिछले रुई वर्ष में भारतीय रुई नगम ने लगभग 5.15 लाख गांठें खरीदी थीं। भारतीय रुई निगम को सभी अधिशेष रुई खरीदने के लिए निदेश देने की इस समय कोई प्रस्थापना नहीं है और न ही ऐसा करना आवश्यक समझा जाता है। तथापि भारती रुई निगम के लिए अपेक्षित वित्त व्यवस्था करने की प्रस्थापना है ताकि वह देशी रुई सम्बन्धी अपने वाणिज्यिक अनुमानों के अनुसार अधिक प्रभावशाली रूप से व्यापार कार्य कर सके।

बंगलौर नगर में आवास की कमी को दूर करने के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा दी गई सहायता

1684. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास की कमी को दूर करने के लिए जीवन बीमा निगम की योजना बंगलौर में क्रियान्वित की जा रही है।

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत किस प्रकार के भवन बनाए जाएंगें और मकानों तथा फ्लैटों के पहले लाट के कब तक तैयार हो लाने की आशा है ; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत कितना व्यय किया जाएगा ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां। जीवन बीमां निगम ने बंगलौर में कोई 2500 फ्लैट बनाने का निर्णय किया है जो किराया-खरीद आधार पर पालिसी धारकों को बेचे जांयगे।

(ख) विभिन्न प्रकार के फ्लैटों और फर्शी क्षेत्रों का विवरण नीचे लिखे अनुसार है :–

"ए" टाइप : तीन मंजिले भवन में 45 वर्गमीटर से 63 वर्ग मीटर तक का प्रत्येक फ्लैट।

"बी" टाइप 135 वर्ग मीटर

"सी" टाइप 80 वर्ग मीटर

"डी" टाइप 61 वर्ग मीटर

"ई" टाइप दो मंजिले भवनों में 16 वर्ग मीटर से 26 वर्ग मीटर तक का प्रत्येक फ्लैट। विभिन्न प्रकार के 791 फ्लैटों का प्रथम समूह दो वर्ष में पूरा होने की आशा है।

(ग) सम्पूर्ण परियोजना की अनुमानित लागत कोई 8 करोड़ रुपये होगी।

तूफान की चेतावनी देने वाले रेडार केन्द्रों वाले पत्तनों के नाम

1685. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन पत्तनों में तूफान की चेतावनी देने वाले रेडार केन्द्र लगाए गए हैं ; और

(ख) 1973 के दौरान किन किन केन्द्रों को ये सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) विशाखापत्तनम् और मद्रास में।

(ख) कलकत्ता और पारादीप में।

ठक्कर समिति द्वारा की गई सिफारिशों की क्रियान्विति

1686. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1966 में गठित ठक्कर समिति द्वारा की गई सिफारिशों को किसी भी **राष्ट्रीय**-कृत बैंक ने क्रियान्वित नहीं किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए योजनाएं बनाने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक ठक्कर समिति की रिपोर्ट में दिये गये मुख्य विचारों और मार्ग-दर्शी सिद्धन्तों से प्रेरेणा लेते रहे हैं।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

चिथड़ा कांड के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

1687. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** :
श्री एस० ए० गुरुगनन्तम :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिथड़ा कांड के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस बीच अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो जांच-प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Position of Indian Tea in Foreign Market

1688. **Shri Ishwar Chaudhry :**
Shri Bishwanarayan Shastri :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Indian tea it facing heavy competition in the foreign countries ; and

(b) if so, the efforts being made by Government to face this competition and to boost the tea trade in foreign market ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) Indian tea is facing growing competition from other tea producing countries exporting to foreign countries.

(b) In order to boost tea trade in foreign countries Government have **inter alia** taken the following measures :

(1) Abolition of export duty on tea with effect from 1st March, 1970 ;

(2) Rebate of excise duty at the point of export varying with price with effect from 15th April, 1970 ;

(3) Promotional activities by the Tea Board's offices established in London, New York, Brussels, Cairo and Sydney to create greater possibility for export of Indian tea to various traditional and new markets ;

(4) Promotion of special packs of Indian tea in selected markets abroad with the cooperation of the local blenders/packers ;

(5) Advertisement through appropriate media of publicity in countries abroad ;

(6) Participation in Trade Fairs and exhibitions ;

(7) Exchange visits of traders and experts to promote the interest of tea ;

(8) Setting up of a Tea Trading Corporation in the Public Sector for export of packeted and blended teas ; and

(9) Participation in Generic Promotion along with other tea producing countries and local tea trade in importing countries to increase consumption of Tea as a bevarage **vis-a-vis** other soft drinks.

Benefits Derived by India from Asia 1972 Trade Fair

1689. **Shri Ishwar Chaudhry :**
Shri Jyotirmoy Bosu :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state the benefits derived by India from the Asia 1972 Trade Fair ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : Asia '72 was hosted by the Government of India under the auspices of ECAFE. This is the third in the series of Asian Fairs—the first two having been held in Tehran and in Bangkok. Asian fairs are a triennial institution.

India hosted the fair during the 25th year of its independence. A trade fair-cum-exhibition approach was, therefore, adopted. The fair helped to project the range, depth, diversity and sophistication of Indian industries achieved over a period of 25 years. The fair enabled India to project its industrial image in an international forum. A number of high level delegations consisting of Ministers of Foreign Trade and the high ranking officials and businessmen of a number of participating countries who visited the fair went back carrying excellent impressions of India's industrial capabilities. This, in fact, is the greatest benefit India has derived by hosting Asia '72. In terms of actual trade, India booked export orders to the tune of Rs. 3081.27 lakhs and concluded import deals worth Rs. 2639.63 lakhs. A number of enquiries received by the participants are still being processed.

As one of the leading industrial countries of the world with substantial interest in international commerce, from export as well as import point of view, India, to project its industrial capabilities periodically, has developed trade fair site which could become a centre for international buying and selling. The development of the Pragati Maidan in New Delhi as a permanent fair site with a permanent complex is a leading contribution of Asia '72.

Popularity of Leather Clothes in Foreign Countries

1690. **Shri Ishwar Chaudhry :**
Shri Dharamrao Sharnappa Afzalpurkar :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether some types of leather clothes made in India are becoming popular in some foreign countries ;

(b) if so, the names of those countries and the amount of foreign exchange earned by Government from their export during 1972 and the names of countries from which orders have been received during the year ; and

(c) the special measures being taken by Government to develop the export of the item ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) and (b) Leather garments are becoming popular in several countries of world and India has exported this leather to the following countries :

Australia, Austria, Canada, Czechoslovakia. France, Germany, Hong Kong, Japan, Kenya, Saudi Arabia, Singapore, Switzerland, Trinidad, Uganda, U. K., U. S. A., Zambia, Bahrein, Belgium, Burma, Ceylon, Fiji Is., Malaysia, Netherlands, Qatar, Seychelles, Siera Leono, Sudan, Sweden, Tanzania, Vergin Is., and Yugoslavia.

Foreign exchange as shown below was earned during 1972 :

January—August 1972	**September—December, 1972**
Rs. 4,.3,053	Rs. 40,000/- (estimated)

The names of the countries from which specifie orders have been received by individual exporters during 1972 are not known.

(c) Government are encouraging the development of leather finishing industry in the country, and production and export of garment leather is expected to increase.

Decision for Foreign Collaboration in Export Trade

1691. **Shri Ishwar Chaudhry :**
Shri M. S. Purty :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether certain specific decisions have been taken by Government for foreign collaboration in export trade ; and

(b) if so. the broad outlines thereof and the extent to which the exports are likely to increase as a result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) (a) and (b) The general policy of the Government is not to allow foreign collaboration in pure trading activity. This policy may, however, be relaxed where such collaboration is exclusively aimed at augmenting export sales, particularly of non-traditional products. It is not possible to envisage the likely increase in export by providing for such relaxation.

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा छोटे और मध्यम दर्जे के किसानों को दिया गया ऋण

1692. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक आफ इंडिया के अतिरिक्त 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों ने छोटे और मध्यम दर्जे के

किसानों को वर्ष 1969, 1970 और 1971 में कितना ऋण दिया तथा यह कुल ऋण का कितने प्रतिशत है ;

(ख) प्रत्येक वर्ष में कितने प्रतिशत और कितने रुपये की वसूली हुई ; और

(ग) भविष्य की योजना क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) सांख्यकीय आंकड़े, जिस रूप में मांगे गये हैं, राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा तैयार नहीं किये जाते हैं। फिर भी. कृषकों को, उनके जोत के आकार के अनुसार दिये गये ऋणों की राशि का ब्योरा प्राप्त करने के प्रबन्ध किये जा रहे हैं।

(ख) जून, 1971 के अन्त तक उपलब्ध सूचना के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों ने उस तारीख को 30.26 करोड़ रुपये अर्थात् मांग का 58 प्रतिशत वसूल कर लिया था।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंकों को मार्ग-दर्शी सिद्धान्त दिये हैं जिसमें इस बात पर बल दिया गया है कि उन्हें कृषकों को ऋण देने में कृषि की उत्पादन संबंधी आवश्यकताओं और प्रस्ताव की व्यवहार्यता का मापदण्ड अपनाया जाना चाहिए। बैंक अब सब छोटे और माध्यम श्रेणी के किसानों सहित सक्षम और सम्भाव्य रूप से सक्षम किसानों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रचुर वित्त-व्यवस्था करने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य-क्रम तैयार कर रहे हैं।

भारत में बंगला देश के करेंसी नोटों का मुद्रण

1693. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश के करेंसी नोटों का मुद्रण भारत में हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस कार्य के लिए क्या शर्तें तय हुई हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) इस समय बंगला देश के कोई करेंसी नोट भारत में नहीं छापे जा रहे। परन्तु, बंगला देश के तुरन्त अनुरोध पर फरवरी से अगस्त, 1972 तक की अवधि में 421.60 करोड़ टका के मूल्य के करेंसी नोट इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक में छापे गये थे और वे सारे नोट अगस्त, 1972 के अन्त तक बंगला देश सरकार को दे दिए गये थे। बंगला देश के करेंसी नोटों की छपाई की सारी लागत, आवश्यक सामान खरीदने के लिए बंगला देश की सरकार को दिये गये 32 करोड़ रुपये के वस्तु-अनुदान से पूरी कर ली जायगी।

जूट विधेयक गोष्ठी

1694. **श्री बी० के० दासचौधरी** :

श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी 1973 में दिल्ली में कोई जूट जयन्ती गोष्ठी हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो चर्चा किए गये विवादों की मोटी बातें क्या हैं और गोष्ठी में क्या निर्णय लिया गया ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां, जूट फेब्रिक्स शिपर्स एसोसिएशन, कलकत्ता द्वारा गोष्ठी की गई ।

(ख) इस गोष्ठी में भारत से पटसन माल के निर्यातों तथा ऐसे निर्यातों के सामने आने वाली कठिनाइयों से संबंधित सभी मामलों पर विचार विमर्श किया गया । आयोजकों से इस गोष्ठी पर विस्तृत रिपोर्ट के प्राप्त होने की प्रतीक्षा की जा रही है ।

Names of Cities in Madhya Pradesh for which Air Servicess have been Demanded

1695. **Dr. Laxminarain Pandeya** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the names of the cities in Madhya Pradesh for which air services have been demanded ; and

(b) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Suggestions have been received for providing airlinks to Jabalpur and Kanha National Park in Madhya Pradesh.

(b) Indian Airlines will consider these during the Fifth Plan taking into account the traffic potential, the availability of aircraft and the cost of developing Airport facilities.

Export of Chillies, Onions, Garlic and Bananas

1696. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Ceylon, Japan, Burma and Russia import chillies, onions, garlic and bananas in large quantity :

(b) the steps taken by Government in order to increase exports thereof during the last two years ; and

(c) the annual amount of foreign exchange earned therefrom during the last two years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) There are no large exports of chillies, onions, bananas and garlic to USSR, Burma and Japan. Ceylon used to be a traditional market for Indian chillies and onions but, due to its foreign exchange difficulties and increasing self-sufficiency in the production, has severely restricted imports of these commodities. Ceylon does not import bananas from India but is a major market for our exports of garlic.

(b) (*i*) For increasing export of spices in general including chillies and garlic, the Spices Export Promotion Council takes a number of measures like sponsoring of Sales-cum-study teams abroad, issue of publications, advertisements, participation in Fairs/Exhibitions etc. ;

(*ii*) Measures are taken by Ministry of Agriculture to increase production of chillies, onions and garlic and increasing the yield per hectare so that additional exportable surpluses can be produced at internationally competitive prices ;

(*iii*) For bananas, a Central Sponsored Scheme has been approved by Government for production of exportable variety of bananas.

(c) Annual foreign exchange earned from export of these commodities to all destinations during 1970-71 and 1971-72 has been as follows :

		Exports Rs. in lakhs	
S. No.	**Commodity**	**1970-71**	**1971-72**
1.	Chillies	108.66	192.22
2.	Garlic	27.82	23.10
3.	Onions	620.63	227.56
4.	Bananas	37.46	17.17
	Total :	794.57	460.05

ऊन उद्योग में कच्चे माल की कमी

1697. **श्री कमल मिश्र मधुकर** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे माल की कमी के कारण ऊन उद्योग संकट का सामना कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग को कच्चा माल सप्लाई करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां। कच्चे माल की कमी के बारे में ऊनी वस्त्र उद्योग से शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) वर्तमान कमी, मुख्यत: विदेशी बाजारों में कच्ची ऊन के मूल्यों में असमान्य वृद्धि होने के कारण पैदा हुई है, जिसके फलस्वरूप ऊन की वह मात्रा, जो इस उद्योग के लिए उपलब्ध की गई विदेशी मुद्रा की अधिकतम सीमा के अन्दर आयात की जा सकती है, काफी घट गई है। विदेशी मुद्रा की गठित स्थिति को ध्यान में रखते हुए जहां तक आयतित कच्ची ऊन का संबंध है सरकार के लिए अधिक मदद कर पाना संभव नहीं है। उद्योग को कच्चे माल की उपलब्धि के संबंध में स्थिति को सुधारने हेतु जो अन्य उपाय किए जा रहे हैं. निम्नोक्त प्रकार हैं :

(1) उद्योग को ऊन के आयात के लिए अपने वास्तविक प्रयोक्ता आवंटन के 40 प्रतिशत तक एक्रिलिक रेशे का आयात करने क विकल्प दिया जा रहा है।

(2) चिथड़ों के रूप में पहले योग्य परिधानों का जो आयात किया जा रहा है, उनके आयात की संभाव्यता को समाप्त करने के लिए एक योजना बनाई जा रही है। जहां कहीं कानून का उल्लंघन अन्तर्ग्रस्त न हो, वहां रद्द किये गये परिधानों के रोके गये पारेषणों की परिधानों को काटने-फाड़ने के पश्चात् छोड़ने का भी विनिश्चय किया गया है।

(3) भारत से स्वदेशी कच्ची ऊन के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के उपायों पर भी विचार किया जा रहा है।

Decision on holding International Trade Fair in Delhi every yera

1698. **Shir Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Central Government have tankn any decision to hold International Trade Fair in Deehi evely year ;

(b) whether other countries have also been contacted in this regard ; and

(c) if so, the outcome thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) The proposal of holding International Trade Fair in Delhi every year is under active consideration.

(b) and (c) Do not arise at present.

Procedure for Advancing Loans By Nationalised Banks on Concessional rate of Interest to Poor and Weaker Sections of Society

1700. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Finance** be pleased to State.

(a) Whether the procedure for advancing loans by Nationalised banks on concessional rates of interest to the people belonging to the poor and weaker sections of the society has been simplified ; and

(b) if so, the nature of simplification in the procedure made ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) & (b) In the light of the Operation of the Differential Interest Rate Scheme in its pilot stage, certain modifications are being made in the Scheme. These relate to: —

(i) Widening of the area where the scheme is to be operated.

(ii) Enlarging the eligibility criteria expressed in term of annual family income ; and

(iii) Liberalisation in regard to the maximum amounts that can be given under the scheme as working capital and as term loan.

Proposal to Develop Andaman and Nicobar Islands as Tourist Centres

1701. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) Whether Government have under consideration any proposal to develop Andaman and Nicobar Islands as tourist centres and if so, the main features thereof ; and

(b) Whether some funds are proposed to be earmarked for the purpose during the Fifth plan and if so, the amount thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) (a) Government are aware of the tourist potential of the Andaman and Nicobar Islands, but in view of the existing restrictions on tourist traffic to these places it has not been possible to develop any sizeable facilities there.

(b) The Fifth Plan schemes are under formulation.The development of the tourist potential of these Islands would be possible only when these restrictions are removed and better communications facilities to the Islands can also be provided.

Amount given to States for Development of Tourism during the last three years

1702. **Shri Atal Bihari Vajpayee**
Shri Ishwar Chaudhry

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) The amounts given by the Central Government to the States for the development of tourism during the last three years-year wise ;

(b) The names of the places in the said States for which development schemes are under consideration of Government ; and

(c) The criteria laid down for selection of these places ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) (a) With the discontinuance of part II schemes no financial assistance is being given to the States for tourism schemes during the Fourth plan. A statement of the amounts given for spill-over schemes during the last 3 years is attached.

(b) During the Fourth plan, places where tourism schemes are being taken up in the Centrol Sector are : Ajanta, Ellora, Elephanta, Aurangabad, Bombay in Maharashtra; Gir, Nalsarovar, Gandhinagar, Porbandar in Gujarat; Patna, Bodhgaya, Rajgir and Nalanda in Bihar; Madras, Rameshwaram and Mahabalipuram in Tamil Nadu ; and Hampi, Bandipur, Dandeli in Mysore.

(c) Tourism schemes are drawn up and implemented by the Central Government having regard to the actual or potential attraction of a place for tourists.

STATMENT

Name of scheme	Amount given (Rs. in Lakhs)		
	1969-70	1970-71	1971-72
Part I continuing schemes Elephanta (Maharashtra)	1.12	—	—
Expansion of Tourist Bungalow at Aurangabad (Maharashtra)	0.009	—	—
Construction of a Tourist Bungalow and cafeteria and dormitory at Wardha (Maharashtra)	0.414	—	—
Construction of tourist Bungalow at Sabarmati Ashram, Ahmedabad (Gujarat)	—	1.37	—
Construction of an aerial ropeway and Chairlift at Rajgir (Bihar)	1.24	—	—
Construction of a Tourist Bungalow at Kanya Kumari (Tamil Nadu)	1.16	—	—
Construction of a Tourist Bungalow at Tiruchendur (Tamil Nadu)	0.183	—	—
Provision of a canteen at Somnathpur (Mysore)	0.06	—	—
Provision ot water supply at Elephanta (Maharashtra)	—	0.04	0.13
Provision of watar supply at Aihole (Mysore)	—	0.16	—
	Total : 4.186	1·57	0·13

इन्टरनेशनल एयरलाइन्स द्वारा कलकत्ता हवाई अड्डे से आरंभ की गई विमान सेवाएं

1703. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी :**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता हवाई अड्डे से नवम्बर 1972 से कितनी अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों ने अपनी उड़ाने शुरू की है तथा उनके नाम क्या है ; और

(ख) क्या उनका मंत्रालय कलकत्ता-बंगाल देश, कलकत्ता-रंगून, कलकत्ता-सिंगापुर, कलकत्ता पैरिस आदि नए मार्गों पर एयर इण्डिया की और उड़ानों सम्बन्धी किसी नए प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) नवम्बर, 1972, से किसी नई विदेशी विमान कम्पनी ने कलकत्ता होते हुये अपनी सेवा प्रारंभ नहीं की किन्तु 2 नवम्बर, 1972 से एयर-इण्यिया ने कलकत्ता से प्रारंभ में समाप्त होने वाली अपनी एक अतिरिक्त सेवा प्रारंभ की जो **पश्चिम-दिशा** में कलकत्ता-बम्बई-काहिरा-जनेवा-पैरिस-लंदन तथा **पूर्व-दिशा** में लंदन-जनेवा-रोम-काहिरा-कलकत्ता मार्ग पर परिचालित होती हैं । इसमें यात्रियों को लंदन के रास्ते न्यूयार्क को/से संयोजी सेवाओं को सुविधा भी प्राप्त है ।

कलकत्ता-ढाका और कलकत्ता-रंगून मार्गों पर पहले से ही इण्डियन एयरलाइन्स की यथेष्ट व्यवस्था है ।

एयर-इण्डिया की पूर्वी सेवा कलकत्ता को बैंकाक, हांगकांग, टोकियों और ओसाका से जोड़ती है । सिंगापुर एयर-इण्डिया की मद्रास सेवा से जुड़ा हुआ है । एयर-इण्यिा की कलकत्ता से साप्ताहिक सेवा पहले से ही पैरिस के लिए जोड़ प्रदान करती है ।

25 लाख रुपये से अधिक धनराशि के लेखों का हस्तान्तरण करने के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया निदेश

1704. **श्री जमुना प्रसाद मंडल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्यक बैंकों को निदेश दिया है कि वे उससे पूर्व अनुमोदन के बिना 25 लाख रुपये से अधिक धनराशि के लेखों का हस्तान्तरण स्वीकार न करें ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा निदेश देने का औचित्य क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बीच अस्वस्थ प्रतियोगिता रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने यह निदेश जारी किया था ।

खर्च की अधिकतम सीमा निर्धारित करना

1705. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खर्च की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस बारे में संसद् में एक विधेयक प्रस्तुत करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

एशिया, 72 में कला प्रदर्शनी में आई प्रविष्टयों की संख्या

1706. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशिया' 72 में कला प्रदर्शनी में कितनी कला वस्तुएं प्राप्त हुई ;

(ख) क्या सरकार को इस शिकायत की जानकारी है कि प्रदर्शनी में कला वस्तुओं को खुले में और असुरक्षित रूप में रखा गया था और उन्हें उठाने रखने का काम अप्रशिक्षित मजदूरों द्वारा किया गया था ;

(ग) कला वस्तुओं को हुई क्षति के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाही की गई है ; और

(घ) कलाकारों को कितना मुआवजा दिया गया और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 'स्वतंत्रता' के विषय पर एशियाई मेला प्राधिकारियों द्वारा चित्रकला, मूर्तिकला, छायाचित्र, चलचित्र तथा मधुर संगीत की पांच राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित की की गई थीं । इन प्रतियोगिताओं के लिए 724 प्रविष्टियां प्राप्त हूई थीं । सर्वोत्तम चित्रकारिता का चयन करने के लिए नियुक्त जूरी ने किसी भी प्रविष्टि को प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने के उपयुक्त नहीं समझा ।

(ख) चित्रों की उचित ढंग से देखभाल की गई थी और वे संबद्ध कलाकारों को सावधानी पूर्वक लौटा दिये गये थे । हानि के संबंध में किसी ने भी शिकायत नहीं की है और न किसी ने किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति की ही मांग की है । तथापि, मेला प्राधिकारियों ने कुछ समाचार पत्रों में चित्र-कारिता प्रतियोगिता में आई प्रविष्टियों के संबंध में कम सावधानी बरते जाने के बारे में पढ़ा है । इस संबंध में की गई जांच पड़ताल से पता चला है कि ये निराधार हैं ।

(ग) तथा (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

एयर इण्डिया की विदेशों में अपनी इमारतें बनाने के बारे में प्रस्ताव

1707. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया की विदेशों में कई अपनी इमारतें हैं ;

(ख) यदि हां, तो कहां ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या एयर इण्डिया का विदेशों में अपनी इमारतें बनाने के बारे में कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो क्या इस कार्य के लिए धनराशि नियत कर दी गई है तथा ये इमारतें उपयोग के लिए कब तक तैयार हो जाएंगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) तथा (ख) फिलहाल एयर इण्डिया के पास प्रशासनिक तथा बुकिंग कार्यालयों के लिए विदेशों में कोई अपना भवन नहीं है। किन्तु अदन, काहिरा तथा लंदन में इंजीनियरी सुबिधाओं, स्टोर तथा सामान के लिए उनके अपने कुछ निर्मित स्थान हैं। निम्नलिखित स्टेशनों पर क्षेत्रीय प्रबन्धकों, प्रबन्धकों एवं सहायक प्रबन्धकों के वर्गों के अपने वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए भी एयर इण्डिया के अपने कुछ आवासीय परिसर हैं :—

1. हांगकांग
2. लंदन
3. नेरोबी
4. पेरिस
5. पर्थ
6. सिडनी
7. सुवा
8. टोकियो

(ग) एयर इण्डिया ने हाल ही में सिंगापुर में प्रशासनिक तथा बुकिंग कार्यालयों के एक निर्माणाधीन भवन में स्थान की खरीद के लिये एक करार किया है तथा इस प्रयोजन के लिए वर्ष 1973-74 के पूंजीगत व्यय बजट में 18.40 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। बुकिंग कार्यालय का स्थान उपयोग के लिये अप्रैल 1973 तक तैयार हो जाने की आशा है तथा शेष भाग 1973 के अन्त तक।

लंदन के स्टोर्स तथा केटरिंग भवन में एक अतिरिक्त मंजिल निर्माणाधीन है तथा 1973-74 में पूरी हो जायेगी। इस कार्य के लिए 13.50 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।

बेरूत में इन्जीनियरी सुविधाओं के लिए नये स्थान की व्यवस्था करने के लिए 1973-74 के लिए 1.55 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।

चमड़ा निर्यात के लिए पृथक निगम

1708. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चमड़ा निर्यात के लिये सरकार का पृथक निगम स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) विश्व की मंडी प्रतियोगिता करने के लिए चमड़ा उद्योग को आधुनिक बनाने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री(श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रथापित चमड़ा निर्यात विकास निगम जूते तथा चमड़े के निर्यात के लिए एक मार्गीकृत अभिकरण के रूप में कार्य करने के अतिरिक्त तैयार कपड़े तथा चमड़ा निर्मित माल के निर्माण के लिए अवस्थापना के सृजन हेतु विकासआत्मक कार्य करेगा । यह भी निश्चिय किया गया है कि ई आई कताई हुई तथा वैठ ब्ल्यू क्रोम वालों तथा चमड़ियों के निर्यातों के आधार पर आयात प्रतिपूर्ति का कम से कम दो तिहाई भाग भारतीय निर्यातकों द्वारा केवल मशीनरी पुर्जों' तथा उपकरणों के आयात के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए ।

औद्योगिक वित्त निगम द्वारा परियोजनाओं को ऋण देना

1709. **श्री पी० ए० सामिनायन** :

श्री राजदेव सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने अब तक 565 परियोजनाओं को ऋण दिया है और क्या कुल ऋण लगभग 400 करोड़ रुपये का हो गया है ;

(ख) 1971 और 1972 में कौन-कौन सी परियोजनाओं को ऋण दिया गया ; और

(ग) वर्ष 1973 में किन-किन परियोजनाओं को ऋण दिया जायेगा ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण : (क) 30 जून, 1972 तक औद्योगिक वित्त निगम द्वारा 565 औद्योगिक परियोजनाओं के लिए कुल 397.86 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की थी जिसमें 264.31 करोड़ रुपये, ऋण के रूप में, 47.20 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा ऋणों के रूप में, 34.68 करोड़ रुपये हामीदारी प्रत्यक्ष अभिदान के रूप में और 51.67 करोड़ रुपये गारण्टी के रूप में मंजूर किये गये थे ।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है ।

विवरण

लेखा वर्ष 1970-71 और 1971-72 (जुलाई-जून) के दौरान तथा चालू लेखा वर्ष 1972-73 (जूलाई 1972 से दिसम्बर 1972) के दौरान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा जिन उद्योगों को वित्तीय सहायता दी गयी उनका उद्योगवार विवरण ।

उद्योग	निम्न वर्षों के दौरान सहायता प्राप्त एककों की संख्या 1970-71 (जुलाई-जून)	1971-72 (जुलाई-जून)	1972-73 (जुलाई, 72 से दिसम्बर 72 तक)
चीनी	8	10	14
उर्वरक	1	5	—
लोहा और इस्पात	4	6	2
रबड़ उत्पाद	—	2	1
धातु उत्पाद	7	5	4
कागज	1	5	6
बिजली की मशीनें	6	7	3
मूल औद्योगिक रसायन	3	3	1
सूती वस्त्र	9	4	5
मोटर गाड़ियां	3	6	3
संश्लिष्ट धागे	5	2	2
मशीनें	3	1	—
खनिज लोहा	—	1	—
रेल रोड उपकरण	—	1	—
पटसन	—	1	—
शीशा	—	3	3
अलौह धातुएं	1	1	—
सीमेंट	1	1	1
नौवहन	—	1	—
वनस्पति तेल व चर्बी	1	1	—
विविध रसायन उत्पाद	2	1	3
खाद्य परिष्करण	1	1	—
कोयला	2	—	—
होटल	1	—	2
लकड़ी का कार्य	1	—	—
साइकिल	1	—	—
जोड़	61	68	51

उड़ीसा लौह अयस्क बाजार में संकट

1710. **श्री डी० के० पण्डा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक एक फरवरी, 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'उड़ीसा आयरन और ट्रेड इन थ्रोज आफ क्राइसिस (उड़ीसा लौह अयस्क व्यापार में संकट)' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) उड़ीसा राज्य में लौह अयस्क के खनन कार्य को कायम रखने के लिए सभी सम्भव कदम उठाये जा रहे हैं ।

चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के विकास तथा आधुनिकीकरण के लिए योजनाएं

1711. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :**
श्री के० बालदण्डायुतम :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अडडों के विकास तथा आधुनिकीकरण की योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक हवाई अड्डे में क्या विकास तथा आधुनिकीकरण किया जाना है ; और

(ग) योजना की अनुमानित लागत कितनी है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास स्थित चार अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्रों के लिए अपेक्षित विकास योजनाओं में धावनपथों के विस्तार, टर्मिनल भवनों, टैक्सी-ट्रेकों तथा एप्रनों के निर्माण और सम्बद्ध सेवाओं के लिए भवनों की व्यवस्था है ।

(ग) प्राक्कलन भारत के अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा तैयार किये जा रहे हैं ।

भारत का अनुकूल व्यापार संतुलन

1712 **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैसा कि 30 जनवरी, 1973 के 'स्टेटसमैन' में प्रकाशित हुआ हैं क्या 1972 में भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी वास्तविक स्थिति क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, नहीं ।

(ख) आंकड़े निम्नोक्त प्रकार हैं —

(करोड़ रु० में)

	आयात	निर्यात	व्यापार संतुलन
1971	1815	1520	—289
1972 (अनन्तिम)	1679	1862	+183

पांचवी योजना के दौरान आंध्र प्रदेश में पर्यटन केन्द्रों के विकास की योजनाएं

1713. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना के दौरान आंध्र प्रदेश में पर्यटन केन्द्रों के विकास की योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है, और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) योजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है ?

पर्यटन ओर नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) (क) पांचवीं योजना की स्कीमें बनाई जा रही हैं, तथा उनको अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बंगला देश को रुई के निर्यात के बारे में भारतीय रुई निगम की असफलता

1714. **श्री राम भगत पासवान** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रुई निगम अपने कुछ स्टाक का निपटान करने में तथा बंगला देश को रुई निर्यात करने में भी असफल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1971-72 में भारतीय रुई निगम द्वारा खरीदी गई लगभग 5·15 लाख गांठों के कुल स्टाक में से लगभग 3·79 लाख गांठें पहले ही बेची जा चुकी हैं और बाकी स्टाक बिक्री की प्रक्रिया में है । जहां तक बंगला देश को निर्यातों का सम्बन्ध है, लगभग 70'000 गांठों की निर्यात संविदा में से लगभग 66,600 गांठों का पहले ही पोतलदान दिया चुका है और शेष 3400 बंगला देश व्यापार निगम द्वारा समाप्त की अवधि बढ़ाए जाने में विलम्ब होने के कारण पोतलदान की प्रतीक्षा में है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय रूई निगम द्वारा पंजाब की मंडियों से रूई की खरीद

1715. **श्री सी० जर्नादनन** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रुई निगम ने पंजाब की मंडियों में पहुंची कुल रुई में से 90 प्रतिशत रुई खरीदने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने अन्य मंडियों में से इसी प्रकार रुई खरीदने का निर्णय किया है ; और

(घ) यदि हां, तो अन्य राज्यों के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

कपड़ा मिलों द्वारा रुई का स्टाक किया जाना

1716. **श्री सी० जर्नादनन** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि 1972-73 में रुई का उत्पादन कम होने की सम्भावना के कारण बड़ी कपड़ा मिलें बड़ी मात्रा में रुई स्टाक कर रही हैं ;

(ख) क्या इस कारण धीरे-धीरे और सीमित वित्तीय संसाधनों वाली मिलों को अपनी आवश्यकता की रुई प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है ;

(ग) यदि हां, तो रुई खरीदने के संबंध में छोटी मिलों को हानि पहुंचा कर बड़ी मिलों द्वारा अनावश्यक रुई से लाभ कमाने से उनको रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

गैर-सरकारी क्षेत्र में काजू के कारखाने

1717. **श्री सी० जर्नादनन** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में गैर-सरकारी क्षेत्र में अधिकांशत: काजू के 150 कारखाने कच्चे काजू की कमी के कारण मार्च-अप्रैल तक बंद रहेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो इन कारखानों को कच्चा काजू सप्लाई करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) यह अनुमान लगाना कठिन है कि मार्च-अप्रैल, 1973 के दौरान केरल में गैर-सरकारी क्षेत्र में कच्चे काजू की कमी के कारण बंद काजू के कारखानों की संख्या और परिमाण क्या होगा । जैसा कि सर्वविदित है, भारत में काजू सम्बन्धित काम करने वाला उद्योग मौसमी है जो मई-सितम्बर के दौरान देशी कच्चे काजू और वर्ष के शेष भाग के दौरान आयातित कच्ची गिरियों की सप्लाई पर निर्भर करता है । उद्योग की स्थापित क्षमता के मुकाबले देशी उत्पादन से और आयातों के माध्यम से कच्चे काजू की उपलब्धता सीमित है अत: विभिन्न अवधियों में विभिन्न अवधियों में भिन्न भिन्न काजू कारखानों का बंद होना अपरिहार्य है ।

(ख) केरल में स्थापित करने वाले हकदार एककों को आबंटन के लिए, जनवरी-अप्रैल, 1973 के बीच भारतीय काजू निगम की लगभग 73,000 मे० टन कच्चे काजू का आयात करने की योजना है ।

भारतीय खाद्य निगम बैंकों द्वारा दिया गया ऋण

1718. **श्री सी० जर्नादनन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों द्वारा भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्न वसूल करने के लिये आवश्यकता से अधिक ऋण दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो निगम को बैंकों द्वारा अधिक ऋण दिये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) वित्तीय वर्ष 1972-73 में निगम को वास्तव में कितना बैंक ऋण दिया गया ; और

(घ) इस ऋण में से 1972-73 में खाद्यान्न वसूली के लिये कितनी राशि का उपयोग किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(ग) 2 फरवरी 1973 को भारतीय खाद्य निगम के पास बकाया बैंक-ऋण की राशि 168 4 करोड़ रुपये थी । फरवरी, 1973 से पहले की दस महीने की अवधि में भारतीय खाद्य निगम का बकाया बैंक-ऋण, जो जून 1972 में 365.4 करोड़ रुपये था, दिसम्बर 1972 में 112.9 करोड़ रुपये हो गया ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम को दिया गया कुल ऋण खाद्यान्न की प्राप्ति के लिये था ।

सरकार के लिए आवश्यक लांचों के बारे में अध्ययन दल का प्रतिवेदन

1719. **श्री नवल किशोर शर्मा :**
श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी पांच वर्षों में देश में अपेक्षित लांचों के प्रश्न के बारे में मंत्रिमंडलीय सचिवालय के अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन के बारे में सरकार ने कोई निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, ती इस संबंध में कब तक निर्णय कर लिया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) तस्कर-विरोधी कार्यों के लिए उपयुक्त जलयानों को प्राप्त करने के संबंध में मन्त्रिमंडल सचिवालय द्वारा गठित अध्ययन दल

की सिफारिशों की सरकार ने विस्तृत जांच की है। यह सिफारिश की गई थी कि तात्कालित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परीक्षित डिजाइन की गश्ती नौकाओं को प्राप्त किया जाना चाहिए तथा शेष आवश्यकताओं के लिए जलयानों को भारत में बनाने के निमित्त तकनीकी सहायता और सहयोग के लिए करार किया जाय। अध्ययन दल की सिफारिश के अनुसार, मैसर्स गार्डन रीच वर्कशापों के प्रबन्ध निदेशक से बड़ी और छोटी दो किस्मों की उपयुक्त नौकाएं चुनने और अपनी सिफारिशें सरकार के अनुमोदनार्थ भेजने के लिए निवेदन किया गया था। समुद्री जलयानों के विदेशी निर्माताओं के साथ गार्डन रीच वर्कशापों द्वारा की गई पूछताछ के उत्तर में, बहुत से विदेशी यार्डों द्वारा बनाये गये जलयानों के तकनीकी विवरण प्राप्त हुए हैं और उनकी जाँच की जा रही है। जलयानो के निर्माण में तकनीकी जटिलताएं होने के कारण जांच-पड़ताल में समय लग रहा है। गार्डन रीच वर्कशाप ने अनन्तिम रूप से बताया है कि उन्हें अपनी सिफारिशें सरकार को शीघ्र ही प्रस्तुत करना सम्भव हो सकेगा।

दक्षिण कोरिया के साथ प्रतियोगिता में भारतीय रेशम को विश्व मंडी में धक्का पहुंचना

1720. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण कोरिया के साथ प्रतियोगिता में भारतीय रेशम को विश्व मंडी में धक्का पहुंचा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) अंतर्राष्ट्रीय मंडी में विदेशों की चुनौती का मुकाबला करने के लिए भारतीय रेशम उद्योग में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं, जबकि भारत रेशमी वस्त्रों का निर्यात करता है, दक्षिण कोरिया मुख्यतः कच्चे रेशम का निर्यात कर रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विदेशों की चुनौती का सामान करने हेतु भारतीय रेशम को सुधारने के लिए निम्नोक्त उपाय किये गये हैं :—

(1) निर्यातकों को कच्चे माल तथा रंजक और रसायनों की प्रतिपूर्ति के रूप में निर्यात सहायता दी जाती है और नकद सहायता दी जाती है ;

(2) निर्यात योग्य वस्त्रों का अनिवार्य पोत लदान पूर्व निरीक्षण।

(3) निर्धारित स्तर से घटिया माल के निर्यात को रोकने के लिए स्कार्स/उत्तरीय वस्त्र तथा टाईयों के संबंध में न्यूनतम कीमतें और न्यूनतम भारत निर्धारित कर दिये गये हैं।

(4) भारतीय रेशम को लोकप्रिय बनाने के लिए ब्रिटेन में एक प्रदर्शन कक्ष खोला जा रहा है।

(5) नियत कीमतों पर टसर कोटों तथा टएर वेस्ट की नियमित पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कच्चे माल का एक बैंक स्थापित किया गया है।

पी० एल० 480 निधियों का उपयोग

1721. **श्री के० बालदण्डायुतम** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका सरकार के साथ भारत में जमा पी० एल० 480 की प्रतिरूप निधियों के उपयोग के बारे में कोई बातचीत की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका की रुपया-निधियों के निपटारे के विषय पर संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के परामर्शदाता से बातचीत की गयी थी जो इस समस्या का अध्ययन करने के लिए अगस्त, 1970 में भारत में आये थे। संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने हमें इस मामले के बारे में अपने विचारों से सूचित नहीं किया है।

भारत स्थित अमरीकी दूतावास द्वारा पी० एल० 480 निधि का उपयोग

1722. **श्री के० बालदण्डायुतम** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत स्थित अमरीकी दूतावास में कुल कितनी पी० एल० 480 की प्रतिरूप निधि एकत्र हो गई है ; और

(ख) दूतावास ने इस निधि में से कितनी निधि अब तक निकाली है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) 31 दिसम्बर, 1972 तक भारत स्थित अमरीकी दूतावास के पास जमा पी० एल० 480 निधियों की कुल रकम 2571.45 करोड़ रुपया थी।

(ख) इस निधि से 31 दिसम्बर, 1972 तक 2381.18 करोड़ रुपये की रकम व्यय की गयी है।

एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है, जिसमें इस सम्बन्ध में ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

31 दिसम्बर 1972 को भारत में संयुक्त राज्य अमरीका के पास पी० एल० 480 रुपया-राशियां

पी० एल० 480 रुपया निधियां

क. **जमा**	(करोड़ रुपये)
(क) 1956 से 31 दिसम्बर, 1972 तक पी० एल० 480 के आयातों की रुपयों में जमा कुल रकम	2242.97
(ख) पी० एल० 480 रुपया ऋणों के सम्बन्ध में अमरीकी सरकार को प्राप्त ब्याज और मूलधन की राशि	328 48
जोड़ : अमरीकी सरकार को प्राप्त पी० एल० 480 रुपया राशियां (क | ख)	2571.45

ख. 1956 से 31 दिसम्बर, 1973 तक इन संचित जमा रकमों से किया गया व्यय और 1 जनवरी, 1973 तक खर्च न की गयी रकमें इस प्रकार हैं :—

	जमा रकमें	भुगतान और व्यय	शेष उपलब्ध रकम
1. भारत सरकार को ऋण	1422.95	1422.87	0.08
2. भारत सरकार को अनुदान	388.64	380.79	7.85
3. भारत-अमरीकी उद्यमों को कुल ऋण	141.73	118.38	25.35
4. अमरीका द्वारा प्रयोग में लायी उयी रकमें	618.13	459.14	158.99
	2571.45	2381.18	190.27

विदेशों में औद्योगिक उद्यमों में पूंजी निवेश

1723. **श्री के० बालदण्डायुतम :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उद्यमकर्ताओं ने विदेशों में औद्योगिक उद्यमों में कुल कितना रुपया लगाया है और ये औद्योगिक उद्यम किन-किन देशों में स्थापित किये गये हैं ;

(ख) इन उद्यमकर्ताओं को विदेशों द्वारा क्या सुविधाएं दी गई हैं ;

(ग) इन उद्यमों पर लगाई गई पूंजी पर किस दर से लाभ मिलता है ; और

(घ) क्या सरकार विदेशों में इस प्रकार पूंजी लगाने को प्रोत्साहन दे रही है ?

वाणिज्य मन्त्रालय मेंउप मत्री (श्री ए० सी० जार्ज) (क) भारतीय औद्योगिक संयुक्त उद्यमों में, जो स्थापित हो चुके हैं, और जिन्होंने उत्पादन शुरू कर दिया है, स्वीकृत निवेश 706.81 लाख रुपये है । ये उद्यम इन देशों में हैं : मलयेशिया, कीनिया, मारिशस, नाइजीरिया, श्रीलंका, इथोपिया, थाइलैंड, पश्चिम जर्मनी, उगांडा, लीबिया, ईरान, सिंगापुर, यमन अरब गणराज्य, आयरलैंड, ब्रिटेन तथा कनाडा ।

(ख) विदेशों में कुछ देशों द्वारा दी गई सुविधाएं निम्नोक्त रूप में हैं : —

1. विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निगम कराधान से छूट ;

2. संयुक्त उद्यम के लिए पूंजीगत माल का शुल्क मुक्त आयात ;

3. लाभांशों तथा अन्य आय को वापस भेजने की सुविधा ;

4. ब्याज की तरजीही दर पर वित्त व्यवस्था ;

5. उपयोगी सेवाओं की रियायती आधार पर पूर्ति ।

(ग) 37 परियोजनाओं में से, जिन्होंने उत्पादन शुरू कर दिया है, 24 परियोजनाओं ने केवल 1969 के पश्चात उत्पादन शुरू किया है और उनसे लाभांश की घोषणा करने की इतनी जल्दी

आशा नहीं की जा सकती । लाभांश की दरें उद्योग-वार तथा देशवार अलग अलग हैं । सरकार को उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अभी तक लाभांश के रूप में 53.08 लाख रुपये और तकनीकी जानकारी फीस, रायल्टी, प्रबन्धकीय फीस आदि के रूप में 61.22 लाख रुपये की आय हुई है ।

(घ) जी हां । इस प्रयोजनार्थ विहित सामान्य मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन रहते हुए, सरकार विदेशों में निवेशों के लिए प्रोत्साहन देती है ।

विदेश व्यापार का राष्ट्रीयकरण

1724. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेश व्यापार में लगी गैर-सरकारी फर्मों और सरकारी क्षेत्र के निगमों आदि की कुल संख्या कितनी है तथा उनका तुलनात्मक मासिक व्यापार कितना है ;

(ख) गत तीन वर्षों में अधिक मूल्य के बीजक बनाने तथा कम मूल्य के बीजक बनाने से विदेशी मुद्रा की अनुमानत: कितनी वार्षिक हानि हुई है ; और

(ग) क्या विदेश व्यापार का पूर्णत: स्पष्टीकरण करने का प्रस्ताव है ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) विदेश व्यापार में लगी हुई सभी फर्मों की सूचियां नहीं रखी जाती हैं ।

(ख) यह विषय ही ऐसा है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के विश्वसनीय अनुमान लगाना कठिन है ।

(ग) सरकार की यह नीति है कि देश के आयात व निर्यात व्यापार में राज्य अभिकरणों के भाग को उत्तरोत्तर बढ़ाया जाए ।

बैंकिंग आयोग की सिफारिशों की जांच

1725. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **वित्त** मन्त्री 17 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 988 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकिंग आयोग की सिफारिशों की इस बीच जांच पूरी कर ली गई है ; ओर

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं और यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) और (ख) बैंकिंग आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक और सरकारी क्षेत्र के बैंकों के परामर्श से जांच किये जाने का कार्य काफी आगे बढ़ चुका है । अधिकांश सिफारिशों पर अगले तीन महीनों में अन्तिम रूप से विचार किये जाने की सम्भावना है ।

रुपये में भुगतान के आधार पर अन्य देशों से व्यापार

1726. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 8 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 362 के उत्तर के सन्दर्भ में डालर, स्टर्लिग और अन्य मुद्रा वाले क्षेत्रों को कम से कम कुछ अंश में भारत से रुपये में भुगतान करने के आधार पर व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जा रहे हैं ; और

(ख) क्या समस्त आयात-निर्यात व्यापार, रुपये में भुगतान लेने वाले देशों के माध्यम से करने का विचार है; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) चूंकि डालर, स्टर्लिग तथा अन्य मुद्रा क्षेत्रों के रुपये में भुगतान प्राप्त करने के लिए सहमत होने की कोई सम्भावना नहीं है, अतः ऐसे कोई कदम नहीं उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं ।

(ख) प्रश्न पूरी तरह स्पष्ट नहीं है किन्तु यदि यह पूछने का आशय है कि क्या रुपया भुगतान देशों को समस्त आयात तथा निर्यात व्यापार को सरकारी क्षेत्रों के अभिकरणों के माध्यम से मार्गीकृत करने का विचार है तो इसका उत्तर 'नहीं' में है क्योंकि केवल कुछ देशों के ही विषय में आयात तथा निर्यात का मार्गीकरण करना विद्वेषकारी दिखाई दे सकता है ।

जमा राशि तथा ऋण में अन्तर का पता लगाने के लिये की गई कार्यवाही

1727. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **वित्त** मन्त्री 22 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5477 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जमा राशि जुटाने तथा ऋण देने की गति में तीव्रता लाने के लिए तथा जमा राशि और ऋण के बीच अन्तर को कम करने के लिए क्या विशिष्ट कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ।

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : क्योंकि बैंकों को उनके द्वारा एकत्रित की गयी जमा रकमों के सम्बन्ध में ही कार्रवाई करनी पड़ती है इसलिए जमा के लिए रकमों को आकर्षित करने के लिए वे समय समय पर विभिन्न योजनाएं बनाते हैं तथा उन्हें लागू करते हैं । ऋणों का भुगतान करने के लिये, विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं, ताकि पिछड़े हुए राज्यों में बैंक-ऋणों के प्रवाह में तेजी आ सके । कुछ राज्यों में बैंकों के प्रतिनिधियों की प्रादेशिक समितियों की स्थापना की गयी है, जो इस बात का प्रयत्न करेंगे कि बैंक विकास प्रक्रियाओं में अधिकाधिक भाग लें । बैंकों ने सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य-सहयोगी अभिकरणों के बाण्डों/ऋण-पत्रों के निवेश में भी वृद्धि की है ।

राज्यों पर केन्द्रीय ऋण की बकाया राशि

1728. **श्री समर गुह :**

श्री नारायण चन्द पाराशर :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों तथा राज्य क्षेत्रों पर केन्द्रीय ऋणों की बकाया राशि का, राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या किसी राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों पर ऋणों की, बकाया राशि को बट्टे खाते डाल दिया जाये ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) (क) राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों के नाम बकाया केन्द्रीय ऋणों की राशि 31 मार्च, 1972 को इस प्रकार थी :

राज्य/संघीय राज्य क्षेत्र का नाम	बकाया राशि
	(करोड़ रुपयों में)
1. आन्ध्र प्रदेश	546
2. असम	284
3. बिहार	587
4. गुजरात	259
5. हरियाणा	155
6. हिमाचल प्रदेश	81
7. जम्मू और काश्मीर	215
8. केरल	251
9. मध्य प्रदेश	398
10. महाराष्ट्र	448
11. मणिपुर	21
12. मेघालय	1
13. मैसूर	320
14. नागालैंड	18
15. उड़ीसा	383
16. पंजाब	213
17. राजस्थान	532
18. तमिलनाडु	351
19. त्रिपुरा	25
20. उत्तर प्रदेश	675
21. पश्चिम बंगाल	595
22. गोवा, दमन और दीव	33
23. पांडीचेरी	9

(ख) और (ग) कुछ राज्य समय समय पर यह अनुरोध करते रहे हैं कि केन्द्र द्वारा उन्हें दिए गए ऋणों को बट्टे खाते में डाल दिया जाय या उनके परिशोधन के कार्यक्रम का पुनर्निर्धारण किया जाय । यह मामला छठे वित्त आयोग को सौंप दिया गया है ।

राज्यों द्वारा लिए गए ओवरड्राफ्ट

1729. **श्री समर गुह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लिये गये ओवरड्राफ्ठ की राशि को विनियमित करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने कोई नई प्रक्रिया अपनाई है ;

(ख) क्या कुल मामलों में ओवरड्राफ्ट की राशि को अंततोगत्वा ऋण के रूप में बदल दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) उस प्रक्रिया के अन्तर्गत, जो कि योजना आयोग और रिजर्व बैंक के परामर्श से तैयार की गयी है और पहली मई, 1972 से लागू की गयी है, यदि कोई राज्य सरकार 7 दिन तक लगातार ओवरड्राफ्ट रखती है इस स्थिति में रिजर्व बैंक स्वतः ही अदायगी करना स्थगित कर देगा और उसी समय अदायगी शुरू करेगा जब ओवरड्राफ्ट समाप्त हो जायगा । इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को भारत सरकार के विचारों से निरन्तर अवगत कराया जाता रहा है ।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने राज्य सरकारों के ओवरड्राफ्टों की रकम को अंशतः अर्थोपाय अग्रिमों से निपटान करके और अंशतः 1972-73 में उनकी देय केन्द्रीय करों और आयोंजना सहायता में राज्यों के हिस्सों के रकम की अग्रिम अदायगी करके चुकाया है । चालू वर्ष में राज्यों को 510.67 करोड़ रुपये की कुल अर्थोपाय सहायता दी जा रही है । इसमें से 421.13 करोड़ रुपये मध्यम अवधि के ऋणों के रूप में परिवर्तित कर दिये जायेंगे और शेष चालू वर्ष में वसूल किये जायेंगे ।

घाटे की अर्थ-व्यवस्था

1730. **श्री समर गुह** : क्या **वित्त** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाचवीं पंच वर्षीय योजना में अपनाई गई घाटे की अर्थ व्यवस्था के कारण हुई मूल्य वृद्धि सीमा का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो अध्ययन के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) पांचवी पंच वर्षीय योजना को पूरा करने के लिए किस सोमा तक घाटे की अर्थ-व्यवस्था की जायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी, नहीं । चूंकि अर्थ-व्यवस्था पर घाटे की वित्त व्यवस्था के साथ साथ अन्य बातों का भी प्रभाव पड़ता है और इन प्रभावों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता इसलिए यह बताना सम्भव नहीं है कि घाटे की वित्त व्यवस्था के कारण कितनी मूल्य वृद्धि हुई है ।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(ग) चौथी पंचवर्षीय आयोजना के मध्य तीन वर्षों में (अर्थात् 1969-70 से 1971-72

तक) केन्द्र तथा राज्यों ने कुल 1127 करोड़ रुपये की घाटे की भी व्यवस्था की है। केन्द्र में पिछले दो वर्षों में से 1972-73 (संशोधित अनुमान) में 550 करोड़ रुपये तथा 1973-74 (बजट अनुमान) में 85 करोड़ रुपये के बजट सम्बन्धी घाटे का अनुमान लगाया गया है। राज्यों के सम्बन्ध में यह सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दार्जिलिंग में एक पर्यटक होटल और एक युवक होस्टल की स्थापना के लिए धन का उपयोग

1731. **श्री समर गुह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने दार्जिलिंग में एक पर्यटक होटल और एक युवक होस्टल की स्थापना के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये धन का उपयोग कर लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने जिस सहायता का आश्वासन दिया था वह वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक व्यपगत हो जायेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग ने दार्जिलिंग में पर्यटक लाज के विस्तार के लिए 3.41 लाख रुपये तथा एक युवा होस्टल के निर्माण के लिए 3.45 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। ये दोनों प्रायोजनाएं राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जानी हैं तथा निर्माण कार्य प्रारम्भ होने वाला है। स्वीकृत निधियां प्रायोजनाओं के पूरा होने तक राज्य सरकार को उपलब्ध रहेंगी।

एक्सपोर्ट क्रेडिट एण्ड गारन्टी कारपोरेशन लि० द्वारा प्रस्तावित योजनाएं

1732. **श्री सी० चित्तिबाबू** :क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेश व्यापार मंत्रालय की वर्ष 1971-72 की वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ 132 पर "एक्सपोर्ट क्रेडिट एण्ड गारंटी कारपोरेशन लि०' शीर्षक से उल्लिखित योजनाओं की मुख्य मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या निगम की इन योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) **समस्त व्यापार पैकिंग तथा गारंटी**

लघु उद्योगपतियों तथा सरकारी उपक्रमों को दी गई पेशगियों को छोड़कर बैंक द्वारा अपने सभी ग्राहकों को दी गई लदानपूर्व या पैकिंग ऋण पेशकियां बैंक को जारी की गई। समस्त व्यापार पैकिंग ऋण गारंटी के अन्तर्गत आयेंगी। यह गारंटी बैंक को प्रीमियम की अपेक्षाकृत कम दर पर अधिक सुरक्षा प्रदान करती है।

अंतरण गारंटी

अंतरण गारंटी उन वाणिज्यिक तथा राजनैतिक जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करती है जो

विदेश में एक बैंक द्वारा खोले गये एक-पत्र पर उस बैंक द्वारा पुष्टि अंकित करने के फलस्वरूप उस पर आ जाते हैं ।

निर्यात उत्पादन वित्त गारंटी

निर्यात उत्पादन वित्त गारंटी को उदार कर दिया गया है ताकि बैंक निर्यात उत्पाद की घरेलू कीमत तक अग्रिम राशि दे सकें ।

(ख) उपरोक्त सभी योजनाओं को लागू कर दिया गया है । समस्त व्यापार पैकिंग ऋण गारँटी 7 बैंकों को जारी की गई है । निगम द्वारा तथा साथ ही रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा बैंकों को परामर्श दिया गया है कि निगम की निर्यात उत्पादन वित्त गारंटी के अन्तर्गत निर्यातकों को घरेलू कीमतों तक अग्रिम राशियां दी जा सकती हैं । निगम द्वारा अभी तक कोई अंतरण गारंटी जारी नहीं की गई है । लेकिन बैंकों को जानकारी है कि सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा कुछ पूछताछ भी की गई हैं ।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा अलौह धातुओं के लिए बनाई गई मूल्य निर्णारण नीति

1733. **श्री सी० चित्तिबाबू :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा अलौह धातुओं के लिए बनाई गई मूल्य निर्धारण नीति विवादास्पद बन गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या आधारभूत धातुओं के मूल्य बाजार की परिस्थितियों को ध्यान में रखे बिना निर्धारित किये जाते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो आधारभूत धातुओं के लिये वास्तविक मूल्य निर्धारण नीति बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) जी नहीं । आयातित अलौह धातुओं की कीमतें सभी सम्बद्ध बातों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती हैं । कुछ मदों की कीमतें कम करने के लिए अभ्यावेदन दिए गए हैं ।

लौह अयस्क की मंडियों का अध्ययन करने के लिए खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा भेजे गये प्रतिनिधिमंडल का अभ्यावेदन

1734. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, बैल्जियम, स्पेन और ब्रिटेन में इन देशों में लौह अयस्क के लिए मंडियों का अध्ययन करने के लिए भेजे गये प्रतिनिधिमंडल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधिमंडल की सिफारिशों के बारे में उनके मन्त्रालय ने क्या कार्यवाही की है ; ओर

(ग) इस कार्य के लिए विदेश भेजे गये प्रतिनिधियों के नाम तथा दर्जा क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) पश्चिम यूरोपीय देशों में लौह अयस्क बाजारों का अध्ययन करने के लिए खनिज तथा धातु व्यापार निगम के एक डिविजनल मैनेजर का एक सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भेजा गया था । रिपोर्ट पर निगम कार्यवाही कर रहा है । इन देशों में अनेक सम्भावित क्रेताओं से सम्पर्क स्थापित किया गया है तथा इस प्रकार स्थापित सम्पर्कों पर अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है । ऐसे प्रयासों के परिणाम कुछ समय पश्चात ही सामने आयेंगे ।

पश्चिम बंगाल में छोटे चाय बागानों को सुरक्षा प्रदान करना

1735. **डा० रानेन सेन** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या छोटे चाय बागानों के मालिकों ने पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री की मार्फत इस आशय का एक ज्ञापन सरकार को भेजा है कि चाय उद्योग पर प्रत्येक मामले में एकाधिकार का कब्जा है और उन्होंने एकाधिकारों से सुरक्षा और छोटे चाय बागानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिये सरकार से विशेष निधि की मांग की है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : जी नहीं ।

कलकत्ता में इण्डियन एयरलाइन्स के व्यापार (ट्रेफिक) विभाग में श्रेणी तीन के कर्मचारियों की भर्ती और पदोन्नति

1736. **डा० रानेन सेन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में इण्डियन एयरलाइंस के व्यापार (ट्रैफिक) विभाग में श्रेणी तीन के कर्मचारियों की कोई भर्ती अथवा पदोन्नति नहीं की गई है ;

(ख) क्या श्रेणी तीन के कर्मचारियों की कमी के कारण उन्हें अधिक अवसरों पर समयोपरि काम करना पड़ता है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त विभाग में स्थिति को सुधारने के लिए उनके मंत्रालय का क्या उपाय करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इण्डियन एयरलाइंस के कलकत्ता कार्यालय में ग्रेड 3/6 के पदों पर, जोकि सरकार के श्रेणी III के पदों के बराबर हैं, सीधी भर्ती हुई है ।

(ख) और (ग) वित्तीय वर्ष 1972-73 के दौरान समयोपरि व्यय में वृद्धि हुई है जोकि मुख्यतया समयोपरि भत्ते के पात्र अधिकांश कर्मचारियों के वेतन में वृद्धियों के कारण है । तथापि, कलकत्ता क्षेत्र के लिए ग्रेड 3/6 में कुछ अतिरिक्त पदों की स्वीकृति दी गई है ।

प्रत्यक्ष कर की बकाया राशि

1737. **डा० रानेन सेन** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1972 को प्रत्यक्ष करों की कुल कितनी राशि बकाया है ; और

(ख) बकाया राशि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) 31 दिसम्बर, 1972 को प्रत्यक्ष करों की कुल बकाया रकम के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

(ख) करों की बकाया रकम को वसूल करने के लिए अब तक किये गये उपायों का ब्योरा विवरण में दिया गया है ।

हाल के वर्षों के दौरान, सरकार ने बकाया आयकर की वसूली को तेज करने के लिए निम्न-लिखित विशेष उपाय किए हैं :—

(i) 1961 से पहले, बकाया कर की वसूली राज्य प्राधिकारियों द्वारा की जाती थी, जो राजस्व इकट्ठा करने में अक्सर पर्याप्त रुचि दिखाने में असफल रहते थे । अत: 1961 अधिनियम में स्वयं में पूर्ण वसूली संहिता समाविष्ट थी और कर वसूली अधिकारियों की व्यवस्था की गयी जो विभागीय अधिकारी हो सकते हैं । कर वसूली का काम आयकर आयुक्तों के सभी कार्य-क्षेत्रों में लगभग पूरी तौर से लिया गया है ।

(ii) काम की कार्यात्मक विभाजन योजना का लागू करना । यहां क्षेत्र में कर वसूल करना एक या अधिक आयकर अधिकारियों का विशिष्ट कार्य बना दिया गया है । पूरे भारतवर्ष में 125 आयकर अधिकारी इस काम को अनन्य रूप से कर रहे हैं ।

(iii) विभाग द्वारा रेखित चैकों की स्वीकृति और आयकर कार्यालयों में इस कार्य के लिए विशेष प्राप्ति काउन्टरों को खोलना ।

(iv) ऐसे कर-निर्धारितियों के नामों का प्रकाशन जिन्होंने कुछ निर्धारित सीमाओं के ऊपर करों की अदायगी नहीं की है ।

(v) देश भर में बकाया बेबाकी पखवाड़े मनाए जा रहे हैं । इस अवधि के दौरान, अनिर्णीत समायोजनों/भूल-सुधारों को पूरा करने, अपीलीय आदेशों पर अमल करने और निर्धारितियों पर बकाया शुद्ध मांग को वसूल करने पर विशेष जोर दिया गया है ।

(vi) देश भर में आयकर विभाग के 173 अधिकारियों को कर वसूली अधिकारी नियुक्त किया गया है । आयकर आयुक्त के ओहदे के 5 अधिकारी और कई अपर आयकर आयुक्त कर वसूली आयुक्तों के रूप में कार्य कर रहे हैं ।

(vii) कर-निर्धारणों को पूरा करने की समय-सीमा को घटाकर कर-निर्धारण वर्ष की समाप्ति के बाद दो वर्ष कर दिया गया है ।

(viii) वांचू समिति ने कई सिफारिशें की हैं, जिनकी जांच की जा रही हैं ।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, कानपुर द्वारा निर्मित एवरो 748 विमानों का कार्यकरण

1738. **श्री एम० एम० जोज़फ** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, कानपुर द्वारा निर्मित एवरो 748 विमानों के कार्यकरण सम्बन्धी विवाद को निपटाने के लिए फरवरी, 1973 में कोई उच्चस्तरीय वार्ता हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) हाल ही में एक बैठक आयोजित की गई थी और बैठक का यह निष्कर्ष था कि इण्डियन एयरलाइन्स के विमान बेड़े के सभी 16 एच० एस०-748 विमान सुरक्षा की दृष्टि से सर्वथा उपयुक्त हैं।

उत्पादकों को अल्प.वधिक ऋण देने की योजना

1739. **श्री अण्णासाहिब गोटखिण्डे** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक 1973 की आगामी खरीफ फसल से कृषि-कार्यों के लिए उत्पादकों को अल्पावधि ऋण देने की कोई योजना बना रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूप-रेखा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने वास्तव में ही उनके द्वारा अंगीकृत गांवों में विभिन्न फसलें उगाने के लिए अल्पावधिक अग्रिम प्रदान करने के लिए योजनाएं तैयार की हैं। ये योजनाएं आम तौर पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये उद्देश्य और दृष्टिकोण, ऋण संबंधी मापदण्ड और वित्त मानों, जमानत, वापसी अदायगी संबंधी कार्यक्रम के पुनर्निधारण आदि निर्धारित करने वाले मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर बनाई गयी हैं। बैंकों पर, कृषि की दृष्टि से अर्ध-विकसित क्षेत्रों में कार्य करने, और जमानत को प्रधानता देने की बजाय 'ऋण देने के लिए प्रयोजन' उत्पादन, वृद्धिमूलक आय-प्रधान क्षेत्रों को ऋण देने और छोटे एवं सक्षम होने के सम्भावित किसानों का वित्त पोषण करने के लिए जोर डाला गया है।

भारत को प्राप्त हुई विदेशी सहायता

1740. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत को अब तक कुल कितनी विदेशी सहायता मिल चुकी है ;

(ख) इसमें से कुल कितनी राशि मूलधन और ब्याज के रूप में लौटाई जा चुकी है ;

(ग) क्या इन ऋणों की वापसी की कोई समय सारणी बनाई गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) 31 दिसम्बर 1972 तक भारत सरकार द्वारा प्राप्त किये गये ऋणों की रकम (अर्थात हस्ताक्षरित ऋण करारों का मूल्य) 11,023 करोड़ रुपये हैं जिसमें से 9,509 करोड़ रुपये की रकम उपयोग में लायी जा चुकी है।

(ख) 31 दिसम्बर 1972 तक वापस किये गये ऋणों की रकम 1,755 करोड़ रुपये और अदा किये गये ब्याज की रकम 1,377 करोड़ रुपये हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रत्येक ऋण, उसके परिशोधन-कार्यक्रम के अनुसार, निश्चित वर्षों में वापस देय होता है। चालू ऋणों की वापसी-अदायगी की अवधि आम तौर पर 7 वर्ष से 50 वर्ष तक है। ब्याज के दर अलग-अलग ऋणों के लिए अलग-अलग है और यह शून्य से लेकर 8.15 प्रतिशत तक है।

तमिलनाडु के हवाई अड्डों पर की जाने वाली घोषणाओं के लिए प्रयुक्त भाषाएं

1741. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता, गौहाटी और अन्य हवाई अड्डों पर हिन्दी और अंग्रेजी के अतिरिक्त स्थानीय भाषाओं में भी घोषणाएं की जाती हैं ;

(ख) क्या मद्रास और तमिलनाडु के अन्य हवाई अड्डों पर केवल अंग्रेजी और हिन्दी में ही घोषणाएं की जाती हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है कि तमिलनाडु के हवाई अड्डों पर घोषणाएं तमिल में नहीं की जातीं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) कलकत्ता, गौहाटी तथा अन्य विमानक्षेत्रों पर घोषणाएं अंग्रेजी के अतिरिक्त स्थानीय भाषाओं में भी की जाती हैं।

तमिलनाडु में मद्रास तथा अन्य विमानक्षेत्रों पर घोषणाएं तमिल व अंग्रेजी में की जाती है।

परन्तु, कलकत्ता तथा मद्रास में अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं के लिए घोषणाएं हिन्दी व अंग्रेजी में की जाती है।

राज्यों द्वारा ओवरड्राफ्ट लेना

1742. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** :
श्री नाथुराम अहिरवार :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य ने रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से अब तक कितना-कितना ओवरड्राफ्ट लिया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में अन्य उपायों पर विचार किया है, जिससे राज्य अपना खर्च पूरा करने के लिए इस तरीके को न अपनायें ; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) 24 फरवरी, 1973 को किसी राज्य के पास भारतीय रिजर्व बैंक का ओवरड्राफ्ट नहीं था ।

(ख) राज्य की वार्षिक आयोजनाएं पूर्णतः वित्तपोषित आधार पर तैयार की जाती है और इसलिए ओवरड्राफ्टों को बजट सम्बन्धी साधनों के रूप में इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं ।

(ग) यह योजना सन्तोषजनक रूप में चल रही है ।

ऊन के मूल्य में वृद्धि

1743. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः मास में ऊन के मूल्यों में 100 से 200 प्रतिशत की वृद्धि हुई ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और मूल्य कम करने के लिए क्या उपाय किये जायंगे ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) जी हां । कच्चे ऊन की कीमत 28-2-73 को 305 नये पेन्स प्रति कि०ग्रा० थी जब कि 6 महीने पूर्व 100 नये पेन्स से भी कम थी ।

(ख) विदेशी बाजारों में कच्चे ऊन की कीमतों में असाधारण वृद्धि के मुख्य कारण थे, आस्ट्रेलिया में, जो कि विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक तथा निर्यातक देश है। ऊन में कुल उत्पादन में तीव्र गिरावट आई और कुछ ऊन उपभोक्ता देशों द्वारा अन्यत्र रूप से खरीदारी की गई । जो परिस्थिति अब चल रही है, उससे कोई उपचारात्मक कदम उठाने संभव नहीं हैं ।

बल्गारिया से व्यापार करार

1744. **श्री जगन्नाथ मिश्र** :
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बल्गारिया से एक व्यापार करार किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) वर्ष 1973 के लिये भारत-बल्गारियाई व्यापार संलेख में, जिस पर 30. 12. 72 को हस्ताक्षर हुए थे, दोनों देशों के बीच दोनों ओर से कुल 66 करोड़ रुपये (अर्थात् निर्यात व आयात प्रत्येक के लिए 33 करोड़ रुपये) की व्यवस्था है ।

1973 के दौरान भारत से निर्यात की प्रमुख पद है : लौह अयस्क, पटसन निर्मित वस्तुएं, कमाई हुई खालें तथा चमड़ियां, तैयार चमड़ा, तेल रहित खली, पशु खाद्य योगिक, कपास 'बंगला देशी', सूती वस्त्र, चमड़े की वस्तुएं, कयर, धागे आदि जैसी परम्परागत वस्तुओं के अतिरिक्त विभिन्न

प्रकार की इन्जीनियरी वस्तुएं जैसे दस्ती औजार, दूर संचार संबंधी उपस्कर, ड्रिलिंग उपस्कर रासायनिक पदार्थ, औषध तथा भेषज, पेंट आदि ।

1973 के दौरान बल्गारिया से आयात की प्रमुख मदें होंगी : यूरिया, कैप्रोलैक्टम, हेल्लित इस्पात के उत्पाद, रसायन तथा भेषजीय उत्पाद, जस्ता, सीसे व तांबें की चादरें, रजक तथा रंजक मध्यवर्ती पदार्थ आदि ।

ग्वालियर सिटी का दर्जा बढ़ाना

1745. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि ग्वालियर में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में ग्वालियर सिटी का दर्जा बढ़ा कर बी-2 श्रेणी न किए जाने के कारण बहुत रोष है ;

(ख) क्या ग्वालियर सिटी की कुल जनसंख्या की गणना करने में मोरार छावनी की असैनिक और सैनिक जनसंख्या और नगर के चारों ओर की ग्रामीण आबादी को शामिल नहीं किया गया है जो इसी नगर का भाग एवं अंग है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस नगर का दर्जा बढ़ाने का है ; और यदि हां, तो कब ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) नगर निवास प्रतिपूर्ति भत्तों की मंजूरी के प्रयोजनार्थ ग्वालियर शहर का दर्जा श्रेणी बी--2 का कर देने के बारे में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की संस्थाओं से तथा दूसरों से दरख्वास्तें सरकार को मिली हैं ।

(ख) तथा (ग) नगर निवास प्रतिपूर्ति भत्तों के प्रयोजनार्थ किसी नगर का वर्गीकरण प्रायः दस-वर्षीय जनगणना के अनुसार उस नगर की नगरपालिका/निगम की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है । एतदनुसार 1971 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ग्वालियर नगर के वर्गीकरण के प्रयोजनार्थ केवल ग्वालियर निगम की जनसंख्या को हिसाब में लिया गया था जो चार लाख से कम थी । अकेले ग्वालियर के मामले को लेकर सामान्य क्रियाविधि से हटना व्यवहार्य नहीं हो सकेगा । फिर भी तृतीय वेतन आयोग की अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर स्थिति पर पुनः विचार किया जा सकता है ।

कपास ढुलाई मूल्यों को समान बनाना

1746. **डा० सरदीश राय :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने मंत्रालय का ध्यान देश में कपास के ढुलाई मूल्यों क समान करने की आवश्यकता की ओर दिलाया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) यह विनिश्चय किया गया है कि रुई की कीमत समान करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति स्थापित की जाए ।

रुई का आयात

1747. **श्री लालजी भाई** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1970-71 और 1971-72 के दौरान विभिन्न देशों से कितनी रुई का आयात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :

वर्ष (सितम्बर-अगस्त)	आयातित रुई की गांठें
1970-71	8,51,780
1971-72	6,53,008

Visas for Indians baund for Andaman and Nicobar Islands

1748. **Shri G. P. Yadav** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to State:

(a) Whether air services of Indian Airlines to Andaman and Nicobar Islands have to go Via Rangoon and the Indians are required to take visas for only 45 minutes' stay at the Rangoon Airport ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) & (b) : Indian Airlines services to Port Blair (Andaman and Nicobar Islands) are operated via Rangoon for technical reasons such as refuelling etc. under Burmese regulations. Transit visas for Burma for a stay of about an hour at Rangoon Airport are required by Indian nationals proceeding to the Andaman and Nicobar Islands.

देश की सबसे बड़ी पटसन मिलों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने का पश्चिम बंगाल का केन्द्र से अनुरोध

1749. **श्री भगवत झा आजाद** :
श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र से देश की एक पटसन मिल जिसका नाम नेशनल जूट मिल आफ कलकत्ता है, का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय सरकार अभी तक किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है ।

चाय बोर्ड द्वारा चाय की भारतीय नीलामी

1750. **श्री भगवत झा आजाद :**
श्री बनमाली पटनायक :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड ने भारत में भारतीय चाय की पूरी मात्रा की नीलामी करने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Exports of Handloom to Bangladesh

1751. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) Whether Government have received order for handloom cloth worth 10 crores of Rupees from Bangladesh ;

(b) Whether the first consignment has already been sent ; and

(c) If so, the quantity and value of cloth sent in the first consignment ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) No, Sir.

(b) & (c) Do not arise.

Crash of a Plane of Indian Airlines on 25-1-1973

1752. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether an Indian Airline's plane crashed on the 25th January, 1973 ; and

(b) if so, the reasons therefor and the extent of loss suffered as a result thereof ?

The Minister of Tousrism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b) No, Sir. However, an Indian Airlines Fokker Friendship was involved in a taxying incident in which the port wing tip of the aircraft struck the projection of the domestic arrival lounge gate. There was no injury to any of the passengers or crew. Repairs were carried out and the aircraft operated a scheduled service on the 26th January.

कृत्रिम धागे से बने कपड़े की तस्करी

1753 **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 जनवरी, 1973 के 'इकनामिक टाइम्स' बम्बई में 'मोर स्मगलिंग आफ सिंथेटिक फैब्रिक्स' शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

(ग) क्या आयातित कपड़े पर 45 से 50 प्रतिशत तक के आकर्षक लाभ के कारण तस्करों की संख्या में बहुत वृद्धि हो गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कोई कदम उठाए गए है या उठाये जा रहे हैं तो वे क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) : सरकार इस बात से अवगत है कि पिछले कुछ बर्षों में संश्लिष्ट तथा मिश्रित वस्त्रों के तस्कर व्यापार ने वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई हैं । देश में संश्लिष्ट तथा मिश्रित वस्त्रों के लिये व्यापक मांग होने, देश में होने वाले उत्पादन की अपर्याप्तता, कच्चे माल का अभाव तथा उत्पादन शुल्क की ऊंची दरों के कारण, संश्लिष्ट तथा मिश्रित विदेशी वस्त्रों पर होने वाले लाभ की गुंजाइश काफी आकर्षक है और कई किस्मों के लिये तो यह 50 प्रतिशत से भी अधिक है । आसूचना रिपोर्टों से पता चलता है कि विदेशी बाजारो में सोने की कीमत में वृद्धि होने के कारण देश में सोने के तस्कर आयात पर लाभ की गुंजाइश में गिरावट के कारण कुछ तस्कर व्यापारी, जो विगत समय में सोने का तस्कर व्यापार किया करते थे, वे इन दिनों संश्लिष्ट तथा मिश्रित वस्त्रों के तस्कर व्यापार को अपेक्षाकृत अधिक लाभदायक पाते हैं ।

(घ) माल के तस्कर व्यापार को रोकने के लिये, जिसमें संश्लिष्ट वस्त्र भी शामिल हैं, सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गए हैं :—

सूचना को व्यवस्थित ढंग से एकत्रित करना तथा उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करना, जिन व्यक्तियों पर तस्कर व्यापार करने का संदेह है, उन पर निगरानी रखना, जिन जहाजों अथवा वायुयानों पर सन्देह हो, उनकी तलाशी लेना, और समुद्र तट तथा स्थल-सीमाओं पर सुगमता से पार कर सकने जोग्य क्षेत्रों की निगरानी करना । प्रभावी ढंग से मार्ग में रोकने तथा रोक-थाम आदि के लिये समय समय पर अतिरिक्त नौकाओं तथा वाहनों की व्यवस्था की जाती है । पश्चिमी तट पर बेतार के तार का जाल बिछाने की व्यवस्था करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं । सीमाशुल्क के अपर समाहर्ताओं तथा सीमाशुल्क के सहायक समाहर्ताओं को अनन्य रूप से तस्कर आयात-निर्यात विरोधी कार्य की निगरानी करने के लिये, सुगमता से पार कर सकने योग्य क्षेत्रों में तैनात किया गया है । कुछ वस्तुओं के अवैध आयात तथा निर्यात को रोकने तथा उनका पता लगाने के कार्य को सुविधाजनक बनाने के निमित्त विशेष उपाय करने के लिये सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में संशोधन करके अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई हैं । तस्कर व्यापार संबंधी अपराधों के लिए अधिक कठोर दण्ड की व्यवस्था करने की दृष्टि से, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए, संसद में एक विधेयक पेश किया गया है । जहां तक तस्कर-आयात किये गये उन टेलीविजन सेटों का प्रश्न है,

जिनके लिये वायरलेस लाइसेंस प्राप्त कर लिये गए हैं, सम्बन्धित विभागों के बीच एक समन्वित अभिक्रम बनाया जा रहा है। स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जाती है।

दिल्ली तथा दमदम हवाई अड्डों पर इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम

1754. **श्री ज्योतिर्मय बसु।**

श्री राम कंवर :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या दिल्ली के हवाई अड्डे का 'इंस्ट्रूमेंटल' लेडिंग सिस्टम 20 नवम्बर 1972 से 'ग्लाईडस्लोप' के बिना कार्य कर रहा है ;

(ख) क्या यह महत्वपूर्ण उपकरण गत दो मास से अधिक समय से दमदम हवाई अड्डे पर भी उपलब्ध नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) (क) से (ग) : दिल्ली तथा कलकत्ता विमान क्षेत्रों के उपकरण अवतरण प्रणाली (इस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम) के विसर्पण-पथ उपस्कर (ग्लाईड पाथ काम्पोनेन्ट्स), उचित नोटिस के पश्चात् निरीक्षण के लिए क्रमश : 30 नवम्बर तथा 13 अक्तूबर 1972 को सेवा से हटा लिए गए थे तथा इन्हें दिल्ली विमान क्षेत्र पर 4 जनवरी और कलकत्ता विमान क्षेत्र पर 1 फरवरी 1973 को परिचालन के लिए पुन : लगा दिया था। उसी समय से दोनों उपस्कर कार्य कर रहे हैं। जिस अवधि के दौरान कलकत्ता विमान क्षेत्र से विसर्पण-पथ उपस्कर हटाया गया था, उस समय विमानों के उतरने में यथार्थ मार्गदर्शन की व्यवस्था करने के लिये 'प्रिसीशन एप्रोच राडार' लगातार कार्य करता रहा, तथा इसे सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को सामान्य रूप से एक नोटिम में अधिसूचित कर दिया गया था। जिस अवधि के दौरान विसर्पण-पथ हटाये गये थे उस समय कलकत्ता तथा दिल्ली दोनों विमान क्षेत्रों पर सुरक्षित अवतरणों के लिए विमान चालकों को उपलब्ध अन्य सहायक साधन पर्याप्त थे।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय में ब्रिटेन के शामिल हो जाने से भारत के चाय निर्यात पर प्रभाव

1755. **श्री विश्वनारायण शास्त्री** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आशंका है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय में 1 जनवरी, 1973 से ब्रिटेन के शामिल हो जाने से चाय के निर्यात में गिरावट आयेगी ;

(ख) यदि हां, तो चाय के निर्यात में उत्तरोत्तर वृद्धि को बनाये रखने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ग) क्या ब्रिटेन भारत की चाय का सबसे बड़ा विक्रेता है और ब्रिटेन को भारत की चाय के निर्यात में गिरावट आ रही है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने इसके कारणों और भारत की चाय की कुल निर्यात पर इसके प्रभाव का अध्ययन किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी हां ।

(घ) ब्रिटेन को भारत के चाय के निर्यातों में गिरावट आने के दो मुख्य कारण हैं :—

(1) ब्रिटेन में चाय की खपत में कमी तथा

(2) बढ़ती हुई प्रतियोगिता, जो भारत को पूर्व अफ्रीकी देशों से करनी पड़ रही है, जिन्हे भारत की तुलना में कुछ लाभ प्राप्त हैं अर्थात् : सारे साल समान क्वालिटी, कम परिवहन लागत तथा नगण्य शुल्क ।

असम में पटसन का उत्पादन

1756. **श्री विश्वनारायण शास्त्री :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में गत तीन वर्षों में, वर्षवार पटसन का कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) असम के सिलाघाट स्थान पर स्थित सहकारी पटसन मिल में 1971-72 में कितने पटसन का उपयोग किया गया और कितना पटसन राज्य से बाहर भेजा गया ; और

(ग) असम में स्थापित की जाने वाली नयी पटसन मिल की अधिष्ठापित क्षमता क्या होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) (क) 1969-70, 1970-71 तथा 1971-72 के वर्षों में असम में पटसन तथा मेस्टा की फसल क्रमश : 11.10 लाख गांठ 9.61 लाख गांठ तथा 11.75 लाख गांठ थी ।

(ख) 1971-72 में असम सहकारी पटसन मिल द्वारा पटसन की खपत 6552 गांठ थी । 1971-72 में असम के बाहर पटसन की लगभग 11·60 लाख गाठें भेजे जाने का अनुमान है ।

(ग) असम राज्य में स्थापित होने वाली एक पटसन मिल की स्थापना हेतु असम सरकार को अभी अपनी प्रस्थापनाएं प्रस्तुत करनी है ।

बैंक नोट प्रेस के लिए छपाई मशीनें खरीदने के लिए मैसर्स प्रिंटर हाउस (इंडिया) लिमिटेड को अदा की गई राशि

1757. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंक नोट प्रेस के लिए छपाई मशीन खरीदने के लिए मैसर्स प्रिन्टर हाउस (इंडिया) लिमिटेड को सरकार ने ठेका कब दिया था ; और

(ख) उक्त फर्म को अब तक एजेन्सी कमीशन के रूप में कुल कितनी राशि अदा की गई है ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) (क) और (ख) : देवास-स्थित बैंक नोट प्रेस के लिए छपाई की मशीनें खरीदने का करार पश्चिम जर्मनी की एक फर्म मैसर्स कोनिंग ऐण्ड ब्यूर के साथ 18 दिसम्बर, 1969 को किया गया था । मैसर्स प्रिंटर हाउस (प्राइवेट) लिमि-

टेड पश्चिमी जर्मनी की उक्त फर्म के भारतीय अभिकर्ता हैं और मशीनों के मूल्य का 2 प्रतिशत उनको एजेन्सी कमीशन के रूप में रुपयों में अदा किया जाना है। अभी तक अभिकर्त्ताओं को वास्तव में कोई रकम अदा नहीं की गयी है क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया है।

गत तीन वर्षों में नयी दिल्ली में सरकार द्वारा चलाये जा रहे होटलों में साज सज्जा पर हुआ व्यय

1758. **श्री वेकारिया** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में सरकार द्वारा संचालित होटलों में गत तीन वर्षों अर्थात् 1970-71, 1971-72 और 1972-73 में (31 दिसम्बर, 1972 तक) साज-सज्जा पर कुल कितना व्यय किया गया ;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए विभिन्न फर्मों से टेंडर मांगे गए थे और क्या विज्ञापन अखिल भारतीय स्तर पर दिये गए थे या केवल स्थानीय स्तर पर ; और

(ग) इन कामों के लिए चुनी गई फर्मों के नाम क्या हैं और इन वर्षों में दिए गए विभिन्न कामों का मूल्य क्या है ?

पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) वर्ष 1970-71, 1971-72 तथा 1972-73 (31 दिसम्बर 1972 तक) के दौरान दिल्ली में सरकार द्वारा संचालित होटलों द्वारा साज-सज्जा पर किया गया कुल व्यय क्रमश : 6·34 लाख रुपये 11·68 लाख रुपये तथा 6·82 लाख रुपये था।

(ख) अच्छे (क्वालिटी) कपड़ों का व्यापार करने वाली ख्याति-प्राप्त फर्मों से टेंडर आमंत्रित किए गए थे। क्योंकि इनकी संख्या सीमित है, अत : अखिल भारतीय आधार पर टेंडर मंगवाने के लिए विज्ञापन देना आवश्यक नहीं समझा गया।

(ग) एक विवरण संलग्न है **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-4363/73]**

विश्व बैंक द्वारा राजकोट के विकास की योजना का अनुमोदन

1759. **श्री प्रभु दास पटेल** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक राजकोट की विकास योजना से सिद्धान्त : सहमत हो गया है ;

(ख) क्या सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई योजनाओं में विश्व बैंक ने कुछ परिवर्तनों का सुझाव दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो सुझाए गये परिवर्तन क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) (क) : राजकोट के विकास के लिए विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

केन्द्रीय उत्पादनशुल्क और सीमाशुल्क विभाग के अधिकारियों की परिसम्पत्तियों के बारे में जांच

1670. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय उत्पादसशुल्क और सीमाशुल्क विभाग के कितने श्रेणी I और श्रेणी II के अधिकारियों के विरुद्ध उनके पास आय की तुलना में अधिक परिसम्पत्तियां होने के कारण कार्यवाही की गई है ;

(ख) उनके नामों, पदनामो और पतों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उनके विरुद्ध ऐसी जांच और कार्यवाही का क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) पिछले तीन वर्षों में सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क विभागों के श्रेणी I के एक और श्रेणो II के दो अधिकरियों के विरुद्ध, उनके पास ऐसी परिसम्पत्तियां होने के कारण कार्यवाही की गई है जिनके वारे के वे स्पष्टीकरण नही दे पाये ।

(ख) संबधित अधिकारियों में से एक श्री राधा रमण सरकार थे जो उस समय कलकत्ता सीमाशुल्क गृह के सीमाशुल्क के अप्रेजर थे । अन्य दो अधिकारियों के नाम और पते बताना समुचित नहीं होगा क्योंकि उनके विरुद्ध कार्यवाही अभी भी जारी है तथा उनके विरुद्ध आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए हैं ।

सरकारी कर्मचारियों और व्यापारियों की विदेशों में जमा धन राशियां

1761. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह पता लगाने का कोई प्रयास किया है कि किन-किन सरकारी कर्मचारियों की भारत से बाहर धन राशि जमा है ;

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि प्रयास किए गए हैं, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (ग) विदेशी मुद्रा के खाते रखने से संबंधित नीति सभी निवासियों पर लागू होतीं है और इस सम्बन्ध में सरकारी कर्मचारियों के लिए कोई अलग विनियम नहीं है । भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना कोई निवासी विदेशों में रकमें जमा नहीं रख सकता । विदेशों में खोले गये खातों के सम्बन्ध में सूचना, खाताधारी के व्यवसाय के आधार पर नहीं रखी जाती । लोक सभा के 24 नवम्बर 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1791 के उत्तर में उन सभी व्यक्तियों/फर्मों की एक पूर्ण सूची सभा-पटल पर रख दी गयी थी जिनके खाते विदेशों में हैं ।

काले धन का पता लगाने के लिये छापे

1762. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1973 को समाप्त हुए गत दो वर्षों के दौरान काले धन का पता लगाने के लिए कितने छापे मारे गए ; और

(ख) कहां-कहां छापे मारे गए और उन छापों के क्या परिणाम निकले ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) काले धन का पता लगाने के लिए 31 जनवरी, 1973 को समाप्त दो वर्षों के दौरान 1007 छापे मारे गए ।

(ख) इन छापों के परिणामस्वरूप 6.76 करोड़ रु० मूल्य की परिसम्पत्तियां पकड़ी गयीं । सभी मामलों में कानून के अन्तर्गत यथा अपेक्षित अनुवर्ती कार्यवाही की गयी है । जिन स्थानों पर छापे मारे गए उनके बारे में ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं हैं । बहुत अधिक संख्या में परिसरों के अन्तर्ग्रस्त होने के कारण, इस प्रकार की सूचना एकत्र करने में बहुत अधिक समय और श्रम लगेगा ।

आय को स्वेच्छा से प्रकट करने के लिये रियायतें

1763. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री के० लकप्पा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आयकर आयुक्तों से कहा गया है कि वे आय को स्वेच्छा से प्रकट करने के मामलों में, दण्ड लगाए जाने के पश्चात् भी, दण्ड को कम करने अथवा समाप्त करने सम्बन्धी आवेदन पत्रों पर विचार करें ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : कानूनी सलाह पर, आयकर आयुक्तों को यह बता दिया गया है कि वे आयकर अधिनियम 1961 की धारा 271 (1) के अधीन लगाए गए दण्ड कम अथवा समाप्त करने के लिए धारा 271 (4ए) के अधीन अपनी शक्तियों को प्रयोग करने के लिए सक्षम हैं, भले ही उनके अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा उस दण्ड के लगाये जाने अथवा उसकी पुष्टि के सम्बन्ध में कोई आदेश पारित किया गया हो ।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा छोटे उद्योगों को सहायता के विस्तार की गति धीमी करना

1764. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1972 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा छोटे उद्योगों को सहायता के विस्तार की गति बहुत धीमी कर दी गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) छोटे उद्योगों को बैंक सहायता बढ़ाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) मार्च, 1972 को समाप्त हुए वर्ष में लघु उद्योगों को दिये गये ऋणों की बकाया राशि में 82 करोड़ रुपये की वास्तविक वृद्धि हुई जबकि मार्च, 1971 को समाप्त हुए पिछले वर्ष में, यह वृद्धि 100 करोड़ रुपये थी । लेकिन जून, 1971 और 1972 को समाप्त हुए वर्ष की तुलनात्मक स्थिति से पता चलता है कि 1971 में हुई 83 करोंड़ रुपये की वृद्धि की तुलना में जून, 1972 को समाप्त हुए वर्ष में 100 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई । कुल बैंक ऋण की तुलना में लघु उद्योगों को दिये गये अग्रिमों का प्रतिशत मार्च, 1971 को 10.54 प्रतिशत था और जो बढ़ कर मार्च 1972 के अन्त में 11.05 प्रतिशत और जून, 1972

के अन्त में 11.1 प्रतिशत हो गया । अतः यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा कि पिछले वर्ष की तुलना में मार्च, 1972 को समाप्त हुए वर्ष में लघु उद्योगों को दिये गये ऋणों में वृद्धि की गति धीमी रही ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को ऋण

1765. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को आशाओं के अनुरूप ऋण नहीं दिये ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) प्राथमिकता- प्राप्त क्षेत्रों को बैंकों से अधिक ऋण सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) संलग्न विवरण में दिये गये आंकड़ों से पता चलेगा कि राष्ट्रीयकरण के बाद से प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को दिये जाने वाले ऋणों में काफी वृद्धि हुई है ।

(ग) राष्ट्रीयकरण के बाद से एक नीति पर का उद्देश्य यह रहा है कि प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को अधिकाधिक बैंक ऋण दिये जाने के लिये प्रोत्साहित किया जाय । इसके अनुसरण में, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के ऋण-कर्ताओं की सहायता के लिये बैंकों ने अनेक ऋण योजनाएं बनाई हैं । विकास कर्मचारियों को सुदृढ़ बनाना, संगठन में सुधार करना, ऋण गारण्टी योजनाओं में उदारता बरतना, फर्मों तथा प्रक्रियाओं का सरलीकरण आदि जैसे सभी उपाय इस प्रकार बनाए गए हैं, ताकि इन उद्देश्यों की पूर्ति हो सके ।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम

	के अन्त में ऋण-खातों की संख्या	के अन्त में बकाया रकम (करोड़ रुपये)
जून, 1969	2,82,203	438.50
मार्च, 1970	7,59,772	678.10
मार्च, 1971	11,70,060	897.22
मार्च, 1972	13,66,078	999.75

Arrears of Taxes against Companies and Industries in Bihar

1766. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) Whether some companies and industries of Bihar have yet to pay arrears of Income-tax and other direct taxes ;

(b) If so, the amounts of arrears to be paid by them ; and

(c) The action taken by Government to realise the arrears from them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) to (c) "Industries" is not one of the categories of "persons" as defined in the Income-tax Act, 1961. Tax statistics about industries as such are not maintained. However, the requisite particulars as on 1-2-1973 in the cases of companies in the charge of Commissioner of Income-tax, Bihar, which were assessed to Income-tax on an income of Rs. 1 lakh and above during 1971-72, are being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

Development of Tourism in Bihar During Fifth Plan

1767. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government have drawn up the outline of the Fifth Plan regarding development of tourism ; and

(b) If so, the salient features thereof with particular reference to Bihar?

The Minister of Tourism aad Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The plan is still tentative and is being discussed with the other authorities concerned. It is too early to be able to indicate specifically which projects and programmes will have an impact on particular States.

Dry Fruit Trade

1768. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to State :

(a) Whether Government propose to formulate a scheme to promote dry fruit trade; and

(b) If so, the broad outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) (a) and (b) Cashew and walnuts are the only major dry fruit items in our export trade at present. To boost export of walnuts, a cash subsidy has recently been sanctioned by Government. For increasing exports of cashew kernels Cashew Export Promotion Council sponsors Soles-cum-study Teams aboard, issues publications and advertisements, participates in Trade Fairs/Exhibitions etc. while Cashew Corporation of India endeavours to import as much raw cashew nuts as possible for processing andre-export. Measures are also being taken to increase indigenous production of raw cashewnuts to provide for additional exportable surpluses.

केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच पूरी होने के पहले ही चिथड़ों को छोड़ दिया जाना

1769. **श्री दशरथ देव :**

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के सीमा शुल्क अधिकारियों ने जिन चिथड़ों को पकड़ा था, उन्हें केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच पूरी होने के पहले ही छोड़ दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उन्हें किन शर्तों पर छोड़ा गया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) यह विनिश्चय किया गया है कि त्यक्त परिधानों की गांठों को रिलीज कर दिया जाए, बशर्ते कि उन परिधानों को फाड़ दिया गया हो, परन्तु इनमें वे मामले शामिल नहीं हैं जहां पर असद्भाव के दस्तावेजी साक्ष्य हों जैसे कम मूल्यांकन करना अथवा संश्लिष्ट परिधानों के आयात करना (थोड़ी सी प्रतिशतता में छोड़कर) अथवा जहां वस्त्रों की वस्तुगत जांच से इस आशय का पता चले कि जानबूझकर सीमाशुल्क की उपेक्षा करने की मंशा है ।

(ख) यह विनिश्चय कानूनी राय के अनुरूप तथा शाडी यार्न, जिसके लिए चिथड़े ही कच्चा माल होते हैं, पर आधारित माल के उत्पादन को निरन्तर जारी रखने के उद्देश्य से लिया गया था । ऊनी चिथड़ों के आयात की अनुमति अभी भी स्पिनिंग मिलों को अलाट किये जाने वाले वास्तविक प्रयोक्ता कोटे के आधार पर और शाडी कम्बलों के निर्यात पर प्रतिपूर्ति की मद के रूप में भी दी जाती है । माल के रिलीज किये जाने से पूर्व सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि गांठों में यदि कोई काम आने योग्य परिधान हों तो उन्हें फाड़ दिया जाए ।

आयकर की बकाया राशि का भुगतान किये बिना विदेशी कम्पनियों को बन्द करना

1770. **श्री दशरथ देव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी कम्पनियों ने, जिनके ऊपर आयकर बकाया है, अपना व्यापार समाप्त करने के लिए सरकार से स्वीकृति मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो आयकर की वसूली से पहले उन्हें ऐसा करने की अनुमति दिये जाने के क्या कारण है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80ख (4) में यथा परिभाषित उन विदेशी कम्पनियों के बारे में, जिनकी तरफ आयकर बकाया था और जिन्होंने 1-4-1972 से 1-3-1973 की अवधि के दौरान अपना कारोबार बन्द करने के लिए सरकार से अनुमति मांगी, अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही हैं और यथा सम्भव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

अलब-ए-मलक-बदर ट्रस्ट, नागपुर की ओर बकाया आयकर

1771. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर के आयकर (वसूली) आयुक्त ने निर्धारिती के एक अभ्यावेदन पर "अलब ए-मलक-बदर ट्रस्ट", नागपुर की चार सम्पत्तियों को कुर्क करने के सम्बन्ध में जारी किये गये प्रमाण पत्र से सम्बन्धित सभी वसूलियों को रोक दिया है ;

(ख) क्या ट्रस्ट को आयकर की बहुत बड़ी राशि का भुगतान करना है ; और

(ग) यदि हां, तो ट्रस्ट से बकाया आय-कर वसूल करने के लिए अब तक सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां ।

(ख) न्यास द्वारा देय आयकर की कुल रकम 1,32,258 रु० है । वसूली प्रमाण-पत्र 82,686 रु० के संबंध में भेजे गये थे ।

(ग) मांगें अधिकांशत: अपीलों में विवादग्रस्त हैं । अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा अपीलों पर फैसला किये जाते ही कर की वसूली के लिए कार्यवाही की जायगी ।

हिन्दालको द्वारा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और बिक्री कर का अपवंचन

1772. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **वित्त** मन्त्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दालको द्वारा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और बिक्री कर का अपवंचन किये जाने के बारे में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले ?

वित्त मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री के० आर० गणेश) (क) जी हां ।

(ख) बिक्री कर के कथित अपवंचन के आरोप के सम्बन्ध में मामले की जांच उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है । उनकी जांच अभी पूरी होनी है ।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अपवंचन की शिकायत के सम्बन्ध में की गई जांच से ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि उत्पादन शुल्क लगने योग्य माल चोरी छिपे हटाया गया है । परन्तु कुछ किस्म के उत्पादो पर शुल्क लगने योग्य जिन मूल्यों के आधार पर उत्पादन शुल्क अदा किया गया है, उनके सही होने की जांच की जा रही है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशकमण्डल के नाम निर्देशन की कसौटी

1773. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिये निदेशक मण्डल नियुक्त कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके नाम निर्देशन की कसौटी क्या थी और निदेशकों के नाम तथा योग्यताएं क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) स्पष्टत: इसका संकेत उन 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडलों की ओर है जो 11 दिसम्बर, 1972 को नियुक्त किये गए थे । ये मंडल राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विभिन्न उपबन्ध) योजना, 1970 के खण्ड 3 में रखे गए उपबन्ध के अनुसार बनाए गए हैं । प्रत्येक बैंक के मंडल में नियुक्त निदेशकों के नाम और संक्षिप्त ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-4364/73]**

कपास के समान मूल्य निश्चित करना

1774 **श्री एस० एम० बनर्जी :**
श्री समर गुह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सिद्धान्त रूप में देश भर में कपास के समान मूल्य निश्चित करने पर सहमत हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इससे सूती धागे और सूत की कमी कहां तक पूरी हो सकेगी जिससे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में कपड़ा मिलों को गम्भीर खतरा है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत और पोलैंड के बीच व्यापार करार

1775. **श्री एस० एम० बनर्जी :**
श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलैंड के प्रधान मंत्री की हाल की भारत यात्रा के दौरान भारत और पोलैंड के बीच कोई व्यापार करार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) (क) तथा (ख) : जनवरी, 1973 में पोलैंड के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा के दौरान भारत तथा पोलैंड के बीच 1973, 1974 तथा 1975 के वर्षों के लिए एकदीर्घकालीन व्यापार संलेख पर हस्ताक्षर किये गये ।

नये संलेख के उपबंधों के अनुसार पोलैंड ने इन मदों की अधिक मात्रा में सप्लाई करना स्वीकार किया है : — यूरिया, वेल्लित, इस्पात उत्पाद, पोत उपस्कर, खन्न मशीनें, वस्त्र मशीनें, औषध मध्यवर्ती पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, ऊष्म-सह सामग्री आदि ।

संलेख में भारत से अपरम्परागत मदों का निर्यात बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है । इनमें इंजीनियरी तथा उपभोक्ता माल शामिल हैं, जैसे कि रेल-डिब्बे, स्पन पाइप, इस्पात के पाइप तथा जुड़नार सहित लोहे तथा इस्पात की ढली हुई वस्तुएं, हाथ के औजार तथा न्यूमेटिक औजार, मोटर-गाड़ियों के अनुषंगी साधन, बिजली की घरेलू वस्तुएं, डिब्बाबंद फल तथा रस, सिलेसिलाये परिधान, ऊनी बुने हुए कपड़े, रेयन वस्त्र की होजरी तथा बुने हुए कपड़े, रेशमी वस्त्र आदि । ये मदें, निम्न-लिखित प्रकार की विभिन्न परम्परागत वस्तुओं के निर्यात के अतिरिक्त होंगी :— चाय, काफी, काली मिर्च, तेल रहित खली, लौह अयस्क, साधित अभ्रक, कमायी हुई तथा अर्धकमायी हुई खालें तथा चमड़ियां, पटसन माल, सूती वस्त, हथकरघा माल, कालीन आदि ।

विदेशों के साथ व्यापार-समझौता

1776. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 के दौरान किन-किन देशों के साथ सरकार ने व्यापार-समझौते किये ; और

(ख) सोवियत संघ के साथ भारत ने कितने समझौते किये हैं और उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) अफगानिस्तान, बंगला देश, इराक, नेपाल तथा पेरु ।

(ख) 26-12-1970 के बाद सोवियत संघ के साथ ऐसे किसी नए करार पर हस्ताक्षर नहीं हुए, जो 31-12-1975 तक वैध हो ।

मन्दिरों और धार्मिक स्थानों को तीर्थ यात्रियों को दिखाने के लिये पण्डों को परिचयपत्र देने का प्रस्ताव

1777. **श्री जी०वाई० कृष्णन्** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के मुख्य नगरों में मन्दिरों और अन्य धार्मिक स्थानों को तीर्थ यात्रियों को दिखाने के लिए पण्डों को परिचय-पत्र देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) और (ख) 25 दिसम्बर 1972 के नार्दर्न इण्डिया पत्रिका में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार वाराणसी के जिला प्राधिकारियों ने वाराणसी की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों के धार्मिक एवं कर्मकाण्ड सबंधी संस्कार कराने वाले पंडों को पंजीकृत करने का निर्णय किया है । परन्तु राज्य सरकार से इस प्रस्ताव की सरकारी तौर पर कोई पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है ।

पर्यटकों के भारत में प्रवास के पश्चात् उनके विचार और सुझाव प्राप्त करने के लिये की गई व्यवस्था

1778. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटकों के भारत में प्रवास के पश्चात् उनके विचार और सुझाव प्राप्त करने के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है ;

(ख) क्या पर्यटकों को हुई कठिनाइयां इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप सरकार के ध्यान में आई हैं ; और

(ग) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) पर्यटन विभाग द्वारा समय समय पर पर्यटकों से उनकी भारत यात्रा के बारे में उनके विचार जानने के लिये नमूने के तौर पर सर्वेक्षण किये जाते हैं।

(ख) और (ग) पर्यटकों द्वारा व्यक्त की गई कठिनाइयों का सम्बन्ध प्रायः परिवहन सुविधाओं, आवास, और दुकानों से खरीदी हुई वस्तुओं के वितरित न होने से संबंधित होती हैं। इन सभी शिकायतों को उपचारी कार्यवाही के लिये संबद्ध अभिकरणों के साथ उठाया जाता है।

धन की अधिकतम सीमा निश्चित करने सम्बन्धी प्रस्ताव

1780. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से धन की अधिकतम सीमा निश्चित करने के लिए अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने उक्त अनुरोध किया हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्रमिक सहकारी समितियों को चाय बागान (एस्टेट्स) सौंपना

1781. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार श्रमिक सहकारी समितियों को चाय बागान सौंपने को प्रोत्साहित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की मोटी रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) ऐसी कोई प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

गुलबर्गा (मैसूर) में हवाई अड्डे के निर्माण का प्रस्ताव

1782. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गुलबर्गा (मैसूर) में हवाई अड्डे के निर्माण के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी बाजारों को भारतीय रेशम के निर्यात में कमी

1783. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में विदेशों के मुकाबले के कारण भारतीय रेशम की मांग कम होती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो विदेशी बाजारों में भारत को इस क्षेत्र में पछाड़ने वाले देश कौन-कौन से हैं ;

(ग) भारतीय रेशम उद्योग को इसके परिणामस्वरूप गत तीन वर्षों में कितनी हानि हुई है; और

(घ) विदेशी बाजारों में मुकाबले का सामना करने के लिए भारतीय रेशम की किस्म सुधारने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) थाईलैंड तथा चीन ।

(ग) निर्यातों में गिरावट 1970 से शुरू हुई । 1970 तथा 1971 में निर्यातों में गिरावट इस प्रकार थी :

1970		81 लाख रु०
1971	....	648 लाख रु०

1972 में निर्यातों में 59 लाख रु० की वृद्धि हुई ।

(घ) रेशम की घटिया दर्जों की वस्तुओं के निर्यात को रोकने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा अनिवार्य क्वालिटी नियन्त्रण पौतलदान पूर्व निरीक्षण योजना आरम्भ की गई है ।

पुरी सागर तट पर 'मेरिन ड्राइव' का निर्माण करने का प्रस्ताव

1784. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरी सागर तट पर, कोणार्क तक के लम्बे रूट के निर्माण तक, एक छोटे मेरिन ड्राइव का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) केन्द्रीय सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशों में रहने वाले भारतीय व्यापारियों द्वारा धन का स्वदेश भेजा जाना

1785. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशों में रहने वाले भारतीय व्यापारियों द्वारा अपनी आय को स्वदेश भेजने का स्वागत करेगी और उक्त अन्तरण को पर्याप्त प्रोत्साहन देगी ; और

(ख) क्या सरकार को विदेशों में रह रहे ऐसे भारतीय व्यापारियों की जानकारी है जो अपनी आय को स्वदेश भेजने के इच्छुक हैं और यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) देश में प्रेषित की जाने वाली रकमों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। सरकार ऐसी प्रेषणाओं का स्वागत करती है तथा भारत में निवेश के लिये पर्याप्त सुविधाएं भी प्रदान करती है।

(ख) जी, नहीं।

राज्यों की ओर केन्द्रीय ऋणों की बकाया राशि की अधिकतम सीमा

1786. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों की ओर केन्द्रीय ऋणों की राशि की कोई सीमा है ;

(ख) क्या गत दो वर्षों में ऋणों की नियमित वापसी होती रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो दोषी राज्यों के क्या नाम हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल और मेघालय कीं सरकारों को छोड़ कर बाकी सभी राज्यों ने पिछले दो वर्षों में अपने द्वारा देय ऋण चुका दिये थे ; उपर्युक्त राज्यों ने पूरी राशि नहीं चुकायी।

मूल्य-वृद्धि

1787. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1972 के उत्तरार्द्ध में मूल्य में वृद्धि का औसत क्या है ; और

(ख) वर्ष 1970 और 1971 के उत्तरार्द्ध में औसत मूल्य वृद्धि के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) और (ख) 1972 की पहली छमाहीं के थोक मूल्यों के सूचक अंक की अपेक्षा 1972 की दूसरी छमाही का सूचक अंक 8.0 प्रतिशत अधिक था। 1970 और 1971 के तदनुरूप आंकड़े क्रमश: 3.1 प्रतिशत और 3.8 प्रतिशत हैं।

विदेशों द्वारा भारत में विकास कार्यों पर लगाई गई पूंजी

1788. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **वित्त मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि फ्रांस, जापान, कनाडा, चैकोस्लाविया ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों के विकास कार्यों में अब तक कुल कितनी पूंजी का निवेश किया है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) भारत में विदेशी निवेशों के सम्बन्ध में मार्च, 1969 के अन्त तक की सूचना उपलब्ध है। एक विवरण संलग्न है, जिसमें उपर्युक्त तारीख की स्थिति के अनुसार, फ्रांस, जापान, कनाडा तथा चैकोस्लोवाकिया द्वारा किये गये निवेशों का उद्योगवार स्थूल ब्यौरा दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-4365/73]** इसके अतिरिक्त, देश के विभिन्न क्षेत्रों में "विकास सम्बन्धी निर्माण कार्यों" के लिये किये गये इन निवेशों का और ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

सरकारी उपक्रमों में उच्च पदों पर कार्य कर रहे विदेशी

1789. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने सरकारी उपक्रमों में विदेशी नागरिक उच्च पदों पर विशेषज्ञों के रूप में कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या उनके स्थान पर भारतीय नागरिकों को नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या किन्हीं भारतीयों को इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये विदेश भेजा गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) केन्द्रीय सरकार के लगभग 25 उद्यमों ने पहली जनवरी, 1972 को वरिष्ठ पदों पर नियमित आधार पर प्रत्यक्ष रूप से विदेशियों को नियुक्त किया था।

(ख) और (ग) सरकार की नीति केन्द्रीय सरकार के उद्यमों में नियुक्त विदेशियों के स्थान पर शीघ्रातिशीघ्र स्वदेशियों को रखने की है। इस उद्देश्य के लिए भारतीयों को अध्ययनार्थ नियुक्त करने के लिए व्यवस्था की जाती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे विदेशियों से काम सम्भाल लें। इस व्यवस्था के अन्तर्गत, जहां आवश्यक हो, देश से बाहर विदेशी सहयोगियों के साथ या अन्यथा प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है।

Export of Mica to Russia

1790. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state.

(a) whether India could not secure an order from Russia for the supply of Mica worth 4 crores of rupees simply because M. M. T. C. failed to give adequate information to those engaged in Mica trade ; and

(b) The value of the order for the supply of Mica received by India from Russia at present and how does it compare with that of last two years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) & (b) Mica valued at Rs. 4.19 crores was exported to the USSR in 1971-72. After the export

of mica was canalised through the MMTC, the Corporation entered into contracts for supply of mica valued at Rs. 6.07 crores to the USSR in 1972. Negotiations for supply of mica in 1973 are currently in progress with the Mica Purchase Mission from the USSR.

Proposal to Introduce Janta Air Service

1791. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to introduce 'Janta Air Service' to provide the common man with an opportunity to travel by air ;

(b) whether Government propose to increase the number of air flights on the occasion of special festivals and on special occasions ; and

(c) if so, the broad outlines of the proposal ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Janta air services are already in operation on some of the routes in the Eastern Sector. There is no proposal at present to extend the scope of these services.

(b) & (c) Subject to availability of aircraft Indian Airlines operates additional flights where necessary and possible.

Exemption to Foreign Technicians from payment of Income-tax

1792. **Shri M. S. Purty** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether foreign technicians and contractors are also assessed to income-tax ; and

(b) whether some of them have been exempted therefrom and if so, the number of such foreigners granted exemption in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Yes, Sir.

(b) The remuneration due to or received by foreign technicians chargeable under the head "Salaries" is exempted from income-tax in accordance with section 10 (6) (vii)/(viia) of the Income-tax Act, 1961, if they come within the definition of the term 'Technician' and satisfy other conditions specified therein. Foreign contractors, as such, are not exempt from Income-tax.

The number of foreign technicians who have been granted exemption during the last eight years, for which the statistics are available, is as under:—

Financial year in which contracts of service were approved by Government.	Number of foreign technicians
1964–65	1345
1965–66	1058
1966–67	1541
1967–68	843
1968–69	900
1969–70	882
1970–71	531
1971–72	599

Smuggling of Narcotics to Nepal

1793. **Shri M. S. Purty**
Shri Ishwar Chaudhry

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) The number of persons arrested during 1972 in connection with illegal sale of intoxicants, such as opium etc. to Nepal and the names of the countries whose nationals were involved in this illegal sale ; and

(b) the number of cases pending action at present in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) and (b) The Government have not received any report regarding seizure of opium, charas and ganja or arrest of any person in connection with illegal sale or traffic of these drugs to Nepal during 1972.

Place of Indian Silk in World Market

1794. **Shri M. S. Purty**
Shri Ishwar Chaudhry

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state the place occupied by Indian Silk products in export markets of the world ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : Exports of silk goods from India during 1971 and 1972 were of the order of Rs. 702 lakhs and Rs. 760 lakhs respectively. Statistics of global trade in silk goods, as available from F. A. O.'s Report, relate to the year 1970 alone. During that year the global trade was of the order of 6995 metric tons of which India's share was 440 metric tons. The value of India's exports was Rs. 1350 lakhs.

पर्ल होजरी मिल्स लुधियाना

1795. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्ल होजरी मिल्स (लुधियाना) 1969 से बन्द पड़ी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस मिल को खोलने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ग) क्या इसके अधिग्रहण के लिये कोई मांग की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

स्पेशल फाइबर यार्न का मूल्य

1796. **श्री भान सिंह भौरा :**
मौलाना इशहाक सम्भली :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों की अवधि में स्टेपल फाइबर यार्न के मूल्यों में 55 प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि इस अवधि में इसके लिए अपेक्षित कच्चे माल के मूल्यो में हुई वृद्धि नगण्य ही है ;

(ख) क्या गत दो वर्षों की अवधि में स्टेपल फाइबर यार्न के 'स्पिनिंग' प्रभार 1.35 रुपये से बढ़कर 5.17 रुपये प्रति किलोग्राम हो गये हैं ; और

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप छोटे करघा एककों में काम करने वाले बहुत से लोग बेरोजगार हो गये हैं जिससे ये एकक अपंग हो रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

ऊनी रेशा वितरण जांच समिति

1797. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1964 में नियुक्त ऊनी रेशा वितरण जांच समिति ने सिफारिश की थी कि 'कोटा' देने की नीति का हर तीसरे वर्ष पुनरीक्षण किया जाये ;

(ख) क्या समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि कारखाने की वास्तविक जांच पड़ताल के पश्चात् कोटा दिया जाना चाहिए ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं कि पर्ल होजरी मिल्स (लुधियाना) जैसे संकटाग्रस्त कारखाने को प्रतिवर्ष 1,98,364 पौंड का कोटा मिल रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) यह निर्देश स्पष्ट रूप से जुलाई, 1964 में नियुक्त ऊनी होजरी धागा वितरण जांच समिति के सम्बन्ध में है। इस समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में ऐसी कोई सिफारिश नही की गई थी कि प्रत्येक तीन वर्ष बाद कोटा देने की नीति का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए।

(ख) समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की थी कि जबकि वर्तमान आधार पर धागे का वितरण जारी रखा जा सकता है, (अर्थात् खरीद तथा बिक्री वोचरों, बिक्री-कर विवरणियों, क्रय-कर विवरणियों तथा अन्य प्रतिसंदर्भों से प्रमाणित रूप में पिछली खपत) प्रत्येक मामले में संस्थापित क्षमताओं कारखाने के निरन्तर चलने तथा श्रमिकों के उपस्थिति रजिस्टर की जांच करके उसमें वृद्धि की जा सकती है।

(ग) पंजाब में विकेन्द्रित क्षेत्र में होजरी एककों को कच्चे माल का कोटा उद्योगों के राज्य निदेशक के माध्यम से वितरित किया जाता है जो होजरी उद्योग के सम्बन्ध में आयातित कच्चे माल के प्रयोग की जांच करता है और उचित प्रमाणीकरण के पश्चात् प्रत्येक वर्ष नियमित पात्र कोटा-धारियों की सूची वस्त्र आयुक्त बम्बई को भेजता है। उन एककों के सम्बन्ध में जो पूर्व आवंटित आयातित कच्चे माल के कोटे का समुचित रूप से प्रयोग नहीं करते, उद्योग निदेशक कोटे को रोके रखने की सिफारिश करता है। पर्ल होजरी मिल के सम्बन्ध में उद्योग निदेशक ने कोटा रिलीज करने की सिफारिश की थी और इसलिए पर्ल होजरी मिल का कोटा रिलीज कर दिया गया था।

दिल्ली में छोटे सिक्कों की दैनिक आवश्यकता

1798. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस देश में, विशेष रूप से दिल्ली में छोटे सिक्कों की कितनी आवश्यकता है ;

(ख) सरकार द्वारा कितने प्रतिशत आवश्यकता पूरी की जा रही है ; और

(ग) आवश्यकता और पूर्ति में यदि कोई अंतर है तो उसे पूरा करने के लिए सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) चालू वित्तीय वर्ष के लिए देश में 28.65 करोड़ रुपये के मूल्य के लगभग 223 करोड़ सिक्कों की वार्षिक आवश्यकता है। केवल

दिल्ली की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष की आवश्यकता का करीब 90 प्रतिशत भाग सरकार द्वारा पूरा किया जायगा ।

(ग) अगले वित्तीय वर्षों अर्थात् 1973-74 में सरकार टकसालों में भारी उत्पादन करने के प्रयत्न जारी रखेगी । सरकार ने पहले हीं परस्पर व्याप्त (ओवरलैपिंग) या नियमित पारियों के ज़रिये टकसालों के कार्य के घन्टों को बढ़ा दिया है और छोटे सिक्कों के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से बम्बई टकसाल में उत्पादन सम्बन्धी प्रोत्साहन देने शुरू किए हैं । कुछ सिक्कों के धातु मिश्रण में भी परिवर्तन किया गया है ताकि उत्पादन की दर को बढ़ाया जा सके और पिघलाए जाने के प्रयोजन से इनका उपयोग किए जाने के खतरे को दूर किया जा सके । छोटे सिक्के (अपराध) अधिनियम 1971 भी लागू किया गया है जिसके जरिए इन सिक्कों का पिघलाया जाना तथा पिघलाए जाने के उद्देश्य से इनकी जमाखोरी करना कानूनी अपराध करार दिया गया है । रिजर्व बैंक के काऊंटरों पर लोगों को वितरित किए जाने वाले सिक्कों की मात्रा भी, बढ़ा दी गयी है और प्रामाणिक लेन-देनों के लिए, बैंकों, सरकारी विभागों, परिवहन उपक्रमों, मिलों, होटलों, कम्पनियों और व्यापारिक संगठनों जैसे संस्थानों की आवश्यकताओं को, छोटे सिक्कों के कोटे का निर्धारण करके, बराबर पूरा किया जा रहा है । सिक्कों की स्थानीय कमी के बारे में हमेशा प्राथमिकता के आधार पर कारवाई की जाती है । जैसे ही किसी विशिष्ट केन्द्र से शिकायत मिलती है, रिजर्व बैंक उन शिकायतों की जांच करता है और बैंक के स्टाक की स्थिति के अनुसार, आवश्यक और अनुमत मात्रा में अतिरिक्त सिक्के भेजता है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कुप्रबन्ध

1799. **श्री बनमाली पटनायक :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम कुप्रबन्ध से ग्रस्त हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) यद्यपि सरकारी क्षेत्र के प्रबन्धकवर्ग में सुधार की गुंजाइश सदा ही बनी रहेगी फिर भी यह कहना ठीक नहीं होगा कि इन उद्यमों की प्रबन्ध व्यवस्था आमतौर से खराब है ।

(ग) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट में प्रशासनिक सुधार आयोग को और सरकारी उपक्रमों से सम्बन्धित समिति को सरकारी उद्यमों के प्रबन्ध कार्य का अध्ययन करने और उनमें सुधार की सिफारिशें करने के अनेक अवसर मिले हैं । प्रशासनिक मन्त्रालय और सरकारी उद्यम कार्यालय भी सरकारी उद्यमों के कार्य पर लगातार नजर रखते हैं, ताकि उनकी कमियों का पता लगाया जा सके, उनकी प्रबन्ध सम्बन्धी क्षमता को बढ़ाया जा सके और उन कमियों को सुधारने के लिये उचित समय पर कार्रवाई की जा सके । सरकारी क्षेत्र के प्रबन्धकवर्ग में सुधार करने के लिये

उठाए गये कुछ महत्वपूर्ण कदम ये हैं :—

(i) सरकारी उद्यमों को सरकार की ओर से और उद्यमों के अन्दर उपयुक्त अधिकारों सहित अधिक स्वायत्तता देना ।

(ii) प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कर्मचारियों पर निर्भरता में कमी करना ।

(iii) सभी स्तरों पर कर्मचारियों के चयन की पद्धति में सुधार करना ।

(iv) वैज्ञानिक आधार पर निर्मित विकास कार्यक्रम अपनाना ।

(v) परियोजना निर्माण, निर्माण सम्बन्धी मितव्ययता, वित्तीय प्रबन्ध, सामग्री प्रबन्ध, सूचना प्रणाली और श्रमिक-सम्बन्धों आदि के क्षेत्रों में आधुनिक प्रबन्ध तकनीकों को अपनाना ।

(vi) उपयुक्त पुनरीक्षण एवं मूल्यांकन तन्त्र लागू करना ।

सरकारी उपक्रमों में श्रमिक प्रबन्ध विवाद

1800. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम श्रमिक प्रबन्ध विवादों से ग्रस्त हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) श्रमिक प्रबन्ध सम्बन्धों को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) यह कहना ठीक नहीं होगा कि सभी सरकारी उद्यमों में श्रमिक और प्रबन्धक वर्ग के सम्बन्ध असन्तोषपूर्ण हैं । अनेक उद्यमों में औद्योगिक सम्बन्ध सदभावपूर्ण थे यद्यपि कुछ एक उद्यमों को समय समय पर औद्योगिक आन्दोलनों का सामना करना पड़ा है । विकासशील अर्थ-व्यवस्था में औद्योगिक सम्बन्धों पर सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था में व्यापक महत्वपूर्ण परिवर्तनों के परिपेक्ष्य में विचार करना आवश्यक है ।

जहां जहां भी औद्योगिक सम्बन्धों की समस्याएं सामने आई हैं वहां उनके मुख्य-मुख्य कारण सेवा शर्तों, अधिक मजदूरी अथवा छुटपुट लाभों के लिये दावों के सम्बन्ध में शिकायतें, मजदूरों के संघों के बीच भेदभाव आदि प्रतीत होते हैं ।

(ग) सरकार यह मानती है कि सरकारी उद्यमों सहित देश भर में सद्भावपूर्ण औद्योगिक सम्बन्धों को श्रमिकों और प्रबन्धकवर्ग के बीच एकता और भागीदारिता को बढ़ावा देने वाले विभिन्न कदम उठाकर और बढ़ाना होगा । इस उद्देश्य के अंश के रूप में अब तक दिए गए कतिपय उपायों में ये शामिल हैं :—

1. भरती और पदोन्नति नीति के निर्धारण में श्रमिकों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श ;

2. शिकायतों को जल्दी से दूर करने के लिये प्रक्रिया ;

3. श्रमिक कल्याण कार्यों का मुस्तैदी से क्रियान्वयन ;

4. श्रमिकों को प्रशिक्षण और शिक्षा, प्रबन्धकार्य में और अधिक भागीदारिता की भूमिका ;

5. प्रत्येक उद्योग के अन्दर विभिन्न संयुक्त प्रतिनिधि ढांचों में श्रमिकों को शामिल करना;

6. राष्ट्रीय उद्देश्यों की उपलब्धि के लिये श्रमिकों और प्रबन्धकवर्ग के बीच अधिक विश्वास और भागीदारिता की भावना पैदा करना ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

संघ लोक सेवा आयोग की अंग्रेजी टंकण परीक्षा के बहिष्कार का समाचार

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra): I call the attention of the Prime Minister to the following matter of urgent Public importance and request that she may make a statement thereon:

"Reported boycott of UPSC test in English for typewriting examination on the 27th February 1973 in protest against compulsory test in English."

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha): There is a regular cadre of Stenographers (Grade II) in the Central Secretariat and allied offices. The post is in the scale of Rs. 210-530 and carries Class II status in the Central Secretariat. Recruitment to this grade against the direct recruitment quota is made through an open competitive examination held by the U. P. S. C. every year.

2. The minimum educational qulification prescribed for admission to the said examination is matriculation or equivalent. The syllabus of the examination held on 27-2-1973, as notified on the 12th August, 1972, was as follows:—

PART A—WRITTEN TEST

Subject		Maximum Marks
(i) English	..	100
(ii) General Knowlege		100

PART B—Shorthand tests in Hindi or in English for those who qualify at the written test. 300 Marks

Candidates are allowed the option to answer the paper (ii) on General knowledge of the Written Test either in Hindi (Devnagari) or in English. The standard of the question papers is approximately that of the Matriculation Examination. Out of 500 aggregate marks, only 100 marks are for the English paper.

3. All the candidates who appeared in the Examination on 27-2-1973 applied on the basis eofht Yules of the Examination notified and supplied to them. There has been no boycott of the examination as such. It has been reported by the U. P. S. C. that out of 1127 candidates who took the examination held on 27-2-1973 from the Delhi Centre, only one candidate

protested and tore up the question paper in English. There is no report of any such action from the other Centres in the country where the examination has been held.

4. The bulk of the work in the Central Secretariat is still carried on in English and some knowledge of English by the stenographers is required for satisfactory and effective performance of their duties. The new entrants to the Service are therefore tested in English also.

Shri Shanker Dayal Singh : I have heard the statement of the Minister of State in the Ministry of Home Affairs with attention. I received a copy of statement a little earlier; but after going through it, I found that instead of being solved, the matter has become more complicated. The question of language is as important as the question of meal and butter. This question has been raised a number of times in the House and the incident related to the same question. According to the statement there has been no boycott of examination as such. However , according to the newspapers, there was boycott of UPSC test in English typewriting in protest against compulsory test in English and a candidate, Kamal Kishore Singhal, tore up the question paper in English.

Article 343 (1) of the Constitution clearly lays down that the Official language of the Union shall be Hindi in Devnagari script. It also provides that it shall be the duty of Union to propagate and develop the Hindi language.

In the official Act, passed in 1963, similar provisions have been made. It has been our effort that Hindi must get its rightful place and we should be free from the slavery of English. I want to make it clear that in supporting Hindi, I do not mean any opposition to any other Indian language. I have regard for all the Indian languages and I want that all other Indian languages should also be given their due place along with Hindi. But we must get rid of the stigma of the foreign language. The candidate who boycotted the examination must have some family liabilities and he must have set his hopes on the examination thinking that he would get a promotion and would be able to give better financial support to his family. This and also some other feelings in his mind were reflected in his act of boycotting the examination.

It is not that I advocate the cause of Hindi because I happen to be a Hindi-speaking person. I support the propagation of all regional languages. English is a compulsory paper in Stenographers' examination along with Hindi. If, instead of English, regional languages like Kannada, Telugu, Bangla, Punjabi etc. had been made compulsory, I would have been very happy, and would have nothing to say. But it is improper to make compulsory a foreign language which has created hatred and malice. I have respect for English literature. I worship the great writers of the language and try to read their works. But I am opposed to it because it is a symbol of slavery and creates hatred. So far as you do not remove a foreign language from the administration of the country, Mahatma Gandhi's "Ram Rajya" cannot be achieved. I would like to read out an extract from the discussion on the Official Language Bill in 1967 on 14th December, 1967 Mr. S. M. Banerjee taking part in the discussion said:

"Those who want to retain English can retain it for ever, we have no objection to it. But it would be wrong to impose English on those who do not want to speak or learn it."

I hope that the hon. Minister will appreciate this spirit.

I would also like to draw his attention to his Ministry's report for the year 1971-72. We have not received the report for this year so far. Therefore, I am quoting the report of the last year. It said that 'efforts should be made to ensure that Heads in the various Ministries/Departments fulfil all their requirements in respect of Hindi typewriters and all the heads of the Central Government offices located in Hindi-speaking areas should purchase 60 percent of their require-

ments of Hindi typewrites.' You cannot achieve your aim unless you encourage the Hindi stenographers. The candidate who boycotted the examination did so keeping this fact in view.

I would like to make certain suggestions to the hon. Minister :

(1) The essential condition of qualifying in English paper should he dispensed with in regard to the stenographers opting for Hindi medium and the examination conducted on the 27th February, 1973 should be cancelled.

(2) In case the examination is not cancelled, the result of this examination should be postponed pending exemption to the Hindi stenographers from the paper of English language.

(3) The candidates opting for Hindi medium in other examinations should also not be subjected to discrimination and English should not be made compulsory for them.

(4) A candidate should be allowed to choose his mothertongue as the medium of examination and English should not be made compulsory for those-who choose Indian languages as their medium.

(5) Section 3 (4) of the amended Language Act of 1967 should be made applicable to those opting for Hindi medium in the same way as it is applicable to those opting for English medium.

In 1917, Mahatma Gandhi said. "It appears from the attitude of our educated people that everything will come to a standstill without English. However, if we go a little deeper, we will find that English cannot and should not be the national language."

Shri Ram Niwas Mirdha : I have respect for the sentiments of the hon. Member. But the scope of present issue is limited. The point is whether compulsory paper of English can be dispensed with in the examination or not. The Parliament has adopted an official language policy under which both Hindi and English could be used for official work. The factual position at present is that mostly English is being used in the Central Secretariat and other offices, so Government is of the opinion that some knowledge of English should be necessary for stenographers so that the work may go on smoothly.

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur) : The Government are not implementing the Act in regard to language passed by the Parliament and they are violating the provisions of the Constiution. The hon. Minister has stated that bilingual policy will be followed under this Act. I agree with this.

Section 3 (4) of the Act provides "that they are all not placed at a disadvantage on the ground that they do not have proficiency in both the languages" It means that a person who does not have knowledge of English or a person who does not have knowledge of Hindi will not be put to any inconvenience. But the officials of Home Ministry and the Government are openly violating the Act. Why a matriculate who is not well-versed in English is compelled to appear in English paper which is so difficult ?

This question is not a limited one as the hon. Minister has stated. It is a very big question in the sense that by imposing this compulsion, Government do not want that Hindi-knowing people should enter the Government service and if they somehow or other are able to enter the Government service, they would not be able to have any promotion. For example, in the stenographers test during the last two years, 90 percent of the stenographers were those who were English-knowing.

The reason for this is that by making English compulsory, Hindi-knowing people have been prevented from entering the service.

When our Ministers and M. P.'s are in need of votes and people's support, they talk in Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam and Hindi but when they come here they put pressure against these Indian languages. Where has the Government's principle of equality of opportunity gone ? In the present situation, what will be the lot of millions of Indian youths who get education only up to matriculation and are unable to study up to B.A. or M.A. ? The children of the Ministers, High officials and businessmen after getting education in modern and other public schools can join I.A.S. and I. P. S., but the children of the farmers can only sit in the stenographers' examination after passing their matriculation.

I do not say that English should not remain in our country. Let it remain by all means. But when it is not compulsory for English stenographers to know Hindi, why is it compulsory for Hindi stenographers to know English ? The hon. Minister has also said that most of the work in the Secretariat is done in English. But I ask why ? Is it according to the Constitution and the Language Act ? If a provision has been made in the law that there will be lwo languages, does this not mean that both English and Hindi will remain in the working of the Secretariat ?

What has happened to the Committee which was to ensure gradual development of Hindi ? If you want to develop Hindi, I want to ask whether under that Committee whose Chairman is the Prime Minister, is it English which is flourishing or Hindi ? I do say under this Committee Hindi is on the decline. If that is not so, why 90 percent of the employees are selected from the English-knowing class ? In the Ministry of Home Affairs itself, under which this Translation Bureau is functioning, a post of senior stenographer was advertised; but only those were called for interview who had kuowledge of English. When a Hindi stenographer applied for the promotion, the duration of experience was extended from three to five years. And when this news appeared in the newspapers that a Junior Hindi stenographer was not promoted, it was said that he was responsible for the publication of that news and a C.B.I.inquiry was institued against him. What a glorious record of Government's Hlndi Policy it is !

I would, therefore, like to know when will this compulsion of English be done away with? If your two-language formula requires that both the languages should continue then would you make it compulsory for the English stenographers also to possess some knowledge of Hindi ?

Shri Ram Niwas Mirdha : The allegation made by the hon. Member that the Government was violating the Constitution and the law, is not correct. The work is being done strictly in accordance with the constitutional provisions. There is not one but a number of judgments of the High Court in this regard.

Now the Hon. Member says that together with English, Hindi should also be made compulsory. One of its results would be a burden on non-Hindi speaking people. Whether that would bring some improvement in the administrative work of the Government is a different matter.

I do not think it logical to burden non-Hindi-speaking people with Hindi merely because Hindi-speaking people have a compulsory burden of English which is not in accordance with our administrative policy. We cannot compel an official to work in Hindi or English when the work is going on in English or when the work is going on in Hindi. He can opt to work in Hindi or English. But since most of them work in English, some knowledge of English is an administrative necessity. We have not reached the stage where English could be replaced by Hindi. All what was said by the hon. member can be possible only when that stage comes and when that stage will come is in the hands of the House.

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : Sir, atthe time of the drafting of the Official Language Bill when both Congresses were united, some 100 people wrote to the Prime Minister that they would submit their resignation to the Prime Minister on the issue of language policy. He was not Minister at that time. Some time back Shri Chavan was there, but he left the office. He knows that hundreds of drafts were prepared and torn off. Shri L. P. Singh was the Secretary at that time. Shri Chavan told him that if he did not evolve a language according to their choice, then he would accept the draft submitted by them. Then Shri L. P. Singh prepared this draft on the basis of our draft. The Minister is perhaps not aware of this fact. The present Minister was not Minister at that time. In his statement, the Minister has said that English and General knowledge will carry maximum marks of 100 each. General knowledge does not include other languages. He should have said 'General knowledge in other languages. But that is not there. General knowledge here does not include Hindi, Telugu or Tamil. Therefore, this statement is contradictory. Secondly, he says that another test having 300 marks will have to be passed after qualifying this one. These 300 marks will include both Hindi and English. But there are already 100 maximum marks in English and General knowledge. That he has not clarified. Thus there is contradiction. He says that knowledge of English was essential. I want to know as to why the English answer paper was not presented with the statement.

If that was done, we could see that all have qualified the examination and also that the knowledge of English is equivalent to Matriculation, F. A., or B. A. It is stated that the qualification is equivalent to Matriculation. The paper should be got and checked to find out whether it was equivalent to Matriculation. It is not equivalent to the English Matriculation course in the country.

I would like to say one more thing. I want to praise that examinee. Sometime in 1912, 1913 or 1914 a man was sentenced to 3 months' rigorous imprisonment for singing a song of 'Batohiya' against the Britishers. He is the first examinee who staged a boycott. When that man from Bihar was sentenced to 3 months' rigorous imprisonment the people laughed. But you should not laugh away the present issue in the same way. India and Pakistan, as two independent States, came into being on this very basis. The question of employment I have been witnessing for the last 20 to 22 years, whereas the Minister came here only recently.

I would like you to call the man who boycotted the examination and tell him to take the examination.

I want the Minister to go into it and do not hush it up because we are being ruled by the English-knowing people right from the top to the bottom. The number of Hindi-speaking people in India is more than 20 crores. Accordingly, you should instruct them to check up the English paper and see whether it is equivalent to the Matriculation standard. Secondly, you should also note the contradiction relating to the mention of English as well as General knowledge, as contained in your statement. The Official Language Law aims at the progress of Hindi and other languages but it will have to be admitted that preference will have to be given to any of the languages after English is no more in official use in India.

Shri Ram Niwas Mirdha : The contention of the hon. Member that there is contradiction in my statement, is not correct. The standard of this paper, i. e. the standard of English paper, should be equivalent to the Matriculation standard according to the hon. Member. He says that it is above this standard. The Union Public Service Commission set this paper which is in accordance with our recruitment rules. There are two written papers: English and General Knowledge of 100 marks each. The medium of examination in general knowledge can either be Hindi or English depending on the choice of the examinee. The Government has always been trying to encourage Hindi in official working and the manner in which it is to be encouraged has time and again been discussed in the House.

Previously, papers having 500 marks were to be answered through the medium of English. We changed our rules in 1971. Out of 500 marks we kept 100 marks compulsorily for English and 400 marks for Hindi medium. If even this is not progress what can I tell the hon. Member?

We want to encourage the persons having good knowledge in Hindi. We are bringing about changes in our recruitment rules trying to find the ways and means to encourage the use of Hindi in official working and also increase the arrangements for training. The recruitment rules are being changed. I will have it enquired whether this paper was equivalent to the Matriculation standard or not. The attention of the Union Public Service Commission will be drawn towards this to see whether the paper was tough or of general standard of the Matriculation level.

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) Mr. Speaker, I wrote a letter to you and you directed the Government to give a statement about the students of Guru Govind Singh Medical College who are on hunger strike, Their condition is causing anxiety. The doctor visits them every evening. They were threatened with murder when they met the Chief Minister of Haryana. You may ask the Government to give a reply or admit our notice so that we could discuss the same.

Shri Samar Guha : They are committed to it. We have been told that certain negotiations are going on and Mr. Khadilkar is also handling the matter. Let the Minister make a statement on what they are thinking.

Mr. Speaker : You are correct....

Shri Hukam Chand Kachwai : Their agitation is a peaceful one and that is why the Government are not willing to listen. The Government will give a reply only when they resort to other methods (**Interruptions**).

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : उड़ीसा की नई घटनाओं यथा राज्य सभा के निर्वाचनों में विरोधी पक्ष की 17 मतों से विजय के बाद भी राज्यपाल द्वारा उन्हे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित न करना यह सिद्ध करता है कि यह संविधान के विरुद्ध एक षड़यंत्र है।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला राज्यपाल और उड़ीसा के विधायकों से सम्बद्ध है।

श्री पीलू मोदी : यह मामला जनता और संसद् से सम्बद्ध है।

अध्यक्ष महोदय : संसद का इससे क्या सम्बन्ध है ?

श्री पीलू मोदी : जब उड़ीसा की सरकार का पतन हो चुका है, तब संसद का इससे सम्बन्ध नहीं है तो और किसका है ?

अध्यक्ष महोदय : वहां पर राज्यपाल है जो स्वविवेक का उपयोग कर सकता है।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : राज्यपाल पर कांग्रेस के अध्यक्ष दबाव डाल रहे हैं और शीघ्र चुनाव कराने का आग्रह कर रहे हैं।

श्री पीलू मोदी : मैं सरकार को और इस संसद को चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि राज्यपाल के पद का गृह मन्त्री अथवा प्रधान मन्त्री द्वारा इस प्रकार उपयोग किया जाएगा तो इस पद को समाप्त करना पड़ेगा।

श्री पी० के० देव : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। दल बदल की व्यवस्था.....

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री सुरेन्द्र मोहन्ती : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : इस समय सभा में किसी विषय पर चर्चा नहीं हो रही है, अतः व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री सुरेन्द्र मोहन्ती (केन्द्रपाड़ा) : मैं इसके विरोध में सदन को छोड़ कर जाता हूं ।

(इसके पश्चात् सुरेन्द्र मोहन्ती सदन को छोड़कर चले गये)

(Shri Surendra Mohanty then left the House)

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा लवण अधिनियम 1944 के अन्तर्गत नियम आदि

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :–

(एक) सा० सां० नि० 1633 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-4347/73]**

(दो) सा० सां० नि० 28, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-4338/73]**

(तीन) सा० सां० नि० 62 (ङ) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-4347/73]**

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (संशोधन) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 23 (6) में प्रकाशित हुए थे ।

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अधीन जारी की गयी निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 1631 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० सां० नि० 1111 (ङ), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 12 जनवरी, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । **[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०-4339/73]**

(तीन) सा० सां० नि० 15 (ङ) से 22 (ङ), और सा० सां० नि० 24 (ङ), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । **[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०-4337/73]**

(चार) सा० सां० नि० 60 से (ङ) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

निर्यात (नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत अधिसूचना

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं निर्यात (गण-प्रकार नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1973 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां० आ० 461 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी, 1973 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 13 जनवरी, 1973 की अधिसूचना संख्या सां० आ० 162 का शुद्धि-पत्र दिया गया है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-4336/73]**

राष्ट्रपति से संदेश
MESSAGE FROM THE PRESIDENT

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि मुझे राष्ट्रपति से दिनांक 28 फरवरी, 1973 का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है ।

"मैंने 19 फरवरी, 1973 को एक-साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष जो अभिभाषण दिया था, उसके प्रति लोक-सभा के सस्दयों द्वारा व्यक्त किये गये धन्यवाद को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं ।"

राज्य सभा से सन्देश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सभा को सूचना देनी है :

(एक) कि राज्य सभा 1 मार्च, 1973 को हुई अपनी बैठक में राजनयिक और

कौंसलीय आफिसर (शपथ और फीस) (जम्मू-काश्मीर पर विस्तार) विधेयक, 1973 में 20 फरवरी, 1973 को लोक सभा द्वारा किये गये संशोधनों से सहमत हो गई है।

(दो) कि राज्य सभा 1 मार्च, 1973 को हुई अपनी बैठक में समुद्री तोपखाना अभ्यास (संशोधन) विधेयक, 1973 में 20 फरवरी, 1973 को लोक सभा द्वारा किये गये संशोधनों से सहमत हो गई है।

———

संविधान (तीसवां संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (THIRTEENTH AMENDMENT) BILL

सचिव : मैं संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किया गया तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त संविधान (30वां संशोधन) विधेयक, 1972 की एक प्रति, राज्य सभा के सचिव द्वारा विधिवत् प्रमाणीकृत, सभा-पटल पर रखता हूं।

———

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

27वां प्रतिवेदन

श्री के० एन० तिवारी (बेतिया) : मैं औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)—औद्योगिक लाइसेंस देने के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति के 19वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 27वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

———

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

73वां प्रतिवेदन

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं रेलों के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के 45वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 73वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

———

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मुझे यह घोषणा करनी है कि सोमवार, 5 मार्च,

1973 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :–

(1) मूल्यों में वृद्धि सम्बन्धी प्रस्ताव पर चर्चा, जो सर्वश्री ज्योतिर्मय बसु और समर गुह द्वारा पेश किया जायेगा ।

(2) स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1973, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में ।

(विचार तथा पास करना)

(3) आज की कार्य सूची की किसी ऐसी सरकारी कार्य की मद पर विचार जिस पर चर्चा समाप्त न हुई हो ।

(4) वर्ष 1973-74 के सामान्य बजट पर सामान्य चर्चा ।

श्री जी० विश्वनाथन (वान्डीवाश) : क्या आप विशेषाधिकार के प्रस्ताव पर चर्चा के लिये समय दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : जब कोई सदस्य किसी प्रश्न के दिये गये उत्तर से संतुष्ट नहीं होता निदेश 115 अथवा नियम 377 के अनुसार वह मामला उठाया जा सकता है । परन्तु यदि वह इसे विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में उठाना चाहते हैं तो मैं विधि मंत्री के साथ मिलकर बताऊंगा कि इस मामले में क्या किया जा सकता है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : कल संसदीय कार्य मंत्री ने बताया था कि वह एक तिथि नियत करेंगे ।

श्री के० रघुरामैया : अध्यक्ष महोदय के साथ परामर्श करके आगामी सप्ताह कोई तारीख नियत की जाएगी ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : आपने एक अन्य मामले पर अर्थात् मालवीय समिति के प्रतिवेदन और सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सम्बन्ध के बारे में भी ध्यान देने का आश्वासन दिया था ।

अध्यक्ष महोदय : चेयरमैन को पत्र भेजा गया है । मैं उनसे मिलने के बाद सूचित करूंगा ।

श्री के० रघुरामैया : आपने विधि मंत्री से मिलने के पश्चात तारीख निश्चित करने को कहा है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्रा : मैंने मामला नियम 222 के अंतर्गत उठाया है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसका अध्ययन करना पड़ेगा ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : विधि मन्त्री के पास क्यों यह मामला भेजा जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में आश्वस्त होना चाहता था कि इसमें वैधता का कोई प्रश्न है अथवा नहीं ।

श्री जी० विश्वनाथन : नियमानुसार सभा में चर्चा की जा सकती है। इसे विधि मन्त्री को नहीं भेजा जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : मैंने बताया कि मैं मंत्री महोदय के पास स्पष्टीकरण के लिए भेजूंगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : विधि मन्त्री भी वाद-विवाद में भाग ले सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने विशेष रूप से कहा था कि मैं इस पर ध्यान दूंगा। परन्तु अब वह विशेषाधिकार का मामला उठाना चाहते हैं।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : आरम्भ से ही यह मामला विशेषाधिकार का है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : आपको ऐसे मामलों में विलम्ब नहीं करना चाहिए। इससे गम्भीर मामले उठते हैं।

श्री समर गुह (कन्टाई) उड़ीसा की नवीनतम घटनाओं पर सरकार की ओर से शीघ्र वक्तव्य दिया जाना चाहिए। राज्यपाल को इस मामले में इतना समय नहीं लेना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रकार अनुमति नहीं दे सकता।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : इस सभा में राज्यपाल की कार्यवाही की निन्दा नहीं की जानी चाहिए।

श्री समर गुह ; यह सांवैधानिक मामला है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हैं। गृह मंत्री इस सदन के प्रति उत्तरदायी हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप राज्य के मामले यहाँ नहीं उठा सकते।

श्री समर गुह : यह सदन मुख्य मंत्री के त्यागपत्र के बारे में वक्तव्य की मांग कर सकता है। क्या यह ठीक नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : आप जो आगे कहना चाहते हैं वह कहें।

श्री समर गुह : क्या मैं यह मामला उठा सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : आप जो कहना चाहते थे कह चुके हैं।

श्री समर गुह : मैं भावी जानकारी के लिये पूछ रहा था।

कल वित्त मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने प्रेस कान्फ्रेन्स में वेतन आयोग के बारे में गम्भीर बात कहीं।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें कोई मामला उठाने से पूर्व मुझे सूचित करना चाहिए।

श्री समर गुह : उक्त प्रवक्ता ने बताया कि बजट में 85 करोड़ रुपए के घाटे के, वेतन आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप 200 करोड़ रुपए तक बढ़ जाने की सम्भावना है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस बारे में प्रस्ताव रख सकते हैं।

श्री समर गुह : सरकार द्वारा स्पष्टीकरण देने वाले वक्तव्य से कार्य चल सकता है।

इस प्रकार के वक्तव्य का अभिप्राय यह है कि वेतन आयोग से अपनी सिफारिशों को सीमित का आग्रह किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार भाषण नहीं दे सकते।

जब मंत्री महोदय ने सभा के कार्य की घोषणा की है तब कोई भी सदस्य कोई मामला रख है, परन्तु इस प्रकार भाषण नहीं दे सकता।

श्री समर गुह : मैं आपसे सहमत हूं।

मैं चाहता हूं कि सरकार वेतन आयोग के बारे में की गई टिप्पणी पर स्पष्टीकरण दे।

अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध विधेयक
UNTOUCHABILITY (OFFENCE) AMENDMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS BILL

संयुक्त समिति के लिए सदस्य का नाम निर्देशित करने की राज्य सभा को सिफारिश

श्री एस० एम० सिद्दय्या (चामराजनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 का संशोधन और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में, उक्त समिति की सदस्यता से श्री भोला पासवान शास्त्री द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर राज्य सभा का एक सदस्य नियुक्त करे और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में ऐसे नियुक्त किये गये सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 का संशोधन और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में, उक्त समिति की सदस्यता से श्री भोला पासवान शास्त्री द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर राज्य सभा का एक सदस्य नियुक्त करे और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में ऐसे नियुक्त किये गये सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

कोयला खान (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक
COAL MINES (TAKING OVER MANAGEMENT)—BILL

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कोयला

उत्पादन के युक्तिपूर्ण और समन्वित विकास को सुनिश्चित करने की दृष्टि से तथा देश की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुकूल कोयला स्रोतों का अधिकतम उपयोग करने के लिए, कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण होने तक, लोक-हित में उनके प्रबन्ध-ग्रहण और उससे सम्बन्द्ध या अनुषंगी मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कोयला उत्पादन के युक्तिपूर्ण और समन्वित विकास को सुनिश्चित करने की दृष्टि से तथा देश की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुकूल कोयला स्रोतों का अधिकतम उपयोग करने के लिए, कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण होने तक, लोक-हित में उनके प्रबन्ध-ग्रहण और उससे सम्बद्ध या अनुषंगी मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : मैं सिद्धांत रूप से प्रस्ताव का विरोधी नहीं हूं। हम चाहते हैं कि खानों के प्रबन्ध को अधिकार में लेने के स्थान पर उनका सीधा राष्ट्रीयकरण किया जाना।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान दो-तीन बातों की ओर दिलाना चाहता हूं। अध्यादेश की भ्रामक भाषा के कारण विभिन्न न्यायालयों में कई मामले उठे। कोयला खान की परिभाषा अपूर्ण सी दी गई है।

वर्कशापों और बिजली के केन्द्रों को कोयला खान के अन्तर्गत लिया गया जिससे कानूनी अड़चनें पैदा हो जाती हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि इस प्रारम्भिक अवस्था में यह बातें न उठायें।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : यदि माननीय सदस्य अपने सारे सुझाव मुझे दे दें तो मैं उनका अभारी होऊंगा। मैं उनके सुझावों को ध्यान में रखते हुए विधेयक में आवश्यक सुधार करना चाहूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं अपने संशोधन दे दूंगा।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : इस मामले पर चर्चा 10-15 दिन बाद होगी। उससे पहले ही मैं आपके सुझाव प्राप्त करना चाहूंगा। आप अपने सुझाव आज या कल मुझे दे दें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं उन्हें भेज दूंगा। क्या मन्त्री महोदय उन पर ध्यान देंगे ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : प्रत्येक सदस्य के हर सुझाव पर ध्यान दिया जाता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : खण्ड 7 में क्षतिपूर्ति का उल्लेख किया गया है। इस पर हमें सिद्धांत रूप से आपत्ति है। आप बिजली केन्द्रों और वर्कशापों के बारे में क्या करेंगे ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : मैं आश्चर्य में था कि क्या सदस्य विधेयक की पुरःस्थापना के विरुद्ध है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं विधेयक के पुरःस्थापन के विरुद्ध नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कोयला उत्पादन के युक्तिपूर्ण और समन्वित विकास को सुनिश्चित करने की दृष्टि से तथा देश की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुकूल कोयला स्रोतों का अधिकतम उपयोग करने के लिए, कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण होने तक, लोक-हित में उनके प्रबन्ध-ग्रहण और उससे सम्बद्ध या अनुषंगी मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

कोयला खान (प्रबन्ध-ग्रहण) अध्यादेश, 1973 के बारे में विवरण

STATEMENT Re. COAL MINES (TAKING OVER OF MANAGEMENT ORDINANCE, 1973

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम) : मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 71 (1) के अधीन कोयला खान (प्रबन्ध-ग्रहण) अध्यादेश, 1973 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारणों का एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4348/73]**

नियम 377 के अन्तर्गत वक्तव्य

STATEMENT UNDER RULE 377

श्री प्रसन्नभाई मेहता (भावनगर) : मैं आपकी अनुमति से नियम 377 के अन्तर्गत सभा का ध्यान एक गम्भीर मामले की ओर दिलाना चाहता हूं ।

दिनांक 28 फरवरी, 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि गुजरात के सत्तारूढ़ दल के एक विधान-सभा-सदस्य ने यह सूचना दी कि उनके निर्वाचन-क्षेत्र में एक परिवार भूख से मर गया । मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि गुजरात के अभावग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्न तथा आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई में तुरन्त वृद्धि की जाए ।

इसके पश्चात लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजकर 45 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई

(The Lok Sabha then adjourned for Lunch till fortyfive minutes past fourteen Hours of the clock)

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक-सभा दो बजकर 49 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई

(The Lok Sabha reassembled after Lunch at fortynine minutes past Fourteen of the clock)

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy speaker in the Chair]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम रेलवे बजट पर आम चर्चा आरम्भ करेंगे ।

बजट (रेलवे) १९७३-७४--सामान्य चर्चा
BUDGET (RAILWAYS) 1973-74—GENERAL DISCUSSION

Shri Mohammad Ismail (Barrackpore) : First of all, I would like to point out that Government have made it a regular feature to increase Railway fares and freights every year. This tendency is contradictory to the objectives of removal of poverty claimed to be achieved by the Government.

According to the Government, the rate of increase in first class railway fares is much higher than that of third class railway fares. But it should be understood that the burden of this increase would ultimately be borne by the poor people because of the fact that 75 percent of the passengers travelling in first class are Railway officers and other Government officers.

Increase in the rates of Railway fares and freights would certainly add to the difficulties faced by the poor people. The prices of the essential commodities have increased considerably and yet Government have put additional burdon on the poor people by raising the rates of Railway fares. It shows that Government have no sympathy with the poor sections of the country.

People have no faith in the policies and assurances of the Government because they have realised that Government have made it a habit to increase taxes in every budget session. Although Government talk very much of making the country a socialistic State yet nothing has been said here by the hon. Minister regarding the facilities to be given to the workers. No provision has been made for them in the budget. The hon. Minister might be aware of the widespread corruption in the administration resulting in increased loss to the Railway property. Goods worth Rs. 36 lakh were stolen in 1968-69 from the Railways. These figures increased to Rs. 1·73 crores in 1971-72. The hon. Minister has not mentioned about it. He has laid much emphasis on the amount paid to the workers undesirably.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण सोमवार को जारी रख सकते हैं ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के २३वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव
MOTION RE : TWENTY-THIRD REPORT OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

प्रो० नारायण चन्द पाराशर (हमीरपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के

23 वें प्रतिवेदन से, जो 28 फरवरी, 1973 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 23 वें प्रतिवेदन से, जो 28 फरवरी, 1973 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

देश में भूमि सुधारों के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE : LAND REFORMS IN THE COUNTRY

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में श्री ए० के० गोपालन द्वारा 8 दिसम्बर, 1972 को पेश किये गये निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा की जाएगी :

"यह सभा केन्द्रीय सरकार से आग्रह करती है कि वह सभी राज्य सरकारों से सिफारिश करे कि वे 26 जनवरी, 1973 से पहले प्रभावी भूमि सुधार कानून बनाये, जिनके द्वारा जमीदारों का भूमि का एकाधिकार समाप्त किया जाये, सभी प्रकार की छूट समाप्त की जाये और भूमि सीमा इस प्रकार निश्चित की जाये कि खेतिहर मजदूरों और गरीब किसानों में बांटने के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो सके ।"

क्या श्री ए० के० गोपालन अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहेंगे ?

श्री ए० के० गोपालन (पालघाट) : मैं अपना संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : पिछलीबार श्री भोगेन्द्र झा बोल रहे थे । इस समय वह अनुपस्थित हैं ।

** **श्री ई० आर० कृष्णन्** (सलेम) : मैं द्रो० मु० क० की ओर से भूमि सुधार संबंधी संकल्प के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं ।

मैंने दिल्ली से प्रकाशित 'टाइम्स आफ इण्डिया' में छपे भूमि सुधार सम्बन्धी लेख पढ़े हैं तथा अनुभव किया है कि देश में भूमि सुधार सम्बन्धी कार्यक्रम का आरम्भ होना कठिन है । कहा गया है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में सत्तारूढ़ दल के लगभग 100 ऐसे सदस्य हैं जिनके पास कई सौ एकड़ भूमि फालतू है । यद्यपि उस राज्य में लगभग 2,02,000 एकड़ बंजर भूमि को भूमिहीन हरिजनों में बांटा गया है किन्तु ब्राह्मण, ठाकुर आदि उच्च वर्ग के लोगों ने डरा धमका कर उनसे वह भूमि छीन ली है । सत्तारूढ़ दल के इन 100 विधान-सभा-सदस्यों ने 1972 के भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी अधिनियम का पूरी तरह विरोध किया ।

**तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

Summarised Hindi version based on English Translation of the speech delivered in Tamil.

यही स्थिति बिहार में है। वहां के धनी भूस्वामियों ने हरिजनों को बांटी गई भूमि को अपने कब्जे में ले लिया जिनके विरुद्ध लगभग 13,143 मामले दर्ज किये गये। अनुमान था कि अधिकतम सीमा लगाए जाने के फलस्वरूप लगभग 10,00,000 एकड़ भूमि उपलब्ध होगी किन्तु इससे सम्बन्धित पुराने अधिनियम के अन्तर्गत केवल 5000 एकड़ फालतू भूमि उपलब्ध हो सकी जिसमें से केवल 770 एकड़ भूमि हरिजनों में बांटी गई। यह समाचार मिला है कि बिहार के एक उपमन्त्री ने बताया है कि भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी अधिनियम की उपयुक्त क्रियान्विति के लिये पर्याप्त प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है।

राजस्थान में 1963 में पट्टेदारी सुधार अधिनियम पारित किया गया था। इसके बाद भी कांग्रेसी दल के बहुत से धनी भूस्वामियों ने करोड़ों रुपयों की भूमि को जाली नामों में हस्तांतरित कर दिया।

चूंकि इस अवैध कार्य में सत्तारूढ़ दल के बड़े नेताओं का हाथ था इस लिये 1963 में उक्त अधिनियम में संशोधन किया गया जिसके परिणामस्वरूप 31 दिसम्बर, 1969 तक किया गया अतः भूमि का हस्तांतरण वैध करार दे दिया गया। भूमिहीन व्यक्तियों को देने के लिये कम भूमि प्राप्त हो सकीं। मध्य प्रदेश में मन्त्रिगण भूतपूर्व महा-राजाओं से किसी प्रकार कम नहीं हैं क्योंकि उनके पास बहुत अधिक कृषियोग्य भूमि है। भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी अधिनियम के उपबन्धों से बचने के लिये हैदराबाद के न्यायालयों में तलाक सम्बन्धी अनेक मामले हैं। मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करता हूं कि इस प्रकार की अव्यवस्था को समाप्त करने के लिये तुरन्त कदम उठाए जाएं।

मेरे विचार से करोड़ों भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि देने के बारे में आगामी 100 वर्षों में भी सफलता नहीं मिलेगी। पश्चिम बंगाल में उद्यानों पर 6.92 एकड़ की अधिकतम सीमा लगाई गई है और हिमाचल में यह सीमा 54 एकड़, हरियाणा में 54 एकड़ तथा बिहार में 45 एकड़ है चूंकि इन राज्यों में फलोद्यानों को बाटानी भूमि में सम्मिलित किया गया है। इतना ही नहीं, विभिन्न राज्यों में भूमि की अधिकतम सीमा के लिये परिवार का आधार भिन्न-भिन्न है और कहीं पर अधिकतम सीमा 18 एकड़ भूमि है और कहीं 15 से 45 एकड़ तक है। अर्थात् विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न मानक बनाए गये हैं तथा भूमि को भी अनेक श्रेणियों में विभक्त किया गया है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि भूमि की सीमा निर्धारित करने के बजाय कृषि आय पर अधिकतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिये।

गत वर्ष योजना आयोग के एक प्रपत्र में बताया गया था कि जिनके पास 20 एकड़ भूमि से अधिक भूमि है उनसे 440 लाख एकड़ भूमि प्राप्त होगी तथा इसे 270 लाख भूमिहीन व्यक्तियों में बांटा जाएगा। किन्तु 26 फरवरी, 1973 को एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया है कि 10 लाख एकड़ भूमि प्राप्त हुई है जिसे 5 लाख भूमिहर मजदूरों में बांटा जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय द्वारा दिये गये आंकड़े सही हैं अथवा योजना आयोग द्वारा दिये गये आंकड़े ?

अब मैं यह बताना चाहता हूं कि तमिलनाडु सरकार इस मामले में कितने ठोस उपाय कर रही है। 1947 से 1967 तक कांग्रेस सरकार के शासनकाल में पट्टाधारियों की संख्या केवल 1,11,443 थी तथा 2,70,755.35 एकड़ भूमि का पट्टा दिया गया था। किन्तु द्र० मु० क०

प्रशासन ने 1967 से 31,12,1972 तक भूमिहीन व्यक्तियों और हरिजनों को 3,05,953 पट्टे दिये जिनकी भूमि 6,05,035.88 एकड़ थी। कांग्रेस सरकार के 20 वर्षों में रिहायशी मकानों के लिये 63,770 पट्टे दिये थे जबकि डी० एम० के० सरकार ने 6 वर्षों में इसके लिये 3,52,013 पट्टे दिये हैं। श्री ए० के० गोपालन ने डी० एम० के० सरकार की उपलब्धियों की सराहना की है। केन्द्रीय सरकार केवल बातें ही करती है जबकि डी० एम० के० सरकार समाजवाद लाने के लिये अथक प्रयत्न कर रही है

हमारे मुख्य मन्त्री ने कहा है कि डी० एम० के० सरकार की नीति यह है कि भूमि उसी की होनी चाहिये जो उसे जोतता है। इसी आधार पर भूमिसुधार सम्बन्धी अनेक उपाय किये गये हैं। तमिलनाडु सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसके अन्तर्गत पट्टेदार को भूस्वामी से उस भूमि को खरीदने के अधिकार दिए जांए जिसे वह जोतता है। पट्टेदारों को भूमि की खरीद में सहायता देने के लिये एक पट्टेदार वित्तपोषक निगम भी स्थापित किया जाएगा।

अन्त में मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि अधिनियम को दृढ़ता से लागू किया तथा जाए सीमा में एकरूपता लाई जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : संकल्प पर चर्चा के लिए केवल 95 मिनट बचे हैं। अतः मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अधिक से अधिक पांच-पांच मिनट का समय लें। श्री शिवनाथ सिंह।

श्री भोगेन्द्र झा : महोदय, मुझे समय नहीं मिलेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपका नाम पुकारा था। तब आप उपस्थित नहीं थे। अब मैं अन्य सदस्य का नाम पुकार चुका हूं। बाद में देखा जाएगा।

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunu) : Land reforms is a wide term which includes measures for consolidation of land and solution of sub-letting of land etc. But the mover of the resolution has dealt with only one aspect of this term, that is, ceiling on land.

Regarding the problem of sub-letting of land, I would like to suggest that provisions of sub-letting should be removed that the actual tiller should be made the owner of the land which he cultivates. Definition of cultivator in the various States is defective. It should be improved. It has been committed by the Central Government and State Governments to bring Bills regarding the land ceiling. In this context, I would like to suggest that Government should bring forward such persons to implement land ceiling who have full faith in these measures and who have full regards for the feelings of the landless people of the country.

Land was allotted to persons belonging to the Scheduled castes and the Scheduled Tribes in Rajasthan and other States but they have not been given possession of the land so far. Government should take steps in this regard.

It is an important matter to consider the percentage of pressure on land. There are so many persons in the country entering into other trades and other professions. Rich persons are trying to convert their black money into white one in the guise of agriculturists. I, therefore, suggest that Government should make agricultural income taxable and they should fix a limit on it. Therefore, all aspects of this problem should be taken into consideration.

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur) : I would like to suggest that the surplus land made available as a result of land ceilings should be distributed among the poor people especially Harijans, Tribes and the retired military personnel by December 1973. A tendency has been observed to the acreage of land ceiling in the various States as a resnlt of which agricultural production has decreased. If the system of distributing surplus land remains defective, land ceiling can never prove to be a success . In my State, lakhs of acres of surplus land is available but Government have taken no steps to distribute it. In certain cases, Government have given land which was already allotted to somebody else on and tenancy.

It was announced by the hon. Minister in the House that country had become self-reliant regarding foodgrains. But in spite of the slogan of green revolution and the decision regarding several irrigation projects, now Government are not able to meet the shortage of foodgrains in the country. The percentage of irrigated land is 8 in Maharashira and 6 in Rajasthan. Government have not taken concrete steps to ensure adequate facilities to the farmer in time Besides bank credits are not made available to the small farmers even after making great efforts by the farmers. In the State of Madhya Pradesh, poor people living in forest are being displaced and their huts are being set on fire. Hon. Minister may say that it is a State subject. But I urge upon him that Government should intervene in such matters. Irrigation facilities should be provided to the farmers of the States of Maharashtra, Rajasthan and Gujarat.

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : So far as the implementation of land reforms is concerned, there are two things. Firstly, the distribution of land should be on the basis of the principle that self-cultivating tenancy may be established later on. The tiller of land should be declared owner only of that land he cultivates. On the basis of this principle hardly any legislation has been brought forward in any State. Government should come forward bolbly with a suitable legislation to be enacted on the lines of the recommendations made in the meeting of All India Congress Committee. And also suitable amendments should be carried out in the land reform legislations of various State Governments.

Land Reform Legislation cannot he implemented by this administrative machinery because of the reason that the higher officers belong to the families of landlords who are exploiting the poor villagers in so many ways. The land reform legislations should be enforced through popular committees by giving them necessary legal powers and statutory non-official committees should be set up with some punitive powers and can help in the distribution of land.

This Land Reform Legislation is being implemented to some extent in Kerala, and there is still scope to enforce this law more effectively. This law can be more strictly enforced in this State if C. P. (M) extends their cooperation in this regard. The agricultural cultivators should be given due protection in case they fight for their right. Government should seek cooperation of the people for enforcing the land reform laws. Therefore Government should at least encourage this mass movement for this purpose. The proper implementation of land reform laws is being delayed. There are many flaws in these land reform laws through which big landlords escape from the provisions of these laws. There cannot be any success until non-official committees are made more effective for implementing these laws. Government should immediately enforce these laws more effectively so that a peaceful and democratie atmosphere may be created in the rural areas of the country.

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : भूमि सुधार के सम्बन्ध में जहां तक कांग्रेस के घोषणापत्र का सम्बन्ध है यह उचित ही है जो श्री गोपालन कहना चाहते हैं, उसके अनुरूप है । भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण अवश्य ही किया जाना चाहिए और इस कार्य के लिए हम समग्र रूप में वचनबद्ध हैं । भूमि की अधिकतम सीमा का भाषायी मतभेदों के आधार पर असन्तुलित रूप में निर्धारण नहीं

करना चाहिए । की गई घोषणा के आधार पर बेलगांव में यह सीमा 10 मानक एकड़ निर्धारित की जा रही है जबकि मैसूर की सीमा के कुछ फुट दूर दूसरे पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में यह सीमा भिन्न है । यह सीमा कृषि सम्बन्धी परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए । राजा समिति ने यह सुझाव दिया था कि समस्त देश को उचित कृषि क्षेत्रों में बांट दिया जाना चाहिए । प्रत्यक्ष करों सम्बन्धी समिति ने भी सिफारिश की है कि कृषि सम्पत्ति पर कर निर्धारण भी इसी अधार पर किया जाना चाहिए । मैं समझता हूं कि निकट भविष्य में इस विषय पर मूल रूप से विचार करना लाभ-दायक रहेगा ।

एक राज्य में भूमि की अधिकतम सीमा 10 मानक एकड़ निर्धारित की गई है । यह कुछ क्षेत्रों के अनुरूप नहीं है । इस कानून की भावना तो अच्छी है किन्तु स्वयं काश्त के सिद्धान्त को बहुत महत्व दिया जाना चाहिए । पांचवी पंचवर्षीय योजना में सुझाव दिया गया है कि भूमि का प्रबन्ध खेती करने वालों को सौंपा जाना चाहिए । किन्तु यह कार्य लगान की वसूली विभाग कर रहा है । पिछले 15 वर्षों से हम चिल्लाते चले आ रहे हैं कि भूमि सम्बन्धी कानून और भू-राजस्व सम्बन्धी मामलों का कार्य-भार कृषि विशेषज्ञों को सौंपा जाना चाहिए । किन्तु आज तक इस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है । अतः पांचवी पंचवर्षीय योजना में इस सम्बन्ध में कोई ठोस निर्णय किया जाना चाहिए ।

Shri Anadi Charan Das (Jaipur) : In view of the present conditions prevailing in the country no purpose will be served by implementing the Land Ceiling Legislation. Fallow and worst land has been distributed to the landless people after the Land Ceiling Legislation, and a very small area of good cultivating land has been offered for distribution and the landless persons cannot subsist on this land. Therefore, there should be some rational planning in this connection.

The most positive approach should be that a landless should get serplus land in his own village. In so far as the rural planning is concerned a village should be treated as one unit and employment opportunities should be made available to the villager in his own village. State Governments should extend their assistance to some extent and 60 per cent of the State revenue should go to the villages. Mostly land belongs to the capitalists and big politicians and they do not want that land should go to the poor people.

The other problem is of money-lender in the villages. So long as these money-lenders are in the villages, no purpose can be served by the Land Ceiling Legislation and they would take the land by giving money to the landless persons and their only aim is to grab the land. A person who has five acres of land is authorised to have more quantum of land which results in that the poor persons become landless. The nationalised banks should stand sureties for the landless persons. The provisions of property right shall have to be modified so that the land declared surplus in a village should remain in the hands of the landless of the same village.

Shri M. C. Daga (Pali) : Land Ceiling Acts passed in various States have not been properly implemented. The poor people cannot take charge of the land distributed to them. There are corrupt people in the allottment committees. They have no feelings of uplifting the poor. There are some locunae in the land ceiling acts passed by the States as a result of which the land have not been allotted in a proper manner. The land which have been taken from the poor people should be redistributed to them by implementing these acts retrospectivly.

Allotment committees should consist Members of Parliament, social workers, and scheduled Caste people . There should, moreover, be majority of the scheduled caste members in the

committees. But today there is majority of M. L. A. s, Tchsildars, B.D.Os. or say officials in these committies. The land allotment rules should be rectifled or mcdified in such a way that a poor landless man may cultivate the land without any hardship or unscrupulous expenditure and the poor landless may not give the land to the rich for cultivation.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं और नाम स्वीकार नहीं करूंगा । एक और महत्वपूर्ण संकल्प पर हमें विचार करना है ।

श्री रणबहादुर सिंह (सिधी) : श्री ए० के० गोपालन के इस संकल्प की इस भावना से तो मैं सहमत हूं कि भूमिहीनों को भूमि दी जानी चाहिए किन्तु इस कार्य के लिए समयबद्ध सीमा निर्धारित नहीं की जानी चाहिए । भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि देने के प्रश्न से इस तथ्य की बिल्कुल उपेक्षा होती है कि जब समयबद्ध तरीकों को ऐसे विधानों में रखा जाता है तो इसे लागू करने में वास्तविक सम्बन्धित लोगों को लाभ नहीं होता है । समयबद्ध कार्यक्रम से अनिवार्य रूप से विधान का उद्देश्य बेकार हो जाता है । वास्तव में इस सम्बन्ध में सरकार कुछ नहीं कर रही है जबकि सरकार यह कार्य करने में सशक्त है । सरकार सर्वोदय नेता के आन्दोलन को सहायता नहीं दे रही है । गांधी जी के आह्वान की पूर्ण रूप से उपेक्षा की जा रही है ।

यह बड़े आश्चर्य का विषय है कि जब विनोबा भावे को 9 लाख एकड़ से अधिक भूमि मिल सकती है वहां विधान को लागू हुए 15 वर्ष हो गये हैं और अभी तक हमें एक तिहाई भूमि ही मिल पाई है और सरकार ने सर्वोदय लोगों द्वारा हृदय परिवर्तन करने के प्रयत्न की अवैध रूप से पूर्णत: उपेक्षा की है । यदि देश में भूमिहीन लोगों को भूमि देने सम्बन्धी सहायता करने की सरकार की प्रवृत्ति सच्ची है तो सरकार को सर्वोदय लोगों के कार्य का उचित समर्थन करना चाहिए । इसी तरीके से भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि मिल सकती है ।

Shrimati Sahadrabai Rai (Sagar) : Small pieces of waste and fallow land have been distributed to the Harijans and tribal people. At least 10 acres of land should be given to a landless labourer irrespective of any caste or creed. Before distribution the land should be tilled with tractors.

The land distributed to the Ex-servicemen is sometime very far away or in an other State. They take charge of the land but they have to dispose of it because of the fact that they cannot cultivate it at a place very far off from his native place.

Government should not take over the land of the widows and minor individuals under Land Ceiling legislations. They should be exempted from this provision.

Land Ceiling Legislation in Madhya Pradesh should be implemented in its proper perspective Government should ensure proper protection to the poor peasants.

Prof. Narain Chand Parashar (Hamirpur) : Sir, I support this resolution partially. The problem of land is a very grave problem in our country. Various tactics are adopted by unscrupulcus persons only to circumvent the provisions of land ceiling legistations. Only 12 States have given the figures of the quantum of surplus land to be distributed amongst the landless people. I request the Government to clearly define the land ownership of Hindu undivided family.

Secondly the ceiling should not be fixed on the basis of acreage but on the quality and production capacity of the land. So in view of this problem Government should appoint a perma-

nent land commission who would independently go into the details of these problems and find out a satisfactory solution. With the risning of Panchayet Raj system in the country the problem of village common land has become very critical. The land lorsd take this common land into their possession. This problem should be taken into consideration.

There are large number of corrupt officers who are exploiting the poor and landless people for their ignorance. These officers always favour the big and landlords who give them bribe, so Government should look into this and save the interests of the poor tillers of the land.

श्री राम सहाय पांडे (राजनंदगांव) : मैंने एक संशोधन दिया था । अत: मुझे बोलने का अवसर दिया जाए ।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : जहां तक भूमि सुधार कानून का सम्बन्ध है कुछ राज्यों में तो ये लागू हो रहे हैं, किन्तु कुछ मामलों में निर्धारित की गई भूमि की अधिकतम सीमा मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में बनाये गए मार्गदर्शक सिद्धान्तों में, उल्लिखित सीमा से कुछ अधिक है । मुझे आशा है सरकार उन राज्यों में जहां मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में मंजूर की गई अधिकतम सीमा से कुछ अधिक सीमा निर्धारित की गई है, उन मामलों की जांच करेगी ।

मैं जानना चाहता हूं कि सरकार शुष्क भूमि आदि के मामले में क्या क्या छूट और सुविधाएं दे रही है, क्योंकि कुछ मामलों में तो अधिकतम सीमा बढ़ाकर 72 एकड़ कर दी गई है । जबकि सरकार भूमि सुधार करने की बहुत इच्छुक है तो उसे विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की गई इस प्रकार की भूमि की अधिकतम सीमा के बारे में सरकार को थोड़ा बहुत विचार करना चाहिए ।

तीसरे, पता लगा है कि 10 लाख हैक्टयर फालतू भूमि उपलब्ध हो पाई है जिसमें से 5 लाख एकड़ भूमि वितरित कर दी गई है । अत: मैं जानना चाहता हूं कि जिन राज्यों में भूमि सुधार कानून लागू हो चुके हैं वहां कुल कितनी भूमि वितरित की गई है और वहां कितने व्यक्तियों को इससे लाभ पहुंचा है ।

इस देश में अब खेतिहर मजदूरों की संख्या बहुत बढ़ गई है । 1961 में इनकी संख्या 3,15,19411 थी जो 1971 में 4,74,89,383 हो गई है । इनकी राज्यवार संख्या क्या है ? मैं समझता हूं इन 10 वर्षों में खेतीहर मजदूरों की संख्या बढ़ गई है और प्रत्येक राज्य में 5 लाख से 7 लाख तक बढ़ गई है । सरकार को इस मामले में गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए ।

जहां तक खेतिहर मजदूरों के न्यूतनम मजूरी का सम्बन्ध है इसमें संशोधन किया जाना चाहिए । इनकी मजूरी बहुत कम है ; उन्हें 2.50 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दिन मिलते हैं । अब मूल्यों में बहुत वृद्धि हो गई है अत: सरकार को इन सब बातों पर विचार करना चाहिए।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : Sir, I am in favour of ceiling on land, but after ceiling legistation is implemented the surplus land must be allotted onlyto those who can till and cultivate it and can grow more foodgrains so that the reqiurements of the increasing population may be met and not to other persons.

I want to inform the hon. Minister that there are no proper and adequate records of ownership of the land in Bihar State Government should issue directives to the State Government , tc ensure that proper land records are maintained. Government should see for consolidation of small land holdings so that production may increase.

There should be total planning on the land ceiling and there should not only be ceiling on land but there should also be ceiliag on the income of higher officers. Ministers and ex-rulers etc. But the land should go only in the hands of the cultivators and tillers of the land.

Shri R. S. Pandey (Rajnand gaon) : Sir, I have moved an amendment on the resolution regarding Land Reform Legislation. One can very well imagine that land is a means of livelihood for millions of people. Therefore the problem of land ceiling legislation should be solved as early as possible. According to the Congress manifesto of midterm elections, guidelines of land reforms have already been adopted in the Chief Ministers Conference held in July'72. In these guidelines the defintion of family and that of land were determined, the coordination of land reforms and the distribution of land was also considered in the Conference, It is our party, Congress party, which has taken the initiative in this respect.

I also agree with the concept that land should be distributed only to the tiller and culti vator and also to those who can grow more foodgrains out of the land. About 72 percent of our population depend on agriculture and most of the people are landless. Therefore surplus land should be allotted to the cultivators only.

Apart from land reforms and allotment of surplus land to the landless Government should also provide them with fertilizers, seeds and other assential facilites for the cultivation of land. Therefore we are committed to fulfil our assurances given to the people.

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : यदि हम पिछली अर्धशताब्दी का इतिहास देखें तो पता चलेगा कि कांग्रेस ने सदैव ग्राम्य अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था तथा भूधृति पद्धति को महत्व दिया है। देश की स्वतंत्रता से पहले यहां किस प्रकार की भूधृति पद्धति प्रचलित थी ? देश की दो तिहाई भूमि जमीदारों के अधिकार में थी। कांग्रेसी आन्दोलन के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीयचेतना ने जमीदारों के विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ किया। यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्ध है कि हमने लोकतांत्रिक पद्धति से इस व्यवस्था को समाप्त किया। इसके पश्चात राष्ट्र के सम्मुख भूमि के सम्बन्ध में नयी समस्यायें सामने आयीं। उदाहरण के लिये जोतदार की सुरक्षा तथा भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने की समस्यायें सामने आयीं। जहां तक जोतदारों की सुरक्षा का प्रश्न है इसमें ऐतिहासिक कारणों से कई दोष रहे हैं। सिद्धांतरूप में हम माननीय सदस्य से सहमत हैं कि जोतदार की सुरक्षा की जानी चाहिये। सरकार का बिचार है कि जोतदार भूमि का स्वामी होना चाहिये। इस सम्बन्ध में मुख्य कठिनाई यह है कि बहुत से राज्यों में भूमि के अधिकारों का नवीनतम रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। बहुत से राज्यों में जोतदारों के नाम तक नही मिल पाते हैं। भूमिसुधारों को कार्य क्रम देने में इस कारण से भी विलम्ब हुआ है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे भूमि के रिकार्ड तैयार कराने में राज्य सरकारों की सहायता करें।

हमने राज्य सरकारों को परामर्श दिया है कि वे जोतदारों को सुरक्षा प्रदान करें। ऐसा करने के लिये उन्हें चाहे अध्यादेश ही जारी करना पड़े। बहुत सी राज्य सरकारों ने राज्यों को स्वायत्त सुरक्षा प्रदान करने के लिये कानून बनाये हैं। लगभग 2 करोड़ जोतकारों के राज्य से सीधे सम्बन्ध हो गये हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है।

जहां तक कृषि योग्य भूमि का सम्बन्ध है स्थिति यह है कि 57 लाख हेक्टेयर कृषियोग्य फालतू भुमि गत दो दशकों के दौरान भूमिहीन श्रमिकों में बाँटी गयी हैं। ऐसा ज्ञात होता है कि श्री गोपालन का यह विचार है कि हमारे यहां कृषि योग्य भूमि बहुत अधिक है। परन्तु ऐसा केवल कागजों

में ही है। कृषि योग्य भूमि का दो तिहाई भाग राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा गुजरात में है। परन्तु यह केवल रिकार्ड की बात है। ये कृषि योग्य भूमि नहीं है। इसमें से अधिकांश भूमि नदी घाटियों, बंजर स्थानों आदि पर है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को पहल करनी चाहिये और यह देखना चाहिये कि इस भूमि का उपयोग किया जा सके।

श्री एस० पी० भट्टाचार्य (उलुबेरिया) : खेतिहर मजदूरों की संख्या में वृद्धि तथा किसानों की संख्या में कमी क्यों हो रही है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह ठीक है कि खेतिहर मजदूरों की संख्या बढ़ रही है। श्री गोपालन तथा श्री चिन्तामणि पाणिग्रही ने जो आंकड़े दिये हैं वे भ्रम में डालने वाले हैं, क्योंकि वर्ष 1961 तथा वर्ष 1971 की जनगणना के लिये अलग अलग सिद्धांत अपनाये गये थे। वर्ष 1971 की जनगणना में वे सभी व्यक्ति, जिनके पास कोई भूमि है अथवा नहीं, जो केवल कृषि श्रम से निर्वाह करते हैं खेतिहर श्रमिकों की श्रेणी में आते हैं। यदि किसी के पास थोड़ी सी भूमि है और वह उसी से निर्वाह करता है तो वह भी खेतिहर मजदूर की श्रेणी में आता है क्योंकि वह कृषि श्रम से ही अपना जीवन निर्वाह करता है।

यह कहना ठीक नहीं है कि सरकार का वन नीति संकल्प पुराना हो चुका है। देश में कृषि के विकास के लिये वनों का होना भी अनिवार्य है। हमें अपने वनों का परीक्षण करना पड़ेगा। वन वाली भूमि को खेती के लिये प्रयोग में लाना या वनों को समाप्त करना देश के हित में नहीं होगा।

पिछले कुछ वर्षों का मेरा यह अनुभव है भूमि की कटाव से रक्षा, पेड़ लगाकर की जा सकती है। देश में भूमिकटाव की समस्या चल रही है। पेड़ लगाकर ही इस भूमि की सुरक्षा की जा सकती है।

भूमि सुधारों के सम्बन्ध में श्री गोपालन ने गांधीजी का संदर्भ दिया है। पिछले कुछ वर्षों में विशेषतया 1970 के बाद भारत सरकार तथा मेरे दल द्वारा भूमिसुधार के बारे में राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिये भरसक प्रयत्न किये गये हैं। हमने राष्ट्रीय स्तर पर कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किये हैं। इन सिद्धांतों को राज्य सरकारों को बता दिया गया है जिनके आधार पर बहुत सी राज्य सरकारों ने अब कानून बनाये हैं। अपवाद स्वरूप बहुत थोड़े मामले रखे गये हैं। इन अपवादों के सम्बन्ध में आपकी विचारधारा मिल तो सकती है।

सभी मुख्यमंत्रियों ने यह विचार व्यक्त किया है कि चाय, काफी आदि के बागानों पर अधिकतम सीमा निर्धारित करने से अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। उनकी इस सिफारिश को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है। अन्यथा हमारे निर्यात को हानि होनी थी।

फलों के बागानों की अधिक अधिकतम सीमा निर्धारित करने का भी विरोध किया गया है। यदि बागानों के टुकड़े कर दिये जायें तो उनके प्रबन्ध में कठिनाई आती है। कुछ बागानों में सिंचाई का प्रबन्ध उपलब्ध होता है। यदि दूसरे भाग में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तो वे बाग नष्ट हो जायेंगे। फलों के बागानों में 1 प्रतिशत भूमि भी नहीं है।

इन दो अपवादों के अतिरिक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों की अन्य बातों का विरोध नहीं किया गया है ।

भूमि सुधार के लिये परिवार को एक एकक माना गया है और पांच सदस्यों का एक परिवार स्वीकार किया गया है । जहां तक परिवार को एक एकक मानने का सम्बन्ध है कांग्रेस दल की एक नौ सदस्यीय समिति ने इस पर विचार किया है । दूसरी समितियों ने यह सुझाव दिया है कि वयस्क पुत्र को भी परिवार में सम्मिलित किया जाये । हिन्दू कानून के अनुसार जैसे ही पुत्र पैदा होता है वह सम्पत्ति का भागीदार हो जाता है और वयस्क होने पर वह अपने भाग के पृथक हिस्से का अधिकारी हो जाता है । अतः यदि परिवार में वयस्क पुत्र को भी एकक के अन्तर्गत मान लिया जाये तो मुकदमें बाजी बहुत बढ़ जायेगी । जो एकक निश्चित किया गया है वह युक्तियुक्त है । अधिकतम सीमा के स्तर से अलग दी गई छूटें भी तर्कसंगत हैं और इन्हें कम से कम रखा गया है । निष्पक्ष पर्यवेक्षकों ने भी इसे व्यापक रूप से अधिकतम सीमा का एक अच्छा स्तर समझा है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया है कि कुछ क्षेत्रों में अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 70 या 72 एकड़ क्यों कर दिया गया है । ऐसा केवल रेगिस्तानी तथा पर्वतीय प्रदेशों में किया गया है । देश की कृषि सम्बन्धी ऋतु की स्थिति ऐसी है कि कड़ाई से इस सीमा निर्धारण को लागू नहीं किया जा सकता । हमने राज्यों को बता दिया है कि रेगिस्तानी तथा पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर और कहीं भी इस सीमा निर्धारण को नहीं बढ़ा सकते ।

नये मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार 14 राज्यों ने कानून बनाये हैं । कुछ कानूनों को राष्ट्रपति की सम्मति मिल चुकी है । हम सभी मामलों पर विचार करते हैं और यदि हमें ऐसा लगेगा कि कहीं मार्गदर्शी सिद्धांतों की उपेक्षा की गई है तो हम चाहेंगे कि राज्य सरकारें संशोधन करें । हमने समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करके दिया है । हमने इन कानूनों को बनाने की आवश्यकता और उन कानूनों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के बारे में कहा था । बहुत कम राज्य ऐसे हैं, जिन्होने अपने कानून नही बनाये हैं । आशा है आगामी कुछ महीनों में वे भी कानून बना लेंगे ।

इन कानूनों में राज्य सरकारों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया है कि सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से उन्हें अवश्य ही वंचित कर दिया जाये जिससे कि इन्हें शीघ्रता से क्रियान्वित किया जा सके ।

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा): भूतपूर्व नरेशों के अधिकार में बहुत अधिक भूमि है और भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी वर्तमान नियम उनके अधिकार से भूमि लेने के लिए पर्याप्त नहीं हैं । सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धान्तों में राजाओं को आधुनिक फार्मों को कोई छूट नहीं दी गई है । हमारा प्रस्ताव है कि नये कानूनों को संरक्षण दिया जाये तथा इन्हें संविधान की 9वीं अनुसूची के अन्तर्गत लाया जाये ताकि इन्हें न्यायालयों में चुनौती न दी जा सके ।

हमने राज्य सरकारों से कहा है कि वे ऐसे अनुमान तैयार करें कि इन कानूनों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप भूमिहीन किसानों में बांटने के लिए कितनी भूमि उपलब्ध हो सकेगी । कुछ राज्य

सरकारों ने हमें बताया है कि लगभग 34,78,000 एकड़ फालतू भूमि उपलब्ध होगी। यह अस्थायी अनुमान है।

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय (मंदसौर): What amount of land is lying undistributed in Madhya Pradesh ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मध्य प्रदेश सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

एक माननीय सदस्य : बिहार की क्या स्थिति है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : बिहार सरकार ने बताया है कि लगभग 5 लाख एकड़ भूमि उपलब्ध हो सकेगी। हमने अतीत के अनुभव से यह सीखा है कि जिन गरीब लोगों को भूमि दी जाये उनको ऋण देने की व्यवस्था भी की जाये। वित्त मन्त्रालय को भी मामले की जानकारी है और वित्त मंत्री ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से इस ओर ध्यान देने के लिए कहा है।

श्री ए० के० गोपालन (पालघाट): मैं मंत्री महोदय की निष्ठा में कोई संदेह नहीं करता हूं परन्तु निष्ठा से तो भूमि उपब्लध नहीं हो जायेगी। कानून को क्रियान्वित करने के लिए कुछ उपाये किये जाने चाहिए जो कि नहीं किये जा रहे हैं। कुछ राज्यों ने कानून बनाये हैं परन्तु वे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए अनिर्णीत पड़े हैं। सरकार को भूमि उपलब्ध नहीं हो सकती क्योंकि सरकार ने मुआवजा देने की व्यवस्था नहीं की है। इस कारण नियमों के कार्यान्वियन में विलम्ब हो रहा है।

पंजाब भूमि काश्तकार अधिनियम 1953 में पारित किया गया था। कांग्रेस ने इसे एक आदर्श अधिनियम समझा है। इससे यह आशा की गई कि 5 लाख एकड़ से अधिक भूमि फालतू हो जाएगी। किन्तु वास्तव में क्या हुआ ? अन्त में केवल 60,000 एकड़ भूमि फालतू घोषित की गई और वह भूमि भी अभी तक वितरित नहीं की गई है। जहां तक राजस्थान का सम्बन्ध है, इसे इस सम्बन्ध में कानून लागू करने में दस वर्ष लगे हैं। इस प्रकार यदि कानून को लागू करने में 10 वर्ष लगते हैं और भूमि के अन्तरण अथवा विक्रय पर कोई प्रतिबन्ध न हो तो फिर बिल्कुल ही फालतू भूमि उपलब्ध नहीं होगी। कानून बनाने से पूर्व सरकार को इस आशय का आदेश जारी कर देना चाहिए कि भूमि का किसी प्रकार का अन्तरण अथवा विक्रय अवैध समझा जायेगा। ऐसा क्यों नहीं किया है ? कानून को पूर्व तिथि से लागू करने से ही कार्य सिद्ध नहीं होगा। यदि कानून पारित करने में समय लिया जाता है और फिर उसे पूर्व तिथि से लागू किया जाता है तो फिर भूमि अन्तरण करना बहुत कठिन हो जायेगा।

समूचे देश में लाखों लोगों को बेदखल किया गया है क्योंकि उनके पास रिकार्ड उपलब्ध नहीं थे। सरकार जमींदारों से इस बात का पता क्यों नहीं लगा रही है कि रिकार्ड उनके पास हैं अथवा नहीं ? कुछ रिकार्ड पंचायतों के पास होने चाहियें। भूमि उन लोगों को दे दी जानी चाहिये जो कि 25 वर्षों से उसे जोत रहे हैं। उनसे उनकी भूमि नहीं छीनीं जानी चाहिए।

नई जमीन देने के बजाय सरकार को काश्तकारों को अधिकारों का रिकार्ड देना चाहिये था। सरकार को इसके लिए तैयारी करनी चाहिए थी और उसे यह सुनिश्चित कराना चाहिए था कि इसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगे और पंचायतों तथा अन्य संस्थाओं को मौखिक रूप में

यह पता लगाने का अधिकार दिया जाना चाहिए था कि अमुक व्यक्ति भूमि जोत रहा है और यदि वह ऐसा करता पाया जाता है तो उसे कुछ रिकार्ड दिया जाना चाहिए जिससे यह पता लग सके कि वह भूमि का जोतदार है ।

कहा गया है कि बेकार पड़ी भूमि अच्छी नहीं है । केरल की वन भूमि कृषि के लिए उत्तम है और बहुत से व्यक्ति वहीं खेती कर भी रहे हैं । वहां 3 लाख एकड़ भूमि उपलब्ध हो सकती है । सरकार को अध्यादेश जारी करना चाहिए था कि राज्य बेकार पड़ी, परती भूमि तथा वन भूमि को खेतिहर मजदूरों तथा हरिजनों में बांटें । किन्तु ऐसा नहीं किया गया है । यदि सरकार यह कार्यवाही ही नहीं कर सकी तो जमीदारों से भूमि लेकर उसे भूमिहीनों में बांटने के विषय में सरकार की निष्ठा का भी पता चल ही जाता है ।

भूमि किसने हथियायी हुई है ? कानून निर्माता मंत्रियों ने । महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात के मंत्रियों के पास बहुत बड़े बड़े फार्म हैं । क्या ये मंत्री भूमिसुधार कानूनों को कार्यरूप दे सकते हैं ? यह 'टाइम्स वीकली' का समाचार है । इसमें मार्कस तथा लेनिन की कोई बात नहीं है ।

सरकार ने कानून बनाये हैं, ठीक है । परन्तु वे उन्हें क्रियान्वित नहीं कर सकते जब तक कि यह सुनिश्चित करने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जाता कि अन्तरण में कोई दुराशय तो नहीं है । दूसरे, सरकार बेदखली को तब तक नहीं रोक सकती जब तक कि न्यायालयों को ऐसे मुकदमे लेने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाता । कभी कभी जमीदार पुलिस को लाकर काश्तकार को बेदखल कराता है यह भी रोका जाना चाहिए । आपको एक समय-सीमा निर्धारित करनी चाहिए जिसके अन्दर पंचायत अधिकारियों द्वारा भूमि के रिकार्ड तैयार किये जाये ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : पुराने केरल भूमि विधेयक के अनुसार फालतू भूमि को अन्य लोगों के नाम भी किया जा सकता था । वर्तमान मंत्रिमंडल ने इस प्रावधान का संशोधन करने की दिशा में कदम उठाये हैं ।

श्री ए० के० गोपालन : मैं जानता हूं कि मंत्री महोदय को इस प्रश्न को पूछने की प्रेरणा कहां से मिली । उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिये था । यदि हमने कोई गलत काम किया है तो इसका अर्थ यह नहीं कि उन्हें भी गलती करनी चाहिये ।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : जो लोग कांच के घरों में रहते हैं उन्हें पत्थर नहीं बरसाने चाहिये ।

श्री ए० के० गोपालन : सरकार के पास बहुत सी फालतू जमीन है जिसे किसानों में वितरित नहीं किया जाता । इतना ही नहीं, 20 अथवा 30 वर्षों से काश्त करने वाले किसानों को जमीन से बेदखल किया जाता है ।

इसीलिए मैं कहता हूं कि यह सब धोखा है । मैं अपने प्रस्ताव पर मतदान चाहता हूं । मैं प्रस्ताव को वापस नहीं लेना चाहता ।

श्री बी० के० दासचौधरी (कूच-बिहार): मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि संशोधनों की सूची संख्या में क्रम संख्या 2 पर छपे श्री हरि किशोर सिंह द्वारा प्रस्तुत संशोधन में

"अन्य जरूरतमंद किसानों" **के स्थान पर** "अलाभप्रद जोतों वाले किसानों" **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

संशोधन संख्या 1 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।
The Amendment No. 1 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संशोधनों की सूची संख्या 1 में क्रमसंख्या 2 पर छपे श्री हरि किशोर सिंह द्वारा प्रस्तुत संशोधन में :—

"अन्य जरूरतमंद किसानों" **के स्थान पर** "अलाभप्रद जोतों वाले किसानों" **प्रतिस्थापित किया जाये ।"**

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रस्ताव में :- "26 जनवरी, 1973 से पहले प्रभावी भूमि सुधार कानून बनायें, जिनके द्वारा जमीदारों का भूमि का एकाधिकार समाप्त किया जाये, सभी प्रकार की छूट समाप्त की जाये और भूमि सीमा इस प्रकार निश्चित की जाये कि खेतिहर मजदूरों और गरीब किसानों में बांटने के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो सके ।"

के स्थान पर "जुलाई, 1972 में भूमि-हदबन्दी के सम्बम्ध में मुख्य मंत्री सम्मेलन में लिए गये निर्णयों के आधार पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए भूमि-हदबन्दी के सम्बन्ध में व्यापक कानून तुरन्त बनायें और कानून की शीघ्र तथा प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु समुचित कदम उठायें, ताकि मार्गदर्शी सिद्धान्तों में निर्धारित प्राथमिक्ताओं के अनुसार फालतू भूमि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों और अलाभप्रद जोतों वाले किसानों में शीघ्र बांटी जा सके ।"

प्रतिस्थापित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

संशोधन संख्या 4 और 5 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुये
Amendment Nos. 4 and 5 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री ए० के० गोपालन द्वारा पेश किया गया अपने ही प्रस्ताव का संशोधन

मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।
The Amendment was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"यह सभा केन्द्रीय सरकार से आग्रह करती है कि वह सभी राज्य सरकारों से सिफारिश करे कि वे जुलाई, 1972 में भूमि-हदबन्दी के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री सम्मेलन में लिए गये निर्णयों के आधार पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों को ध्यान में

रखते हुए भूमि-हदबन्दी के सम्बन्ध में व्यापक कानून तुरन्त बनाये और कानून को शीघ्र तथा प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु समुचित कदम उठायें, ताकि मार्गदर्शी सिद्धान्तों में निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार फालतू भूमि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों और अलाभप्रद जोतों वाले किसानों में शीघ्र बांटी जा सके।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

विदेशी तेल कम्पनियों और अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE : NATIONALISATION OF FOREIGN OIL COMPANIES AND OTHER VITAL INDUSTRIES

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता—उत्तर-पूर्व): मैं प्रस्ताव करता हूं कि :-

"इस सभा की राय है कि विदेशी तेल कम्पनियों और 75 एकाधिकारी गृहों के नियंत्रणाधीन अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाये।"

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए**
Shri K. N. Tiwary in the Chair]

संकल्प के एक भाग में मैं 75 एकाधिकार गृहों के रास्ट्रीयकरण सम्बन्धी उस मांग को दोहरा रहा हूं जिसे कुछ समय पहले सरकार ने इस सदन में अस्वीकार किया था।

हम सब जानते हैं कि महलानविश समिति ने 1962 में प्रतिवेदन दिया था। इसके पश्चात् 1964 में एकाधिकार जांच आयोग स्थापित किया गया। डा० हजारे के प्रख्यात प्रतिवेदनों ने एकाधिकार में वृद्धि होते रहने का पर्दाफाश किया था। दत्त समिति ने 1969 में अपने प्रतिवेदन में कुख्यात लाईसेंस पद्धति के बारे में उल्लेख किया था। इसके बाद छः महीने के भीतर अपना प्रतिवेदन देने के लिए सरकार द्वारा आयोग की स्थापना की गई। सरकार ने इसे कुछ सहायता भी नहीं दी। अब तीन वर्ष हो गये हैं और इस आयोग का कार्य अभी भी अनियमित रूप से चल रहा है। जांच कराने की यह अन्तहीन प्रक्रिया चलती रहती है। स्पष्ट है कि वर्तमान शक्तिसम्पन्न समुदाय का योजना कार्यक्रमों में विश्वास ही नहीं है तो समाजवाद की बात ही दूर रही।

वर्तमान मंत्री परिषद् के सत्तारूढ़ होने से पहले और बाद में भी टाटा तथा बिड़ला और समृद्ध हुए हैं। टाटा बन्धुओं की कुल सम्पत्ति जो 1967 में 505.36 करोड़ रुपए थी, 1969 में बढ़कर 638.50 करोड़ रु० हो गई जबकि बिड़ला बन्धुओं की कुल सम्पत्ति 1967 में 457·84 करोड़ थी वह बढ़कर 1969 में 629.60 करोड़ रुपये हो गई। एफ० आई० सी० सी० आई० और टाटा ने जो ज्ञापन दिया था उसमें स्पष्ट किया गया था कि यदि सरकार उन्हें विभिन्न तरीकों से अर्थव्यवस्था पर अधिकार स्थापित कर लेने दे तो वे सरकार के साथ समझौता करने को तैयार हैं। सरकार के सामने एक ही रास्ता है कि वह एकदम दृढ़-निश्चय करके एकाधिकार गृहों और अर्थ-

व्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले ले। परन्तु वैकल्पिक व्यवस्था के प्रति अपने घातक लगाव के कारण सरकार गलतियां करती है और छल कपट तथा पाखंड के बल पर लोगों को धोखा देती आ रही है।

विदेशी तेल कम्पनियां भारत ही नहीं, बल्कि अन्य देशों में भी अन्तर्राष्ट्रीय वित्त पूंजी द्वारा हस्तक्षेप एवं लूट खसोट करती रहती है। यह बात निर्विवाद है कि यदि किसी राष्ट्र को आर्थिक विकास के लिए संसाधन जुटाने हैं और अन्य उद्योगों के विकास के लिए तेल के महत्व को सरकार ने समझ लिया है या राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा का ध्यान रखा जाना है तो सरकार को पेट्रोलियम संसाधनों पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिये। इसके लिए सभी विदेशी तेल कम्पनियों को सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। यही बात भारत के सम्मान और उसकी जनता के हित में है।

सन् 1967 में प्राक्कलन समिति ने अपने विख्यात प्रतिवेदन में एस्सो, बर्माशैल और कालटेक्स की घृणित भूमिका का उल्लेख किया था। हमारे स्वतंत्र देश ने उनके साथ समझौता किया है कि 25 वर्षों तक सरकार उन्हें अधिगृहीत नहीं करेगी और 25 वर्षों के बाद अधिगृहीत किये जाने पर उन्हें 'उचित प्रतिपूर्ति' दी जायेगी। यदि इस समझौते से देश की प्रभुसत्ता पर आंच आती है तो हमें इस शर्मनाक समझौते को समाप्त कर देना चाहिये।

गत वर्ष संसद में दिये गये आंकड़ों के अनुसार विदेशी तेल कम्पनियों ने 1969 में 81.90 करोड़ रुपये और 1970 में 72.64 करोड़ रुपये तथा 1971 में 94.49 करोड़ रुपये बाहर भेजें। तीन वर्षों में उन्होंने लगभग 250 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा बाहर भेजी।

4 अप्रैल, 1972 के "दि इकनोमिक टाइम्स" में लिखा है कि पिछले चौदह वर्षों के दौरान इन कम्पनियों ने भारत से 1040 करोड़ रुपये बाहर भेजे। इसमें से 70 प्रतिशत से अधिक राशि विपणन खाते में और शेष तेल शोधन के लिए थी। चुकता पूंजी पर प्रतिवर्ष 40 प्रतिशत लाभांश घोषित किया गया। सरकार ने 1951 के समझौते के नाम पर इस लूट के लिए अनुमति दे रखी है।

इन विदेशी तेल कम्पनियों ने तेल की कीमतों के बारे में हमें जितना ब्लैकमेल किया उसे ध्यान में रखना होगा। सप्त दशाब्दी में सोवियत सहायता मिलने से पूर्व हम ब्रिटेन या अमरीकन तेल कम्पनियों को कितनी कीमत दे रहे थे, इसका कुछ पता नहीं। 1969 में जब सरकार ने कीमतें कम करने के लिए कहा तो उन्होंने एकदम इन्कार कर दिया। हमें बिचौलियों और शार्क मछलियों जैसी खतरनाक इन तेल कम्पनियों से नाता तोड़कर तेल उत्पादक देशों से सीधा सम्पर्क स्थापित करना चाहिए। उतना होने तक विदेशी तेल कम्पनियों के अनुचित दावों में उचित कमी की जानी चाहिए।

इस बात को भी सभी जानते हैं कि मंत्रालय में योजना आयोग में सिविल सेवाओं में और बड़े बड़े धनवान व्यक्तियों के इन घृणित विदेशी तेल कम्पनियों को बनाये रखने में अपने स्वार्थ निहित है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण अगले अवसर पर जारी रखें।

प्रधान मन्त्री द्वारा पश्चिमी बंगाल के हुगली और सुन्दरबन क्षेत्रों का सर्वेक्षण*

PRIME MINISTER'S SURVEY OF HOOGHLY AND SUNDERBAN AREAS IN WEST BENGAL

श्री समर गुह (कंटाई): प्रधान मत्री 23 और 24 जनवरी, 1973 को सुन्दरबन क्षेत्र में गयीं। 23 जनवरी, 1973 को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस पर अन्तर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी का उद्घाटन करने के लिए वहां जब हमने प्रधानमंत्री को कहा तो उन्होंने इनकार किया। उन्होंने मुझे लिखे पत्र में कहा कि गोष्ठी की अपेक्षा वे सुन्दरबन तथा हुगली क्षेत्र के दौरे पर जाने के पक्ष में हैं।

सन 1926 में पं० मोतीलाल नेहरू भी सुन्दरबन गये। उस क्षेत्र को देखकर वे बहुत प्रफुल्लित हुये। एक कवि के लिए सुन्दरबन सौन्दर्य का प्रतीक है लेकिन वास्तव में सुन्दरबन दुख, विपत्ति, गरीबी और पिछड़ेपन की भूमि है।

इस क्षेत्र में प्राकृतिक साधनों के विकास की बड़ी सम्भावनायें हैं। मत्स्य पालन, पशु पालन, जूट, कपास, काजू और नारियल आदि के विकास की भी बड़ी गुंजाइश है।

अगर सुन्दरबन क्षेत्र में खाद्य उत्पादन में वृद्धि की जाय, तो पश्चिम बंगाल खाद्य उत्पादन में आत्म-निर्भरता के निकट पहुंच सकता है।

इस क्षेत्र में पानी का खारापन एक बड़ी समस्या है और यह सघन कृषि के विकास में बाधा है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इस बारे में नियुक्त डच विशेषज्ञ समिति ने सुन्दरबन क्षेत्र के लिए एक डेल्टा परियोजना तैयार की थी। उस समिति ने कई तटबन्ध बनाने का भी सुझाव दिया था।

कपास, काजू और नारियल का भी वहां विकास किया जा सकता है। वहां जंगल होने के कारण कागज का लुगदी कारखाना स्थापित करने की भी काफी संभावनायें हैं।

सुन्दरबन क्षेत्र में भारी मात्रा में मछली का उत्पादन होता है, लेकिन वहां आइस स्टोरेज नहीं है और संचार के साधन भी नहीं हैं। इसलिए थोक व्यापारी 1 रु० प्रति किलों के भाव से मछली खरीदकर कलकत्ता की मण्डी में 10 रु० से 15 रु० प्रति किलो के भाव से मछली बेचता है।

भारत के पूर्वी क्षेत्र में मछली ही प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। अगर सुन्दरबन क्षेत्र में मत्स्य-पालन का विकास किया जाय, तो कलकत्ता महानगर और अन्य औद्योगिक नगरों की मछली की माँग पूरी की जा सकती है।

सुन्दरबन क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य, बन-सौन्दर्य और जल-सौन्दर्य की दृष्टि से भी अद्वितीय है। पर्यटन केन्द्र के रूप में इसका विकास करने की काफी सम्भावनायें हैं। पर्यटन उद्योग से भी काफी विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है। वहां राष्ट्रीय पार्क अथवा शाही शेर की शरणस्थली बनाई जा सकती है। विदेशी पर्यटक भी इस क्षेत्र की ओर आकर्षित हो सकते हैं।

---

*आधे-घंटे की चर्चा

Half-an-hour Discussion

सुन्दरबन के सागर द्वीप में सारे भारत से पौस संक्रान्ति के दिन 10 लाख तीर्थ यात्री आते हैं, परन्तु संचार साधनों के अभाव में उन्हें बहुत परेशानी होती है। कुछ समय पहले हसनाबाद-कैनिंग-बारासत रेलवे लाइन के लिऐ संभाव्यता-सर्वेक्षण किया गया था। सुन्दरबन क्षेत्र के विकास के लिए उस रेल मार्ग का निर्माण आवश्यक है। इस क्षेत्र में सड़क परिवहन और जल परिवहन का भी विकास किया जाना चाहिए।

सुन्दरबन क्षेत्र के विकास के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने 85 करोड़ रु० की परियोजना बनाई है, परन्तु अपने सीमित साधनों से और केन्द्रीय सरकार की सहायता के बिना इतनी धनराशि की व्यवस्था करना पश्चिम बंगाल सरकार के लिए संभव नहीं है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर ने अभी हाल में इस क्षेत्र की यात्रा की थी और जल-परिवहन, मत्स्य-पालन, कोल्ड स्टोरेज ट्रैक्टर आदि में धन लगाने की अच्छी सम्भावनाओं को पाया।

अगर हम सुन्दरबन का विकास करना चाहते हैं, तो हमें सुन्दरबन विकास प्राधिकरण की स्थापना करनी होगी। समाचार-पत्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार ने इसके लिए 5 लाख रु० का प्रावधान किया है, जो हास्यास्पद है।

कलकत्ता बन्दरगाह के माध्यम से 45% निर्यात व्यापार और 33% आयात व्यापार होता है। हुगली नदी कलकत्ता बन्दरगाह के लिए जीवनदायिनी नदी है। कलकत्ता बन्दरगाह का भविष्य हुगली नदी के नौवहन योग्य होने पर निर्भर करता है। हुगली नदी का नौवहन योग्य होना दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो फरक्का बराज के शीघ्र निर्माण और दूसरे हुगली नदी में से कीचड़ निकाल कर उसे नौवहन योग्य बनाये रखने पर। कलकत्ता बन्दरगाह में तलकर्षण के लिए उपकरण अथवा संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। सुन्दरबन क्षेत्र की समस्याओं और हुगली नहीं में नौवहन सम्बन्धी समस्याओं पर प्रधान मंत्री, योजना मंत्री और भारत सरकार विचार करेंगी और प्रधान मंत्री के इस क्षेत्र के दौरे से जो आशायें जागी हैं, उनकी पूर्ति की जायगी।

श्री शक्ति कुमार सरकार (जयनगर): हमारी प्रिय प्रधान मंत्री और नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने सुन्दरबन क्षेत्र के पिछड़ेपन का अध्ययन करने के लिए वहां की यात्रा की। सुन्दरबन क्षेत्र के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए अस्सी लाख की आबादी वाले 24 परगना जिले का शीघ्र विभाजन करने की आवश्यकता है ताकि वहां प्रशासन सुचारूढंग से चल सके। यह भी घोषणा की जानी चाहिए कि यह पिछड़ा क्षेत्र है और औद्योगीकरण के लिए राज सहायता देने का आश्वासन दिया जाना चाहिए और केन्द्र-प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से इस क्षेत्र का आर्थिक आयोजन होना चाहिए। सुन्दरबन डेल्टा परियोजना वर्षों से निलम्बित पड़ी है। क्या सरकार भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद की अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक आयोजन करेंगी ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पेश की गई सुन्दरबन क्षेत्र के विकास की योजना का ब्यौरा क्या है और कौन कौन सी अन्य योजनायें सरकार के विचाराधीन हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : सुन्दरबन के मनोरम दृश्यों से कवियों को प्रेरणा मिलती रही है। सुन्दरबन क्षेत्र के विभिन्न संसाधनों और संभावनाओं ने योजना आयोग को भी विशिष्ट कार्यक्रम बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है।

सुन्दरबन क्षेत्र को अलग जिला बनाने और उसका राजनैतिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से विभाजन करने सम्बन्धी एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी सरकार ने उठाया है। इस समय यह क्षेत्र 24 परगना जिले का भाग है। इसी कारण से यह क्षेत्र रियायती दर पर वित्त पाने सम्बन्धी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाता। सुन्दरबन क्षेत्र को अलग जिला बनाने की सम्भावना पर विचार करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को हमने सुझाव दिया है। आंकड़े उपलब्ध होने पर हम इस बात का प्रयास करेंगे कि रियायती दर पर वित्त प्राप्त करने के प्रयोजन से सुन्दरबन क्षेत्र को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जाय।

अगर हम इन क्षेत्रों का विकास करना चाहते हैं, तो क्षेत्रीय विकास सम्बन्धी आयोजना बहुत आवश्यक है। पांचवी योजना के दृष्टिकोण-पत्र में हमने यह कहा है कि पिछड़े क्षेत्रों और विशेषकर सुन्दरबन क्षेत्र का विकास करने के लिए सरकार प्रयास करेगी। सुन्दरबन क्षेत्र का क्षेत्रफल 4,000 वर्गमील है और आबादी 20 लाख है। विभिन्न सुझावों के बारे में योजना आयोग पश्चिम बंगाल सरकार से परामर्श कर रहा है। सुन्दरबन के विकास के लिए राज्य सरकार को सभी संभव सहायता और सहयोग दिया जायगा। राज्य योजना बोर्ड और मुख्य मन्त्री के साथ मैंने इस बारे में बातचीत की है।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के बारे में हमने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि पांचवीं योजना के अन्तर्गत राज्यों में उन सभी गांवों का पता लगाया जाय, जहां पेय जल, स्कूल, संचार, सड़कें अथवा चिकित्सा सुविधायें नहीं हैं। 3,300 करोड़ रुपये की यह राशि का मुख्यत: इन्हीं क्षेत्रों में विनियोजन किया जायगा। सुन्दरबन क्षेत्र में संसाधनों का उचित रूप से खनन और उपयोग होना चाहिए और इसके लिए जनता और जनता के प्रतिनिधियों का सहयोग आवश्यक है। सुन्दरबन क्षेत्र को अलग जिला बना देने और औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र घोषित कर देने पर क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के धन की कमी नहीं होने दी जायगी।

श्री कृष्ण चन्द्र हालदार (औसग्राम) : सुन्दरबन को पिछड़े क्षेत्र का केन्द्र-प्रायोजित योजना के अन्तर्गत विकास किया जाय।

श्री मोहन धारिया : यहां मन्त्री के रूप में मुझे सारे देश की बात सोचनी पड़ती है, किसी क्षेत्र विशेष की नहीं। हम राज्य सरकारों से क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम बनाने के लिए अनुरोध करते रहे हैं और ऐसे सभी क्षेत्रों को यथासंभव प्राथमिकता दी जायगी।

अगर इसका विभाजन भी नहीं किया जाता, तो भी हमने पश्चिम बंगाल सरकार से यह अनुरोध किया है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए अपेक्षित प्राधिकरण का गठन करें और कार्यक्रम भी तैयार करें।

हुगली नदी की समस्या के बारे में हमने तीन उपाय किये हैं : द्रुत तलकर्षण कार्यक्रम, दूसरे नदी प्रशिक्षण कार्य का पूरा किया जाना और तीसरे, फरक्का बराज परियोजना का पूरा किया जाना। हमने 1964-65 से 1971-72 की अवधि के बीच तलकर्षण कार्य पर 36.72 करोड़ रुपये व्यय किया है। इस समय वहां छः ड्रेजर हैं और 10 करोड़ रुपये की लागत के एक अन्य ड्रेजर का आदेश दिया जा चुका है जो जुलाई, 1974 से चालू हो जाएगा।

नदी प्रशिक्षण कार्य के बारे में सदन को पता होगा कि अकरा स्पर योजना, फुल्टा पाइन्ट नदी योजना और भागीरथी-हुगली निर्माण-कार्य को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। चौथी योजना के दौरान 8 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जायगी, और शेष राशि व्यपगत नहीं होने दी जायगी बल्कि वह अगली योजना अवधि के दौरान खर्च की जायगी।

फरक्का बराज परियोजना का लगभग सारा काम जून, 1971 में ही पूरा हो गया था। मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि दिसम्बर, 1973 तक सारा निर्माण- कार्य पूरा हो जायगा और वर्ष 1974 के प्रारम्भ में गंगा से पानी मिलना शूरू हो जायगा।

नदी को वर्ष भर नौवहन योग्य बनाये रखा जाना चाहिए। 30,000, 40,000 या 50,000 क्यू सेक से जितने भी पानी की आवश्यकता होगी, वह पूरा किया जायगा।

मैं सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि कलकत्ता बन्दरगाह का महत्व सभी को ज्ञात है और केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार कलकत्ता के महत्व को बनाये रखने और सुन्दरबन के पिछड़े पन का विचार करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, 5 मार्च, 1973 14 फाल्गुन, 1894 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Monday the 5th March 1973 Phalgnna 14. 1894 (Saka)

(Raja) Ram Kumar Press, Lucknow—17-6-73,

PLS 48. XXIII-10. 73 (N)
490

© 1973 प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और
व्यवस्थापक, (राजा) राम कुमार प्रेस, लखनऊ द्वारा मुद्रित ।

1973 By the Lok Sabha Secretariat

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Fifth Edition) and Printed by the Manager, (Raja) Ram Kumar Press, Lucknow.